चतुर्दश माला, खंड 4, अंक 24

गुरुवार, 26 अगस्त, 2004
4 भाद्रपद, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 4 में अंक 21 से 24 तक हैं

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

आनन्द बी. कुलकर्णी
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

नत्थू सिंह
मुख्य सम्पादक (ग)

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 4, दूसरा सत्र, 2004/1926 (शक)]

अंक 24, गुरुवार, 26 अगस्त, 2004/4 भाद्रपद, 1926 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नकाल के निलंबन हेतु प्रस्ताव	2-3
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 442 से 461.	3-54
अतारांकित प्रश्न संख्या 4226 से 4455	54-399
सभा पटल पर रखे गए पत्र	400-412
राज्य सभा से संदेश	412-414
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
पहला प्रतिवेदन	414
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ बावनवां प्रतिवेदन	414
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ छियालिसवें प्रतिवेदन से एक सौ तिरपनवां प्रतिवेदन.	415
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
एक सौ अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन	416
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
पहले प्रतिवेदन से तीसरा प्रतिवेदन.	416
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन. . . .	417
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
उनासीवें प्रतिवेदन से बयासीवां प्रतिवेदन	417
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	420

विषय कॉलम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उत्तरांचल के वन-क्षेत्रों में रहने वाले गुज्जर समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' 421

(दो) हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल तथा मनाली में एक बाई पास के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह 422

(तीन) सशस्त्र बलों में हिमाचल प्रदेश के भर्ती कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

प्रो. चन्द्र कुमार 422

(चार) आंध्र प्रदेश के गुंटूर रेलवे डिवीजन में बेहतर रेल संपर्क एवं सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी 423

(पांच) राजस्थान में जल संकट से बचने के उद्देश्य से जल समझौतों के बारे में पंजाब सरकार के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां 424

(छह) उसैदघाट पर चम्बल नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 424

(सात) घरेलू संगमरमर उद्योग में कार्यरत लोगों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से संगमरमर एवं डोलोमाइट के आयात की अनुमति दिए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत सिंह 425

(आठ) जयपुर रेल लाइन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 426

(नौ) पश्चिम बंगाल में आर.ओ.बी. की निर्माण लागत में रेलवे रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी 426

विषय कॉलम

(दस) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती बोर्ड कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री अतीक अहमद 426

(ग्यारह) बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित करने हेतु बिहार सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता

श्री रघुनाथ झा 427

(बारह) भुवनेश्वर, उड़ीसा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी. 428

(तेरह) पावरलूम उद्योगों में उपयोग में लाए जा रहे यार्न की कीमत में वृद्धि को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती निवेदिता माने 428

(चौदह) जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु बनाए गए 'मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल्स' के लिए ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने हेतु आंध्र प्रदेश की सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री बी. विनोद कुमार 429

(पंद्रह) शिवकाशी, तमिलनाडु में पटाखा उद्योग से परीक्षण शुल्क लिए जाने की आवश्यकता

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई 430

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004

विचार करने के लिए प्रस्ताव 431

श्री पी. चिदम्बरम 431

खंड 2 से 111 और 1 432

पारित करने के लिए प्रस्ताव 432–472

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय 475

डा. मनमोहन सिंह 480

राष्ट्रगीत 482

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	483-484
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	485-496
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	497-498
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	497-500

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका*

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

गुरूवार, 26 अगस्त, 2004/4 भाद्रपद, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग कहां हैं?

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगता है कि यह सदन निश्चित कार्यक्रम से पहले समाप्त होने जा रहा है और ऐसी स्थिति में ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कल हम लोगों ने जो मुद्दा उठाया था कि... *(व्यवधान)* मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्कालीन विकास मंत्री श्री वेंकैया नायडू, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उसे छोड़िये।

श्री रघुनाथ झा : यह 300 करोड़ रुपये का घोटला है और उसकी फाइल गायब कर दी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा प्रस्ताव किया जाना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : इसकी सी.बी.आई. से इन्क्वायरी कराई जाये। इस धपले की इन्क्वायरी सी.बी.आई. से कराई जाये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह हो गया, ठीक है। मैंने आपको सुना है, ओ.के.।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने पाइंट उठाया है,

[अनुवाद]

मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया रामदास आठवले का अनुसरण मत कीजिए। यह खुशी का मौका नहीं है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव, वित्त विधेयक को निपटाने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ घटनाएं घट रही हैं। यह अच्छा नहीं है कि यहां विपक्ष उपस्थित नहीं है, मैं विपक्ष के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि वे यहां आएं और सभा के संचालन में सहयोग करें। विपक्ष अनुपस्थित है, इससे मैं खुश नहीं हूं। फिर भी, श्री गुलामनबी आजाद एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने तो जो बोला है, वह रिकार्ड पर आ गया है। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया बैठ जाएं। यह खुशी का मौका नहीं है कि हम वित्त विधेयक को इस तरह से पारित करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नकाल के निलंबन हेतु प्रस्ताव

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, को निलंबित करती है, जिससे अनिवार्य सरकारी कार्य को लिया जा सके।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 32, जहां तक इसमें यह उपबंध है कि प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिए उपलब्ध होगा, को निलंबित करती है, जिससे अनिवार्य सरकारी कार्य को लिया जा सके।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारत-पाकिस्तान के सांस्कृतिक सचिवों की बैठक

*442. **श्री राजेन्द्र कुमार :**
श्री नकुल दास राई :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के सांस्कृतिक सचिवों की हाल ही में नई दिल्ली में बैठक हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) 3 और 4 अगस्त, 2004 को नई दिल्ली में ''संयुक्त वार्ता'' के ढांचे के भीतर ''विभिन्न क्षेत्रों में मैत्री आदान-प्रदान संवर्धन'' पर भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव (संस्कृति) स्तर की बातचीत हुई थी। दोनों पक्षों ने कला, संस्कृति, पुरातत्व, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, युवा एवं खेलकूद, संचार और पर्यटन के क्षेत्र में मैत्री आदान-प्रदान एवं सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी विविध प्रकार के विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए। वीजा प्रणाली को उदार बनाने और दोनों ओर से तीर्थ यात्रियों तथा तीर्थस्थलों की संख्या में वृद्धि करके धार्मिक स्थलों की यात्रा संबंधी 1974 के द्विपक्षीय प्रोटोकॉल का क्षेत्र बढ़ाने पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। दोनों पक्ष एक-दूसरे की अभिरक्षा में कैदियों तथा मछुआरों से संबंधित मानवतावादी मुद्दों के निराकरण पर ध्यान देने पर सहमत हुए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेल गाड़ियों/स्टेशनों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता

*443. **श्री एस के. खारवेनचन :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज की तारीख तक इस संबंध में जोनवार शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) रेलवे द्वारा जोनवार प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच हेतु किसी निगरानी प्राधिकरण द्वारा कोई औचक जांच की जा रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(छ) रेलगाड़ियों और रेलवे स्टेशनों पर परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के संबंध में वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान रेलों को प्राप्त हुई शिकायतों और रेलवे द्वारा उन पर की गई कार्रवाई का जोनवार विवरण-I पर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी हां, 2001-2002, 2002-2003 और 2003-2004 के दौरान की गई आकस्मिक जांचों/निरीक्षणों तथा अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(छ) बेहतर ग्राहक संतुष्टि प्राप्त करने, रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में खानपान सेवाओं के स्तर तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, रेलवे ने थाली में भोजन परोसने के स्थान पर थ्री-पीस केसरोल भोजन की शुरूआत, पर्यावरण अनुकूल पैकिंग सामग्री की शुरूआत, कुल्हड़ में दही की सप्लाई, सीलबंद पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, राजधानी/शताब्दी और अन्य मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियों में मीनू तथा सेवाओं की समीक्षा करने जैसे विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। खान-पान सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर नियमित निरीक्षण/आकस्मिक जांच की जाती है। समय-समय पर विशेष जांच आयोजित की जाती है, प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है तथा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों में खानपान तथा स्वागत सत्कार सेवाओं को अपग्रेड करने, उनके व्यावसायीकरण तथा प्रबंधन के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है।

विवरण-I

भारतीय रेलों पर क्षेत्र-वार भोजन की गुणवत्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई

क्र. स.	रेलवे	वर्ष	शिकायतों की संख्या	मामलों की संख्या जिनमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई	शिकायतों की संख्या जो सही नहीं पाई गईं
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य	2001-02	297	208	89
		2002-03	188	158	30
		2003-04	120	65	55
2.	पूर्व	2001-02	38	17	21
		2002-03	40	6	34
		2003-04	36	8	28
3.	उत्तर	2001-02	64	49	15
		2002-03	35	28	7
		2003-04	16	16	0
4.	पूर्वोत्तर	2001-02	24	21	3
		2002-03	4	4	0
		2003-04	13	13	0
5.	पूर्वोत्तर सीमा	2001-02	9	9	0
		2002-03	4	4	0
		2003-04	0	0	0

1	2	3	4	5	6
6.	दक्षिण	2001-02	178	42	136
		2002-03	298	71	227
		2003-04	213	31	182
7.	दक्षिण मध्य	2001-02	104	65	39
		2002-03	87	65	22
		2003-04	86	31	55
8.	दक्षिण पूर्व	2001-02	44	31	13
		2002-03	43	21	22
		2003-04	70	20	50
9.	पश्चिम	2001-02	103	74	29
		2002-03	123	45	78
		2003-04	131	81	50
10.	पूर्व मध्य	2001-02	15	4	11
		2002-03	18	3	15
		2003-04	29	4	25
11.	पूर्व तट	2001-02	36	17	19
		2002-03	30	9	21
		2003-04	9	7	2
12.	उत्तर मध्य	2001-02	105	53	52
		2002-03	27	18	9
		2003-04	23	12	11
13.	उत्तर पश्चिम	2001-02	23	14	9
		2002-03	25	17	8
		2003-04	26	15	11
14.	दक्षिण पूर्व मध्य	2001-02	0	0	0

1	2	3	4	5	6
		2002-03	0	0	0
		2003-04	10	2	8
15.	दक्षिण पश्चिम	2001-02	36	29	7
		2002-03	40	36	4
		2003-04	19	19	0
16.	पश्चिम मध्य	2001-02	37	30	7
		2002-03	44	41	3
		2003-04	34	34	0
17.	आईआरसीटीसी	2001-02	0	0	0
		2002-03	64	52	12
		2003-04	107	64	43
	कुल जोड़	2001-02	1113	663	450
		2002-03	1070	578	492
		2003-04	942	422	520

विवरण-II

भारतीय रेलों पर भोजन की गुणवत्ता के संबंध में क्षेत्र-वार औचक जांचों/निरीक्षणों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई

क्र. स.	रेलवे	वर्ष	औचक जांचों/निरीक्षणों की संख्या	दोषियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के मामलों की संख्या	अनियमितता न होने के मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	मध्य	2001-02	363	261	102
		2002-03	312	222	90
		2003-04	256	21	235
2.	पूर्व	2001-02	33	9	24

1	2	3	4	5	6
		2002-03	39	13	26
		2003-04	44	6	38
3.	उत्तर	2001-02	541	90	451
		2002-03	537	106	431
		2003-04	235	161	74
4.	पूर्वोत्तर	2001-02	116	8	108
		2002-03	103	2	101
		2003-04	199	82	117
5.	पूर्वोत्तर सीमा	2001-02	193	56	137
		2002-03	204	42	162
		2003-04	239	42	197
6.	दक्षिण	2001-02	1880	364	1516
		2002-03	1139	232	907
		2003-04	855	369	486
7.	दक्षिण मध्य	2001-02	334	33	301
		2002-03	445	32	413
		2003-04	329	18	311
8.	दक्षिण पूर्व	2001-02	107	31	76
		2002-03	162	43	119
		2003-04	109	44	65
9.	पश्चिम	2001-02	1190	985	205
		2002-03	1131	941	190
		2003-04	1160	1070	90
10.	पूर्व मध्य	2001-02	225	14	211

1	2	3	4	5	6
		2002-03	263	14	249
		2003-04	238	49	189
11.	पूर्व तट	2001-02	93	85	8
		2002-03	160	138	22
		2003-04	128	120	8
12.	उत्तर पश्चिम	2001-02	215	49	166
		2002-03	233	57	176
		2003-04	119	33	86
13.	उत्तर पश्चिम	2001-02	174	117	57
		2002-03	185	69	116
		2003-04	217	124	93
14.	दक्षिण पूर्व मध्य	2001-02	0	0	0
		2002-03	0	0	0
		2003-04	8	2	6
15.	दक्षिण पश्चिम	2001-02	335	142	193
		2002-03	342	187	155
		2003-04	372	187	185
16.	पश्चिम मध्य	2001-02	106	60	46
		2002-03	127	64	63
		2003-04	126	63	63
17.	आईआरसीटीसी	2001-02	27	13	14
		2002-03	154	77	77
		2003-04	262	90	172
	कुल जोड़	2001-02	5932	2317	3615
		2002-03	5536	2239	3297
		2003-04	4896	2481	2415

[हिन्दी]

तेल उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य

*444. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तटीय और अपतटीय ड्रिलिंग से घरेलू तेल उत्पादन हेतु निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) दसवीं योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) देश में गैस और तेल उपलब्धता की तुलना में उसकी आवश्यकता की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं योजना की समाप्ति तक विभिन्न स्रोतों से तेल निकालने हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (मणि शंकर अय्यर) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय तेल कंपनियों अर्थात् ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और 9वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों (नि./सं.उ.) द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन के अनुमान और इनकी तुलना में वास्तविक कार्य-निष्पादन नीचे दिए गए हैं।

[मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में]

	तटीय		अपतटीय		योग	
कम्पनी	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ओएनजीसी	50.31	41.47	94.59	87.58	144.89	129.05
ओआईएल	16.47	16.10	—	—	16.47	16.10
नि./सं.उ.	—*	0.36	—*	17.44	19.46**	17.80

टिप्पणी :

* निजी/संयुक्त उद्यमों द्वारा तटीय और अपतटीय क्षेत्रों से तेल उत्पादन का अलग-अलग अनुमान नहीं लगाया गया।

** तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में निजी/संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रचालित क्षेत्रों/ब्लाकों के लिए 9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तेल उत्पादन का अनुमान 19.46 एमएमटी था।

(ख) ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के लिए नियत लक्ष्य क्रमश: 30.025 एमएमटी और 18.70 एमएमटी था। निजी/संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा प्रचालित क्षेत्रों/ब्लाकों के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार तेल उत्पादन का अनुमान 20.654 एमएमटी था।

(ग) 2003-04 के दौरान 118.678 एमएमटी की कुल कच्चे तेल की आवश्यकता के प्रति कच्चे तेल का स्वेदशी उत्पादन 33.373 एमएमटी था। कमी आयात से पूरी की गई।

जहां तक प्राकृतिक गैस का संबंध है, 10वीं योजना दस्तावेज में 155 एमएमएससीएमडी की मांग के मुकाबले 2003-04 के दौरान उत्पादन 87.32 मिलियन मीट्रिक मान घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) था।

(घ) घरेलू अन्वेषण और उत्पादन कार्यों के लिए 11वीं योजना का परिव्यय अभी तैयार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण भवन केन्द्र स्थापित करना

*445. **श्री विजय कृष्ण :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक राज्यों में ग्रामीण भवन केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ग) ऐसे केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) आज की तारीख के अनुसार राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कितने स्वीकृत किए गए; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनेक राज्यों में राज्यवार ऐसे केन्द्र स्थापित करने हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा 31 मार्च, 2004 तक मंजूर किए गए ग्रामीण निर्मिति केंद्रों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) ग्रामीण निर्मित केंद्रों को स्थापित करने का उद्देश्य जानकारी को प्रसारित करना, प्रौद्योगिकी का अंतरण करना, प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल में सुधार करना तथा किफायती एवं पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों का उत्पादन करना था।

(घ) अब तक प्राप्त ग्रामीण निर्मिति केंद्रों से संबंधित प्रस्तावों तथा आज की तारीख तक ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाली सूची संलग्न विवरण-II में है। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष से ग्रामीण निर्मिति केंद्रों की स्थापना से संबंधित योजना को रोक दिया गया है।

(ङ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए दी गई निधियों के ब्यौरे को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

विवरण-I

ग्रामीण निर्मिति केंद्र अब तक स्वीकृत ग्रामीण निर्मिति केंद्रों की सूची

क्र. सं.	राज्यों के नाम	अब तक स्थापित किए ग्रामीण केंद्रों के नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	ग्रेड्स (एन जी ओ), अनंतपुर
2.	आंध्र प्रदेश	बहुउद्देश्यीय सामाजिक सेवा समिति (एन जी ओ), कुडप्पा
3.	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद
4.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लि., नेल्लौर
5.	आंध्र प्रदेश	केयर (एन जी ओ), प्रकाशम
6.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लि., रंगारेड्डी
7.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लि., प. गोदावरी
8.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लि., वारंगल
9.	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम लि., पूर्व गोदावरी
10.	अरूणाचल प्रदेश	डी आर डी ए तवांग
11.	असम	पूर्व हैलाकांडी विकास परिषद (एन जी ओ), हैलाकांडी
12.	असम	ग्राम विकास परिषद, नगांव
13.	असम	बरनार्डी ग्राम उन्नयन समिति, नलबाड़ी
14.	बिहार	मिरेन्स (एन जी ओ), मकशूदपुर
15.	बिहार	रेफ्रो (एन जी ओ), सिवान
16.	बिहार	शक्ति महिला विकास स्वावलंबी सहकारी (एन जी ओ), मधुबनी
17.	बिहार	राजेन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान (एन जी ओ), सीतामढ़ी
18.	बिहार	अभिनव प्री फैब इंडस्ट्री (एन जी ओ), पूर्वी चम्पारण

1	2	3
19.	गुजरात	गुजरात महिला आवास सेवा ट्रस्ट, अहमदाबाद
20.	गुजरात	जय भारत चेरीटेबल ट्रस्ट (एन जी ओ), बनासकांठा
21.	गुजरात	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड, गांधीनगर
22.	गुजरात	श्री लखतर जलस्टोव विकास मंडल (एन जी ओ), जामनगर
23.	गुजरात	डी आर डी ए, कच्छ
24.	गुजरात	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड, कच्छ
25.	गुजरात	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड, कच्छ
26.	गुजरात	कच्छ महिला विकास संस्थान (एन जी ओ), खावड़ा, कच्छ
27.	गुजरात	कच्छ विकास ट्रस्ट (एन जी ओ), रायधनपुर, कच्छ
28.	गुजरात	ग्रामीण कृषि एवं विकास समिति, कच्छ
29.	गुजरात	इन्टरनेशनल रूरल एजूकेशनल (एन जी ओ), नर्मदा
30.	गुजरात	श्री वधिहर निकेतन (एन जी ओ), बसपा, पाटन
31.	गुजरात	डी आर डी ए, सुरेन्द्रनगर
32.	गुजरात	गुजरात ग्रामीण आवास बोर्ड, सुरेन्द्रनगर
33.	हरियाणा	डी आर डी ए, गुड़गांव
34.	हरियाणा	डी आर डी ए, झज्झर
35.	हरियाणा	चौबीसी विकास संघ (एन जी ओ), रोहतक
36.	हिमाचल प्रदेश	डी आर डी ए, बिलासपुर
37.	हिमाचल प्रदेश	डी आर डी ए, हमीरपुर
38.	हिमाचल प्रदेश	धौलाधर पब्लिक एजूकेशन सोसायटी (एन जी ओ), कांगड़ा
39.	हिमाचल प्रदेश	प्रौघोगिकी एवं विकास समिति, मंडी
40.	जम्मू व कश्मीर	इकोलॉजीकल डेवलपमेंट ग्रूप (एन जी ओ), लद्दाख
41.	जम्मू व कश्मीर	डी आर डी ए, उधमपुर
42.	झारखंड	डी आर डी ए, हजारीबाग
43.	कर्नाटक	पीपुल ट्रस्ट (एन जी ओ), बंगलौर
44.	कर्नाटक	चेतना (एन जी ओ), धारवाड़
45.	कर्नाटक	के आर बी सेंटर, मॉडया
46.	कर्नाटक	जिला पंचायत, मैसूर
47.	कर्नाटक	जिला परिषद, तालुक सागर, सिमोगा
48.	कर्नाटक	जिला परिषद, तालुक कारवार, उत्तर कन्नड़
49.	मध्य प्रदेश	डी आर डी ए, बालाघाट
50.	मध्य प्रदेश	जेल अथॉरिटी, भोपाल
51.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश आवास विकास संस्थान, भोपाल
52.	मध्य प्रदेश	राष्ट्रीय मानव पुनर्वास एवं पर्यावरण केंद्र (एन जी ओ), झबुआ
53.	मध्य प्रदेश	बसेरा आवास केंद्र राजगढ़
54.	मध्य प्रदेश	ऊर्जा पर्यावरण एवं विकास समिति (एन जी ओ), शिवपुरी

1	2	3
55.	मध्य प्रदेश	सिविल इंजीनियरी टेक्नीकल टेक. डेव. सेंटर (एन जी ओ), विदिशा
56.	महाराष्ट्र	अभिनव भियांत्रिकी स्तपत्य केंद्र (एन जी ओ), पुणे
57.	मणिपुर	ग्रामीण संसाधन विकास संगठन (एन जी ओ), चन्देल
58.	मणिपुर	किफायती निर्माण प्रौद्योगिकी केंद्र, थौबल
59.	नागालैंड	जनजातीय कल्याण विकास संघ (एन जी ओ), मोकोकचुंग
60.	नागालैंड	टी. अथरोंगबा संगतराम पी डब्ल्यू डी सेक्टर कंज्यूमर कॉ. सो. लि. (एन जी ओ), तेनसंग
61.	उड़ीसा	इंस्टीटयूट ऑफ सोशल वर्क एक्शन रिसर्च (एन जी ओ), धेनकनाल
62.	उड़ीसा	ओ आर एच डी सी, जगतसिंहपुर
63.	उड़ीसा	ओ आर एच डी सी, केन्द्रपाड़ा
64.	उड़ीसा	ओ आर एच डी सी, केन्द्रपाड़ा
65.	उड़ीसा	महात्मागांधी खादी एवं ग्रामोद्योग समिति, खुर्दा
66.	उड़ीसा	ओ आर एच डी सी, खुर्दा
67.	उड़ीसा	ओ आर एच डी सी, खुर्दा
68.	उड़ीसा	उड़ीसा सहकारी आवास निगम लि. (एन जी ओ), पुरी
69.	उड़ीसा	स्वरोजगारी कामगार संघ केंद्र (एन जी ओ), सुन्दरगढ़
70.	राजस्थान	भारतीय ग्रामीण प्रबंध संस्थान (एन जी ओ), जयपुर
71.	तमिलनाडु	वी एच ई आर डी एस (एन जी ओ), कांचीपुरम
72.	तमिलनाडु	डी आर डी ए, कांचीपुरम
73.	तमिलनाडु	विवेकानंद केंद्र (एन जी ओ), कन्याकुमारी
74.	उत्तर प्रदेश	वसुंधरा विकास समिति (एन जी ओ), बरेली
75.	उत्तर प्रदेश	लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल फाउंडेशन (एन जी ओ), बिजनौर
76.	उत्तर प्रदेश	बुनियाद (एन जी ओ), फरूखाबाद
77.	उत्तर प्रदेश	नव तकनीकी एवं सामग्री केंद्र (एन जी ओ), गौतमबुद्धनगर
78.	उत्तर प्रदेश	श्री गंगा सनातन धर्मार्थ ट्रस्ट (एन जी ओ), गाजियाबाद
79.	उत्तर प्रदेश	जन मानस विकास संस्थान हरदोई
80.	उत्तर प्रदेश	संकल्प सेवा संस्थान (एन जी ओ), जालौन
81.	उत्तरांचल	कस्सर ट्रस्ट (एन जी ओ), बागेश्वर
82.	उत्तरांचल	उत्तराखंड निर्माण केंद्र प्रा.लि., पौड़ी
83.	उत्तरांचल	ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति (एन जी ओ), टिहरी गढ़वाल
84.	प. बंगाल	पंचायत एवं ग्रामीण विकास संबंधी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान समिति (एन जी ओ), नाडिया
85.	प. बंगाल	पं. बंगाल अ.जा./अ.ज.जा. अल्पसंख्यक कल्याण संघ (एन जी ओ), मिदनापुर पश्चिम

विवरण-II

ग्रामीण निर्मिति केंद्रों के लिए प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावो की सूची (अब तक)

(संख्या में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव
1	2	3	4
1.	असम	8	3
2.	आंध्र प्रदेश	37	9
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	1
4.	बिहार	14	5
5.	गोवा	1	0
6.	गुजरात	14	14
7.	हरियाणा	10	3
8.	हिमाचल प्रदेश	8	4
9.	जम्मू व कश्मीर	4	2
10.	झारखंड	1	1
11.	कर्नाटक	22	6
12.	केरल	7	0
13.	मध्य प्रदेश	23	7
14.	महाराष्ट्र	28	1
15.	मणिपुर	13	2
16.	मिजोरम	2	0
17.	नागालैण्ड	13	2
18.	उड़ीसा	35	9
19.	पंजाब	2	0
20.	राजस्थान	23	1
21.	तमिलनाडु	13	3
22.	उत्तर प्रदेश	42	7
23.	उत्तरांचल	13	3
24.	प. बंगाल	13	2
25.	त्रिपुरा	1	0
26.	छत्तीसगढ़	2	0
	कुल	359	85

विवरण-III

विभिन्न राज्यों में विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ग्रामीण निर्मिति केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रदान की गई धनराशि

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष		
		2001-2002	2002-2003	2003-2004
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	6.00	20.98
2.	असम	—	12.00	6.00
3.	बिहार	3.00	14.00	12.00
4.	कर्नाटक	3.00	6.00	3.00
5.	जम्मू व कश्मीर	—	—	10.00
6.	गुजरात	69.00	21.60	10.76

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	—	12.00	2.40
8.	हिमाचल प्रदेश	—	6.00	—
9.	मध्य प्रदेश	—	17.20	23.00
10.	उड़ीसा	—	18.00	24.00
11.	राजस्थान	—	6.00	—
12.	तमिलनाडु	—	12.00	6.00
13.	मणिपुर	—	6.00	12.00
14.	नागालैण्ड	—	12.00	6.00
15.	उत्तर प्रदेश	—	12.00	24.00
16.	उत्तरांचल	—	6.00	12.00
17.	प. बंगाल	—	6.00	6.00
18.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	6.00
	कुल	78.00	172.80	184.14

आई.ओ.सी./गेल/ओ.एन.जी.सी. द्वारा किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि

*446. **श्री वी.के. दुग्मर :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई.ओ.सी./गेल/ओ.एन.जी.सी. और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा देश में कुल कितने तेलशोधक कारखाने चलाए जा रहे हैं और उनके द्वारा किसानों की कितनी भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या सभी भूमिहीन किसानों को कोई रोजगार उपलब्ध कराया गया है या उनका पुनर्वास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष किसानों का पुनर्वास करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) देश में 17 सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियां प्रचालनरत हैं। संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इन रिफाइनरियों की स्थापना करने के लिए लगभग 16097 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

किसानों सहित सभी भू-स्वामियों को भूमि अधिग्रहण, अधिनियम, 1984 के अनुसार मुआवजा दिया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक पुनर्वासन उपाय के रूप में, पुनर्वासन अनुदान, प्रशिक्षण, स्वरोजगार, परियोजना में रोजगार आदि पर भी सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों द्वारा विचार किया गया।

विवरण

भूमि अधिग्रहण का रिफाइनरीवार ब्यौरा

क्र. सं.	नाम	अधिग्रहीत भूमि (एकड़ में)
1	2	3
1.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मणली	1027
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, नागपट्टेनम	582
3.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.	417
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, विशाख	*
5.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई	*
6.	कोच्चि रिफाइनरी लिमिटेड, कोच्चि	1045
7.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन, टाटीपक्का	29
8.	मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. मंगलोर	1415
9.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी	490
10.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बरौनी	1284

1	2	3
11.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, कोयाली	1800
12.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, हल्दिया	**
13.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मथुरा	1472
14.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, पानीपत	2108
15.	इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, डिग्बोई	3140
16.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई	***
17.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, नुमालीगढ़	1288
	योग	16097

* भूमि एस्सो/कालटेक्स द्वारा हस्तांतरित

** भूमि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से पट्टे पर

*** भूमि बर्मा शैल द्वारा हस्तांतरित

तेल शोधक कारखानों का उन्नयन

***447. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 18 जून, 2004 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार के अनुसार लिबिया भारतीय तेल कंपनियों से अपने तेल शोधक कारखानों का उन्नयन करना चाहता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से अन्य देशों ने अपने अपने तेल शोधक कारखानों के उन्नयन के लिए भारतीय तेल कंपनियों को चुना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जून, 2004 में हाईड्रोकार्बन क्षेत्र के भारतीय शिष्टमंडल की लीबिया की यात्रा के दौरान लीबिया की नेशनल आयल कार्पोरेशन (एनओसी) ने भारतीय तेल कंपनियों को अन्वेषण और उत्पादन हिस्सेदारी करार के चौथे चक्र (ईपीएसए-4) के तहत अन्वेषण ब्लाकों के भावी प्रस्ताव में बोली भेजने के लिए और अज्जाविया और रास लानुफ रिफाइनरियों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिए आमंत्रित किया।

(ग) कुछ देशों ने भारतीय कंपनियों द्वारा अपनी तेल रिफाइनरियों के उन्नयन में रुचि व्यक्त की है। इनकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

रिफाइनरी उन्नयन/पुनरुद्धार के प्रस्ताव

क्र.स.	देश का नाम	रिफाइनरी	संबंधित भारतीय सा.क्षे. उपक्रम
1.	अल्जीरिया	स्किकदा एण्ड अल्जीयर्स रिफाइनरीज (परियोजना प्रबंधन सेवा)	ईआईएल
2.	बंगलादेश	बंगलादेश रिफाइनरी	एचपीसीएल
3.	ईरान	तेहरान और तबरिज रिफाइनरियां	आईओसी एण्ड ईआईएल
4.	लीबिया	रास लानुफ और अज्जाविया रिफाइनरियां	आईओसी एण्ड ईआईएल
5.	म्यांमार	थानल्यीन रिफाइनरी	आईओसी
6.	सूडान	पोर्ट सूडान रिफाइनरी	ओएनजीसी – विदेश
7.	यमन	अदन रिफाइनरी	आईओसी

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट

*448. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना ही केन्द्र सरकार से धनराशि की आगे की किस्तें प्राप्त हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है; और

(च) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (च) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को प्रत्येक आगामी माह ही 20 तारीख तक मंत्रालय को प्रत्येक योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजनी होती है। राज्यों को वर्ष के दौरान वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को दर्शाते हुए वार्षिक प्रगति रिपोर्ट भी भेजनी होती है।

2. इन प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को निधियां दो किस्तों में रिलीज की जाती हैं। पहली किस्त स्वत: रिलीज कर दी जाती है। दूसरी किस्त कतिपय शर्तो के पूरा होने अर्थात् राज्य अंश की रिलीज, कुल उपलब्ध निधियों के 60 प्रतिशत का उपयोग और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट/उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद ही रिलीज की जाती है।

3. यदि दूसरी किस्त की रिलीज के लिए प्रस्ताव दिसम्बर के बाद प्राप्त होते हैं तो रिलीज की जाने वाली दूसरी किस्त पर क्रमिक कटौतियां की जाएंगी। यदि प्रस्ताव जनवरी में प्राप्त होते हैं, तो दूसरी किस्त पर 10 प्रतिशत की कटौती की जाती है। यदि प्रस्ताव फरवरी में प्राप्त होते हैं, तो 20 प्रतिशत तथा यदि प्रस्ताव मार्च में प्राप्त होते हैं, तो 30 प्रतिशत कटौती की जाती है।

राजीव गांधी पेयजल मिशन का क्रियान्वयन

*449. **श्री पी. राजेन्द्रन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजीव गांधी पेयजल मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और उसके द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या इसके क्रियान्वयन में कोई कमियां अथवा असफलताएं रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्ति विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन देश की सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के प्रयासों में मदद करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देकर केंद्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए. आर.डब्ल्यू.एस.पी.) का सफल कार्यान्वयन करता रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों में आबंटित और रिलीज की गई राशि एवं राज्यों के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पेयजल आपूर्ति विभाग को आबंटित की गई संपूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है। तथापि, राज्य संसाधनों से रिलीज के बराबर राशि देने की असमर्थता, निधियों का दावा करने के लिए सभी अपेक्षित प्रलेखों के साथ समय पर पूर्ण प्रस्ताव भेजने में असमर्थता एवं प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, जिसके कारण विलम्ब से निधियां रिलीज होने जैसे अनेक कारणों की वजह से कुछ राज्य उसी वित्तीय वर्ष के भीतर त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत निधियों का पूर्ण उपयोग करने में समर्थ नहीं हो पाते। आवधिक समीक्षा बैठकों के दौरान, राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र को उच्चतर प्राथमिकता दें और राज्य के बजट में पर्याप्त आबंटन का प्रावधान करें। ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों को तकनीकी सहायता एवं नीतिगत सहयोग भी दिया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2001-2002						2002-2003	
		1.4.2001 को अथशेष	आबंटन	रिलीज	निधियों की कुल उपलब्धता (कॉलम 3+5)	सूचित व्यय	31.03.2002 को खर्च न किया गया शेष (कॉलम 6+7)	1.4.2002 को अथशेष	आबंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	13044.00	13601.10	13601.10	13044.00	557.10	557.10	13477.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.05	4476.00	2455.91	2474.96	2365.56	109.40	109.40	4977.00
3.	असम	1354.96	7561.00	5357.67	6712.63	5122.79	1589.84	1589.84	8407.00
4.	बिहार	1370.12	7274.00	0.00	1370.12	932.29	437.83	437.83	7406.00
5.	छत्तीसगढ़	0.00	3877.00	3977.00	3977.00	3843.60	133.40	133.40	2443.00
6.	गोआ	175.97	1455.00	727.50	903.47	241.23	662.24	662.24	122.00
7.	गुजरात	1636.25	7837.00	9376.30	11012.55	10769.58	242.97	242.97	6546.00
8.	हरियाणा	0.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00	0.00	0.00	2002.00
9.	हिमाचल प्रदेश	7.22	5552.00	6452.00	6459.22	6459.22	0.00	0.00	5635.00
10.	जम्मू व कश्मीर	2994.27	9896.00	6292.10	9286.37	8120.16	1166.21	1166.21	12324.00
11.	झारखंड	4246.15	3619.00	1809.50	6055.65	4483.00	1572.65	1572.65	3063.00
12.	कर्नाटक	757.62	12414.00	12714.00	13471.62	12694.08	777.54	777.54	11136.00
13.	केरल	2235.65	6331.00	5045.00	7280.65	4203.99	3076.66	3076.66	3698.00
14.	मध्य प्रदेश	0.00	8877.00	9077.00	9077.00	8438.42	638.58	638.58	7159.00
15.	महाराष्ट्र	69.25	19159.00	19659.00	19728.25	19228.25	500.00	500.00	16829.00
16.	मणिपुर	253.52	1643.00	821.50	1075.02	497.23	577.79	577.79	1826.00
17.	मेघालय	456.49	1760.00	1215.51	1672.00	1515.04	156.96	156.96	1957.00
18.	मिजोरम	0.85	1257.00	1634.10	1634.95	1255.48	379.47	379.47	1398.00
19.	नागालैंड	0.00	1308.00	1700.40	1700.40	1308.00	392.40	392.40	1454.00
20.	उड़ीसा	2518.99	6522.00	4852.09	7371.08	6632.53	738.55	738.55	6225.00
21.	पंजाब	256.14	2277.00	1985.50	2241.54	2085.73	155.91	155.91	2581.00
22.	राजस्थान	6591.67	18705.00	14919.08	21510.75	15295.40	6215.35	6215.35	20731.00

(लाख रु. में)

2002-2003				2003-2004					
रिलीज	निधियों की कुल उपलब्धता (कॉलम 9+11)	सूचित व्यय	31.03.2003 को खर्च न किया गया शेष (कॉलम 12+13)	1.4.2003 को अथशेष 1.4.2001	आबंटन	रिलीज	निधियों की कुल उपलब्धता (कॉलम 15+17)	सूचित व्यय	31.03.2004 को खर्च न किया गया शेष (कॉलम 18+19)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16481.42	17038.52	13388.52	3650.00	3650.00	11688.00	11688.00	15338.00	15338.0	0.00
3650.00	3759.40	2748.96	1010.44	1010.44	4962.00	4102.40	5112.84	4292.01	820.83
5252.50	6842.34	4848.70	1993.64	1993.64	8403.00	5772.62	7766.26	5462.20	2304.06
3703.00	4140.83	3309.23	831.60	831.60	6319.00	3159.50	3991.10	2428.41	1562.69
2943.00	3076.40	2602.92	473.48	473.48	1901.00	2574.00	3047.48	2997.36	50.12
0.00	662.24	23.62	638.62	638.62	105.00	0.00	638.62	87.29	551.33
9844.75	10087.72	9338.48	749.24	749.24	5537.00	8305.00	9054.24	9053.81	0.43
2402.00	2402.00	2402.00	0.00	0.00	1694.00	1694.00	1694.00	1694.00	0.00
8225.00	8225.00	7671.60	553.40	553.40	4919.00	5129.00	5682.40	5554.81	127.59
11164.39	12330.60	6105.64	6224.96	6224.96	10833.00	12800.00	19024.96	15286.78	3738.18
1948.80	3522.45	3369.46	152.99	152.99	2575.00	2060.00	2212.99	1419.53	793.46
13568.68	14346.22	11530.26	2815.96	2815.96	10104.00	10854.00	13669.96	13148.07	521.89
1899.30	4975.96	4252.69	723.27	723.27	3645.00	4258.71	4991.98	4991.98	0.00
9586.08	10224.66	8594.90	1629.76	1629.76	6079.00	7310.00	8939.76	8939.76	0.00
19336.24	19836.24	16842.07	2994.17	2994.17	15710.00	15710.00	18704.17	13953.65	4750.52
947.00	1524.79	1193.41	331.38	331.38	1833.00	1624.15	1955.53	11.10	1944.43
2935.50	3092.46	1663.69	1428.77	1428.77	1967.00	1811.78	3240.55	2119.70	1120.85
2097.00	2476.47	2097.00	379.47	379.47	1386.00	1386.00	1765.47	1762.77	2.70
2181.00	2573.40	1628.78	944.62	944.62	1453.00	1626.73	2571.35	1671.12	900.23
5829.80	6568.35	6531.73	36.62	36.62	5303.00	4713.81	4750.43	4750.43	0.00
3081.00	3236.91	3236.91	0.00	0.00	2269.00	2269.00	2269.00	2269.00	0.00
18825.30	25040.65	22505.36	2535.29	2535.29	15852.00	17194.51	19729.80	19209.75	520.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	सिक्किम	0.00	536.00	696.80	696.80	696.80	0.00	0.00	597.00
24.	तमिलनाडु	0.00	7956.00	8956.00	8956.00	7956.00	1000.00	1000.00	6358.00
25.	त्रिपुरा	0.00	1559.00	2026.70	2026.70	1559.00	467.70	467.70	1734.00
26.	उत्तर प्रदेश	2196.00	13269.00	13063.35	15259.35	10733.51	4525.84	4525.84	13022.00
27.	उत्तरांचल	0.00	3356.00	3447.88	3447.88	3117.39	330.49	330.49	3083.00
28.	पश्चिम बंगाल	243.40	8773.00	8947.63	9191.03	8824.46	366.57	366.57	8545.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4.40	13.00	0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	13.00
30.	ददरा व नगर हवेली	10.49	7.00	0.00	10.49	10.04	0.45	0.45	7.00
31.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
33.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	पांडिचेरी	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	कुल	27398.46	102523.00	163010.62	190409.68	163532.78	26776.30	26776.30	174765.00

* 9.8.2004. तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार

नोट - सूचना में स्वजलधारा, क्षेत्र सुधार परियोजना, एचआरडी, आईईसी और एम एवं आई आदि के संबंध में की गई रिलीज और केन्द्र द्वारा किए गए व्यय शामिल नहीं है।

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	2001-2002						2002-2003	
		1.4.2001 को अथशेष	आवंटन	रिलीज	निधियों की कुल उपलब्धता (कॉलम 3+5)	सूचित व्यय	31.03.2002 को खर्च न किया गया शेष (कॉलम 6+7)	1.4.2002 को अथशेष	आवंटन
1.	आंध्र प्रदेश	580.50	845.58	676.54	1257.04	1003.34	253.70	253.70	1388.00
2.	गुजरात	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	153.00
3.	हरियाणा	0.00	908.64	1275.92	1275.92	1275.92	0.00	0.00	944.00
4.	हिमाचल प्रदेश	20.24	7.41	5.21	25.45	25.45	0.00	0.00	8.00
5.	जम्मू और कश्मीर	69.67	209.88	0.00	69.67	39.32	30.35	30.35	64.00
6.	कर्नाटक	34.55	1133.74	1147.68	1182.23	112.09	1070.14	1070.14	1177.00
7.	राजस्थान	1563.17	5794.65	5794.65	7357.82	4752.82	2605.00	2605.00	6019.00
	कुल	2268.13	9300.00	9300.00	11568.13	7608.94	3959.19	3959.19	9753.00

* 9.8.2004 तक राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार।

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
895.50	895.50	639.00	256.44	256.44	603.00	763.00	1019.44	1005.32	14.12
7558.00	8558.00	7358.00	1200.00	1200.00	4869.00	6269.00	7469.00	7469.00	0.00
2427.60	2895.30	1335.82	1559.48	1559.48	1743.00	1903.00	3462.48	2438.07	1024.41
11349.46	15875.30	12583.40	3191.90	3191.90	11086.00	10457.00	13648.90	11085.98	2562.92
3683.00	4013.49	3169.75	843.74	843.74	2635.00	2371.50	3215.24	2245.40	969.84
10115.00	10481.57	7930.44	2551.13	2551.73	6827.00	6827.00	9378.13	8362.04	1016.09
0.00	4.40	0.00	4.40	4.40	5.63	0.00	4.40	0.00	4.40
0.00	0.45	0.00	0.45	0.45	3.75	0.00	0.45	0.00	0.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
181931.32	208707.62	169002.40	39705.22	39705.22	152315.00	154643.71	194348.93	169047.34	25301.59

(लाख रु. में)

2002-2003				2003-2004					
रिलीज	निधियों की कुल उपलब्धता (कॉलम 9+11)	सूचित व्यय	31.03.2003 को खर्च न किया गया शेष (कॉलम 12+13)	1.4.2003 को अथशेष	आबंटन	रिलीज	निधियों की कुल उपलब्धता (कॉलम 15+17)	सूचित व्यय	31.03.2004 को खर्च न किया गया शेष (कॉलम 18+19)
1342.50	1596.20	1596.20	0.00	0.00	1424.00	1424.00	1424.00	1424.00	0.00
153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	153.00	153.00	153.00	152.57	0.43
944.00	944.00	944.00	0.00	0.00	968.00	968.00	968.00	968.00	0.00
4.00	4.00	5.50	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	4.61	3.39
32.00	62.35	15.35	47.00	47.00	65.00	50.63	97.63	41.71	55.92
786.68	1856.82	1540.08	316.74	316.74	1208.00	1208.00	1524.74	1315.26	209.48
4770.66	7375.66	7375.66	0.00	0.00	6174.00	6174.00	6174.00	5956.56	217.44
8032.84	11992.03	11629.79	363.74	363.74	10000.00	9985.63	10349.37	9862.71	486.66

ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरी अर्जक का स्तर

*450. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लगभग 33 प्रतिशत गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना अभी भी शेष है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरी अर्जक शहरी क्षेत्र के मजदूरी अर्जक के समान स्तर के आय की तुलना में केवल आधे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन वृद्धि और शहरी रोजगार वृद्धि के बीच के अन्तर को कम करने और गरीबी से प्रभावित ग्रामीण इलाकों को एक संभावित बाजार में बदलने के मद्देनजर गांवों का सड़कों से संपर्क सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आयोजना की एक इकाई 'बसावट' है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए कोर नेटवर्क के अनुसार, 25.12.2000 की स्थिति के अनुसार देश में बसावटों की कुल संख्या 8,48,911 है, जिनमें से 3,29,311 संपर्क विहीन हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों की संख्या 1,70,680 है। पी एम जी एस वाई की शुरूआत से अब तक पी एम जी एस वाई के अंतर्गत 30,269 बसावटें और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 1,363 बसावटें कवर की गई हैं। शेष सड़क संपर्कविहीन 2,97,679 पात्र बसावटें, बसावटों की कुल संख्या का 35.1 प्रतिशत है।

(ख) ग्रामीण एवं शहरी मजदूरी, क्षेत्र एवं पेशा विशिष्ट हैं लेकिन ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता अनुपात का उपयोग सामाजिक-आर्थिक कल्याण के संबंद्ध स्तरों पर सामान्य निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है। यद्यपि, ग्रामीण एवं शहरी दोनों के निर्धनता अनुपात में बहुत कमी हुई है, फिर भी इनमें अभी अंतर है। वर्ष 1977-78 और 1999-2000 के बीच ग्रामीण निर्धनता अनुपात 53.1 प्रतिशत से घटकर 27.1 हो गया है जबकि शहरी निर्धनता अनुपात 45.2 प्रतिशत से घटकर 23.6 प्रतिशत हो गया है।

(ग) यद्यपि संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ग्रामीण सड़कें राज्य सूची में है, फिर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) को गरीबी उपशमन कार्यनीति के हिस्से के रूप में तथा ग्रामीण-शहरी अन्तर को दूर करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता माना गया है। पी एम जी एस वाई का उद्देश्य लगभग 1.70 लाख सड़क संपर्कविहीन ग्रामीण बसावटों को बारहमासी सड़कें मुहैया कराना है ताकि वे आर्थिक एवं सामाजिक सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

[हिन्दी]

गांवों को लिंक रोड से जोड़ना

*451. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्येक गांव को लिंक रोड से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.4 लाख गांवों को सड़क से जोड़ने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजना के खण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पहले खण्ड का कार्य किस तारीख से आरम्भ हुआ;

(ङ) सभी खंडों का कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(च) अब तक इस योजना के दायरे में लाए गए गांवों की संख्या कितनी है तथा अगले दो-तीन वर्षों में कितने गांवों को इसमें शामिल किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आयोजना की एक इकाई ''बसावट'' है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य दसवीं योजना अवधि (2007) के अंत तक 500 से अधिक व्यक्ति की आबादी वाली ग्रामीण क्षेत्रों की सभी सड़क संपर्क विहीन बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़कों के माध्यम से सड़क संपर्क मुहैया कराना है। पर्वतीय राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल) और मरूस्थल तथा जनजातीय (अनुसूची-V) क्षेत्रों के संबंध ा में 250 व्यक्ति और इससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य है।

(ग) से (ङ) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के हिस्से के रूप में कोर-नेटवर्क का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 1.70 लाख सड़क संपर्क विहीन बसावटों (पात्र बसावटों) को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जोड़ने की आवश्यकता

है। यह कार्यक्रम दिसम्बर, 2000 में शुरू किया गया था और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस कार्य को दसवीं योजना (2007) के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(च) राज्यों को आबंटन के अनुसार सड़क कार्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। मई, 2004 तक सड़क से जोड़ दी गई सड़क संपर्क विहीन बसावटों और पहले से ही स्वीकृत सड़क कार्यों के माध्यम से जोड़ी जा रही बसावटों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

#	राज्य का नाम	पहले से ही स्वीकृत कार्यों के माध्यम से सड़क संपर्क मुहैया कराई जा रही संपर्क विहीन बसावटों की सं.	सड़क कार्यों (मई, 04 तक) के पूरा होने पर सड़क से जोड़ दी गई सड़क संपर्क विहीन बसावटों की सं.
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	913	621
2.	अरुणाचल प्रदेश	199	147
3.	असम	2232	860
4.	बिहार	1784	273
5.	छत्तीसगढ़	2230	832
6.	गोवा	14	0
7.	गुजरात	883	462
8.	हरियाणा	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1034	262
10.	जम्मू व कश्मीर	300	0
11.	झारखंड	1341	243
12.	कर्नाटक	389	351
13.	केरल	87	0
14.	मध्य प्रदेश	2853	942
15.	महाराष्ट्र	845	259
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	88	26
18.	मिजोरम	71	30
19.	नागालैण्ड	42	12
20.	उड़ीसा	2550	1273
21.	पंजाब	364	301
22.	राजस्थान	3726	1947
23.	सिक्किम	47	0
24.	तमिलनाडु	1813	1184
25.	त्रिपुरा	260	0
26.	उत्तर प्रदेश	3716	2505
27.	उत्तरांचल	210	40
28.	पश्चिम बंगाल	2717	825
	कुल	30708	13395

रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर राजसहायता

*452. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्रीमती मनोरमा माधवराज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर राज सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस समय रसोई गैस और मिट्टी के तेल दोनों पर कितनी राज सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियों के गेल (जी.ए.आई.एल.) और ओ.एन.जी.सी. जैसी कंपनियों के साथ राज सहायता के बोझ में हिस्सेदार बनने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज सहायता राशि का निर्धारण करते समय उक्त मदों की उत्पादन लागत की भी गणना की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो उत्पादन लागत की गणना करते समय सरकार द्वारा किन व्यय शीर्षों को शामिल किया जाता है; और

(च) वर्ष 2004-2005 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि होने के कारण रसोई गैस और मिट्टी तेल की उत्पादन लागत में अलग-अलग कितनी वृद्धि हुई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। सरकारी राजसहायता के अलावा तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इन उत्पादों पर राजसहायता के भार को बांट रही है। वर्ष 2004-05 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी की प्रति बिक्री इकाई सरकारी राजसहायता क्रमश: 1.47 रुपए/लीटर और 40.65 रुपए/सिलेंडर होने का अनुमान है। इसके अलावा अप्रैल-जून, 2004 के दौरान तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर क्रमश: लगभग 5.50 रुपए/लीटर और 87.50 रुपए/सिलेंडर की अल्प वसूली वहन की।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) प्रति बिक्री इकाई राजसहायता की मात्रा की गणना लागत मूल्य और निर्गम मूल्य के बीच अंतर के रूप में की जाती है और लागत मूल्य की गणना आयात समता आधार पर की जाती है। लागत मूल्य की गणना करने में विचार किए जाने वाले घटकों में पोतपर्यंत निशुल्क मूल्य, महासागर भाड़ा, बीमा प्रभार, विनिमय दर, सीमा शुल्क, पत्तन प्रभार, भंडारण/वितरण लागतें, अंतर्देशीय भाड़ा आदि सम्मिलित हैं।

(च) 2004-05 के दौरान कच्चे तेल के भारतीय बास्केट, मिट्टी तेल और एलपीजी के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की 2003-04 के मूल्यों के साथ तुलना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अवधि	भारतीय कच्चा तेल बास्केट (डालर/बैरल)	मिट्टी तेल (डालर/बैरल)	एलपीजी (डालर/एमटी)
1	2	3	4
2003-04	27.96	31.19	278.45
2004-05			
अप्रैल-जून, 2004	34.23	41.21	319.93
जुलाई, 2004	36.35	45.58	327.00
अगस्त, 2004 (23.8.2004 तक)	41.04	50.14	341.00

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास

*453. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोकतंत्र के सबसे निचले स्तर ग्रामीण पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आरंभ की गयी विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : (क) और (ख) चूंकि पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय संगठनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए सरकार पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से बुनियादी लोकतंत्र के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में शक्तियों के प्रत्यायोजन अर्थात् दोहरे उद्देश्यों (i) अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने और (ii) XIवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों सहित तथा उन शर्तों के अध्यधीन जिन्हें राज्य, कानून द्वारा निर्दिष्ट करे, पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित कार्यों के लिए, अपने संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए स्व-शासन की संस्था के रूप में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाने की व्यवस्था है। संविधान की XIवीं अनुसूची में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित विषयों के बारे में शक्तियों के प्रत्यायोजन की व्यवस्था है। ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ग्राम सभा पंचायती राज के माध्यम से अच्छे शासन का आधार है। पंचायतों को विभिन्न स्तरों पर निधि, कार्य और कर्मी सौंपना सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त कार्य-योजना बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उन्हें स्व-शासन की संस्था बनने में समर्थ बनाया जा सके। ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक लेखा-परीक्षा उपायों को संस्थागत बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पंचायतें ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ऐसी अनेक योजनाएं शुरू की जा रही हैं जिनमें पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं - संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम (हरियाली), केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और स्वजलधारा।

रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर आयात शुल्क

*454. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर आयात शुल्क को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) 18/19 अगस्त, 2004 की मध्यरात्रि से प्रभावी पीडीएस मिट्टी तेल, घरेलू एलपीजी, डीजल और पेट्रोल के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार मूल्यों में वृद्धि के असर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इन उत्पादों में से प्रत्येक पर सीमा शुल्क में 5% की कमी और पीडीएस मिट्टी तेल पर उत्पाद शुल्क में 4% की कमी तथा डीजल और पेट्रोल प्रत्येक पर 3% की कमी की गई।

सरकार ने 15/16 जून, 2004 की मध्यरात्रि से प्रभावी करते हुए उत्पाद शुल्क में घरेलू एलपीजी पर 8%, डीजल पर 3% और पेट्रोल पर 4% की कमी पहले की थी।

गांवों में पानी का खारापन दूर करने कं संयंत्र

*455. **डा. एम. जगन्नाथ :**
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तटीय गांवों को पूरे वर्ष पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गांवों में पेयजल के रूप में खारापन दूर किए गए पानी की आपूर्ति की लागत का कभी ब्यौरा तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ किन-किन गांवों को चुना गया है; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की कमी को दूर करने हेतु खारापन दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर संयंत्र कब तक लगाए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर उनके प्रयासों में सहायता देती है। राज्यों को खारापन सहित, जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने की परियोजनाओं पर केन्द्र तथा राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात के वित्तपोषण आधार पर, 15 प्रतिशत ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. आबंटन का उपयोग करना होता है।

(ख) और (ग) खारापन रहित पेयजल आपूर्ति की लागत लवण सान्द्रता, उपयोग की गई प्रौद्योगिकी, संयंत्र की क्षमता, मूलभूत सुविधाओं इत्यादि कई कारकों इत्यादि पर निर्भर करती है। वर्ष 2001 में, दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर कार्य समूह ने 10 एल.पी.सी.डी. आपूर्ति स्तर के खारापन दूर करने के संयंत्र के लिए 700 रु. प्रति व्यक्ति और 40 एल.पी.सी.डी. स्तर के वैकल्पिक सुरक्षित स्रोत से आपूर्ति के लिए 1200 रु. प्रति व्यक्ति औसत लागत का अनुमान लगाया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें, जहां आवश्यकता हो अपनी शक्ति के अंदर खारापन दूर करने के संयंत्र लगा सकती हैं और ऐसे प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

मीडिया के माध्यम से विज्ञापन

*456. **श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाह :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के नियंत्रणाधीन मीडिया के माध्यम से विज्ञापित किए जाने वाले उत्पादों के लिए उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विज्ञापित उत्पादों हेतु गुणवत्ता प्रमाणपत्र के लिए मानदण्ड निर्धारित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अश्लील विज्ञापनों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) भारत में प्रेस सरकारी नियंत्रण से मुक्त है। भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना प्रेस की स्वतंत्रता कायम रखने और भारत में समाचारपत्रों एवं समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार लाने तथा उनको बरकरार रखने के लिए की गयी थी।

जहां तक इलेक्ट्रानिक मीडिया का संबंध है एक सांविधिक स्वायत्तशासी नियम, प्रसार भारती वाणिज्यिक विज्ञापनों हेतु अपनी स्वयं की संहिता का पालन करती है जिसमें सामान्यतया समाज और विशेषकर उपभोक्ताओं के हितों के लिए सुरक्षोपाय के सख्त प्रावधान अंतर्विष्ट हैं।

केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित/पुन: प्रसारित विज्ञापनों को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के अंतर्गत निर्धारित विज्ञापन संहिता के उपबंधों का पालन करना होता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात का भी निर्धारण किया गया है कि विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप होंगे, विज्ञापित उत्पाद में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में यथा-उल्लिखित किसी प्रकार की कमी या खामी नहीं होगी तथा उसमें ऐसे कोई संदर्भ नहीं होंगे जिनसे जनसामान्य के इस निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना हो कि विज्ञापित उत्पाद में कुछ ऐसे चमत्कारिक गुण या गुणवत्ता है जिसको सिद्ध करना मुश्किल है।

(ङ) भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारिता की आचार संहिता हेतु कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं जिनके अनुसार समाचारपत्र/पत्रिकाएं किसी ऐसी सामग्री को प्रकाशित नहीं करेंगी जोकि अश्लील, फूहड़ हो अथवा जनसामान्य की सुरुचि को ठेस पहुंचाती हो। भारतीय प्रेस परिषद प्रिंट मीडिया में अश्लील एवं फूहड़ विज्ञापनों की ओर स्वत: ध्यान देती है या उनके विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों की जांच करती है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी अपनी स्वयं की संहिताओं का पालन करते हैं जिनमें अश्लील विज्ञापनों की अनुमति नहीं है। जहां तक निजी उपग्रह टी वी चैनलों का संबंध है इनके विज्ञापनों को केबल नियम में निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन करना होता है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी भी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण निषिद्ध है जिससे नैतिकता को ठेस पहुंचती हो, अश्लीलता महिमामंडित होती हो, जिसकी विषय-वस्तु अश्लील, फूहड़ या कामोत्तेजक अथवा अपमानजनक हो या जिसमें महिलाओं की अपमानजनक छवि प्रस्तुत की गयी हो। केबल अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत "प्राधिकृत अधिकारी" विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई कर सकता है। केन्द्र सरकार ने केबल अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया है जो विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के बारे में स्वत: ध्यान देती है अथवा विशिष्ट शिकायतों की जांच करती है।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 5(ख) के उपबंधों और उनके अंतर्गत तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु विज्ञापन फिल्मों सहित सभी फिल्मों को प्रमाणित करता है। विज्ञापनों को प्रमाणित करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि अश्लील/फूहड़ विषय-वस्तु जिन विज्ञापनों में हों उन्हें या तो अस्वीकृत कर दिया जाता है या ऐसे दृश्यों को हटाने के बाद प्रमाणित कर दिया जाता है।

डुप्लीकेट रसोई गैस सिलेंडर

*457. **श्री आलोक कुमार मेहता :**
श्री रामदास बंडु आठवले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में बड़ी संख्या में नकली/डप्लीकेट रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं जिसके कारण प्राय: दुर्घटनाएं होती हैं और उसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है तथा साथ ही इससे सरकार को भारी राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने मामले सामने आए; और

(ग) नकली/डप्लीकेट रसोई गैस सिलेंडारों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग के कारण किसी दुर्घटना के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ग) तेल विपणन कम्पनियां केवल उन्हीं सिलेंडर निर्माताओं से एलपीजी सिलेंडर लेती हैं, जिनके पास भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), मुख्य विस्फोटक नियंत्रक (सीसीओई) से वैध लाइसेंस हों और जो तेल उद्योग तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित हों। ये सिलेंडर बीआईएस की सूक्ष्म निगरानी में बनाए जाते हैं। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर उपाय और निरीक्षण प्रक्रियाएं आरम्भ की हैं कि भरण संयंत्रों में केवल असली सिलेंडर भरे जाएं और बाजार में वितरित किए जाएं। भरण संयंत्रों पर डीलरों/परिवहनकताओं से सिलेंडारों की प्राप्ति पर इनकी वास्तविकता की जांच की जाती है जो नकली पाए जाते हैं, वे जब्त कर लिए जाते हैं और दोषी डीलरों/परिवहनकर्ताओं को विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार दंडित किया जाता है। सिलेंडरों के असली होने की जांच करने के लिए तेल कम्पनी के अधिकारी भी भरण संयंत्रों और डिस्ट्रीब्यूटरों के परिसरों पर औचक जांच करते हैं।

[अनुवाद]

निधियों की निगरानी

*458. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निधियों के उपयोग की इलेक्ट्रानिक निगरानी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र प्रायोजित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) का पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) के साथ विलय किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के मंतव्य मांगे थे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (छ) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) प्रशासन के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां अपना अलग अस्तित्व बनाए रखेगीं लेकिन वे जिला परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करेंगी। उनसे अपेक्षा है कि वे गरीबी उपशमन के प्रयासों में आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी सहायता देकर जिला परिषद के सहायक और सहयोगी संगठन के रूप में कार्य करें। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए डी.आर.डी.ए. एक विशेषज्ञ और पेशेवर एजेंसी है और उसकी भूमिका पंचायती राज संस्थाओं सहित अन्य एजेंसियों से अलग है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, डी.आर.डी.ए. को उन कार्यों, जो कानूनी रूप से पंचायती राज संस्थाओं अथवा लाइन विभागों के दायरें में हैं, को निष्पादित करने की बजाए विशिष्ट क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होगी। ग्रामीण विकास एजेंसियों से अपेक्षा है कि वे पंचायती राज संस्थाओं के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समन्वय करें लेकिन किसी भी स्थिति में वे पंचायती राज संस्थाओं के कार्य निष्पादित नहीं करेंगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज द्वारा संयुक्त रूप से ''पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उपशमन और ग्रामीण समृद्धि'' के संबंध में मुख्य मंत्रियों और राज्यों के ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में 29-30 जून, 2004 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कार्य योजना का मसौदा तैयार करने के लिए सात गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया, ताकि संविधान में की गई परिकल्पना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के कार्यक्रम की आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए स्वशासन की वास्तविक संस्था बनने में समर्थ बनाया जा सके।

राज्य सरकार के पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों का पहला गोलमेज सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केन्द्र एवं राज्यों द्वारा संयुक्त स्वीकृति के लिए अपनी संबंधित सरकारों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं पर सिफारिश करने पर सहमति हुई :

''(i) जिला पंचायतों के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के क्रमिक विलय के जरिए पंचायती राज के विकास के महत्वपूर्ण कारक के रूप में जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की भूमिका को फिर से स्वीकार करना।

जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की तकनीकी विशेषज्ञता और सुविधाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित अधिकारियों के समग्र उत्तरदायित्व और अनुशासनिक नियंत्रण के तहत उपयुक्त स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों को उपलब्ध होनी चाहिए।

(ii) पंचायती राज प्रणाली के तीनों स्तरों के संबंध में पुनः स्वीकार की गई जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की गतिविधियां कार्यों, कर्मियों एवं निधियों के अंतरण के लिए गतिविधि रूप रेखा पर निर्धारित होनी चाहिए, ताकि पंचायती राज संस्थाओं के सभी तीनों स्तरों को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के संसाधन, विशेषज्ञता, सुविधाएं और श्रमशक्ति समान रूप से उपलब्ध हों।"

चालू परियोजनाओं का पूरा किया जाना

*459. श्री अधलराव पाटील शिवाजी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गेज परिवर्तन की चालू परियोजनाओं एवं नई रेल लाइन बिछाने एवं रेल मार्गों के दोहरीकरण के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई वास्तविक प्रगति का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन चालू परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनकी लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है एवं वाणिज्यिक रूप से अव्यवहारिक होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार द्वारा अपनाए गए आर्थिक उपायों के मद्देनजर सरकार ऐसी अव्यवहारिक परियोजनाओं को त्यागने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्धारित समय में चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्या नीति है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) : (क) और (ख) सरकार के दिशानिर्देशानुसार रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए रेल मंत्रालय में एक अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया है। इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी करने की कार्रवाई चल रही है।

(ग) निर्माण और प्रौद्योगिकी के मानकों, कार्य के क्षेत्र, मुद्रा स्फीति आदि जैसे विभिन्न कारणों से परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हो जाती है। भारी थ्रो-फारवर्ड और निधियों की सीमित उपलब्धता के कारण अधिकांश परियोजनाएं, जो अधूरी रह जाती हैं, की समय के साथ लागत में वृद्धि हुई है और उनमें से कुछ वाणिज्यिक दृष्टि से गैर अर्थक्षम हो गई हैं। बढ़ी हुई लागत पर परियोजनाओं की प्रतिफल की दर ज्ञात करने के लिए संशोधित प्रत्याशित यातायात के लिए परियोजना से संभावित आमदनी के आकलन के लिए पुनः यातायात सर्वेक्षण कराना होगा जो एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें काफी समय लगती है।

अधिकांश चल रही नई लाइन और आमान परिवर्तन की परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक आधार पर शुरू की गई हैं जो आरंभिक स्तर पर ही वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं हैं।

(घ) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए गैर-बजटीय संसाधन जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। निजी/सार्वजनिक भागीदारी, राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय रेल विकास योजना के माध्यम से वित्त पोषण से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के बहुत से प्रयास किए गए हैं और ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन राष्ट्रीय परियोजना साधारण रेल योजना से अतिरिक्त संसाधन के रूप में वित्त पोषित की जानी है। हाल ही में, दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना की घोषणा भी की गई है। उपरोक्त सभी उपायों से चल रही परियोजनाओं के पांच वर्षों की अवधि में पूरा होने की संभावना है।

टक्कर-रोधी उपकरण

*460. श्री रूपचन्द मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक रेलवे में टक्कर-रोधी उपकरण लगाने के प्रावधान के संबंध में कितनी प्रगति हुई है और इस पर कितना व्यय हुआ;

(ख) देश के सभी रेल-खंडों में टक्कर-रोधी उपकरण कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) : (क) उत्तर, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण, दक्षिण-मध्य और दक्षिण पश्चिम रेलों के 3465 मार्ग किलोमीटर के खंडों पर टक्कर-रोधी उपकरण (एसीडी) लगाने के काम को स्वीकृति दी जा चुकी है। एक परिचालित रेल सैक्शन पर इसकी विशेषताओं और इसके कामकाज की जांच करने के लिए भारतीय रेलों की एक पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कर-रोधी उपकरण के प्रथम नेटवर्क की व्यवस्था करने

का कार्य शुरू किया गया है। फील्ड सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं और विस्तृत अनुमानों को स्वीकृति दे दी गई है। अभी तक 18.01 करोड़ रुपए कोंकण रेल कार्पोरेशन (केआरसीएल) को फील्ड परीक्षणों, सर्वेक्षणों और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कर-रोधी उपकरण की व्यवस्था करने के लिए दिए जा चुके हैं।

(ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा भारतीय रेलों पर यह कार्य पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की पायलट परियोजना की सफलता को देखते हुए शुरू किया जाएगा।

(ग) भारतीय रेलवे के बड़े आमान के पूरे नेटवर्क पर टक्कर-रोधी उपकरण की व्यवस्था करने की अनुमानित लागत 1815 करोड़ रुपए है, जैसाकि भारतीय रेलों की समवेत संरक्षा योजना 2003-2013 में शामिल किया गया है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों की पहचान हेतु मार्गनिर्देश

*461. **श्री चन्द्रशेखर दूबे** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन हेतु गांवों की पहचान करने और सड़कों के चयन आदि के लिए विभिन्न राज्यों को कोई निर्देश/मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आपत्ति उठाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 या इससे अधिक तथा पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, उत्तरांचल), मरूभूमि क्षेत्रों और जनजातीय (अनुसूची-v) क्षेत्रों के मामले में 250 या इससे अधिक की आबादी वाली समस्त ग्रामीण बसावटों को दसवीं योजना अवधि के अंत तक सड़क संपर्क से जोड़ना है। समस्त राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं जिससे वे कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र बसावटों का पता लगा सकें और वर्तमान सड़क नेटवर्क के साथ-साथ कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाने वाली सड़कों को दर्शाते हुए जिला ग्रामीण सड़क योजनाएं तैयार कर सकें। दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन शुरू किए जाने वाले सड़क कार्यों की सूची को जिला पंचायतों द्वारा अंतिम रूप दिया जाना होता है।

(ग) योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को करना होता है। किसी भी राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

4226. **श्री गणेश सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्याह्न भोजन (मिड-डे-मील) कार्यक्रम के लिए 107 करोड़ रु. का एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) जी, हां। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मामले पर आदेश प्राप्त कर राज्यों द्वारा वहन की जाने वाली खाना पकाने की लागत के लिए अतिरिक्त अनुदान रिलीज करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।

रैक प्वाइंट्स

4227. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रैक प्वाइंटों की संख्या को बढ़ाने और मध्य प्रदेश में उर्वरकों की समुचित ढुलाई हेतु श्रेणी में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार मांग के अनुरूप रैक प्वाइंटों को स्वीकृति देगी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्मारकों के संरक्षण हेतु सहायता

4228. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार संरक्षित स्मारकों के संरक्षण और नए संग्रहालयों के निर्माण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत और चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्थान सरकार को और कितनी धनराशि जारी की गई और इन योजनाओं में कितनी प्रगति हुई;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान कोटा मंडल के अंतर्गत कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में संरक्षित स्मारकों और नए संग्रहालयों के लिए कोई कार्य योजना भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राज्य सरकारों को संरक्षित स्मारकों के संरक्षण तथा नए संग्रहालयों के निर्माण के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने पर्यटन मंत्रालय को बृहत राजस्व उपार्जन परियोजनाओं, योजना (2004-05) के अन्तर्गत झालावाड़ तथा हदोती क्षेत्र (कोटा, बारन, झालावाड़ तथा बूंदी जिलों) के एकीकृत पर्यटन विकास के प्रस्ताव भेजे हैं।

[अनुवाद]

स्मारकों और विरासत भवनों के लिए धनराशि का उपयोग

4229. श्री मनोरंजन भक्त : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्मारकों और विरासत भवनों के जीर्णोद्धार हेतु केन्द्रीय क्षेत्र धनराशि के अति प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की संरचनात्मक मरमम्तों, रासायनिक संरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास के लिए संरक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं ताकि धनराशि का सर्वाधिक प्रभावपूर्ण तथा संतुलित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) और (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीन स्मारकों के संरक्षण तथा परिरक्षण से जुड़े अपने कार्यकलापों के लिए योजना के अन्तर्गत 70.00 करोड़ रुपए तथा गैर-योजना के अन्तर्गत 170.30 करोड़ रुपए का बजट है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पल्हाणी रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरि पुल का निर्माण

4230. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में शाहगंज और आजमगढ़ रेलवे स्टेशनों के बीच पड़ने वाले पल्हाणी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक ऊपरि पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं। रेलवे समपार पर यातायात घनत्व एक लाख या अधिक गाड़ी वहन इकाई (गाड़ी वाहन इकाई-24 घंटे में समपार से गुजरने वाले सड़क वाहनों की संख्या से गाड़ियों की संख्या को गुणा करके प्राप्त इकाई) होने पर लागत में भागीदारी के आधार पर या निक्षेप शर्तों पर मौजूदा समपारों के बदले सड़क ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण करती है। दोनो ही स्थितियों में प्रस्ताव मौजूदा नियमों के तहत अपेक्षित प्रारंभिक पूर्वापेक्षाएं पूरी करते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं। शाहगंज-आजमगढ़ खंड के बीच पलहानी के निकट बलीसा में समपार पर यातायात घनत्व 126583 गाड़ी वाहन इकाई है, इसलिए यह लागत में भागीदारी के आधार पर सड़क ऊपरी पुल से बदलने के लिए अर्हक है। लेकिन रेलवे के अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार द्वारा अभी तक इसके लिए अपेक्षित प्रस्ताव प्रायोजित नहीं किया गया है।

जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र

4231. डा. सत्यनारायण जटिया :
श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्वीकृत कार्यशील और स्वीकृत गैर-कार्यशील जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों और स्वीकृत गैर-कार्यशील केन्द्रों के काम

न करने के कारणों और इन कारणों को दूर करने हेतु किए गए प्रयासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों को सामाजिक कल्याण केन्द्रों में विकसित करने के समयबद्ध कार्यक्रम और कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रत्येक जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के लिए किए गए बजटीय आबंटन और जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितनी राशि खर्च की गई;

(ङ) सरकार द्वारा विशेष रूप से कोटा जिले में उक्त केन्द्रों को उपलब्ध कराई गई विभिन्न वस्तुओं और उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(च) मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय केन्द्र के परिसर में प्रत्येक स्वीकृत परियोजनाओं हेतु अनुमोदन, निर्माण प्रगति और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) देश में राज्यवार स्वीकृत क्रियाशील और गैर-क्रियाशील जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। स्वीकृत जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्रों के गैर-क्रियाशील होने के मुख्य कारणों में (1) राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में और (2) जिला प्रबंधन समितियों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती में विलम्ब का होना है।

(ख) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं।

(ग) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	जिला	क्रियाशील अथवा गैर-क्रियाशील
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1. अनन्तपुर	क्रियाशील
		2. विशाखापत्तनम	क्रियाशील
		3. करीमनगर	क्रियाशील
2.	असम	1. डिब्रूगढ़	क्रियाशील
		2. तेजपुर	क्रियाशील
		3. सिल्चर	क्रियाशील
3.	अरूणाचल प्रदेश	1. ईटानगर	क्रियाशील
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	1. पोर्टब्लेयर	क्रियाशील
5.	बिहार	1. दरभंगा	क्रियाशील
		2. नवादा	क्रियाशील
		3. मुजफ्फरपुर	क्रियाशील
		4. गया	क्रियाशील
		5. छपरा	क्रियाशील
		6. बांका	क्रियाशील
		7. किशनगंज	क्रियाशील
		8. जहानाबाद	क्रियाशील
		9. समस्तीपुर	क्रियाशील
		10. नालंदा	गैर-क्रियाशील
6.	छत्तीसगढ़	1. रायगढ़	क्रियाशील
		2. रायपुर	क्रियाशील
		3. दुर्ग	क्रियाशील
		4. राजनन्दगांव	गैर-क्रियाशील
		5. जशपुर	गैर-क्रियाशील
		6. बस्तर	गैर-क्रियाशील
7.	दमन व दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	1. दीव	क्रियाशील
8.		1. सिल्वासा	क्रियाशील
9.	गुजरात	1. सूरत	क्रियाशील
		2. जामनगर	क्रियाशील

1	2	3	4
		3. राजकोट	क्रियाशील
		4. अहमदाबाद	क्रियाशील
		5. वडोदरा	क्रियाशील
		6. जूनागढ़	क्रियाशील
		7. नैदाड़	गैर-क्रियाशील
		8. सुरेन्द्रनगर	गैर-क्रियाशील
		9. आनन्द	गैर-क्रियाशील
		10. भावनगर	गैर-क्रियाशील
10. गोवा		1. पणजी	क्रियाशील
11. हरियाणा		1. रोहतक	क्रियाशील
		2. हिसार	क्रियाशील
		3. कुरुक्षेत्र	गैर-क्रियाशील
		4. सोनीपत	गैर-क्रियाशील
12. हिमाचल प्रदेश		1. शिमला	क्रियाशील
		2. धर्मशाला	क्रियाशील
		3. चम्बा	गैर-क्रियाशील
13. जम्मू-कश्मीर		1. उधमपुर	क्रियाशील
		2. लेह	क्रियाशील
		3. अनन्तनाग	क्रियाशील
14. झारखंड		1. रांची	क्रियाशील
		2. हजारीबाग	गैर-क्रियाशील
		3. दुमका	क्रियाशील
		4. पूर्वी सिंहभूमि	क्रियाशील
15. कर्नाटक		1. बेलगाम	क्रियाशील
		2. बेल्लारी	क्रियाशील
		3. मंगलौर	क्रियाशील
		4. टुमकुर	क्रियाशील
		5. गुलबर्गा	क्रियाशील
		6. मांडया	क्रियाशील
16. केरल		1. कोझीकोड	क्रियाशील
		2. त्रिसूर	क्रियाशील
		3. तिरुवनन्तपुरम	क्रियाशील
17. मेघालय		1. शिलांग	क्रियाशील
18. महाराष्ट्र		1. कोल्हापुर	क्रियाशील
		2. बुल्ढाना	क्रियाशील
		3. वर्धा	क्रियाशील
		4. सिन्धूदुर्ग	क्रियाशील
		5. औरंगाबाद	क्रियाशील
		6. लातूर	क्रियाशील
		7. दादर (मुम्बई)	गैर-क्रियाशील
19. मध्य प्रदेश		1. इन्दौर	क्रियाशील
		2. झाबुआ	क्रियाशील
		3. रीवा	क्रियाशील
		4. उज्जैन	क्रियाशील
		5. सागर	क्रियाशील
		6. ग्वालियर	क्रियाशील
		7. राजगढ़	क्रियाशील
		8. बालाघाट	क्रियाशील
		9. आगर (साजापुर)	क्रियाशील
		10. अलोते (रतलाम)	क्रियाशील
		11. जवाड़ (नीमच)	क्रियाशील
		12. देवास	क्रियाशील
		13. मंदसौर	गैर-क्रियाशील
		14. खरगौन	गैर-क्रियाशील
		15. खंडवा	गैर-क्रियाशील

1	2	3	4
		16. सतना	गैर-क्रियाशील
		17. दामोह	गैर-क्रियाशील
20.	मणिपुर	1. इम्फाल	क्रियाशील
21.	मिजोरम	1. आइजोल	क्रियाशील
22.	नागालैंड	1. दिमापुर	क्रियाशील
23.	उड़ीसा	1. फूलबनी	क्रियाशील
		2. कोरापुट	क्रियाशील
		3. सम्बलपुर	क्रियाशील
		4. मयूरभंज	क्रियाशील
		5. कालाहांडी	क्रियाशील
24.	पंजाब	1. पटियाला	क्रियाशील
		2. फिरोजपुर	क्रियाशील
		3. संगरूर	क्रियाशील
		4. अमृतसर	गैर-क्रियाशील
25.	पांडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1. पांडिचेरी	क्रियाशील
26.	राजस्थान	1. उदयपुर	क्रियाशील
		2. जोधपुर	गैर-क्रियाशील
		3. अजमेर	गैर-क्रियाशील
		4. झुंझुनू	गैर-क्रियाशील
		5. बीकानेर	गैर-क्रियाशील
		6. टॉक	गैर-क्रियाशील
		7. जैसलमेर	गैर-क्रियाशील
27.	सिक्किम	1. गंगटोक	क्रियाशील
28.	तमिलनाडु	1. तूतीकोरीन	क्रियाशील
		2. सेलम	क्रियाशील
		3. विरूधनगर	क्रियाशील
		4. मदुरई	क्रियाशील
		5. वेल्लौर	क्रियाशील
		6. कन्याकुमारी	गैर-क्रियाशील
29.	त्रिपुरा	1. अगरतला	क्रियाशील
30.	उत्तर प्रदेश	1. अम्बेडकर नगर	क्रियाशील
		2. इलाहाबाद	क्रियाशील
		3. फर्रूखाबाद	क्रियाशील
		4. झांसी	क्रियाशील
		5. पीलीभीत	क्रियाशील
		6. आगरा	क्रियाशील
		7. मेरठ	क्रियाशील
		8. गोंडा	क्रियाशील
		9. गोरखपुर	क्रियाशील
		10. वाराणसी	क्रियाशील
		11. बलिया	क्रियाशील
		12. मऊ	क्रियाशील
31.	पश्चिम बंगाल	1. मुर्शिदाबाद	क्रियाशील
		2. जलपाईगुड़ी	क्रियाशील
		3. दक्षिण दीनाजपुर	क्रियाशील
		4. 24-परगना (उत्तरी)	क्रियाशील
32.	उत्तरांचल	1. अल्मोड़ा	क्रियाशील
		2. हरिद्वार	क्रियाशील
		3. टेहरी गढ़वाल	क्रियाशील
		4. चमोली	गैर-क्रियाशील

[अनुवाद]

असम में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में एक और संचालन मंडल का प्रस्ताव

4232. श्री मणी कुमार सुब्बा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने अलीपुरद्धार और बिहार में कटिहार स्थित दो संचालन मंडलों के अतिरिक्त असम में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का एक और संचालन मंडल स्थापित करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो असम सरकार की मांग के समर्थन में क्या तर्क और आधार प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) : (क) जी नहीं, बहरहाल, कई अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों से असम से बदरपुर और डिब्रूगढ़ में नए मंडल कार्यालय स्थापित करने संबंधी मांगें प्राप्त हुई है।

(ख) ये मांगें मुख्यता क्षेत्रीय आधारों पर की गई है।

(ग) नए मंडलों की स्थापना कई कारकों जैसे आकार, कार्यभार, संपर्कता, यातायात पैटर्न और आय परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं के मद्देनजर अर्थक्षमता और कार्यकुशलता के अनुरूप की जाती है, न कि क्षेत्रीय आधारों पर इन कारकों के आलोक में बदरपुर और डिब्रूगढ़ में नए मंडलों को स्थापित करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

सिकन्दराबाद से निज़ामाबाद तक आमान परिवर्तन

4233. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद से निज़ामाबाद तक रेल लाईन के आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्य की वर्तमान स्थिति और उसके पूरा होने की लक्षित तारीख क्या है;

(घ) क्या यह आमान परिवर्तन कार्य धनराशि की कमी के कारण समय से पीछे चल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वेलु) : (क) और (ख) सिकंदराबाद-मुदखेड तथा जानकमपेट-बोधन (269 कि.मी.) का आमान परिवर्तन का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की प्रत्याशित लागत 287.83 करोड़ रुपए है।

(ग) मुदखेड-निजामाबाद, बोलारम-मनोराबाद तथा जानकमपेट-बोधन (135 कि.मी.) के आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और इसे चालू भी कर दिया गया है। मनोराबाद-निजामाबाद (120 कि.मी.) के आमान परिवर्तन का कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है तथा शेष 14 कि.मी. 2005-06 तक पूरा करने की संभावना है।

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

(ङ) और (च) इस परियोजना पर उच्च परिव्यय की व्यवस्था करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। वर्ष 2004-05 के बजट के दौरान परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और इस परियोजना को 2005-06 तक पूरा करने के लिए कार्य तेजी से शुरू कर दिया है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण

4234. श्री जे. एम. आरुन रशीद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान देश में विशेषकर तमिलनाडु में कितने आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितना खर्च होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 47 दूरदर्शन केन्द्रों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किए जाने की परिकल्पना है। 17 केन्द्रों (दूरदर्शन में दूरदर्शन केन्द्र, चेन्नै सहित) का पूर्णरूपेण डिजिटलीकरण किया जाना है। शेष 30 दूरदर्शन केन्द्रों को कम से कम 50 प्रतिशत तक डिजिटलीकृत किया जाना है।

आकाशवाणी की स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। इन स्कीमों में से, संलग्न विवरण II में दर्शाये अनुसार 8 स्कीमों को तमिलनाडु में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) पूर्णरूपेण डिजिटलीकृत किए जाने वाले 17 केन्द्रों में से 5 केन्द्रों को वर्ष 2004-05 के दौरान डिजिटलीकृत किए जाने का प्रस्ताव है और शेष 12 केन्द्रों को 10वीं योजना की शेष अवधि के दौरान चरणों में पूर्णरूपेण डिजिटलीकृत किए जाने की परिकल्पना है। 50 प्रतिशत तक डिजिटलीकृत किए जाने के लिए प्रस्तावित 30 दूरदर्शन केन्द्रों में से 8 केन्द्रों में कार्य पूरा कर लिया गया है और शेष 22 केन्द्रों को 10वीं योजना की शेष अवधि के दौरान चरणों में पूरा किए जाने की परिकल्पना है। दूरदर्शन की उपरोक्त स्कीमों पर 319.00 करोड़ रुपये का खर्च होने की संभावना है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है स्कीमों को 10वीं योजनावधि के दौरान पूरा किए जाने की आशा है। आकाशवाणी की स्कीमों की पूंजीगत लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

विवरण I

10वीं योजना में प्रस्तावित आधुनिकीकरण एवं स्वचालन स्कीमें

क्र. स.	स्कीमें	10वीं योजना में प्रावधान (रुपये लाखों में) (पूजीगत लागत)
1.	डिजिटल कॉनसोल्स, रिकॉडर्स, मिक्सर्स सीटीआर इत्यादि का प्रावधान	4000
2.	समाचार एकत्रण के लिए पोर्टेबल एमएसएस टर्मिनलों का प्रावधान	260
3.	समाचार एकत्रण प्रणाली के लिए डिजिटल सैटेलाइट का प्रावधान	440
4.	डिजिटल मल्टी चैनल लिंकों द्वारा स्टुडियों ट्रांसमीटर का उन्नयन	1500
5.	सभी स्टेशनों में हार्डडिस्क आधारित प्रणाली का प्रावधान	4000
6.	स्टुडियो की पुनर्सज्जा	440
7.	डाऊन-लिंक रिसीव टर्मिनलों का उन्नयन (जहां भी नौवीं योजना के बाद रह गये थे)	1120
8.	नए राज्य की राजधानियों एवं अन्य प्रमुख स्टेशनों में डिजिटल अपलिंकों का प्रावधान	2650
9.	मौजूदा सैटेलाइट अपलिंकों (डिजिटल) का उन्नयन	2800

विवरण II

तमिलनाडु के लिए प्रस्तावित आधुनिकीकरण और स्वचालन स्कीमें (10वीं योजना के दौरान)

क्र.सं.	स्कीमें
1	2
1.	चेन्नई में डिजिटल कांसोल्स, मोबाइल सैटेलाइट सर्विस टर्मिनल, डिजिटल सैटेलाइट समाचार एकत्र करने की प्रणाली और पोर्टेबल डी एस एन जी का प्रावधान।
2.	तमिलनाडु में सर्विस स्टेशनों में अल्ट्रा पोर्टेबल डिजिटल रिकॉर्डर और हैंड हैल्ड ओबी रिकॉर्ड्स का प्रावधान।
3.	चेन्नई में स्टुडियो की पुनर्सज्जा, चेन्नई में स्टूडियो एवं सभी ट्रांसमीटरों के बीच आप्टीकल फाइबर लिंक।
4.	नागरकोइल, तिरूनेलवेल्ली और कोयम्बटूर में हार्डडिस्क आधारित प्रणाली पहले ही उपलब्ध करवा दी गई थी। मदुरै, तिरूचिरापल्ली और चेन्नई में उच्च छोर हार्ड डिस्क आधारित प्रणाली तथा ऊटी एवं तूतीकोरन में निम्न छोर प्रणाली का प्रावधान। इसके पश्चात तमिलनाडु में सभी केन्द्रों के पास हार्डडिस्क आधारित प्रणाली होगी।
5.	कोडईकोनाल, ऊंटी और नागरकोइल में डाउनलिंक रिसीव टर्मिनल का उन्नयन का कार्य प्रगति पर है। इसके पश्चात तमिलनाडु में सभी स्टेशनों के पास सी बैंड रिसीव टर्मिनल होंगे।
6.	चेन्नई - (तिरूचिरापल्ली हेतु) स्थित और तिरूचिरापल्ली (चेन्नई लिंक हेतु) स्थित केन्द्रों के बीच आईएसडीएन संयोजकता।
7.	तिरूनेलवल्ली, कोयम्बटूर में आईएसडीएन-स्टुडियो ट्रांसमीटर लिंक।
8.	मदुरै में कैप्टिव अर्थ स्टेशन का प्रावधान।

रेलवे द्वारा क्षतिपूर्ति

4235. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ता न्यायालयों ने कितने मामलों में रेलवे को यात्रियों को राशि वापस करने का निदेश दिया है;

(ख) गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक रेलवे ने कितनी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की है;

(ग) इससे रेलवे को किस सीमा तक राजस्व घाटा हुआ है;

(घ) क्या रेलवे ने ऐसे नुकसान के कारणों का विश्लेषण किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) रेलवे द्वारा ऐसे नुकसान को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) 1.4.2003 से 30.6.2004 की अवधि के दौरान उपभोक्ता न्यायालय ने 165 मामलों में यात्रियों को धन की वापसी करने के लिए रेलों को निर्देश दिए हैं·

(ख) और (ग) 01.4.2003 से 30.6.2004 तक की अवधि के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की राशि और राजस्व हानि की मात्र 8,91,493/- रुपए थी।

(घ) और (ङ) जी हां, उपभोक्ता न्यायालय में मामलों को दर्ज करने के मुख्य कारण हैं :–

आरक्षित डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों के प्रवेश करने के कारण आरक्षित यात्रियों को हुई असुविधा, गाड़ी में रेलवे कर्मचारी का उपलब्ध न होना, वातानुकूलित सवारी डिब्बों में वातानुकूल संयंत्र का काम न करना, आरक्षित सवारी डिब्बों का एक दूसरे से जुड़ा न होना, शायिकाओं का दो बार आबंटन और रेलवे टिकटों पर गलत प्रविष्टि का होना।

(च) रेलवे द्वारा इस संबंध में किए गए निवारक उपायों में क्षेत्रीय रेलों पर वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर यात्रियों के धन वापसी के मामलों पर निरंतर निगरानी रखना, कर्मचारियों को परामर्श देना और प्रशिक्षण देना, गाड़ी के अंदर मुहैया कराई गई सेवाओं पर निगरानी रखना, नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाना, फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ग्राहक केयर पाठ्यक्रमों को शुरू करना और कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी के निष्पादन में लापरवाही बरतने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करना शामिल है।

जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा

4236. श्री गिरिधर गमांग : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति मंत्रालय को उड़ीसा सरकार से जनजातीय संस्कृति जनजातीय संग्रहालय तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु निजी संस्थान को अनुदान देने के लिए सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी संस्थाओं को अभी तक संस्कृति मंत्रालय से अनुदान प्राप्त हुआ है और कौन-कौन से प्रस्ताव मंजूरी के लिए लंबित हैं;

(ग) अनुदान किस प्रकार का है तथा मंजूरी के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) संस्कृति की सुरक्षा, संरक्षण तथा संवर्धन हेतु राज्यों तथा केन्द्र के बीच समन्वय के लिए कौन सी नीति बनाई गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृति मंत्रालय ने निम्नलिखित संगठनों को वित्तीय सहायता की मंजूरी प्रदान की है, जिनकी सिफारिश उड़ीसा राज्य सरकार ने की थी:–

1. बिजयाकेतन ग्रामीण विकास संस्थान, धेनकैनाल, उड़ीसा।
2. बिकल्प बिकाश, अंगुल, उड़ीसा।
3. सी आई आर डी ए आर, धेनकैनाल, उड़ीसा।
4. जनजागरण केन्द्र, धेनकनाल, उड़ीसा
5. ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक संस्थान, तीतीगांव, उड़ीसा।

(ग) और (घ) संस्कृति मंत्रालय जनजातीय और लोक कलाओं तथा शिल्पों के सरंक्षण, प्रलेखन और संवर्धन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों, संस्थाओं और व्यक्तियों, जनजातीय और गैर-जनजातीय दोनों को अनुदान देता है। प्रस्तावों की जांच एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा की जाती है और अनुदान की स्वीकार्य अधिकतम धनराशि 2 लाख रु. है।

राज्य और केन्द्र के बीच समन्वय मुख्यतया सात आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राज्य, वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र को परियोजनाओं की सिफारिश करते हैं।

[हिन्दी]

पश्चिम रेलवे जोनल कार्यालय का स्थान परिवर्तन

4237. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि पश्चिम रेलवे जोन की 80 प्रतिशत रल लाइनें गुजरात से होकर गुजरती हैं, पश्चिम रेलवे जोनल कार्यालय को गांधी नगर अथवा अहमदाबाद में स्थानांतरित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे जोनल कार्यालय को गांधी नगर अथवा अहमदाबाद में स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त जोनल कार्यालय को कब तक उक्त शहरों में से एक में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे के मुख्यालय का स्थान अर्थव्यवस्था और कार्यकुशलता की आवश्यकताओं के अनुरूप परिचालनिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है न कि क्षेत्रीय अवधारणाओं के आधार पर। इसके अलावा, पश्चिम रेलवे के सुव्यवस्थित

कार्यालय को मुंबई से स्थानांतरित करने से बड़ी संख्या में कर्मचारियों का स्थानांतरण भी करना होगा जिसके परिणामस्वरूप उनके परिवार वाले विस्थापित होंगे और अन्य संबद्ध समस्याएं होंगी। इन सब बातों को देखते हुए गांधीनगर अथवा अहमदाबाद में जोनल रेलवे कार्यालय की कोई खास आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेंटिंगों की चोरी

4238. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ललित कला महाविद्यालय में स्थापित साहित्य कला परिषद की आर्ट गैलरी से करोड़ों रुपए की पेंटिगों की चोरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो चुराई गई पेंटिगों की कुल कीमत कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या जांच कराई गई है;

(घ) आज तक इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

काजीगुंड से बारामूला तक कार्य की प्रगति

4239. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान काजीगुंड से बारामूला, वाया-उरी तक रेल लाईन बिछाने के कार्य की क्या प्रगति रही;

(ख) क्या सरकार कार्य की प्रगति में संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा आज की तिथि के अनुसार ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य में व्याप्त दशा और भूमि अधिग्रहण में विलम्ब को ध्यान में रखते हुए प्रगति संतोषजनक समझी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) काजीगुंड-बारामूला परियोजना की पिछले तीन वर्षों की प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है।

वर्ष	मिट्टी संबंधी कार्य (लाख घनमीटर में)	पुल (संख्या)	समग्र प्रगति (भूमि अधिग्रहण सहित)
2001-02	6.59	—	8.58%
2002-03	13.89	16	14.87%
2003-04	47.08	94	40.94%
2004-05 31.07.2004 तक)	27.44	1	9.79%
31.07.2004 तक कुल)	95.00	111	74.18%

[अनुवाद]

कर्नाटक में व्यापक सफाई अभियान

4240. श्री जी.एम. सिद्धेश्वर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से राज्य में व्यापक सफाई अभियान को लागू करने हेतु कुछ प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार को मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ङ) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के 24 जिलों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। भारत

सरकार ने बेस लाईन सर्वेक्षण करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन जिलों को 10 लाख रु. प्रति जिले की मंजूरी प्रदान की है। भारत सरकार संपूर्ण स्वच्छता अभियान की परियोजनाओं को तभी मंजूरी देती है जब बेस लाईन सर्वेक्षण तथा अन्य निर्धारित ब्यौरों सहित परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो जाती हैं।

कराड़ में गुड्स शैड की मरम्मत

4241. **श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मिराज-पुणे खंड पर मिराज तथा कराड़ रेलवे स्टेशनों से कितनी चीनी की ढुलाई हुई;

(ख) चीनी की इस ढुलाई से सरकार को कितनी आय हुई;

(ग) क्या कराड़ में गुड्स शैड की तत्काल मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है और वह चीनी के भंडारण के लिए अपर्याप्त भी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कराड़ रेलवे स्टेशन पर चीनी की बोरियों के भंडारण हेतु एक नया गोदाम शैड बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों अप्रैल, 2001 से जुलाई, 2004 के दौरान मिरज और कराड़ स्टेशनों से ढोई गई चीनी और अर्जित किया गया राजस्व निम्नानुसार है;

स्टेशन	परिवहन टनों में	राजस्व (करोड़ रु. में)
कराड़	281103	33.69
मिरज	2339	0.31

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं तथा योजनाओं का कार्यान्वयन

4242. **श्री जसुभाई दानाभाई धारड़** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा सरकारी नीतियों तथा योजनाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने हेतु कौन सी परियोजनाएं/योजनाएं लागू की गई हैं;

(ख) दूर-दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों विशेषकर निरक्षर लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचाने हेतु कौन सी विधियां अपनाई गई हैं;

(ग) क्या मंत्रालय का लोगों के लाभ के लिए जानकारी का चहुं ओर विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रसार भारती और इस मंत्रालय के सभी माध्यम एकक जनसामान्य के बीच सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में प्रसार करते हैं।

सरकार की विभिन्न स्कीमों और नीतियों के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन वृत्तचित्रों, नाटकों, चर्चाओं, वार्ताओं, साक्षात्कारों, तुकबंदियों आदि जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय प्रेस विज्ञप्तियों, फोटो प्रचार, प्रेस-सार, प्रेस सम्मेलनों, प्रेस दौरों, आदि के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए बहु-माध्यमी प्रचार करता है।

विज्ञापन एंव दृश्यों प्रचार निदेशालय सरकार की स्कीमों एवं कायक्रमों का प्रचार करने के लिए पोस्टरों, विवरणिकाओं, पुस्तिकाओं, पत्रकों जैसी मुद्रित प्रचार सामग्री का प्रकाशन करता है, समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करता है, नीलामीपट्ट/दीवार-चित्र लगाता है और फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन करता है।

प्रकाशन विभाग और गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग अपने विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से हमारे देश की बहु-आयामी संस्कृति के संबंध में बहुमूल्य सूचना एवं दस्तावेजों का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करते हैं।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और गीत एवं नाटक प्रभाग अपनी क्षेत्रीय इकाइयों/मंडलियों के माध्यम से फिल्मों को प्रदर्शित करके, गीत एवं नाटक के कार्यक्रमों का आयोजन करके, वक्तृता प्रतियोगिता, सामूहिक चर्चाओं एवं सेमिनारों आदि का आयोजन करके सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक ले जाने के लिए अंतर-वैयक्तिक संप्रेषण का उपयोग करते हैं।

फिल्म प्रभाग, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के रंगमंचीय दौरों एवं चल इकाईयों आदि के माध्यम से सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार करने के उद्देश्यों से वृत्तचित्रों एवं समाचार-पत्रिकाओं, फीचरेटों के निर्माण तथा वितरण के कार्य के प्रति समर्पित है।

मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य की राजधानी में आकाशवाणी/दूरदर्शन अथवा किसी माध्यम एकक के अधिकारी की अध्यक्षता में अंतर-माध्यम प्रचार समन्वयन समितियों (आई एम पी सी सी) का गठन किया है। अन्तर-माध्यम प्रचार समन्वय समितयों में आकाशवाणी, दूरदर्शन, इस मंत्रालय के माध्यम एककों, राज्यों के सूचना और जन संपर्क विभागों, राज्य की विशिष्टीकृत प्रचार एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के अधिकारी हैं। आई एम पी सी सी समन्वित तरीके से प्रचार अभियान चलाने के लिए नियमित बैठकें करती हैं और चर्चा करती हैं तथा विषय-वस्तुओं का चयन करती हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यक्रमों, स्कीमों और नीतियों के प्रचार के लिए सामग्री संबंधित मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त होती है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबंधित मंत्रालय/विभाग से प्राप्त सूचना का प्रसार भारती एवं अन्य माध्यम एककों के जरिए प्रचार करता है।

[हिन्दी]

टिकट बाबूओं के विरुद्ध शिकायत

4243. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार तथा उत्तर प्रदेश में विशेषकर दरभंगा, हाजीपुर, समस्तीपुर, मऊ, गोरखपुर में टिकट बाबू रेल टिकटों का टिकटों की कीमत से अधिक पैसा वसूलते हैं और यह घटनाएं अक्सर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) बुकिंग काउंटरों पर बुकिंग क्लर्कों द्वारा अधिक किराया लेने के कुछ मामले सामने आए हैं। जिम्मेदार पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं अपील नियमों के तहत कार्रवाई की गई थी।

[अनुवाद]

राजस्थान को गैस आपूर्ति की वृद्धि

4244. श्री दुष्यंत सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने केन्द्र को रामगढ़ तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लि. में दो गैस टरबाईनों के लिए गैस-आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी., आयल इंडिया लिमिटेड तथा भारतीय गैस प्राधिकरण लि. द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं तथा वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान इन कंपनियों द्वारा कितनी अतिरिक्त गैस की आपूर्ति की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान में राजस्थान को विद्युत उत्पादन के लिए लगभग 0.45 मिलियन मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी) गैस की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, आयल इंडिया लिमिटेड ने अतिरिक्त 0.2 एमएमएससीएमडी गैस की आपर्ति के लिए कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी है जिसके वर्ष 2005 की प्रथम तिमाही में उपलब्ध होने की संभावना है।

अरिक्कामेडु में संग्रहालय का निर्माण

4245. श्री एम. अप्पादुरई : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी प्रशासन से अरिक्कामेडु में एक संग्रहालय के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे लाइनों की नई परियोजना रिपोर्ट

4246. श्री के विरुपाक्षप्पा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुनीराबाद-महबूबनगर नई रेलवे लाईन, जो कोप्पल तथा रामचूर जिलों से होकर गुजरती है, को वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजना को शीघ्र पूरा करने हेतु इस परियोजना को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) मुनीराबाद-महबूबनगर नई लाईन (246 किमी.) चालू कार्य है। जिसके लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और प्रारंभिक खर्चों, भूमि, मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों के लिए विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। यादलापुर-येरमारस खंड पर दोहरीकरण का कार्य, जिसे पहले शुरू किया गया था, पूरा हो गया है। 2004-05 के बजट में इस कार्य के लिए 10 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी वर्षों में इस कार्य में तेजी लाई जाएगी और पूरा किया जाएगा।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम, डीजल और प्राकृतिक गैस पर राजसहायता

4247. श्री मोहन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी के तेल और प्राकृतिक गैस पर कितनी राजसहायता दी जा रही है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) प्रति लीटर मिट्टी के तेल/रसोई गैस के प्रति सिलिन्डर कितनी राजसहायता दी जा रही है तथा क्या सरकार का विचार इस राजसहायता को कम करने का है;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों पर से राजसहायता वापस लेने से इन उत्पादों के व्यापार पर असर पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो इसके किस हद तक प्रभावित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) सरकारी नीति के अनुसार पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता प्राप्त उत्पाद है, यह राजसहायता 1.4.2002 से पांच वर्ष की अवधि में चरणबद्ध तरीके से समाप्त की जानी है। वर्ष 2004-05 के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी पर सरकारी राजसहायता क्रमश: रु. 1.47 प्रति लीटर और रु. 40.65 प्रति सिलेंडर है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रम इन उत्पादों पर राजसहायता के भार को बंटा रहे हैं। इन उत्पादों की मांग पर राजसहायता हटाने के प्रभाव की जानकारी राजसहायता की समाप्ति के बाद ही होगी।

[अनुवाद]

हुबली में रेलवे अस्पताल का उन्नयन

4248. श्री प्रह्लाद जोशी : क्या मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का हुबली (कर्नाटक) के मंडल रेलवे अस्पताल का दर्जा बढ़ाकर जोनल रेलवे के उस अस्पताल के बराबर करने का कोई प्रस्ताव है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं तथा उपस्कर हों; और

(ख) यदि हां, तो उन्नयन कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय सीमा तय की गई है और ऐसे उन्नयन की अनुमानित लागत कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(ख) हुबली के डिवीजनल रेलवे अस्पताल को जोनल रेलवे अस्पताल के समान बनाने हेतु उन्नयन संबंधी कार्य पूरा करने के लिए 3-4 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है। उन्नयन के लिए 2.4 करोड़ रु. की अनुमानित लागत का प्रस्ताव किया गया है।

[हिन्दी]

सैनिक कल्याण बोर्ड, हमीरपुर को भुगतान

4249. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड, भारत सरकार से हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड, हमीरपुर को इसके 50 प्रतिशत अंश के रूप में तत्काल 51.85 लाख रुपए का भुगतान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया राशि कब तक हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड, हमीरपुर को वितरित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार से अनुरोध किया कि वह हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड को उनके हिस्से के पचास प्रतिशत के रूप में 50.85 लाख रुपए अदा करे।

(ख) संस्वीकृत बजट आकलन के आधार पर राज्य प्रशासन से प्राप्त 50.85 लाख रुपए के अग्रिम दावे को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था तथा इसे जुलाई 2000 में भुगतान के लिए प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा चंडीगढ़ को भेज दिया गया था। यह रास्ते में ही खो गया/ प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा चंडीगढ़ में कहीं गलत स्थान पर रख दिया गया।

यह राशि अदत्त रह गई तथा इसका पता नहीं चल पाया

क्योंकि राज्य सरकार ने इसे न तो धनराशि की अपनी अतिरिक्त आवश्यकता के रूप में दिखाया और न ही इसे अपने अंतिम बिल में शामिल किया।

(ग) राज्य सरकार से कहा गया है कि वह 2004-05 के लिए दावे के साथ इस आवश्यकता को नए सिरे से दर्शाए। दावा प्राप्त होते ही, धनराशि उपलब्ध होने पर, बकायों का भुगतान कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

जलपाईगुड़ी से बोंगाईगांव तक दोहरीकरण

4250. श्री हितेन बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कभी न्यू जलपाईगुड़ी से बोगाईगांव क्षेत्र के बीच एकहरी रेल लाईन को दोहरी रेल लाईन में बदलने हेतु कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव का आमान परिवर्तन पूरा होने पर न्यू जलपाईगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव के बीच बड़े आमान की दो लाइने हो जाएंगी, जो यातायात की आवश्यकता को पूरा करेंगी। इसको देखते हुए, न्यू जलपाईगुड़ी और बोंगाईगांव के बीच मौजूदा बड़े आमान की एकल लाइन के दोहरीकरण के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं समझी गई।

रेल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हेतु एशियाई विकास बैंक का ऋण

4251. श्री किरिप चालिहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) रेल क्षेत्र सुधार कार्यक्रम हेतु लगभग एक बिलियन डालर का निवेश करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो चलाये जाने वाले कार्यक्रमों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेल द्वारा कार्य योजना तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) एशियाई विकास बैंक ने रेल क्षेत्र के लिए 3 चरणों में सहायता उपलब्ध कराने की सहमति दी है जहां पहले दो चरणों में लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डालर उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले चरण में 313.6 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ख) से (घ) इस सहायता का उद्देश्य (i) रेल क्षमता संबंधी अवरोधों को दूर करने और परिचालनिक कुशलता/संरक्षा में सुधार करने के लिए प्राथमिकता वाले निवेशों का वित्तपोषण करके, (ii) भारतीय रेलवे की वाणिज्यिक उन्मुखता बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करके रेल क्षेत्र के निष्पादन में सुधार करना है। इस ऋण के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए रेलवे नेटवर्क के महत्वपूर्ण सेक्शनों में क्षमता संबंधी अवरोधों को दूर करने और पत्तनों तक रेल संपर्क के सुदृढ़ीकरण/भीतरी भू-भाग तक मल्टी मॉडल कोरिडोर के विकास से संबंधित परियोजनाओं की पहचान की गई है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन योजना के तहत रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है। इस समय एशियाई विकास बैंक द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है :

- गुत्ती -पुल्लमपेटा दोहरीकरण
- दैतारी बांसपानी नए रेल लिंक का क्योंझर-टोमका
- महानदी दूसरा पूल
- बिलासपुर-उनकुरा तीसरी लाइन का भाटपारा-उरकुरा

बी.पी.सी.एल. तथा एच.पी.सी.एल. का ओ.जी.सी. तथा सी.आई.एल. का और आई.ओ.सी. के साथ विलय

4252. श्री के.एस. राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दो बड़ी तेल कंपनियां बनाने के लिए बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. का ओ.जी.सी. तथा कोल इंडिया लि. का आई.ओ.सी. के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन कंपनियों के मुख्य एग्जिक्यूटिव के साथ कोई बैठक की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य एग्जिक्यूटिव द्वारा क्या प्रतिक्रियाएं/सुझाव दिए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र में तेल कंपनियों का विलय करने के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) पेट्रोलियम क्षेत्र में उभरते रुझानों और तेल कंपनियों के कार्यनिष्पादन संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के मुख्य कार्यकारियों के साथ बैठकें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। देश में तेल उद्योग के लिए नीति के उदारीकरण के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की प्रमुख क्षमता पर विचार विमर्श करते समय मुख्य कार्यकारियों ने व्यवसाय विकास और विविधीकरण का एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा की है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की मुख्य क्षमता में सुधार करने के विकल्पों का मूल्यांकन मंत्रालय में एक सतत प्रक्रिया है।

विकास के लिए वैकल्पिक रणनीतियों पर संगोष्ठी

4253. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'विकास के लिए वैकल्पिक रणनीतियां' के संबंध में हाल ही में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है;

(ख) यदि हां, तो भागीदारों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें किन मामलों पर चर्चा हुई;

(घ) क्या ग्रामीण लोगों के विकास हेतु ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर जोर दिया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 600,000 गांवों को 'नॉलेज सेंटर' के रूप में विकसित करने हेतु क्या योजना तैयार की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 'विकास के लिए वैकल्पिक रणनीति' पर कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कर्मियों को महंगाई भत्ते के विलय का लाभ

4254. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मियों को हाल ही में सरकार द्वारा घोषित सी आई एल क्यू (एच आर ए) महंगाई भत्ते के विलय के लाभों से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार कब तक उक्त लाभ रक्षा कर्मियों को देगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं। सैन्य अधिकारियों को मकान किराया भत्ता उसी अनुपात में दिया जाता है जो सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के सभी अन्य वर्गों के लिए अधिसूचित किया गया है। क्वार्टर के बदले प्रतिपूर्ति, अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों को नियत दरों पर उनके रैंक तथा शहरों के वर्गीकरण के अनुरूप की जाती है। उन्हें कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल उत्पादों की शोधन लागत

4255. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न तेल उत्पादों की प्रति बैरल शोधन क्षमता कितनी है;

(ख) किस आधार पर प्रति लीटर पेट्रोल/डीजल की उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है;

(ग) क्या विभिन्न तेल उत्पादों की उत्पादन लागत सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं में निजी क्षेत्र की शोधनशालाओं से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) तेल उत्पादों की उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) तेल शोधन एक सतत् प्रक्रिया

है और अलग-अलग पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन की लागत का अलग-अलग आकलन नहीं किया जाता क्योंकि सभी उत्पाद एक साथ उत्पादित किए जाते हैं। तेल विपणन कंपनियां रिफाइनरियों को पेट्रोल और डीजल के आयात समता मूल्यों का भुगतान करती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा उत्पादन की लागत में कमी करने के उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उपयोगताओं, रसायनों, केटेलिस्टों, जनशक्ति आदि का इष्टतम उपयोग, ऊर्जा संरक्षण पर बल और हाइड्रोकार्बन क्षति में कमी आदि सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

एन.पी.आर.पी.डी. के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को सहायता

4256. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-2004 के लिए राष्ट्रीय विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम (एन.पी.आर.पी.डी.) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक जारी किये जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता जारी करने संबंधी स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) राष्ट्रीय नि:शक्त व्यक्ति पुनर्वास कार्यक्रम को वर्ष 2002-03 से शुरू हुई दसवीं पंचवर्षीय योजना से राज्य सेक्टर को अंतरित कर दिया गया है। अत: 2003-04 के लिए निधियों की निर्मुक्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता।

रेलगाड़ियों में वी.आई.पी. हेतु आरक्षण कोटा

4257. श्री महावीर भगोरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर से जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर तक चलने वाली रेलगाड़ियों में वी.आई.पी. हेतु श्रेणीवार कितनी सीटें/बर्थ आरक्षित हैं;

(ख) क्या इस कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन रेलगाड़ियों में प्रथम श्रेणी ए.सी. और द्वितीय श्रेणी ए.सी. में सीटों/बर्थों की संख्या में मांग के अनुरूप वृद्धि नहीं की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सीटों की संख्या को कब तक बढ़ाये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उदयपुर से जयपुर, दिल्ली और अहमदाबाद जाने वाली गाड़ियों में आपातकालीन कोटे के रूप में चिह्नित शायिकाओं की संख्या निम्नलिखित है:-

गाड़ी सं.	प्रथम वातानुकूल	द्वितीय वातानुकूल	प्रथम श्रेणी	स्लीपर
9766 उदयपुर-जयपुर लेक सिटी एक्सप्रेस	2	8	4	16
9616 उदयपुर-दिल्ली सराय रोहिल्ला चेतक एक्सप्रेस	2	6	2	10
9943 दिल्ली सराय रोहिल्ला अहमदाबाद एक्सप्रेस	—	2	—	2

जहां तक इंदौर का संबंध है, उल्लेखनीय है कि उदयपुर से इंदौर तक के लिए कोई गाड़ी नहीं है।

(ख) से (ङ) स्थान की सीमित उपलब्धता तथा उदयपुर में इसके संपूर्ण उपयोग के कारण आपातकालीन आरक्षण कोटा बढ़ाने तथा सामान्य कोटा को कम करना वांछनीय नहीं समझा गया है।

नौएडा में फ्लैटों/प्लॉटों के आबंटन में आरक्षण

4258. श्री मनोज कुमार :
श्री सुनील खां :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उत्थान एसोसिएशन से नोएडा द्वारा फ्लैटों/आवासीय

प्लाटों/दुकानों इत्यादि के आबंटन में आरक्षण देने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और आयोग ने इन आधारों पर अभी तक क्या कार्रवाई की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या शुरू में नौएडा ने इन तथ्यों के आधार पर आरक्षण दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो आयोग द्वारा आरक्षण जारी रखने हेतु अभी तक क्या दिशा-निर्देश दिये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) नौएडा में वाणिज्यिक दुकानों, आवासीय फ्लैटों तथा आवासीय प्लाटों के आवंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले को उठाया था। वाणिज्यिक दुकानों, आवासीय फ्लैटों तथा आवासीय भूखण्डों में आरक्षण के संबंध में निर्णय लेना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र में आता है।

कॉलेजों/शैक्षिक संस्थाओं में नशे की लत

4259. **डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली विश्व-विद्यालय के उत्तरी परिसर और दक्षिण परिसर विशेषकर लेडी श्रीराम और रामजस कॉलेजों के छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अधिकारियों की मिली भगत से नशीली दवाओं की आपूर्ति की जा रही है जिसके कारण ये विद्यार्थी इन नशीली दवाओं के आदी होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन कॉलेजों/शैक्षिक संस्थाओं को नशा मुक्त करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) दिल्ली पुलिस तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा (प्रस्तुत) दी गई सूचना के अनुसार ऐसी किसी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली पुलिस (स्वापक शाखा) तथा स्थानीय पुलिस द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए मद्यपान और पदार्थ (नशीले) दुरुपयोग निवारण स्कीम के तहत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न स्थानों में, जिनमें शैक्षिक संस्थाएं भी हैं, नशाखोरों के लिए परामर्श, उपचार और पुनर्वास सेवाएं एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

पुरातात्विक अभिलेखों का संरक्षण और परिरक्षण

4260. **श्री ब्रह्मानन्द पंडा** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उड़ीसा में पुरातात्विक अभिलेखों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा के एक महान संत और दार्शनिक श्री अच्युतानंद दास जी के कुछ अभिलेखों के अभी भी लापता बने रहने की जानकारी है;

(घ) भावी पीढ़ियों के लिए इन पुरातात्विक अभिलेखों के परिरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) उड़िया भाषा, संस्कृति और विरासत के परिरक्षण और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार अभिलेखीय भंडारों, पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों के विकास संबंधी वित्तीय सहायता की स्कीम के तहत उड़ीसा को दी गई वित्तीय सहायता के वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

वर्ष	राशि (रु.)
1988-89	2,47,000/-
1992-93	3,32,000/-
2003-04	6,30,000/-

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यद्यपि उड़िया भाषा, संस्कृति और विरासत के परिरक्षण और संरक्षण का कार्य मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तथापि केन्द्र सरकार भी विभिन्न स्कीमों तथा केन्द्रीय संस्थानों के माध्यम से सहायता करती है। भाषा और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन विभिन्न अकादमियों तथा पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा किया जाता है, चुनिंदा स्मारकों का संरक्षण और परिरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है और उड़ीसा की संस्कृति और विरासत का परिरक्षण और संवर्धन, दृश्य और मंचनकारी कलाओं के तहत अनेक स्कीमों के माध्यम से होता है।

इसके अलावा केन्द्र सरकार, प्रलेखनीय विरासत जैसे सार्वजनिक अभिलेख, पांडुलिपि, दुर्लभ पुस्तकों आदि के परिरक्षण हेतु राज्य अभिलेखागारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम चला रही है।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की भी स्थापना की है जो राज्य की दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण और तालिकाकरण में सहायता करता है।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का आयात

4261. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
योगी आदित्यनाथ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कच्चे तेल का आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का कितना आयात किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) कच्चे तेल का आयात एक सतत् प्रक्रिया है। यह संभावना है कि चालू वर्ष में कच्चे तेल का आयात 90-95 मिलियन मीट्रिक टन तक होगा। गत तीन वर्षों के दौरान तेल कंपनियों द्वारा किए गए कच्चे तेल आयातों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

वर्ष	मात्रा (हजार मीट्रिक टन)
2001-02	78706
2002-03	81989
2003-04	90434

[अनुवाद]

अनुत्पादक व्यय

4262. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 2003 की रिपोर्ट संख्या 3 (पीएसयू) में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार व्यर्थ के निवेशों, निष्क्रिय श्रम के लिए वेतन और भुगतान, घटकों इत्यादि के गैर-कानूनी आयात के कारण 712.72 करोड़ रुपए की राशि के अनुत्पादक व्यय/अविवेकपूर्ण निवेश तथा ब्याज और वित्तीय शुल्कों के घाटे की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त (क) के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसे अनुत्पादक व्यय/अविवेकपूर्ण निवेश इत्यादि को रोकने के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(घ) धनाभाव के कारण कितनी परियोजनाएं, योजनाएं इत्यादि लंबित पड़ी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सं. 3, वर्ष 2003 संसद के दोनों सदनों में दिनांक 24.4.03 को प्रस्तुत की गई थी और यह रिपोर्ट केन्द्रीय सरकारी उद्यमों से संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों में परिचालित की जा चुकी हैं। जिन मामलों में आवश्यक होता है, उनमें संबद्ध केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के प्रबंधन द्वारा प्रत्येक उपक्रम में लागू आचरण, अनुशासन व अपील (सीडीए) नियमावली के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध मामलानुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जाती है, जिनमें भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों/समुक्तियों

पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालयों में परिवीक्षण कक्ष सीएण्डएजी की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) को निष्पादित कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) भेजने का कार्य करते हैं।

(घ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ऐसी 34 परियोजनाएं हैं, जो कोष के अभाव में लंबित पड़ी हैं और जिनमें से 33 रेलवे से संबंधित है तथा एक कोयला क्षेत्र की परियोजना है। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 12386.46 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी

4263. प्रो. रासा सिंह रावत :
श्री मिलिन्द देवरा :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर दिल्ली में रसोई गैस और मिट्टी के तेल की कालाबाजारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने मामलों का पता लगाया गया और इन पर क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) इस संबंध में उपभोक्ताओं से राज्य-वार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर क्या कार्रवाई की गयी;

(घ) क्या यह कालाबाजारी गैस एजेंसियों के मालिकों, डीलरों, तेल कंपनियों के प्रबंधकों और पुलिस अधिकारियों की सांठगांठ से चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसे समाप्त करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों/डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001 के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर अधिक पैसा वसूलने के संबंध में वर्ष 2003-04 के दौरान विभिन्न राज्यों में अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध 63 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

जहां तक मिट्टी तेल का संबंध है, तेल विपणन कंपनियों ने अपने थोक नेटवर्क के माध्यम से अधिक पैसा वसूलन का कोई मामला सूचित नहीं किया है। तथापि सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के लिए अधिक पैसा वसूलने की शिकायतें प्राप्त होती हैं। संबंधित राज्य सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करती हैं।

(ङ) तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अधिक पैसा वसूलने को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं–

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 प्राख्यापित किया गया है। आदेश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर अधिक पैसा वसूलने की मनाही है। ऐसा अपराध आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 3 माह से 7 वर्ष की कैद के साथ दंडनीय है।

2. राज्य सरकारें उपर्युक्त आदेश के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदत्त हैं।

3. तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश सरकार द्वारा अप्रैल, 2001 में स्थापित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार रीफिल/स्थापना प्रभारों आदि पर अधिक पैसा वसूलना साबित हो जाने के मामले में डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध पहले अपराध पर चेतावनी, दूसरे अपराध पर 5,000 रुपए जुर्माने, तीसरे अपराध पर 15,000 रुपए जुर्माने और चौथे अपराध पर समाप्ति का प्रावधान है।

4. तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों से घरेलू सिलेंडरों पर अधिक पैसा न वसूलें। तेल विपणन कंपनियों के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटर के गोदाम, आपूर्ति स्थल और मार्ग में यह सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच करते हैं कि अधिक पैसा न वसूला जाए। अधिक पैसा वसूलने की किसी शिकायत के सिद्ध हो जाने पर दोषी डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/या डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

जहां तक मिट्टी तेल का संबंध है, विभिन्न स्थानों पर मिट्टी तेल की अनुभव की जा रही मांग का निर्धारण करने और वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने से संबंधित एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा अधिक पैसा लेने से संबंधित शिकायतों का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिक पैसा वसूलने में संलिप्त पाए गए डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या
1.	दिल्ली	1
2.	गुजरात	4
3.	हरियाणा	1
4.	जम्मू व कश्मीर	5
5.	मध्य प्रदेश	7
6.	महाराष्ट्र	2
7.	उड़ीसा	1
8.	पंजाब	12
9.	राजस्थान	7
10.	तमिलनाडु	3
11.	उत्तर प्रदेश	13
12.	पश्चिम बंगाल	5
	संघ शासित क्षेत्र	
13.	चंडीगढ़	2
	योग	63

[अनुवाद]

गुजरात में साइंस सिटी प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय सहायता

4264. **श्री पी.एस. गढ़वी :**
डा. तुषार अमर सिंह चौधरी :
श्री दिनशा पटेल :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से साइंस सिटी प्रोजेक्ट हेतु 41 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) जी, हां। राज्य सरकार ने विज्ञान शहर, गुजरात के लिए 41.00 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध किया था। बाद में गुजरात विज्ञान शहर परिषद (जी सी एस सी) तथा निष्पादक एजेंसी के साथ विचार-विमर्श किया गया और विचार-विमर्श के दौरान उन्हें विज्ञान शहर स्थापित करने संबंधी मानदंडों के भीतर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। तद्नुसार परिषद ने परियोजना की लागत को 88.49 करोड़ रुपये निर्धारित करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया और संस्कृति विभाग, भारत सरकार से 9.00 करोड़ रुपये के अनुदान का अनुरोध किया, जिसमें से 4.00 करोड़ रुपए परिषद को पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के कार्यकरण की समीक्षा

4265. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :**
श्री सुबोध मोहिते :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड विशेष निर्यात क्षेत्र में इसके कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेल ने देश में विद्युत वितरण व्यवसाय में प्रवेश करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भेल इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सुसज्जित है; और

(च) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व क्या उपाय किये जाने हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्षों के दौरान भेल के वास्तविक और अनुमानित निर्यात कारोबार के वित्तीय ब्यौरे नीचे सारणी में दर्शाये गये हैं :–

कारोबार (करोड़ रुपये में)

वर्ष	वास्तविक निर्यात	अनुमानित निर्यात
2001-02	987	1,524
2002-03	637	1,529
2003-04	596	1,454

(ग) और (घ) भेल के पास दीर्घावधि उद्देश्य के रूप में विद्युत वितरण व्यवसाय में प्रवेश करने की योजनाएं हैं। भेल पहले से ही इस व्यवसाय क्षेत्र के लिए स्विचगियर्स, इनर्जी मीटर्स, इंश्यूलेटर्स, स्काडा (सुपरवायजरी कंट्रोल एंड डाटा इक्विजीशन) जैसे उपस्कर और प्रणालियों की आपूर्ति करता रहा है। यह 33 के.वी. और 11 के.वी. उप-स्टेशनों की आपूर्ति, निर्माण तथा चालू करने के लिए टर्नकी ठेके भी लेता रहा है।

(ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मीडिया संगठनों में कार्य संस्कृति

4266. **श्री बाडिगा रामकृष्णा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 20 जून, 2004 के 'द ट्रिब्यून' में प्रकाशित समाचार के अनुसार देश में प्रसार भारती सहित मीडिया संगठनों में यौन उत्पीड़न वहां की कार्य संस्कृति का एक भाग है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और कौन-कौन से उपचारात्मक उपायों पर विचार किया गया है;

(ग) अलग-अलग मामलों का ब्यौरा क्या है और उनमें क्या-क्या सजा दी गयी?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य [जे टी 1997 (7) एस सी 384] के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में सरकार द्वारा इस मामले में निर्देश जारी किए गए हैं जिनका इस मंत्रालय के अधीन मीडिया संगठनों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) गत एक वर्ष (01.07.2003 से 30.06.2004 तक) के दौरान सूचित किए गए मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

शिकायत का सार	की गई कार्रवाई
1	2
शिकायतकर्त्ता द्वारा आकाशवाणी केन्द्र, जमशेदपुर के निदेशक के विरुद्ध यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी लेकिन शिकायतकर्त्ता से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।	केन्द्र निदेशक के अनुसार शिकायतकर्त्ता द्वारा यौन-उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए झूठी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। केन्द्र निदेशक ने बताया है कि पुलिस दल प्राथमि सूचना रिपोर्ट पर जांच करने के लिए केन्द्र में आया था और पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी है लेकिन इस संबंध में पुलिस से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। मुख्य अभियंता (ई जेड) से इस मामले में की गई कार्रवाई से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।
शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया है कि सहायक अभियंता ने बिना किसी सरकारी कार्य के आकाशवाणी केन्द्र, पुरी का दौरा किया और टेलीफोन पर उनसे अश्लील/अशोभनीय बातचीत की जबकि वह अपनी ड्यूटी पर तैनात थी।	इस मामले का अन्वेषण करने के आधार पर, सहायक अभियंता को बड़ी शास्ति के लिए आरोपपत्रित किया गया।
आकाशवाणी मदुरै की नैमित्तिक प्रस्तुतकर्त्ता/उद्घोषक द्वारा कार्यक्रम निष्पादक के विरुद्ध दुर्व्यवहार करने और अश्लील व फूहड़ बातें करने का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई थी।	इस शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। शुरू में उसे संभवत: निलंबन पर रखा गया था। बाद में उसका निलंबन रद्द कर दिया गया और उसने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। आगे की कार्रवाई आपराधिक मामले का परिणाम प्राप्त करने पर की जाएगी।

1	2
सीबीएस, आकाशवाणी, हैदराबाद की कुछ महिला कर्मचारियों से शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें प्रशासनिक अधिकारी द्वारा यौन-उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है।	इस मामले की जांच करने के लिए उप निदेशक प्रशासन से अनुरोध किया गया।
गीत एवं नाटक प्रभाग की कर्मचारी शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया है कि गीत एवं नाटक प्रभाग के एक वादक ने उसका यौन-उत्पीड़न किया है।	गीत एवं नाटक प्रभाग के महिला प्रकोष्ठ द्वारा इस मामले की जांच की गयी जिससे यह निष्कर्ष निकला कि यौन-उत्पीड़न का प्रथम दृष्टया साक्ष्य था। अभियुक्त के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी क्योंकि उसने सेवा से त्याग-पत्र दे दिया। इस मामले को निपटान हेतु अनुशासनिक अधिकारी, निदेशक गीत एवं नाटक प्रभाग के पास भेज दिया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का पुनर्गठन

4267. **श्री सुकदेव पासवान : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पुनर्गठन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयेग में इस समय कितने सदस्य हैं;

(घ) क्या सरकार की कोई योजना इस आयोग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की है। ताकि इसमें देशभर से वृहत् प्रतिनिधित्व हो; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 24 फरवरी, 2004 को किया गया था, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित पांच सदस्य हैं। फिलहाल मौजूदा आयोग में सदस्य संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।

चालू रेल परियोजनाओं की स्थिति

4268. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :**
योगी आदित्यनाथ :
मो. मुकीम :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री मो. ताहिर :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में नयी/चालू और लंबित रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों की स्थिति क्या है और इन्हें पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) आज तक परियोजना-वार आबंटित और खर्च की गयी धनराशि कितनी है;

(ग) क्या इनमें से कुछ परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन्हें समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली चालू रेल परियोजनाओं और सर्वेक्षणों का ब्यौरा, मौजूदा स्थिति, 31.3.2004 तक किए गए खर्चे, 2004-05 के दौरान बजट परिव्यय और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई है, इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	31.03.2004 तक किया गया खर्च	2004-05 के दौरान बजट परिव्यय	स्थिति और लक्ष्य, जहां कहीं भी निर्धारित की गयी है
1	2	3	4	5
	नई लाइनें			
1.	फतेहाबाद और बाह के रास्ते आगरा-इटावा	39.04	5.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। जहां भूमि उपलब्ध है वहां पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
2.	इटावा-मैनपुरी	19.89	10.00	अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
3.	गुना-इटावा	329.54	31.00	गुना-ग्वालियर और ग्वालियर-भिंड खंड पर कार्य पहले ही पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। भिंड से इटावा तक इस परियोजना का अंतिम चरण प्रगति पर है और वर्ष 2004 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बहरहाल, घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाली भूमि के अधिग्रहण में समस्या है जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति आवश्यक है, के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
4.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	29.33	32.00	कार्य चरणों में शुरू किया जा रहा है। ललितपुर-खजुराहो और महोबा-खजुराहो खंडों में अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और जहां भूमि उपलब्ध है वहां कार्य शुरू कर दिया गया है। सतना-खजुराहो और रीवा- सिंगरौली खंड में अंतिम स्थान सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
5.	राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामपुर-लालकुंआ-काठगोदाम पर सड़क उपरी पुल	0.08	0.01	खंड पर नक्शे तैयार करने जैसी प्रारंभिक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं और अनुमानों को स्वीकृति दी जा रही है।
	आमान परिवर्तन			
6.	आगरा-बांदीकुई	113.78	40.00	बांदीकुई-भरतपुर (98 किमी) खंड पर कार्य पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। भरतपुर-आगरा फोर्ट (53 किमी) को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	औंडिहार-जौनपुर	0.01	2.00	खंड का विस्तृत सर्वेक्षण पूरा हो गया है और अनुमान प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5
8.	गोंडा-बहराईच-सीतापुर-लखनऊ चरण-I	0.7	3.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
9.	आनंद नगर नौतनवां के साथ गोंडा-गोरखपुर लूप	16.99	20.00	मिट्टी संबंधी और छोटे पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
10.	कानपुर-कासगंज-मथुरा-बरेली और बरेली से लालकुंआ तक विस्तार	157.77	30.41	कानपुर-फर्रूखाबाद (140 किमी) खंड पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। फर्रूखाबाद-कासगंज-मथुरा और मथुरा-बरेली-लालकुआं (404.5 किमी) खंडों पर मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
11.	कप्तानगंज-थेव-सीवान-छपरा	16.09	15.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
12.	काशीपुर-लालकुआं	57.72	0.01	पूरा हो गया है। अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन प्रगति पर है।
13.	मथुरा-अछनेरा	0.11	0.01	इस कार्य को कानपुर-कासगंज-मथुरा खंड सहित शुरू करने की योजना है।
	दोहरीकरण			
14.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	0.06	10.00	इस कार्य को बजट 2003-04 में शामिल कर लिया गया था। योजना और नक्शों जैसी आरंभिक व्यवस्थाएं शुरू की जा रही हैं। परियोजना को राष्ट्रीय रेल विकास योजना के रूप में पहचान की गई है।
15.	अमरोहा-कनकाथेर	26.33	8.00	मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। सभी छोटे और बड़े पुल पूरे हो गए हैं। गिट्टी संबंधी सिगनल संबंधी और रेलपथ संपर्क का कार्य बी ओ टी के अंतर्गत किया जाना है।
16.	अमरोहा-मुरादाबाद	59.83	7.55	सभी सिविल कार्य पूरे हो गए हैं। 31 किमी. में रेलपथ संपर्क का कार्य पूरा हो गया है। वैल्डिंग कार्य प्रगति पर है। कार्य 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
17.	छिओकी-लोहगरा	0.51	6.00	मिट्टी, पुल और गिट्टी संबंधी कार्य के लिए निविदाओं की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
18.	गढ़ पुल	0	0.01	मिट्टी संबंधी जांच कार्य पूरा हो गया है।
19.	गोंडा-मनकापुर	0	3.00	बजट 2004-05 में शामिल नया कार्य।
20.	गोरखपुर-सहजनवा	8.49	3.65	कार्य चरणों में शुरू कर दिया गया है। गोरखपुर-डोमिनगढ़ (6 किमी) का कार्य 2003-04 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है जहां रेलपथ संपर्क का कार्य पूरा हो गया है। गिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है। खंड को रेल संरक्षा आयुक्त के निरीक्षण के पश्चात् यातायात के लिए खोल दिया जाएगा।

1	2	3	4	5
21.	हापुड़-कनकाथर	0.14	5.0	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मिट्टी और छोटे पुल संबंधी कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है।
22.	जारवाल रोड-बुढवाल	18.6	10.00	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। परियोजना को 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य है।
23.	कानपुर-चंदेरी	6.17	3.23	कार्य हाल ही में पूरा किया गया है।
24.	कानपुर-पनकी तीसरी लाइन	52.26	5.50	मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
25.	लोहगरा-कटियाडांडी	0	8.99	विस्तृत अनुमान प्रक्रियाधीन है।
26.	मानिकपुर-छिओकी चरण-I, मानिकपुर-कटियाडांडी का दोहरीकरण	25.7	10.00	मिट्टी संबंधी, छोटे/बड़े पुल संबंधी कार्य लगभग पूरे हो गए हैं। परियोजना को 2004-05 में पूरा करने का लक्ष्य है।
27.	नैनी लिंक जं., शंटिंग नैक का विस्तार	0	0.001	यार्ड योजना और विस्तृत अनुमान अनुमोदित।
28.	साहिबाबाद-आनंद विहार तीसरी और चौथी लाइन	0.02	7.50	कार्य को 2003-04 के बजट में शामिल कर लिया गया था। परियोजना की राष्ट्रीय रेल विकास योजना के रूप में पहचान की गई है।
29.	टुंडला-यमुना पुल	21.44	0.50	ट्विन सिंगल लाईन कार्यप्रणाली के साथ टुंडला-एतमापुर का कार्य 12.11.2001 को शुरू कर दिया गया है। टुंडला यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और टुंडला में रूट रिले अंतर्पाशन का कार्य प्रगति पर है।
30.	उतरेतिया-चंदरौली और सुल्तानपुर-बंधुआकलां	20.17	5.00	मिट्टी संबंधी, छोटे/बड़े पुल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
31.	जाफराबाद-उतरेतिया चरण-II (जाफराबाद-श्रीकृष्णानगर)	19.4	5.00	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी और छोटे पुल संबंधी आदि कार्य प्रगति पर हैं।
	विद्युतीकरण			
32.	अम्बाला-मुरादाबाद	156.83	45.00	अम्बाला से रूड़की खंड पूरा हो गया है। रूड़की-मुरादाबाद खंड पर कार्य प्रगति पर है और परियोजना को दिसंबर 2005 में पूरा करने का लक्ष्य है।
33.	खुर्जा-मेरठ-सहारनपुर	0.00	0.10	निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण कार्य लंबित कर दिया गया है।
34.	मुगलसराय-जाफराबाद	0.00	1.00	अपेक्षित स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

पूरी की गई वे परियोजनाएं जिनके लिए अवशिष्ट कार्य/वित्तीय समायोजन किए जा रहे हैं, को ऊपर नहीं दर्शाया गया है।

चल रहे अद्यतन/नए सर्वेक्षणों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	किमी.
1.	मोहम्मदी के रास्ते गोलागोकरन नाथ-शाहजहांपुर नई लाइन	60
2.	आनंद नगर से कप्तानगंज नई लाइन	60
3.	पडरौना-कुशीनगर नई लाइन	28
4.	गाजियाबाद-मुगलसराय दोहरीकरण	356
5.	मेरठ-सहारनपुर दोहरीकरण	114
6.	सीतापुर-लखीमपुर-पीलीभीत के रास्ते लखनऊ-बरेली आमान परिवर्तन	313
7.	भोजीपुरा-पीलीभीत-टनकपुर आमान परिवर्तन	102

(घ) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर हैं। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए साधारण बजटीय संसाधनों से इतर संसाधन जुटाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

रेलवे भर्ती बोर्ड हेतु प्रस्ताव

4269. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में प्रत्येक मंडल में रेलवे भर्ती बोर्ड के प्रावधान का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल एक रेलवे डिवीजन की भर्ती आवश्यकताओं के आधार पर ही रेलवे भर्ती बोर्ड की व्यवस्था नहीं की जाती है। सभी मौजूदा रेलवे भर्ती बोर्ड सामान्यत: भारतीय रेल की एक से अधिक डिवीजन/यूनिट को कवर करते हैं। मौजूदा 19 रेलवे भर्ती बोर्ड पर्याप्त समझे गए हैं।

[हिन्दी]

बेतालपुर तेल डिपो में आग

4270. योगी आदित्यनाथ :
श्री तूफानी सरोज :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बेतालपुर तेल डिपो में हाल ही में आग लग गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार को आग लगने के कारण कितना घाटा हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) 30.06.2004 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के बेतालपुर डिपो पर पेट्रोल टैंक में आग लग गई थी। आग उसी दिन बुझा दी गई थी।

(ग) गंभीर रूप से जले एक अधिकारी की मृत्यु हो गई थी, लगभग 41 कि.ली. पेट्रोल तथा 9 कि.ली. मिट्टी तेल की हानि हुई। इसके और टैंक के पुन:स्थापन की लागत लगभग 20 लाख रुपए होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

एफ एम रेडियो का निजीकरण

4271. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय एफ एम रेडियो के निजीकरण के दूसरे चरण के बारे में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अंतिम सिफारिशों का इंतजार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय ने निजी चैनलों पर समाचार और सम सामायिक विषयों संबंधी कार्यक्रमों की अनुमति देने पर आपत्ति व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो क्या गृह मंत्रालय ने यह सुझाव दिया है कि समाचार और सम सामयिक विषयों संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण केवल सरकारी प्रसारक आकाशवाणी के लिए ही रखा जाए;

(घ) यदि हां, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों पर किस हद तक विचार किया है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) निजी एफ एम रेडियो प्रसारण के चरण-II पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशें हाल ही में प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है। अंतिम निर्णय लेने के पूर्व गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के मतों पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में इस मामले में अंतिम निर्णय लेने के संबंध में इस चरण पर कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

रेलवे सुरक्षा कोष हेतु एकत्रित निधियां

4272. **श्री पी. करुणाकरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा कोष हेतु कुल कितनी धनराशि एकत्र की गयी है; और

(ख) सरकार ने उक्त राशि के प्रभावी उपयोग हेतु क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) रेल संरक्षा निधि में अंशदान मुख्यत: सामान्य राजकोष से डीजल उपकर खाते से प्राप्त होता है। 2004-05 के बजट अनुमान के अनुसार डीजल उपकर में रेलवे का हिस्सा 401 करोड़ रु. है।

(ख) इस निधि का उपयोग अनन्य रूप से रेल संरक्षा कार्यों के लिए किया जाता है, जिनमें (i) चौकीदार रहित समपारों को चौकीदारयुक्त बनना और समपारों पर विभिन्न सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना तथा (ii) व्यस्त समपारों पर सड़क ऊपरि/निचले पुल बनाना आदि कार्य शामिल है। ऐसे कार्यों के लिए "29-सड़क संरक्षा कार्य-समपार" (150 करोड़ रु.) और "30-सड़क संरक्षा कार्य-सड़क ऊपरि/निचले पुल" (251 करोड़ रु.) शीर्ष के अंतर्गत 401 करोड़ रु. का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

इस निधि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

- रेल संरक्षा निधि से किसी अन्य कार्य के लिए निधियों के पुनर्विनियोग की अनुमति नहीं है क्योंकि इस निधि का निर्माण अनन्य रूप से सड़क संरक्षा कार्यों के लिए किया गया है।
- वित्त वर्ष के दौरान, 300 समपार फाटकों का अंतपार्शन, सभी नए चौकीदारयुक्त समपारों पर दूरभाष की व्यवस्था करना और 90 समपार फाटकों पर गाड़ी चालित चेतावनी उपकरणों की व्यवस्था करने का लक्ष्य है।
- इसके अतिरिक्त, 01.04.2004 को 546 चौकीदार रहित समपारों को चौकीदारयुक्त बनाने का कार्य और 433 सड़क ऊपरि/निचले पुलों का कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ

4273. **श्री मुकीम** :
श्री सीता राम यादव :
श्री गुरुदास कामत :
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री जी.वी. हर्ष कुमार :
श्री खगेन दास :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ के कितने प्रयास किए गये;

(ख) क्या गत तीन महीनों के दौरान जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ में कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आंतकवादी हमलों में राज्यवार कितने कार्मिक/नागरिक मारे गये/घायल हुए; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उनके परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों की संख्या 1400 (2002), 1373 (2003) तथा 356 (2004, 31 जुलाई तक) है।

मई से जुलाई 2004 के दौरान 254 घुसपैठिए आए जबकि 2003 में इसी अवधि के दौरान 418 घुसपैठिए आए थे।

2002 से 31 जुलाई 2004 तक जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में मारे गए और घायल हुए सिविलियनों और सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है:-

राज्य	मारे गए 2002-2004 (31, जुलाई, 2004 तक)		घायल हुए 2002-2004 (31, जुलाई 2004 तक)	
	सुरक्षा बल	सिविलियन	सुरक्षा बल	सिविलियन
जम्मू व कश्मीर	931	2269	2332	4350
असम	45	495	आंकड़े नहीं रखे गए	आंकड़े नहीं रखे गए
त्रिपुरा	112	394	-वही-	-वही-
नागालैंड	6	37	-वही-	-वही-
मणिपुर	105	145	-वही-	-वही-
मेघालय	29	74	-वही-	-वही-
अरुणाचल प्रदेश	5	17	-वही-	-वही-
मिजोरम	1	शून्य	-वही-	-वही-
कुल	1234	3431	-वही-	-वही-

सुरक्षा बलों के मामले में एक व्यापक कल्याण पैकेज तैयार किया गया है तथा मृतक के निकटतम संबंधी के लिए उसे कार्यान्वित किया गया है।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सिविलियन तथा राज्य पुलिस के निकटतम संबंधी को क्रमश: 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का अनुग्रही मुआवजा दिया जा रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, जम्मू व कश्मीर पुलिस कार्मिक के निकटतम संबंधी को केन्द्र सरकार द्वारा अनुग्रह राशि के रूप में 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर लघु फिल्में

4274. डा. प्रसन्न कुमार पटसाणी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उड़ीसा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन पर लघु फिल्में अथवा इन व्यक्तियों के जीवन पर पुस्तकें प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार के इस आग्रह पर सहमत हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वर्गीय श्री बीजू पटनायक और पठानी सामन्ता के रूप में लोकप्रिय महामोहापाध्याय सामन्ता चन्द्रशेखर की जीवन-संबंधी फिल्मों का निर्माण फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। संगीत के क्षेत्र में उड़ीसा की विभूति स्वर्गीय श्री अक्षय मोहन्ती की जीवन-संबंधी फिल्म का भी निर्माण राज्य सरकार से अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् किया जा रहा है। फिल्म प्रभाग ने बिनोड़े कानूनगो, राजेन्द्र सिंहदेव, कर्मवीर गौरी शंकर राय, पद्मभूषण डॉ. राधानाथ रथ, गुरुगोमके रघुनाथ मुरमू और रामादेवी जैसी उड़ीसा की सुविख्यात विभूतियों पर जीवन-संबंधी फिल्में भी तैयार की हैं।

प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आधुनिक भारत के निर्माता (बी एम आई) श्रृंखला के अंतर्गत श्री एम.एन. दास और श्री सी.पी. नन्दा द्वारा लिखित 'डॉ. हरे कृष्णा महताब' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। श्री विजय चन्द्र रथ द्वारा ''जायी राजगुरू'' तथा श्री ए.के. त्रिपाठी और श्री पी.सी. त्रिपाठी द्वारा गीतगोविन्द के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं लेखक, 'जयदेव' नामक पुस्तकों को भी प्रकाशित किया जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में नई रेल लाइनें

4275. श्री तापिर गाव : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार से नई रेल लाइनों हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश की लम्बित रेल परियोजनाएं

4276. **श्री थावरचन्द गेहलोत :**
श्री चन्द्रभान सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु मध्य प्रदेश की नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, रेल पुलों, फुट ब्रिज, प्लेटफार्म व्यवस्था, आधुनिकीकरण और अन्य समस्याओं से संबंधित प्रस्तावों की संख्या क्या है;

(ख) इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, आमान परिवर्तन, विद्युतीकरण, रेलवे पुलों, प्लेटफार्म की व्यवस्थाएं, आधुनिकीकरण और अन्य समस्याओं संबंधी कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास निर्णय के लिए लंबित नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार से इंदौर के पास समपार के बदले उपरी सड़क पुल का निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो अनुमोदनाधीन है। सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है और आवधिक रूप से की जाती है।

मांग के अनुसार, परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण शुरू किए जाते हैं और सर्वेक्षणों के परिणामों के आधार पर प्रस्तावों पर आगे निर्णय लिया जाता है। हाल ही में मालेगांव और धुले के रास्ते मनमाड़ से इंदौर तक नई बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। सिवनी के रास्ते गोटेगांव-रामटेक, उज्जैन-झालावाड़/रामगंजमंडी के बीच नई लाइन का अद्यतन सर्वेक्षण और रतलाम-महू के बीच आमान परिवर्तन कार्य को 2004-05 के बजट में शामिल कर लिया गया है। छिंदवाड़ा-नागपुर के बीच आमान परिवर्तन का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर ही प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

[अनुवाद]

इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा निगरानी प्रणाली

4277. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए ऑन लाइन निगरानी प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे उपभोक्ता को गुणवत्ता वाले उत्पाद पाने में कितनी सहायता मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन (आई ओ सी) की लगभग 1000 चुनिंदा खुदरा बिक्री केन्द्रों (आरओज) और 2000 टैंक ट्रकों (टी टीज) को स्वचालित करने की तत्काल योजना है। स्वचलन प्रणाली में आटो टैंक लेबल गेजिंग प्रणाली, घनत्व माप प्रणाली, बैंक आफिस इन्टीग्रेशन, टैंक ट्रकों पर स्मार्ट ताले आदि शामिल हैं। मात्रा मापन, घनत्व लाग्स, लाकिंग/डि-लाकिंग लाग्स आदि के संबंध में इन खुदरा बिक्री केन्द्रों के वास्तविक समयबद्ध आंकड़े आई.ओ.सी. के राज्य कार्यालयों में लगे केन्द्रीय प्रबंधन सर्वर के माध्यम से पता चलेंगे। वर्धित सैम्पलिंग, खुदरा बिक्री केन्द्रों आदि का तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण के वर्तमान उपायों के साथ-साथ इन निगरानी उपायों से आई.ओ.सी. गुणवत्ता ईंधन मुहैया कराने में ग्राहकों की मदद करेगी।

[हिन्दी]

कटिहार-बरौनी मार्ग का आमान परिवर्तन

4278. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार-बरौनी और खगड़िया-सहरसा रेल लाइन के आमान परिवर्तन के कार्य में अनुचित विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन खण्डों पर आमान परिवर्तन का कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) माननीय संसद सदस्य संभवत: कटिहार-बरौनी खंड, जिसके दोहरीकरण का कार्य कहीं-कहीं किया जा रहा है, के बारे में कह रहे हैं। बरौनी-तिलरथ, मानसी-महेशखुंट और सेमापुर-कटिहार पर कहीं-कहीं दोहरीकरण प्रगति पर है और 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। मानसी-सहरसा का आमान परिवर्तन भी प्रगति पर है और 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। समस्तीपुर-खगड़िया आमान परिवर्तन के भाग के रूप में खगड़िया-मानसी का आमान परिवर्तन भी

अनुमोदित कर दिया गया है। इस खंड का आमान परिवर्तन संभवत: 2005-06 के दौरान पूरा होने की आशा है।

बंजरभूमि का कृषि हेतु उपयोग

4279. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :
श्री निहाल चन्द :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंजरभूमि विकास बोर्ड की स्थापना के बाद से कितनी बंजरभूमि का कृषि हेतु उपयोग किया गया है;

(ख) पनधारा जोन में स्थित सबसे बड़े गैर वन-क्षेत्र में समेकित बंजरभूमि विकास योजना के अंतर्गत शुरू की गयी परियोजनाओं की स्थिति क्या है; और

(ग) बंजरभूमि विकास हेतु सरकार की भविष्य की योजनाएं और कार्यक्रम क्या हैं और इसके कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय बंजरभूमि विकास बोर्ड (एन.डब्ल्यू.डी.बी.) को ग्रामीण विकास मंत्रालय को बंजरभूमि विकास विभाग के रूप में जुलाई, 1992 में अंतरित किया गया था। इस कार्यक्रम को 1.4.1995 से वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित करने के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत लाया गया था। तदनुसार, जुलाई, 1992 से 1995 तक की अवधि के बीच और 1.4.1995 से अब तक स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा विकसित करने के लिए शामिल किए गए क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

	अवधि	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	1992 - 31.3.1995	128	480552
2.	1.4.1995 - अब तक	662	5078831

इन बंजरभूमि विकास परियोजनाओं का लक्ष्य भूमि अवक्रमण की समस्या को हल करने, मृदा एवं नमी का संरक्षण करने, पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करने एवं भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने, आदि उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

(ग) भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस-2000 (वेस्टलैंड एटलस आफ इंडिया-2000) के अनुसार 63.85 मिलियन हैक्टेयर भूमि को बंजरभूमि के रूप में चित्रित किया गया है। जिसमें से विकसित की जा सकने योग्य 24.80 मिलियन हैक्टेयर भूमि को समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत विकसित किया जाना अपेक्षित है तथा इस योजना के जारी रहने की प्रत्याशा है। इसे मद्देनजर रखते हुए बंजरभूमि के विकास के लिए इस समय किसी नई योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वायुरक्षा पोत का विनिर्माण

4280. **डा. राजेश मिश्रा :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौसेना के वायुरक्षा पोत परियोजना में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है जिसे रक्षा संबंधी कैबिनेट समिति द्वारा पहले ही स्वीकृति प्राप्त हो गयी थी और जिसे दिसंबर 2003 में शुरू होना था;

(ख) क्या यह सच है कि यह परियोजना वायुरक्षा पोत के विनिर्माण हेतु आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाले इस्पात की अनुपलब्धता की समस्या का सामना कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे इस्पात की खरीद के लिए सरकार ने जिन देशों से संपर्क किया है उनके क्या नाम हैं; और

(घ) इस परियोजना के कब तक शुरू होने और पूर्ण होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि में लगभग 37,500 मीटरी टन के एक हवाई रक्षा पोत के विनिर्माण को अनुमोदित किया है। पोत के समग्र परिमाप को परिभाषित करने वाले "संकल्पना डिजाइन", पोतस्वरूप का मूल्यांकन, सामान्य व्यवस्था ड्राइंग, ढांचा, स्थायित्व वजन और जगह विश्लेषण तथा हाइड्रोडायनामिक मॉडल परीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। पोत-प्रणालियों का डिजाइन तथा व्यापक डिजाइन दस्तावेज/ड्राइंग तैयार करने का कार्य शुरू हो चुका है। प्रणोदन प्रणाली का आधार डिजाइन पूरा कर लिया गया है।

(ख) से (घ) शुरुआत में इस्पात आयात करने का प्रस्ताव था। इस्पात की अपेक्षित गुणता के स्वदेशी विकास के क्षेत्र में हुई प्रगति के कारण इसकी अधिप्राप्ति अब देश में ही की जा रही है। वर्ष 2011 तक विनिर्माण पूरा हो जाने की संभावना है।

'हरियाली' हेतु दिशानिर्देश

4281. **श्री गुरूदास कामत :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में 73वें संशोधन के अनुसार 'हरियाली' हेतु दिशानिर्देशों में परिवर्तन किए जाने के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समस्याएं बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने दिशानिर्देशों में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) हरियाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत वाटरशेड परियोजनाओं में भागीदारी दृष्टिकोण को और अधिक रूप में सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रमों जैसे समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) में ग्राम पंचायतें तथा ग्राम सभाएं, वाटरशेड समितियों तथा वाटरशेड संघों का स्थान लेती हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने हरियाली के मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। चूंकि ये मार्गदर्शी सिद्धांत 1-4-2003 से ही लागू हुए हैं, अत: इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन के संबंध में विचार करने से पूर्व इनके कार्यान्वयन पर कुछ और समय के लिए नजर रखनी होगी।

प्रसार भारती के वेतन ढांचे में विसंगति

4282. **श्री सी.के. चन्द्रप्पन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन के ग्राफिक आर्टिस्ट एण्ड एडिटर्स एसोसिएशन से प्रसार भारती के वेतन ढांचे में विसंगतियां दूर करने हेतु सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किस तरह की विसंगति है और एसोसिएशन की मांगें क्या थीं;

(ग) क्या इनका समाधान निकालने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) दूरदर्शन के ग्राफिक कलाकार निर्माण सहायकों के समकक्ष उन्नयित संशोधित वेतनमान तथा दूरदर्शन के फिल्म/वीडियो संपादक इस मंत्रालय के फिल्म प्रभाग के संपादकों के समकक्ष वेतनमान के लिए अभ्यावेदन देते आ रहे हैं।

(ग) और (घ) उन्नयित वेतनमानों की उनकी मांगों को स्वीकार करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि प्रत्येक श्रेणी के भिन्न होने के कारण अलग-अलग भर्ती नियम, पात्रता योग्यताएं और कार्य के स्वरूप हैं। वेतनमानों में समता का निर्धारण करने के लिए ऐसे कार्यों और योग्यताओं की अन्य श्रेणियों के कार्यों और योग्यताओं के साथ बराबरी या तुलना नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु आवश्यक वित्तीय सहायता

4283. **श्री नीतीश कुमार :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के.सी. पंत समिति ने सरकारी क्षेत्र के 240 उद्योगों हेतु 1800 करोड़ रुपए की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त प्राक्कलित धनराशि उपलब्ध कराने हेतु कोई व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए किसी के.सी. पंत समिति का अस्तित्व नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं को पूरा करने के लिए रणनीति पर उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 9.2.2000 को मंत्रियों का समूह गठित किया गया था।

मंत्रियों के समूह की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 28.11.2003 को सभी संबंधितों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए थे। मंत्रियों के समूह की गणना के अनुसार 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 59 उपक्रमों में कर्मचारियों की बकाया वेतन तथा मजूरी व कर्मचारियों से संबंधित अन्य सांविधिक देयताओं की राशि 1905 करोड़ रुपए थी। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सरकार से प्राप्त बजटीय सहायता सहित अपने पास उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके उक्त देयताओं में से लगभग 1085 करोड़ रुपए की देयताएं पूरी करने में समर्थ रहे हैं।

[अनुवाद]

रूस में ओ.एन.जी.सी. परियोजना

4284. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सबसे बड़ी विदेश स्थित तेल और प्राकृतिक गैस परियोजना, रूस में शखालिन-1 पर लागत से 45 प्रतिशत अधिक खर्च आ चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मूल लागत और अन्य ब्यौरा क्या है और इसकी अद्यतन संशोधित लागत कितनी है;

(ग) कार्यान्वयन समय-सारणी का चरण-वार ब्यौरा क्या है और इसमें कितना विलम्ब हुआ है; और

(घ) विलम्ब तथा लागत में वृद्धि के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने रिपोर्ट दी है कि सखालिन परियोजना में रूसी भागीदार शामिल करने सहित यद्यपि इसका अपफ्रंट निवेश है, उत्पादन आरंभ करने से पूर्व, जो मूलत: 1741 मिलियन अमेरिकी डालर होने का अनुमान था, इसके बढ़ने की संभावना है। परियोजना के चारों चरणों की लागत रूसी सरकार द्वारा अनुमोदित विकास कार्यक्रम और बजट में प्रस्तुत अनुमानों से अधिक रहने का पूर्वानुमान नहीं है। ओवीएल के अपफ्रंट निवेश में वृद्धि की सीमा का इसके परामर्शदाता और प्रचालकों के साथ परामर्श करके मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) परियोजना से, मूल रूप से वर्ष 2005 से तेल और वर्ष 2006 से गैस का उत्पादन शुरू होने की योजना थी। अब घरेलू बिक्री के लिए वर्ष 2005 की तीसरी तिमाही से गैस का तथा वर्ष 2006 के आरंभ से तेल का उत्पादन आरम्भ करने की योजना है। कच्चे तेल का उत्पादन वर्ष 2006 के अंत तक रेटेड क्षमता पर होने की आशा है।

(घ) विश्व भर में सामान की कीमत में उतार-चढ़ाव अन्य मुद्राओं की तुलना में डालर के मूल्य में कमी, स्थानीय मुद्रा स्फीति, परियोजना के विकास और निर्माण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रूसी प्रणाली के तहत अपनायी जाने वाली अपेक्षित प्रक्रिया और साथ ही आधारभूत संरचना और संसाधनों की कमी सहित बाह्य लागत दबावों जैसे कारक लागत और अनुसूची दबावों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में से हैं।

रेल संग्रहालय में चोरी

4285. श्री उदय सिंह :
श्री निखिल कुमार चौधरी :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री मनोरंजन भक्त :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जुलाई, 2004 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में "फेयरी क्वीन इंजन पार्ट्स स्टोलेन फ्राम म्यूजियम" शीर्षक से प्रकाशित खबर की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंजन के कलपुर्जों की चोरी के लिए चाणक्यपुरी स्थित रेल संग्रहालय चोरों का निशाना रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस घटना की जांच की है या जांच के आदेश दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं;

(ङ) इस घोटाले में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी;

(च) क्या गायब कलपुर्जों के स्थान पर डुप्लीकेट कलपुर्जे लगाए जाएंगे;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे इंजन के कार्यकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ज) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में खड़े 149 वर्ष पुराने फेयरी क्वीन के भाप इंजन सं. ईआईआर.-22 से 25/26.7.2004 की रात को लगभग 500/- रुपए मूल्य के ब्रॉस के दो हैंडल और 4-5 फीट (1.22 से 1.52 मीटर) लंबाई के तांबे के 4 पाइप चोरी पाए गए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय के तकनीकी सहायक द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली पुलिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के तहत दिनांक 28.7.2004 को मामला सं. 176/04 दर्ज किया और इसकी जांच पड़ताल की गई। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की चार दीवारी के बाहर झाड़ियों से 1 ब्रॉस हैंडल और कॉपर-पाइप के 10 टुकड़े बरामद किए गए, जिनका मूल्य लगभग 400 रुपए है।

(ङ) इस मामले में कोई कर्मचारी शामिल नहीं पाया गया।

(च) और (छ) यद्यपि गुमशुदा पुर्जे खोज लिए गए हैं, किन्तु ये पुलिस के परिरक्षण में है। अत: इस समय गुमशुदा पुर्जे को "मूल पुर्जों के सदृश्य" से परिवर्तित किया जा रहा है। परिवर्तित किए जाने वाले पुर्जे वही है जिनकी चोरी हो गई थी इंजन की वर्किंग पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा।

(ज) निदेशक राष्ट्रीय रेल संग्रहालय को संग्रहालय की चारदीवारी को और ऊंची करने की व्यवस्था के लिए और उस पर कंटीले तार लगवाने के निदेश दिए गए हैं ताकि चारदीवारी तक अपराधियों की पहुंच को रोका जा सके।

पश्चिम बंगाल में रसोई गैस एजेन्सियां

4286. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिला में रसोई गैस कनेक्शन देने और वितरण हेतु कई तेल कंपनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों और एजेंसियों के नाम और सूची का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने हेतु विभिन्न वितरकों के बीच खतरनाक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसे रोकने तथा एजेंसियों के बीच उपभोक्ताओं के उचित वितरण हेतु दिशा-निर्देश जारी करने के लिए क्या उपाय किए जाने हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) वर्तमान में 4 सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज) नामत: मैसर्स इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल), मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा मैसर्स आई.बी.पी. कं. लिमिटेड अपने वितरकों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में एलपीजी कनेक्शन दे रही हैं इन ओ एम सीज के डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नाम संबंधित तेल कंपनी के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) ओ.एम. सीज ने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के बीच कोई नकारात्मक प्रतिस्पर्धा की रिपोर्ट नहीं दी है और वे अपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार तथा विपणन के लिए निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रचालन कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल स्थित रेल परियोजनाएं

4287. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोलकाता में तीसरे टर्मिनल के निर्माण, उत्तरी बंगाल के साथ त्वरित रेल संपर्क और दक्षिण पूर्व और पूर्व रेल में उपनगरीय स्टेशनों के उन्नयन इत्यादि के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कोलकाता के लिए तीसरे टर्मिनल का निर्माण, उत्तरी बंगाल के साथ तीव्रतर रेल संपर्क, पूर्व और दक्षिण पूर्व रेल आदि पर उपनगरीय स्टेशनों का उन्नयन का अनुरोध किया गया है।

कोलकाता में चितपुर में तीसरे टर्मिनल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो गए हैं और लाइन 1 और 2 के बीच प्लेटफार्म का कार्य पूरा हो गया है। बजट 2004-05 में इस कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, शालीमार उपनगरीय टर्मिनल का विकास संबंधी सर्वेक्षण कार्य और कोलकाता में पदमपुकुर गैर उपनगरीय टर्मिनल का कार्य

प्रगति पर है। सर्वेक्षणों के परिणाम उपलब्ध हो जाने पर ही परियोजना पर आगे विचार करना व्यावहारिक होगा।

कोलकाता और उत्तरी बंगाल के बीच यात्रा समय में कमी करने के लिए 3143/3144 सियालदह-न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग मेल की गति बढ़ाने का प्रस्ताव है।

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/नवीकरण/आधुनिकीकरण करना एक सतत् प्रक्रिया है और ये यातायात में वृद्धि के आधार पर निर्धारित मानदंडों तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्येक वर्ष किए जाते हैं। पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर सभी उपनगरीय स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं निर्धारित मानदंडों के अनुसार मुहैया कराई गई हैं जिन्हें बुकिंग काउंटरों, मूत्रालयों/प्रसाधनों आदि की संख्या में कतिपय मात्रात्मक कमियों को छोड़कर यात्री यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

[हिन्दी]

एचसीएल द्वारा रेल-टेल विभाग को आप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति

4288. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, आप्टिकल फाइबर इकाई, नैनी, इलाहाबाद (उ.प्र.) में निर्मित आप्टिकल फाइबर केबल की आपूर्ति रेल-टेल विभाग को दी जाती है जिसका गठन मंत्रालय के अंतर्गत रेल सुरक्षा हेतु किया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उक्त उपक्रम द्वारा केबल की आपूर्ति में कोई कटौती की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय उक्त उपक्रम को मंत्रालय के अधीन लाने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय रेल में स्वीकृत मजदूर संघ

4289. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेल के अंतर्गत विभिन्न जोनों में कार्यरत स्वीकृत मजदूर संघों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय रेल में मजदूर संघों को स्वीकृति देने में अपनाई जाने वाली प्रविधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे में मजदूर संघों को स्वीकृत देने हेतु नए जनमत संग्रह कराए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यूनियनों को मान्यता क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर प्रदान की जाती है। केवल विस्तृत आधार वाली यूनियन जिनमें रेलवे के कर्मचारियों की सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व होता है, को मान्यता प्रदान की जाती है बशर्ते कि वे अराजपत्रित कर्मचारियों जिसका वे प्रतिनिधित्व कर रही हैं, 30 प्रतिशत का न्यूनतम प्रतिनिधित्व करने की शर्त सहित निर्धारित शर्तें पूरी करती हों। 30 प्रतिशत सदस्यता की संख्या संबंधित यूनियन द्वारा ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिफल पर तथा उसके द्वारा यथा प्रमाणित/स्वीकार्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ग) और (घ) यूनियनों को मान्यता देने के प्रश्न पर हाल ही में न्यायालय में मामला आया था और माननीय उच्च न्यायालय, चैन्ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर निर्णय दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि मान्यताप्राप्त यूनियनों में कर्मचारियों का निर्धारित प्रतिशत अनन्य रूप से रखना न्यूनतम प्रतिशत के विवरण में ही शामिल है। यूनियन को मान्यता प्रदान करने के लिए 30 प्रतिशत सदस्यता की आवश्यकता के लिए उच्च न्यायालय की दलील को माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। माननीय न्यायालय का निर्णय विचाराधीन है।

विवरण

(क) क्षेत्रीय रेलों ने आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन से संबद्ध प्रत्येक में से एक यूनियन को मान्यता दी है। मान्यता प्राप्त यूनियनों के नाम नीचे दिए गए हैं:–

रेलवे	आल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन से संबद्ध यूनियनें	नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन से संबद्ध यूनियनें
मध्य रेलवे	नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन	सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ
पूर्व रेलवे	इस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन	इस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन
उत्तर रेलवे	नार्दन रेलवेमैन्स यूनियन	उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन
पूर्वोत्तर रेलवे	एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन	एन.ई. रेलवे एम्प्लाइज यूनियन
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	एन.एफ. रेलवे मजदूर यूनियन	एन.एफ. रेलवे एम्प्लाइज यूनियन
दक्षिण रेलवे	सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन	सदर्न रेलवे एम्पलाइज संघ
दक्षिण मध्य रेलवे	एस.सी. रेलवे मजदूर यूनियन	साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज संघ
दक्षिण पूर्व रेलवे	एस.ई. रेलवेमैन्स यूनियन	एस.ई. रेलवेमैन्स कांग्रेस
पश्चिम रेलवे	वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ
पूर्व मध्य रेलवे	ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन	ईस्ट सेंट्रल रेलवेमैन्स कांग्रेस
पूर्व तटीय रेलवे	ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन	ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक संघ
उत्तर पश्चिम रेलवे	नार्थ वेस्टर्न रेलवे इम्प्लाइज यूनियन	उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ
दक्षिण पश्चिम रेलवे	साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन	साउथ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज संघ
पश्चिम मध्य रेलवे	वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज यूनियन	वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ
उत्तर मध्य रेलवे	नार्थ सेंट्रल रेलवेमैन्स यूनियन	नार्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज संघ
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेमैन्स यूनियन	साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस

ग्रामीण पुस्तकालय

4290. श्री अनन्त नायक : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितना अनुदान दिया गया है; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय ग्रामीण पुस्तकालयों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सहायता में मंत्रालय द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित स्वायत्त निकाय,

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के माध्यम से इसकी हिस्सेदारीयुक्त (मैचिंग) और गैर हिस्सेदारी (नॉन-मैचिंग) स्कीमों के तहत पुस्तकों की आपूर्ति, फर्नीचर, उपस्कर हेतु सहायता, भवन के नवीकरण और विस्तार कार्य शामिल हैं।

(ख) ब्यौरे से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) यह प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा गठित उड़ीसा की राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा तैयार संदर्श योजना के अनुसार सहायता प्रदान करता है।

विवरण

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता द्वारा स्वीकृति निधियों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

राज्य	वर्ष-वार स्वीकृत राशि (राशि रुपए में)		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	8397681.5	4957095.00	11670281.00
अरुणाचल प्रदेश	1005497.5	3297471.00	3185097.50
असम	1885997	3457838.00	1637506.00
बिहार	1397860	1396196.00	1939129.00
गुजरात	6602688.5	4092711.00	8738950.00
गोवा	120791	135000.50	250865.50
हरियाणा	902660	1112979.50	1218438.00
हिमाचल प्रदेश	1114053	2115737.50	1430209.50
जम्मू और कश्मीर	1066094.5	840115.00	1743683.50
कर्नाटक	3947045.5	5104215.50	9179181.50
केरल	5303754	7664313.00	10451736.50
मध्य प्रदेश	2672333	5011588.00	5894147.50
महाराष्ट्र	5036967	4596018.50	6187764.00
मणिपुर	1110791	3791389.50	2327035.50
मेघालय	755543	329480.00	3809739.00
मिजोरम	1510129	3336749.00	2399002.00
नागालैण्ड	1741787	3711981.00	3209089.50
उड़ीसा	4595936	1652885.00	4600950.00
पंजाब	548182	784850.00	715776.00
राजस्थान	3493140.5	3996844.50	5439278.50
सिक्किम	180936	405584.00	2940282.00
तमिलनाडु	6084570.5	5710941.00	6534397.00
त्रिपुरा	430698	1990772.00	2060911.00
उत्तर प्रदेश	6046189	7495733.50	7805521.50
पश्चिम बंगाल	6393489.5	8511668.00	12533167.00
अंडमान और निकोबार	368717.5	138735.00	392495.50
चंडीगढ़	1130427	551089.50	1107336.00
दादरा और नागर हवेली	90468	131792.00	116359.00
दिल्ली	1897184.5	7975.00	1213636.00
लक्षद्वीप	45234	65896.00	58480.00
पांडिचेरी	292848.5	315483.00	628844.00
छत्तीसगढ़		395376.00	350878.00
झारखण्ड		527168.00	467837.00
उत्तरांचल		1195759.00	1308995.50

रेलवे में प्रयुक्त इस्पात की कीमतों में वृद्धि

4291. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कीमतों में वृद्धि ने रेल परियोजनाओं को प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल विभाग ने इस्तेमाल में लाए जाने वाले विभिन्न इस्पात उत्पादों की कीमतों में हाल ही में आई असामान्य वृद्धि का अध्ययन करने के लिए कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) इस्पात का उपयोग पुलों, सुरंगों और अन्य भवनों के निर्माण में किया जाता है। अधिकतर मामलों में, ठेकेदारों द्वारा संविदा के लिए निर्धारित शर्तों और अनुबंधों के अनुसार, संविदागत दरों पर स्ट्रक्चुअल इस्पात खरीदा जाता है। लगभग पिछले एक वर्ष के दौरान इस्पात की कीमतें बढ़ गई हैं जिससे कि निर्माण कार्य की प्रगति प्रभावित होती है।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) समिति ने हाल ही विगति में इस्पात की कीमतों में हुई असामान्य वृद्धि के मामले की जांच की है और वर्तमान और भविष्य के ठेकों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों की मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है और उनके आधार पर रेलवे द्वारा उपयुक्त उपाय अपनाए जाएंगे।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए सतर्कता और निगरानी समितियां

4292. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, सतर्कता और निगरानी करने के लिए जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के लिए राज्यों को निर्देश देते हुए कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति में कौन-कौन शामिल हैं;

(ग) किन राज्यों ने उक्त समिति गठित नहीं की है;

(घ) क्या समिति के विचार योजनाओं के कार्यान्वयन में बाध्यकारी होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ङ) सतर्कता एवं निगरानी समितियों की भूमिका और कार्यों को पुनर्जीवित करने के लिए और उन्हें मंत्रालय के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रभावी मॉनीटरिंग का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने की दृष्टि से, इन समितियों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला स्तर पर, संसद सदस्यों (XIV-लोक सभा) को सम्मिलित कर, पुनर्गठित किया जा रहा है। इन पुनर्गठित समितियों के गठन, भूमिका और कार्यों के साथ-साथ बैठकें आयोजित करने के लिए निर्देशों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

महाराजगंज (उ.प्र.) को जोड़ने की योजना

4293. **श्री पंकज चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) उत्तर प्रदेश में महाराजगंज को रेलवे लाइन से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

4294. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा :**
श्री तापिर गाव :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 और वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और गैर-सरकारी संगठनवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और गैर-सरकारी संगठनवार कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गयी और वास्तव में उपयोग में लाई गयी है;

(ग) इन योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक रूप से कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं;

(घ) इस संबंध में विशेषत: कर्नाटक से प्राप्त तथा केन्द्र सरकार के पास लंबित प्रस्तावों/आवेदनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इनके लंबित होने के क्या कारण है और इनके कब तक स्वीकृत होने तथा अनुदान जारी होने की संभावना है;

(च) क्या प्रस्तावों की स्वीकृति देने में अधिकारियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के उदाहरण सामने आए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) (1) अनु. जाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल, (2) अन्य पिछड़ी जाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त निधियों तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई निधियोंका ब्यौरा क्रमश: विवरण I तथा II के रूप में है। इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को सीधे ही निधियां निर्मुक्त करने को कोई प्रावधन नहीं है।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	अनु.जा.	अ.पि.जा.
2003-04	18056	4061
2004-05	546	शून्य

(घ) और (ङ) आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(च) इस प्रकार के उदाहरण मंत्रालय की जानकारी में नही आए हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान निर्मुक्त और उपयोजित केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति के लड़कों के होस्टल				अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल			
		2003-04		2004-05		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	उपयोजित	निर्मुक्त	उपयोजित	निर्मुक्त	उपयोजित	निर्मुक्त	उपयोजित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	42.674	42.674	शून्य		649.90	505.50	शून्य	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	असम	शून्य	9.00	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य		17.54	उपलब्ध नहीं	शून्य	
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	289.62	उपलब्ध नहीं	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
12.	कर्नाटक	406.35	406.35	शून्य		319.21	319.21	शून्य	
13.	केरल	40.35	उपलब्ध नहीं	शून्य		33.00	उपलब्ध नहीं	शून्य	
14.	मध्य प्रदेश	999.425	उपलब्ध नहीं	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
20.	उड़ीसा	21.04	उपलब्ध नहीं	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य		48.00	उपलब्ध नहीं	शून्य	
24.	तमिलनाडु	1134.00	उपलब्ध नहीं	शून्य		378.00	उपलब्ध नहीं	शून्य	
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य		4.35	4.35	शून्य	
26.	उत्तर प्रदेश	91.84	उपलब्ध नहीं	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	54.31		शून्य	शून्य	शून्य	
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
31.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	3025.30	458.02	54.31	0.00	1450.00	829.06	0.00	0.00

विवरण-II

अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टल की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान निर्मुक्त प्रयुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि 2003.04	प्रयुक्त राशि 2003.04	प्राप्त प्रस्ताव 2004.05
1	2	3	4	5
1.	असम	2.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित	
2.	आंध्र प्रदेश	220.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित	
3.	बिहार	—	—	230.00
4.	छत्तीसगढ़	—	—	132.67
5..	जम्मू-कश्मीर	83.16	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित	—
6.	झारखंड	—	—	193.00
7.	कर्नाटक	269.02	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित	
8.	पांडिचेरी	—	—	371.00
9.	उड़ीसा	161.87	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित	—
10.	सिक्किम	20.00	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित	—
11.	तमिलनाडु	68.48	68.48	157.50
12.	त्रिपुरा	—	—	26.86
13.	उत्तर प्रदेश	195.47	195.47	355.00
	कुल	1020.00	253.95	1476.03

[हिन्दी]

उद्योगों की स्थापना

4295. **श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह :**
प्रो. एम. रामदास :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में वर्तमान उद्योगों की नई इकाइयां और नए उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय आने की संभावना है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इस संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ङ) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करता है। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, देश में नये उद्योगों या मौजूदा उद्योगों को यूनिटें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष आज तक इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

यात्री बीमा योजना

4296. **श्री लोनाप्पन नम्बाडन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रेनों में लूट, चोरी, डकैतियों और होने वाले अन्य अपराधों की घटनाओं में यात्री बीमा योजना का प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेल यात्री बीमा योजना 1.8.04 से चालू हो चुकी है। इस योजना का विवरण निम्नलिखित है:-

1. इस योजना के अंतर्गत मृत्यु एवं घायल हुए सदाशयी यात्रियों जो रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं जैसे आतंकवादी गतिविधियां, हिंसात्मक हमले, लूटपाट डकैती, दंगे, गोलीबारी या किसी यात्री द्वारा यात्री ढोने वाली किसी गाड़ी में या पर किसी प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण या बुकिंग कार्यालय में या किसी प्लेटफार्म पर या रेलवे स्टेशन के अहाते के भीतर किसी स्थान पर आगजनी में पीड़ित होने पर या यात्री ढोने वाली गाड़ी से किसी यात्री के दुर्घटनावश गिरने पर बीमा कंपनी द्वारा रेलवे की क्षतिपूर्ति भुगतान की अदायगी की जाती है।

2. इस योजना के अंतर्गत रेल दुर्घटना और अप्रिय घटना (क्षतिपूर्ति) संशोधन नियम 1997 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति मानदंड की व्यवस्था उपलब्ध है। इन नियमों के अंतर्गत मृत्यु के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि 4 लाख रुपए और घायलों के मामलों में कम से कम 32000 रुपए तथा अधिक से अधिक 4 लाख रुपए है।

3. बहरहाल, आत्महत्या या आत्महत्या के प्रयास के मामले में, अपने द्वारा आपराधिक कार्य करने पर किसी प्रकार से घायल होने पर, या नशे की हालत में किए गए किसी अपराध या पागलपन या स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी या चिकित्सा या शल्य चिकित्सा के मामले में जब तक कि ऐसी अप्रिय घटना के कारण हुई क्षति के कारण ऐसा उपचार आवश्यक नहीं हो जाता, किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4. क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र पर निर्णय रेल दावा अधिकरण द्वारा लिया जाएगा। देश के विभिन्न भागों में अधिकरण के 21 पीठ स्थापित किए गए हैं। रेल दावा अधिकरण की डिक्रियों पर क्षतिपूर्ति क्षेत्रीय रेलों द्वारा सामान्य प्रक्रिया के अनुपालन के बाद की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जीनत-उल-मस्जिद में अवैध कब्जा

4297. श्री सीताराम सिंह : क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जीनत-उल-मस्जिद में अवैध कब्जे की जानकारी है जैसा कि दिनांक 15 जुलाई, 2004 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध कब्जे को हटाने एवं इस ऐतिहासिक स्मारक को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने जीनत-उल-मस्जिद के परिरक्षण तथा अवैध कब्जों को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं क्योंकि वह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत संरक्षित स्मारक नहीं है।

रेलवे क्रासिंग को बंद किया जाना

4298. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में छोटे रेलवे क्रासिंगों को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र के नागपुर जोन में छोटे क्रासिंगों को भी बंद करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आस-पास के गांवों के लोगों के इन रेलवे क्रासिंगों के बंद होने से प्रभावित होने की संभावना है; और

(च) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) रेलवे की मौजूदा नीति के अनुसार जिन समपारों पर बहुत कम यातायात होता है, उन्हें राज्य सरकार के प्राधिकारियों और रेल संरक्षा आयुक्त के अनुमोदन से बंद करने पर विचार किया जाता है। इसका अंतिम निर्णय तीन वर्ष में एक बार यातायात की मात्रा के आवधिक आकलन के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र में नागपुर दो क्षेत्रीय रेलों अर्थात् मध्य रेलवे और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा सेवित है। वर्तमान में बहुत कम यातायात के कारण मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के दो समपारों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के तीन समपार इन्हीं कारणों से हाल ही में बंद कर दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जी, नहीं। समपार केवल राज्य सरकार की स्वीकृति से बंद किए जाते हैं। आसपास के गांवों के लोग इन समपारों के बंद होने से प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि किसी भी समपार को बंद करने के लिए प्रस्ताव करने से पूर्व प्रभावित लोग यदि कोई हों, के निकट के समपार से आने-जाने की सुविधा का ध्यान रखा जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के विभाजन से पूर्व तटीय रेलवे को घाटा

4299. श्री सुग्रीव सिंह : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सम्बलपुर रेल डिवीजन को विभाजित करने और इसे दूसरे रेलवे जोन को आवंटित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इस विभाजन के परिणामस्वरूप पूर्व तटीय रेलवे को रेलवे राजस्व का घाटा हुआ है जो कि पहले से ही धनाभाव से ग्रस्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने यथास्थिति बनाए रखने के अपने निर्णय की समीक्षा की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली से रिवाड़ी जाने वाली 2 एन एम/ 1 एन एम रेक का उपयोग

4300. **श्री प्रदीप गांधी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अतिरिक्त यातायात माल की ढुलाई और रिवाड़ी-गुड़गांव-सराय रोहिल्ला मार्ग पर दैनिक यात्रियों की समस्याओं को दूर करने के लिए रेल परिवहन सुविधाएं प्रदान करने हेतु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिवाड़ी तक विस्तार करके 2 एन.एम./1 एन. एम. रेक का यथाशीघ्र प्रस्तावित उपयोग कर शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। 1.9.2004 से 1/2 एन एम मेरठ छावनी-नई दिल्ली शटल को रेवाड़ी तक बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

[हिन्दी]

रेल टिकटों की राशि के वापसी के लंबित मामले

4301. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पास विशेष रूप से राजस्थान में रेल टिकटों की राशि के वापसी के डिवीजन-वार कितने मामले लंबित हैं;

(ख) कितनी टिकट राशि बकाया है और राशि कब से बकाया है;

(ग) क्या सरकार टिकट राशि के शीघ्र वापसी हेतु कोई प्रबंध कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) राजस्थान राज्य में स्थित मंडलों के पास लंबित धनवापसी के मामलों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

मंडल का नाम	जयपुर	अजमेर	जोधपुर	बीकानेर	कोटा
31.7.2004 की स्थिति के अनुसार लंबित धनवापसी के मामलों की संख्या	32	39	74	57	324

(ख) अगस्त, 2003 तथा उसके बाद से कोटा मंडल में टिकट धनवापसी की कुल 1,92,829 रु. की रकम बकाया है जबकि जयपुर, अजमेर, जोधपुर तथा बीकानेर मंडल पर जनवरी 2004 तथा उसके बाद से कुल मिलाकर 63,427 रु. की रकम बकाया है।

(ग) और (घ) कंप्यूटरीकृत कोचिंग धनवापसी प्रणाली शुरू की गई है जिसमें यात्री गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशन से निर्धारित प्रस्थान से 5 दिनों तक कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों से धनवापसी ले सकते हैं।

[अनुवाद]

हरियाणा में रेल परियोजनाएं

4302. **श्री अवतार सिंह भड़ाना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में चल रही रेल परियोजनाएं और नई रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षणों तथा फ्लाइओवरों की परियोजना-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन प्रत्येक परियोजनाओं और सर्वेक्षणों के पूरा करने का क्या लक्ष्य रखा गया है;

(ग) इन प्रत्येक परियोजना पर अब तक कितनी राशि आबंटित की गई और उपयोग किया गया; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) (i) हरियाणा राज्य में आंशिक रूप से/पूरी तरह से आने वाली चल रही रेल परियोजनाओं का ब्यौरा, मौजूदा स्थिति, 31.3.2004 तक किया गया खर्च, 2004-05 के दौरान परिव्यय और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई है, इस प्रकार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	31.3.2004 तक किया गया खर्च	2004-05 के दौरान बजट परिव्यय	स्थिति और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई हैं
		(करोड़ रुपए में)			
1.	कालका और परवानू के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	26.9	0.15	0.15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ग्राम कामली से टर्मिनस का स्थान बदलकर टीपरा करने का अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से संशोधित संरेखण को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
2.	जींद-सोनीपत के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	190.81	—	3.89	पूरक बजट 2003-04 में शामिल नया कार्य। योजना और अनुमान की तैयारी शुरू कर दी गई है।
3.	रेवाड़ी और रोहतक के बीच नई रेल लाइन का निर्माण	149.38	—	3.00	पूरक बजट 2003-04 में शामिल नया कार्य। योजना और अनुमान की तैयारी शुरू कर दी गई है।

(ii) नई लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं चल रहा है।

(iii) सड़क ऊपरी पुलों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्रम सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत का वर्ष	रेलवे का हिस्सा (लाख में)	राज्य का हिस्सा (लाख में)	31.3.2004 तक खर्च (लाख में)	परिव्यय 2004-05 (लाख में)	स्थिति और लक्ष्य तिथि जहां कहीं निर्धारित की गई है
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिल्ली रेवाड़ी खंड पर किमी. 81/4-5 पर समपार सं. 57-बी के बदले रेवाड़ी-झजझजर रोड पर रेवाड़ी के निकट सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	873	814	0.00	200	स्थल योजना और सामान्य आरेखण प्रबंध अनुमोदित। विस्तृत अनुमान 26.7.2004 को स्वीकृत।
2.	बठिंडा सूरतगढ़ खंड पर किमी. 35/2-3 पर समपार सं. 32-बी के बदले मंडी डबवाली सड़क ऊपरी पुल।	1995-96	243	648	0.00	42.84	जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बताया गया है। यह कार्य वर्ष 2005-06 में भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
3.	सोनीपत-समपार सं. 27-बी के बदले सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	900	851	0.21	50	प्रोफाइल स्केच अनुमोदित। विस्तृत अनुमान स्वीकृति के अधीन।

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गन्नौर-बोधवल माजरी रोड-समपार सं. 37 के बदले सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	543	510	0.37	50	प्रोफाइल स्केच अनुमोदित। जनवरी 2004 में विस्तृत अनुमान स्वीकृति के अधीन।
5.	रेवाड़ी-अलवर खंड पर किमी. 0/10-11 पर समपार सं. 58-ए के बदले रेवाड़ी में सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	300	937	0.00	210	स्थल योजना और सामान्य आरेखण प्रबंध अनुमोदित। विस्तृत अनुमान 26.7.2004 को स्वीकृत।
6.	रेवाड़ी-हिसार खंड पर किमी. 137/4-5 पर समपार सं. 89-बी के बदले हिसार में सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	380	389	0.00	200	स्थल योजना और सामान्य आरेखण प्रबंध अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
7.	रोहतक-दिल्ली-बंठिडा खंड पर किमी. 72/10-11 पर समपार सं. ए-63 के बदले सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	841	912	0.00	35	प्रोफाइल स्केच अनुमोदित। विस्तृत अनुमान जनवरी 2004 में स्वीकृति। राज्य सरकार को पहुंच मार्गों पर अपने कार्य की योजना अभी तैयार करनी है।
8.	शाहबाद रोड-केशरी के निकट समपार सं. 116 के बदले सड़क ऊपरी पुल	2003-04	483	487	0.00	50	प्रोफाइल स्केच अनुमोदित। विस्तृत अनुमान मार्च 2004 में स्वीकृति। राज्य सरकार को पहुंच मार्गों पर अपने कार्य की योजना अभी तैयार करनी है।
9.	रेवाड़ी-हिसार खंड पर किमी. 142/4-5 पर समपार सं. 92-ए के बदले हिसार में सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	380	389	0.00	210	स्थल योजना और सामान्य आरेखण प्रबंध अनुमोदनाधीन।
10.	बल्लभगढ़-किमी. 1502/4-5 पर समपार सं. 575/बी के बदले सड़क ऊपरी पुल।	1990-91	424	451	0.00	50	प्रोफाइल स्केच अनुमोदित। विस्तृत अनुमान अप्रैल 2004 में स्वीकृति। मिट्टी जांच संबंधी कार्य प्रगति पर है।
11.	फरीदाबाद-झांसी-दिल्ली खंड पर किमी. 1504/11-13 पर समपार सं. 76 के बदले सड़क ऊपरी पुल।	2003-04	676	404	0.00	35	प्रोफाइल स्केच राज्य सरकार को हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। लेकिन उन्होंने कार्य छोड़ने के लिए प्रस्ताव वापस कर दिया।
12.	करनाल-करनाल-कुछआ रोड पर किमी. 122.92 पर समपार सं. 71-बी के बदले सड़क ऊपरी पुल।	1999-00	485	519	0.00	50	विस्तृत अनुमान स्वीकृति के अधीन।

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	पलवल-झांसी-दिल्ली खंड पर किमी. 1479/21-23 पर समपार सं. 565 के बदले सड़क ऊपरी पुल	2003-04	571	366	0.00	35	प्रोफाइल स्केच अनुमोदनाधीन। विस्तृत अनुमान जनवरी 2004 में स्वीकृत। मिट्टी जांच संबंधी कार्य प्रगति पर है।

(घ) कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार चल रहा है। चल रही परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए साधारण बजटीय संसाधनों से इतर संसाधन जुटाने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं।

फिल्म निर्माण क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने हेतु समझौता

4303. श्री तथागत सत्पथी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म निर्माण क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन देने सहेतु कुछ देशों के साथ कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौतों का ब्यौरा क्या है और उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) क्या इन समझौतों को क्रियान्वित करने हेतु संयुक्त आयोग नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन समझौतों से भारत को कितना लाभ होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ङ) इस मंत्रालय को कनाडा सरकार से कनाडा के साथ एक श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार रखने के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऐसी रुचि इतालवी गणराज्य की सरकार द्वारा भी दिखाई गई है। इन दोनों देशों के साथ श्रव्य-दृश्य सह-निर्माण करार करने की सरकार की मंशा व्यक्त करते हुए इन दोनों देशों के साथ आशय-पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये करार अभी भी प्रारूप के चरण पर हैं। इसलिए, इस समय संयुक्त आयोग के गठन का प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों के साथ सरकार-से-सरकार सह-निर्माण करार करने से दोनों देशों के निर्माता अपने-अपने वित्तीय, सृजनात्मक, तकनीकी और विपणन संसाधनों को जुटा सकेंगे जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में दर्शक/श्रोतागण तक पहुंच संभव हो सकेगी। ऐसी परियोजनाओं से भारतीय फिल्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अधिक दृश्यता तथा एनिमेशन के लिए आवर्धित अवसरों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

4304. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केरल की रेल लाइनों का विद्युतीकरण पूरा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो ऐसे विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) क्या धनराशि के अपर्याप्त आबंटन के कारण एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन के दोहरीकरण के कार्य में विलंब हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे पूरा करने हेतु लक्षित तिथि क्या है;

(ङ) क्या त्रिवेन्द्रम और एर्णाकुलम डिवीजनों में पुराने यात्री डिब्बों और माल गाड़ियों की बोगियों का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन (बरास्ता ऐल्लपी और कोट्टयम) के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसे दिसंबर 2005 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2004-05 के लिए इस परियोजना हेतु 37.92 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(ग) और (घ) एर्णाकुलम-त्रिवेन्द्रम खंड पर पहले ही दो बड़ी आमान की लाइनें हैं। बहरहाल, ऐल्लपी और कोट्टयम के रास्ते एर्णाकुलम-कायनकुलम पर पैच दोहरीकरण का कार्य चरणों में किया जा रहा है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यों में प्रगति की जा रही है। कार्य को पूरा करने की अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) जी नहीं। केवल ऐसे सवारी डिब्बे और माल डिब्बे जो अपने सेवा काल और अच्छी स्थिति में होते हैं, का त्रिवेन्द्रम और एर्णाकुलम खंडों सहित भारतीय रेल की बड़े आमान की प्रणाली पर उपयोग किया जा रहा है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पुलों और राष्ट्रीय रेल सड़क परियोजनाओं का निर्माण

4305. चौधरी लाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : रेल द्वारा ऊधमपुर-कटरा काजी कुंड-श्रीनगर बारामुल्ला राष्ट्रीय रेल सड़क परियोजना के अंतर्गत चेनाब और अंजीखंड नदी पर पुल निर्माण में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : चिनाब और अन्जीखंड नदियों पर पुलों के निर्माण का कार्य मैसर्स कोंकण रेल निगम लिमिटेड को सौंपा गया है। दोनों पुलों पर भू-तकनीकी जांच का कार्य शुरू हो गया है और प्रगति पर है। प्रूफ चेक परामर्श के लिए ठेका 31.7.2004 को पहले ही निर्धारित कर दिया गया है। अभिकल्प और निर्माण के लिए विश्व व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और 31.5.2004 को खोली गई हैं। तकनीकी बोलियों को अंतिम रूप दे दिया गया है और वाणिज्यिक बोलियां संवीक्षाधीन हैं।

नृत्य संग्रहालय के लिए केरल का प्रस्ताव

4306. श्री सुरेश कुरूप : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महान नर्तक गुरू गोपीनाथ के नाम पर नृत्य संग्रहालय, वाद्य यंत्र संग्रहालय, बाल नाट्य गृह, संगोष्ठी सभागार और भारतीय संस्कृति पुस्तकालय का निर्माण करने के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस पर कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) केरल सरकार ने ओपेन एयर थियेटर, राष्ट्रीय नाट्य संग्रहालय एवं कला दीर्घा, भारतीय संस्कृति पुस्तकालय तथा प्रलेखन केन्द्र के निर्माण के लिए 'गुरू गोपीनाथ नटाना ग्राममम सोसाइटी' से प्राप्त प्रस्ताव की सिफारिश की है। उक्त प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

"क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के अंतर्गत 'गुरू गोपीनाथ नटाना ग्राममम सोसाइटी' से प्राप्त एक अन्य प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2003-04 में 5.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा पहली किस्त के रूप में 3.75 लाख रुपये की धनराशि जारी की गई है।

[हिन्दी]

नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना

4307. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना करने और नशाखोरों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों, संघ राज्य प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) स्वीकृत मामलों का विवरण न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 की वार्षिक रिपोर्टों में तथा मंत्रालय की वेबसाइट (www.social justice.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02				2002-03			
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित कार्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	5	–	5	4	–	–	–	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	–	1	–	–	–	–	–
3.	असम	4	–	4	1	–	–	–	1
4.	बिहार	4	–	4	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	3	–	3	1	–	–	–	1
6.	गोवा	1	–	–	1	–	–	–	1
7.	गुजरात	6	–	5	3	–	–	–	3
8.	हरियाणा	1	–	1	1	–	–	–	1
9.	हिमाचल प्रदेश	1	–	1	2	–	–	–	2
10.	जम्मू-कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	झारखण्ड	2	–	–	2	–	–	–	2
12.	कर्नाटक	6	–	1	11	–	–	–	11
13.	केरल	3	–	2	2	–	–	–	2
14.	मध्य प्रदेश	16	–	13	6	4	–	4	6
15.	महाराष्ट्र	–	–	–	1	–	–	–	1
16.	मणिपुर	11	–	11	1	–	–	–	1
17.	मेघालय	–	–	–	–	–	–	–	–
18.	मिजोरम	1	–	–	2	–	–	–	2
19.	नागालैंड	–	–	–	–	1	–	1	–
20.	उड़ीसा	2	–	1	2	–	–	–	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	पंजाब	1	—	—	3	—	—	—	3
22.	राजस्थान	4	—	3	1	—	—	—	1
23.	सिक्किम	1	—	—	1	—	—	—	1
24.	तमिलनाडु	—	—	—	5	—	—	—	5
25.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	2	—	2	2	—	—	—	2
27.	उत्तरांचल	2	—	2	1	—	—	—	1
28.	पश्चिम बंगाल	2	—	2	—	—	—	—	—
29.	चंडीगढ़	—	—	—	—	1	—	1	—
30.	दिल्ली	7	—	3	5	—	—	—	5
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	86	0	64	58	6	0	6	58

नोट : ये प्रस्ताव निम्नलिखित एक या एक से अधिक आधारों पर निरस्त कर दिए गए:

1. जहां परियोजना स्थापित की जानी थी, वहां पहले से ही केन्द्र मौजूद है।
2. नशामुक्ति केन्द्र चलाने का कोई अनुभव नहीं था।
3. प्रस्तावों के साथ पूरे दस्तावेज नहीं थे।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04				2004-05			
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	लंबित कार्य	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत	संधिल लंबित कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	7	—	5	2	9	—	7	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	2	—	—	—	—	—
3.	असम	2	—	2	—	8	—	7	1
4.	बिहार	6	1	5	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	3	1	2	—	1	—	—	1
6.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	गुजरात	3	—	2	1	2	—	1	2
8.	हरियाणा	2	—	2	—	2	—	1	1
9.	हिमाचल प्रदेश	4	1	3	—	5	—	3	2
10.	जम्मू-कश्मीर	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	झारखण्ड	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	कर्नाटक	9	1	5	3	7	3	4	6
13.	केरल	3	—	3	—	2	—	1	1
14.	मध्य प्रदेश	6	—	5	1	10	—	8	3
15.	महाराष्ट्र	60	—	59	1	76	—	76	1
16.	मणिपुर	11	—	1	—	6	—	5	1
17.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	1	—	1	—	3	—	2	1
19.	नागालैंड	1	—	1	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	5	—	5	—	2	—	1	1
21.	पंजाब	3	1	2	—	3	—	1	2
22.	राजस्थान	3	1	2	—	2	—	2	—
23.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	तमिलनाडु	7	—	5	2	6	—	3	5
25.	त्रिपुरा	3	1	2	—	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	15	4	10	1	5	—	4	2
27.	उत्तरांचल	2	—	2	—	2	—	1	1
28.	पश्चिम बंगाल	6	1	5	—	3	—	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–
30.	दिल्ली	5	1	4	–	–	–	–	–
31.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	159	13	135	11	154	3	130	35

नोट : ये प्रस्ताव निम्नलिखित एक या एक से अधिक आधारों पर निरस्त कर दिए गए:

1. जहां परियोजना स्थापित की जानी थी उस मंडल में पहले से ही केन्द्र मौजूद है।
2. नशामुक्ति केन्द्र चलाने का कोई अनुभव नहीं था।
3. प्रस्तावों के साथ पूरे दस्तावेज नहीं थे।
4. बजटीय आबंटन की अनुपलब्धता।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में उपरिपुलों का निर्माण

4308. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कोसी नदी पर उपरिपुल का निर्माण शुरू करना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कोसी नदी पर ऊपरी पुलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, कोसी नदी पर मौजूदा पुल सं. 143 के लिए अन्य सहायक कार्यों के साथ-साथ मौजूदा गर्डरों की री-गर्डरिंग का कार्य शुरू किया जा रहा है।

(ख) इस कार्य को वर्ष 2004-05 के दौरान निष्पादित किए जाने की योजना बनाई गई है।

निर्माणाधीन सड़क उपरिपुल का ध्वस्त होना

4309. श्री सी.के. चन्द्रप्पन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पुनोक्कुनम, त्रिचुर के निकट निर्माणाधीन सड़क उपरिपुल (आर ओ बी) का एक भाग टूट गया था और कुछ ही महीने पहले वह ध्वस्त हो गया;

(ख) क्या सड़क उपरिपुल के खंभे जिन पर ध्वस्त भाग का जोर पड़ा था वे क्षतिग्रस्त हो गए और उनकी मरम्मत या उन्हें पुन: बनाया जाना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा कार्य पुन: शुरू करने और उसे पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां। निर्माण के दौरान 16.03.2004 को सड़क ऊपरी पुल का एप्रोच स्पैन ध्वस्त हो गया था।

(ख) जी हां। खंभे क्षतिग्रस्त हो गए और उन्हें हटाकर, पुनर्निर्माण करना आवश्यक है।

(ग) जी, हां। दक्षिण रेलवे के मुख्य पुल इंजीनियर ने इस मामले की जांच की है।

(घ) जांच अधिकारी ने पाया कि बाहरी गड़बड़ी से स्टेज की बकलिंग के कारण गर्डर ध्वस्त हुआ था जिसकी जांच राज्य पुलिस कर रही है।

(ङ) रेलवे क्षेत्र के कार्य के भाग सहित संपूर्ण सड़क ऊपरी पुल का निर्माण कार्य केरल पुल विकास निगम (आरबीडीसीके) द्वारा किया जा रहा है। क्षतिग्रस्त गर्डर को हटाया जा रहा है और क्षतिग्रस्त खंभों और गर्डर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

इजराइली शिष्टमंडल का दौरा

4310. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल के उच्च स्तरीय रक्षा शिष्टमंडल ने जुलाई, 2004 में भारत का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो भारत और इजराइल के बीच हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) दो संगठनों - रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय, इजराइज ने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स (सीएफडी), माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रणाली (एमईएमएस) तथा उन्नत (स्मार्ट) प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में परस्पर सहयोग से अनुसंधान करने के कार्यक्रमों पर तथा फाइबर ऑप्टिकल जाइरोस्कोप, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स तथा इलेक्ट्रिानिकी युद्ध-पद्धति (ईडब्ल्यु) प्रणालियों के संयुक्त विकास पर विचार-विमर्श किया था।

तालचेर और बिमलागढ़ के बीच रेल लाइन

4311. श्री चुएल ओराम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में तालचेर और बिमलागढ़ के बीच रेल लाइन का निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या इस परियोजना में विलंब हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) परियोजना का कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) 726.96 करोड़ रुपए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण और योजना तथा अनुमान तैयार करने जैसी प्रारंभिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अभी तक परियोजनाओं को पूरा करने की तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

शुष्क भूमि कृषि योजना

4312. श्री अर्जुन सेठी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के अंतर्गत शुष्क भूमि कृषि योजना की समीक्षा कर नए सिरे से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों/आगामी दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी शीघ्र कार्रवाई करने हेतु क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय का कृषि एवं सहकारिता विभाग उन क्षेत्रों, जहां पर वर्षा कम/अपर्याप्त होती है, में कृषि के विकास के लिए 'शुष्क भूमि वर्षा सिंचित कृषि प्रणालियों की सततता को बढ़ाने' के संबंध में एक योजना तैयार कर रहा है। प्रस्तावित योजना के अंतर्गत वर्षा जल के एकत्रण, जल संरक्षण, जल का कुशलतापूर्वक उपयोग, विशेष रूप से जीवन रक्षक सिंचाई पर अधिक बल दिए जाने का प्रस्ताव है। अन्य क्षेत्रों, जिनके संबंध में योजना के तहत कार्रवाई की जाएगी, में भू-जल की पुनः पूर्ति करना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों को कार्बनिक (आर्गेनिक) पदार्थों से समृद्ध करना, वैकल्पिक फसल पद्धति को अपनाना, क्षेत्र उपयुक्त संकार्य करना, उच्च उत्पादकता वाले बीजों सहित कृषि निविष्टियों का इष्टतम/आवश्यकता आधार पर प्रयोग करना, किसानों को प्रशिक्षण और क्षेत्र प्रदर्शनों के द्वारा शुष्क भूमि कृषि प्रौद्योगिकी का अन्तरण, आदि शामिल है।

ट्रैक मशीन

4313. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक मशीनों की पर्याप्त मात्रा के बावजूद वर्ष 2002-03 के दौरान रेलवे ने 39 और ट्रैक मशीन खरीदी जिससे भारतीय रेलवे के पहले से ही कम बजट पर और वित्तीय बोझ बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1998-2002 के दौरान ट्रैक मशीनों के परिचालन और रख-रखाव की लागत 45.27 प्रतिशत बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मामले की जांच करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं। भारतीय रेल में पर्याप्त संख्या में रेलपथ मशीनें उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2002-03 में मशीनों की खरीद के लिए बनाए गए मास्टर प्लान के तहत रेलपथ मशीनों की कुल आवश्यकता 806 अदद (रेल एवं सड़क वाहन को छोड़कर) है जिनमें से 1.4.2002 तक भारतीय रेल पर 285 मशीनें थीं। वर्ष 2002-03 के दौरान भारतीय रेल में 19 मशीनों (रेल एवं सड़क वाहन के अलावा) की खरीद की गई थी।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एल.पी.टी./एच.पी.टी./वी.एल.पी.टी.

4314. प्रो. चन्द्र कुमार :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री काशीराम राणा :
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्रीमती प्रतिभा सिंह :
श्री वीर सिंह महतो :
श्री किरिप चालिहा :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :
श्री सुरेश चन्देल :
श्री गिरिधर गमांग :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने एच.पी.टी./एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी. स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक राज्य में वास्तव में कितने एच.पी.टी./एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी. स्थापित किए गए;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और लक्ष्य प्राप्त करने हेतु राज्य-वार क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने एल.पी.टी./वी.एल.पी.टी. को एच.पी.टी. में बदला गया;

(घ) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और सजन प्रतिनिधियों से अपने-अपने राज्यों में वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी./एच.पी.टी. स्थापित करने और बदलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान कितने वी.एल.पी.टी./एल.पी.टी. को एच.पी.टी. में बदला गया और इस पर राज्य वार कितना व्यय किया गया?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में दूरदर्शन की 587 उ.श.ट्रा./अ.श.ट्रा./अ.अ.श.ट्रा. ट्रांसमीटर परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। उपरोक्त परियोजनाओं में से नौवीं योजना के दौरान 487 परियोजनाएं स्थापित की गई थी। राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 164 ट्रांसमीटर परियोजनाओं (नौवीं योजना की बची हुई स्कीमों सहित) को पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। राज्यवार संख्या विवरण-II में दी गई है। उपरोक्त परियोजनाओं में से 129 परियोजनाओं को पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों में है। इनके दसवीं योजना के अंत तक चरणों में पूरा किए जाने की आशा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों (1.4.2001 से) के दौरान 5 अति अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों को निम्न प्रकार के उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बदल दिया गया है:

जम्मू एवं कश्मीर - 4 और मणिपुर -1

(घ) से (च) विभिन्न मंचों अर्थात अति विशिष्ट व्यक्तियों, राज्य सरकारों और आम जनता से उनके राज्यों में नए दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना करने और अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/उ.श. ट्रांसमीटर को बदलने के अनुरोध समय-समय पर प्राप्त होते रहते हैं। संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए योजनाएं बनाते समय इनको ध्यान में रखा जाता है।

(छ) वर्ष 2004-05 के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 6 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों में बदलने की परिकल्पना है:-

राज्य	बदले जाने वाले अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों की संख्या	अनुमोदित लागत
गुजरात	2	13.88 करोड़ रुपये
हरियाणा	2	15.90 करोड़ रुपये
केरल	1	6.67 करोड़ रुपये
पश्चिम बंगाल	1	9.35 करोड़ रुपये

विवरण-I

9वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए गए ट्रांसमीटर

क्र.सं.	राज्य	ट्रांसमीटर
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	35
2.	अरुणाचल प्रदेश	27
3.	असम	5
4.	बिहार	8
5.	चंडीगढ़	—
6.	छत्तीसगढ़	10
7.	गोवा	1
8.	गुजरात	22
9.	हरियाणा	10
10.	हिमाचल प्रदेश	19
11.	जम्मू-कश्मीर	75
12.	झारखंड	9
13.	कर्नाटक	22
14.	केरल	8
15.	मध्य प्रदेश	21
16.	महाराष्ट्र	40
17.	मणिपुर	3
18.	मेघालय	2
19.	मिजोरम	3
20.	नागालैंड	4
21.	उड़ीसा	33
22.	पांडिचेरी	2
23.	पंजाब	5
24.	राजस्थान	28
25.	सिक्किम	2
26.	तमिलनाडु	22
27.	त्रिपुरा	6
28.	उत्तर प्रदेश	32
29.	उत्तरांचल	19
30.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	487

विवरण-II

क्र. सं.	राज्य	10वीं योजना अवधि के दौरान स्थापित किए जाने के लिए निर्धारित किए गए ट्रांसमीटर	पहले से ही स्थापित ट्रांसमीटर
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	2
2.	आंध्र प्रदेश	10	10
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	2
4.	असम	1	1
5.	बिहार	6	5
6.	छत्तीसगढ़	4	2
7.	गुजरात	9	5
8.	हरियाणा	6	2
9.	हिमाचल प्रदेश	5	3
10.	जम्मू-कश्मीर	36	32
11.	झारखंड	2	2
12.	कर्नाटक	9	9
13.	केरल	5	3
14.	मध्य प्रदेश	3	1
15.	महाराष्ट्र	15	15
16.	मणिपुर	2	2
17.	मेघालय	3	3
18.	मिजोरम	2	2
19.	नागालैंड	2	2
20.	उड़ीसा	1	1
21.	पांडिचेरी	1	—
22.	पंजाब	5	1
23.	राजस्थान	7	5
24.	सिक्किम	2	2
25.	तमिलनाडु	10	7
26.	त्रिपुरा	1	—
27.	उत्तर प्रदेश	4	3
28.	उत्तरांचल	5	5
29.	पश्चिम बंगाल	4	2
	कुल	164	129

जनजातीय क्षेत्रों के लिए सामुदायिक भवनों का निर्माण

4315. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परती भूमि के विकास और सामुदायिक वन रोपण में जनजातियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की कोई योजना है ताकि उन्हें रोजगार दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों के निर्माण और जनजातीय गांवों के विकास हेतु कोई पृथक प्रावधान किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग देश में तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। वाटरशेडों के चयन के लिए उन क्षेत्रों को महत्व दिया

जाता है, जहां पर ऐसे क्षेत्रों पर आश्रित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक होती है। कार्यक्रमों के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार-सृजन, गरीबी उपशमन, समुदाय को अधिकार सम्पन्न बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों के मानव तथा अन्य आर्थिक संसाधनों का विकास करना तथा ऐसे कार्यकलापों को करना शामिल है जिनका लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों अर्थात् भूमि, जल, वानस्पतिक आच्छादन, विशेषरूप से वृक्षारोपण का उपयोग करके, इन्हें संरक्षित और विकसित करके पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना है। यद्यपि ये कार्यक्रम अनन्य रूप से जनजातियों के लिए नहीं हैं, तथापि जब इन्हें जनजातीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है तो इनके परिणामस्वरूप जनजातियों के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

(ग) और (घ) जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों का निर्माण करने तथा जनजातीय गांवों के विकास के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के आबंटन के 50% भाग को आवश्यकता आधारित अवसंरचना के सृजन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की बसावटों में खर्च किया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

महाबोधी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय विरासत के रूप में मान्यता

4316. श्री राजेश कुमार मांझी : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को ने बिहार में गया स्थित महाबोधी मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय विरासत के रूप में मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बोध गया में किसी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अन्य कौन-से कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। यूनेस्को ने वर्ष 2002 में बिहार में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर को विश्व दाय सूची में शामिल किया था क्योंकि यह उपमहाद्वीप में विद्यमान प्राचीन मंदिर निर्माणों में से एक है तथा शताब्दियों तक वास्तुकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। यह मंदिर बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का विशिष्ट रिकार्ड उपलब्ध कराता है। वर्तमान मंदिर उत्तर गुप्त काल में संपूर्ण रूप से ईंटों से निर्मित अत्यधिक भव्य संरचनाओं में से एक है।

(ग) और (घ) इस समय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की कल्पना नहीं की गई है।

(ङ) राज्य सरकार द्वारा बोध गया में कई पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बोध गया वायुयान, रेल तथा सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। बैंकाक से गया के लिए सीधी वायुयान सेवा भी उपलब्ध है।

वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण का अध्ययन

4317. प्रो. एम. रामदास : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन परिव्यय का खर्च किए जाने और लाभग्राहियों की संख्या के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक अधिकारिता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या सरकार को गई प्रगति से संतुष्ट है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रगति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा मंत्रालय के अधीन कार्यरत वित्तीय संस्थाओं के कार्यकरण पर किये गए मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले तथा कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए सिफारिशों को किस प्रकार लागू किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने माइक्रो क्रेडिट, आवधिक ऋण और महिला समृद्धि स्कीमों के जरिए अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पांच शीर्ष स्तरीय वित्त एवं विकास निगम स्थापित किए हैं। प्रत्येक निगम की उसकी स्थापना से अब तक वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	निगम का नाम	स्थापना की तिथि	स्थापना से अब तक संवितरण (करोड़ रुपए)	स्थापना से अब तक लाभार्थियों की संख्या
1.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	08.02.1989	1113.84	416126
2.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम	24.01.1997	176.30	69731
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	13.01.1992	923.90	568000
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम	30.09.1994	556.18	207000
5.	राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम	24.01.1997	83.70	18482

सरकार ने स्वतंत्र एजेंसियों से इन निगमों के कार्यकरण का मूल्यांकन भी कराया है। प्रत्येक निगम के संबंध में इन एजेंसियों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इन सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

1. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी)**

एनएसएफडीसी ने 2002 और 2003 में 11 राज्यों में विभिन्न एजेंसियों के लिए "प्रभाव मूल्यांकन" अध्ययन प्रायोजित किए हैं। इन अध्ययनों में 5713 लाभार्थी शामिल है। यह अध्ययन निगम के लिए फीड बैक के रूप में कार्य करते हैं।

2. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम**

भारतीय समाज संस्थान, नई दिल्ली ने निगम के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मुख्य सिफारिशें निम्नवत हैं:

(i) निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को निधियां देने के लिए अपनी शर्तें पुन: बनाए। इस संबंध में सिफारिशें ये हैं :

(क) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी से अदायगी शर्त विद्यमान 100% से कम करके 60% कर दी जाए।

(ख) ऋण के संवितरण की अवधि विद्यमान 90 दिनों से कम करके 60 दिन कर दी जाए।

(ग) लाभार्थियों की सूची निधियों की निर्मुक्ति के लिए पूर्व शर्त नहीं होनी चाहिए।

(घ) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को शक्तियां दी जाएं जिससे कि उन्हें लाभार्थियों को ऋण की मात्रा और ऋण संवितरण की अन्य औपचारिकताएं तय करने में स्वतंत्रता हो।

(ii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की क्षमता निर्माण और अवसंरचना विकास की स्कीमें बनाएं जिससे कि वे शीर्ष निकाय के लाभार्थियों से संपर्क करने में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकें।

3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम**

(i) लाभार्थियों से वसूली के संबंध में, शीर्ष निगमों के अंतर्गत प्रदान किए गए ऋणों पर संबंधित राज्यों के भूमि राजस्व अधिनियम अथवा वसूली अधिनियम की बकाया राशि के रूप में विचार किया जाना चाहिए जिससे कि लाभार्थियों से प्रभावी वसूली हो सके और जानबूझकर अदायगी न करने वाले व्यक्तियों की रोकथाम की जा सके।

(ii) किसी भी स्कीम की सफलता के लिए लगातार मॉनीटरिंग एक मुख्य कारक है। इसलिए एक जिला स्तरीय अधिकारी को इस प्रकार किए जा रहे लाभार्थियों के क्रियाकलापों की नियमित मॉनीटरिंग करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। इससे क्षमता वाली रुग्ण यूनिटों का पता लगाने में मदद मिलेगी और बिना कोई समय गवाएं लाभार्थियों को उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकते हैं।

4. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम**

(i) ठीक प्रकार के लाभार्थियों की पहचान करने और योग्य को ऋण प्रदान करने हेतु राज्यों के प्रत्येक जिले में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी सर्वे करे।

(ii) रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि चूंकि लक्षित लाभार्थी दोगुनी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और अधिकांश अनपढ़ हैं, इसलिए मस्जिदों, गिरिजाघरों, गुरुद्वारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से भी निगम की स्कीमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने की आवश्यकता है।

(iii) लाभार्थियों को विपणन सहायता प्रदान की जाए।

(iv) विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता पर बल दिया जाए।

(v) सभी राज्यों में ऋण का निश्चित प्रतिशत महिलाओं के लिए आवंटित किया जाए।

(vi) अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित करने के लिए हर राज्य में उद्यमिता के लिए ट्रेनिंग स्कूलों की स्थापना जिससे कि वे उद्यमी बन सकें।

5. राष्ट्रीय विकलांगजन वित्त एवं विकास निगम

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, नई दिल्ली को फरवरी 2004 में इस निगम का मूल्यांकन अध्ययन का कार्य सौंपा गया है। इस इंस्टीटयूट को अध्ययन पूरे करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया है।

असम में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन

4318. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001 से असम के कई जिलों में स्ट्रीम-I एवं II के घटक कार्य के लिए एस.जी.आर.वाई. के कार्यान्वयन के लिए एवं असम में व्यक्तिगत लाभार्थियों को राजसहायता प्राप्त चावल वितरित नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके आवंटन एवं वितरित मात्रा का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष घटक कुछ ही जिलों के लिए मंजूर किया गया है;

(घ) यदि हां, तो मंजूर धनराशि सहित ऐसे जिलों की सूची का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असंवितरित धनराशि की स्थिति क्या है एवं असम में योजना के सुचारु कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) जी, नहीं। असम सरकार के अनुसार, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत प्राधिकृत मात्रा की तुलना में खाद्यान्नों का उठान राज्य में संतोषजनक है।

(ख) वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अवधि के लिए चावल की प्राधिकृत मात्रा और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उठान (वितरित) को दर्शाने वाला जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 2003-04 में 14 जिलों को विशेष घटक के तहत खाद्यान्न स्वीकृत किए गए थे। ऐसे जिलों के लिए चावल की जिला-स्तर प्राधिकृत मात्रा संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ङ) नामित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल की अनुपलब्धता के कारण वर्ष 2001-02 से 2003-04 के प्राधिकृत अवधि के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 19.5 प्रतिशत प्राधिकृत मात्रा और विशेष घटक में 1.5 प्रतिशत प्राधिकृत मात्रा नहीं उठाई जा सकी।

विवरण-I

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान एस.जी.आर.वाई. के तहत जिले-वार प्राधिकृत और उठाए गए खाद्यान्नों का दर्शाने वाला विवरण

खाद्यान्न मीट्रिक टन में (चावल)

क्र.सं.	जिले	2001-2002		2002-2003		2003-2004	
		प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत	उठाए गए	प्राधिकृत	उठाए गए
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बारपेटा	13869	13869	15816	15816	16854	15854

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बोंगाईगांव	20162	20082	22982	22982	21757	21757
3.	कछार	14914	14826	17007	13911	15952	12758
4.	दारंग	16761	12167	19109	18394	20213	10830
5.	धीमाजी	13869	10715	15828	14756	17476	3104
6.	धुब्री	14149	14149	16088	16088	17487	8000
7.	डिब्रूगढ़	8293	8293	9468	9468	10771	10351
8.	गोलपाड़ा	9083	9083	10365	10365	11188	7773
9.	गोलघाट	11064	10100	8188	8188	11757	8408
10.	हैलाकांडी	9994	9994	11405	10905	12213	2000
11.	जोरहाट	12401	10816	14123	14123	16689	5900
12.	के. एंगलांग	19430	19360	17618	17618	22646	10002
13.	कामरूप	15428	15397	14343	14343	17940	7098
14.	करीमगंज	12283	8472	10525	10525	14776	1767
15.	कोकराझार	24970	24970	28479	28479	30237	25788
16.	लखिमपुर	13632	12228	15542	11587	14671	2000
17.	मोरीगांव	12088	11957	10326	10325	14527	1740
18.	एन.सी. हिल्स	11857	11857	13531	13531	13601	5070
19.	नागांव	14343	11544	16355	16355	16867	5762
20.	नलबाड़ी	16801	16801	19163	19163	19973	15517
21.	सिबसागर	5911	4209	7724	6789	6207	4050
22.	सोनितपुर	17312	17270	19748	19748	19418	9679
23.	तिनसुकिया	6822	6822	9712	9712	8263	6207
	कुल	315441	294981	343445	333171	371483	201415

विवरण-II

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के विशेष घटक के तहत जिले-वार प्राधिकृत खाद्यान्नों को दर्शाने वाला विवरण

मीट्रिक टन में (चावल)

क्र. सं.	जिला	2003-04 के दौरान प्राधिकृत
1.	बारपेटा	1900
2.	दारांग	1700
3.	धीमाजी	4200
4.	धुब्री	10300
5.	डिब्रुगढ़	1300
6.	गोलपाड़ा	7000
7.	हैलाकांडी	4450
8.	जोरहट	3600
9.	कामरूप	4200
10.	करीमगंज	1350
11.	मोरीगांव	1800
12.	नागांव	2800
13.	नलबाड़ी	3300
14.	सोनितपुर	2100
	कुल	50000

कर्नाटक में खाद्यान्नों का दुरुपयोग

4319. श्री अनंत कुमार : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कर्नाटक सरकार को उपलब्ध कराए गए खाद्यान्नों का दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो संबंधितों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ऐसी घटनाओं की निगरानी के लिए एक विशेष मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि भारतीय खाद्य निगम में अवैध रूप से, स्टॉक किया गया करीब 17,000 टन चावल जब्त किया गया था। गोदाम के मालिकों के खिलाफ धारा 406, 409 और 420 के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई और कोर ऑफ डिटेक्टिव्स (सी.ओ.डी.) जो राज्य पुलिस की एक शाखा है, को जांच का कार्य सौंपा गया है। कुल मिलाकर 29 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सामान्य मॉनीटरिंग तंत्र अथवा इसके अलावा, जब भी ऐसे मामले, सामने आते हैं, मामले की जांच कराई जाती है और संबंधित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

तुर्भे-ठाणे खंड

4320. श्री संजय धोत्रे :
श्री मिलिन्द देवरा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के तुर्भे-ठाणे खंड पर 109 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद भी कार्य पूरा नहीं हुआ है एवं कार्य मन्थर गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो कार्य संचालन में देरी एवं कार्यान्वयन की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(ग) परियोजना की मूल लागत कितनी थी एवं अब तक लागत में कितनी वृद्धि हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) थाणे-तुर्भी-नेरूल-वाशी परियोजना को वर्ष 1996-97 की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया था। इस योजना पर खर्च होने वाली राशि शहरी एवं औद्योगिक विकास निगम (सिडको), मुंबई और रेलवे के द्वारा क्रमशः 2/3 एवं 1/3 के अनुपात में वहन की जाएगी। वर्तमान में परियोजना

की स्वीकृत लागत 403.39 करोड़ रुपए है। 30.6.2004 तक इस परियोजना पर 315 करोड़ रुपए (सिडको द्वारा 192 करोड़ रुपए एवं रेलवे द्वारा 123 करोड़ रुपए) खर्च किए जा चुके हैं। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और यह पूरा होने के अंतिम चरण में है। परियोजना का प्रथम चरण (थाणे-तुर्भी-वाशी) चालू वित्त वर्ष में शुरू किए जाने की संभावना है।

(ख) कार्य की प्रगति में विलंब निम्नलिखित कारणों से हुआ है:-

(i) अतिक्रमणों के कारण-सिडको द्वारा चालू वर्ष में अतिक्रमण हटाए गए।

(ii) थाणे यार्ड में भूमि उपलब्ध न होना – एक व्यायामशाला का होना, जिसे चालू वर्ष में महाराष्ट्र सरकार द्वारा हटाया जाना है।

(iii) सिडको द्वारा बोनकाडे पर स्थित समपार को बंद करने में विलंब होना।

(iv) सिडको द्वारा स्टेशन इमारत के आधुनिकीकरण के कार्य को पूरा करना।

(ग) वर्ष 1996-97 में परियोजना की वास्तविक अनुमानित लागत 134.30 करोड़ रुपए थी। किंतु जामनगर-नेरूल खंड के बीच दोहरी लाइन की व्यवस्था करने, सनपाड़ा में कार शेड की अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था, अतिरिक्त समपारों एवं प्रत्येक स्टेशन पर दो भूमिगत मार्ग की व्यवस्था करने, स्टेशन भवन, प्लेट फार्म तथा परिपथन क्षेत्र में वृद्धि करने और भूमि, गिट्टी आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण अब संशोधित लागत 403.39 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संबंधी समिति

4321. **श्री मुन्नी राम :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' के तहत कार्यों को मॉनीटर करने के लिए समिति गठित करने का है, जैसा कि 10 अगस्त, 2004 के 'हिन्दुस्तान' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं तथ्य क्या हैं;

(ग) किन राज्यों के लिए उक्त समिति को गठित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त समिति के सदस्य संबंधित राज्यों के जिले एवं राज्य से होंगे;

(ङ) यदि हां, तो क्या जिन राज्यों में उक्त योजना के तहत कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाते हैं उनके संबंध में उक्त समिति रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (च) 10 अगस्त, 2004 के 'हिन्दुस्तान' अथवा 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में ऐसी कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तथापि, यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक पंचायत संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के अंतर्गत कार्य स्वीकृत करते समय कार्य की प्रगति और गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए कम से कम 5 स्थानीय व्यक्तियों की एक पर्यवेक्षी समिति गठित करेगी और कार्य के पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ समिति की रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।

पेट्रोल एवं डीजल पर से आयात शुल्क हटाना

4322. **श्री पारसनाथ यादव :**
श्री शैलेन्द्र कुमार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्क वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष में तेल के खुदरा व्यापार करने वाली कंपनियों को घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार का विचार तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई के लिए पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो अर्थव्यवस्था पर क्या संभावित प्रभाव पड़ेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) पेट्रोल और डीजल के घरेलू

उपभोक्ता मूल्यों पर ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव को ठीक करने के लिए एक मूल्य श्रृंखला व्यवस्था प्रचालित की गई है जिसके अनुसार तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) निर्धारित मूल्य श्रृंखला के भीतर मूल्यों में संशोधन कर सकती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, श्रृंखला सीमा को पार करते हैं तो सरकार पेट्रोल और डीजल पर शुल्कों में समायोजन कर सकती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर असर पर नियंत्रण पाया जा सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 18/19 अगस्त, 2004 की मध्यरात्रि से प्रभावी करते हुए पेट्रोल और डीजल प्रत्येक पर सीमा शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी और प्रत्येक पर उत्पाद शुल्क में 3 प्रतिशत की कमी की गई। सरकार ने उत्पाद शुल्क में डीजल पर 3 प्रतिशत और पेट्रोल पर 4 प्रतिशत की कमी पहले 15/16 जून, 2004 की मध्यरात्रि से भी की थी।

[अनुवाद]

बौद्ध स्थलों को जोड़ने के लिए उच्च-गति रेल कॉरिडोर

4323. श्री कैलाश बैत्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने भूतकाल में बौद्ध स्थलों को उच्च गति रेल कॉरिडोर से जोड़ने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार अब जापान के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास के लिए धनराशि

4324. श्री प्रकाशबापू वी. पाटील : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई ग्रामीण विकास कार्यक्रम वांछित परिणाम देने में सफल नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के परिणामों को ध्यान में रखते हुए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं के लिए धनराशि आवंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए गए सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से बहुत हद तक वांछित परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) दसवीं योजना के दौरान योजनाओं के लिए निधियों का आबंटन करते समय नौवीं योजना के परिणामों एवं प्राप्त अनुभव पर उचित विचार किया गया था।

गुवाहाटी दूरदर्शन केन्द्र पर समाचार संवाददाता/रिपोर्टर

4325. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से गुवाहाटी में कोई समाचार संवाददाता/रिपोर्टर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय समाचार इकाई में समाचारों एवं दृश्यों के संपादन हेतु अलग से स्टूडियो नहीं है;

(घ) क्या इस संबंध में प्रसार भारती को कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। प्रशासनिक बाध्यताओं के कारण दूरदर्शन द्वारा पदों को भर पाना संभव नहीं हो पाया है। तथापि, दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी के समाचार संपादक और सहायक समाचार संपादक आवश्यकता पड़ने पर संवाददाताओं के रूप में भी कार्य करते हैं। उनके अलावा महत्वपूर्ण आयोजनों को कवर करने के लिए अन्य केन्द्रों के संवाददाताओं को भी प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(ग) से (च) दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी के क्षेत्रीय समाचार एकक के पास अलग से एक छोटा स्टूडियो है जहां से समाचार बुलेटिनों का सीधा प्रसारण किया जाता है। विभिन्न सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

वायु सेना अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण

4326. **श्री शैलेन्द्र कुमार :**
श्री अतीक अहमद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलाहाबाद में बमरौली में वायु सेना अड्डे के विस्तार के लिए किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कितनी भूमि का अधिग्रहण किया एवं किसानों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व नोटिस जारी किया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार पहले अधिग्रहीत की गई भूमि किसानों को दे रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या वायु सेना अड्डे की सीमा के निर्धारण के अभाव में ग्रामीणों को कठिनाई हुई है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ज) बमरौली वायु सेना अड्डे से विस्थापित हुए ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) वायुसेना स्टेशन, बमरौली इलाहाबाद के विस्तार हेतु गत 15 वर्षों में कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गई है। तथापि, भूमि का प्रथम अधिग्रहण वर्ष 1945-46 में किया गया था। तदोपरांत, भारत रक्षा अधिनियम, 1939, स्थावर संपत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 तथा भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन सांविधिक प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर अतिरिक्त कृषि भूमि अधिग्रहीत की गई थी।

(ख) कुल 666.53 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी तथा किसानों को मुआवजे के रूप में 7,17,863.29 रुपए का भुगतान किया गया था।

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त अधिनियमों में निर्धारित विधि के अनुसार अधिग्रहण हेतु नोटिस जारी किए गए थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह भूमि भावी रक्षा इस्तेमाल के लिए है अत: इसे निर्मुक्त नहीं किया जा सकता।

(च) वायुसेना स्टेशन, बमरौली की चहारदीवारी पूरी तरह सीमांकित है। तथापि, कुछेक स्थानों पर ग्रामीणों ने चहारदीवारी के स्तम्भ हटा दिए हैं। फिर भी चाहरदीवारी के बाहर की भूमि का सीमांकन किया हुआ है तथा वायुसेना, ग्रामीणों को किसी प्रकार से परेशान नहीं कर रही है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रभावित ग्रामीणों के लिए कोई पुनर्वास योजना नहीं बनाई गई है क्योंकि उन्हें पहले ही मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को दसवीं-पूर्व एवं दसवीं-पश्चात् छात्रवृत्ति

4327. **डा. सत्यनारायण जटिया :**
श्री दलपत सिंह परस्ते :
प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एवं चालू वर्ष में प्रत्येक वर्ष राजस्थान एवं अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को दसवीं-पूर्व एवं दसवीं-पश्चात् छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्ग के कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए;

(ग) अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की दसवीं-पूर्व एवं दसवीं-पश्चात् छात्रवृत्ति देने के लिए पुरानी एवं नई/वर्तमान दर एवं वार्षिक आय की अधिकतम सीमा क्या है एवं ये कब से प्रभावी है;

(घ) ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए दर एवं वार्षिक आय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड/कारक हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की दसवीं-पूर्व एवं दसवीं-पश्चात् छात्रवृत्ति देने के लिए दर एवं वार्षिक आय को अधिकतम सीमा बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में एवं इस वित्त वर्ष में निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और शामिल विद्यार्थियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

1. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम;

2. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम;

3. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम जिसके अंतर्गत अधिकांशतः अनुसूचित जाति के छात्र हैं; और

4. अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति की नई व पुरानी दरों, छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमाएं तथा उनकी प्रभावी तिथियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(घ) इन स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति की दरें एवं अधिकतम वार्षिक आय सीमाएं नियत करने के मुख्य मानदण्ड, लाभार्थियों की संख्या के मुकाबले निधियों की उपलब्धता पर हैं।

(ङ) और (च) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की तथा अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरें एवं अधिकतम वार्षिक आय सीमा 2003-04 में संशोधित की गई थी। तथापि, अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति की दरों तथा वार्षिक आय सीमाएं संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों में और आज की तिथि तक निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (23-8-04 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6426.72	5804.52	5449.14	1634.74
2.	असम	272.31	221.32	412.41	123.72
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	1000.00
4.	छत्तीसगढ़	229.97	106.83	352.72	1567.79
5.	गोवा	शून्य	2.70	शून्य	1.93
6.	गुजरात	60.14	शून्य	1373.70	412.11

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	275.61	180.92	228.53	68.56
8.	हिमाचल प्रदेश	21.84	शून्य	11.82	3.55
9.	जम्मू व कश्मीर	85.36	19.99	95.99	28.80
10.	झारखंड	शून्य	266.64	281.04	84.31
11.	कर्नाटक	732.13	984.47	2481.94	744.58
12.	केरल	938.16	674.44	677.57	203.27
13.	मध्य प्रदेश	490.53	371.62	1278.93	383.68
14.	महाराष्ट्र	658.33	1696.66	2765.58	829.67
15.	मणिपुर	48.15	71.28	82.77	24.83
16.	मेघालय	5.47	6.90	15.55	4.67
17.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	पंजाब	239.90	60.00	शून्य	शून्य
19.	राजस्थान	470.13	400.67	1207.70	362.31
20.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	तमिलनाडु	1168.95	1658.56	2184.45	655.34
22.	त्रिपुरा	138.71	85.06	174.24	195.84
23.	उत्तर प्रदेश	2304.94	1994.41	5137.58	1541.27
24.	उत्तरांचल	411.74	शून्य	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	911.06	677.37	2165.81	649.74
26.	दमन व दीव	2.50	0.08	शून्य	शून्य
27.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दिल्ली	शून्य	शून्य	22.16	6.65
29.	पांडिचेरी	35.00	20.03	99.74	29.92
	कुल	15927.64	15304.67	26499.36	10557.28

अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तिथि तक कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	2001-02	2002-03	2003-04 (प्रत्याशित)	2004-05 (प्रत्याशित)
1	2	3		4	5
1.	आंध्र प्रदेश	217212	237244	267072	प्राप्त नहीं
2.	असम	12516	12550	21600	21600
3.	बिहार	26324	26506	87516	94965
4.	छत्तीसगढ़	27717	30475	33523	36877
5.	गोवा	117	82	94	115
6.	गुजरात	45785	49005	105675	प्राप्त नहीं
7.	हरियाणा	15480	15918	16683	22097
8.	हिमाचल प्रदेश	4715	4430	5216	प्राप्त नहीं
9.	जम्मू व कश्मीर	6799	6021	7220	प्राप्त नहीं
10.	झारखंड	13289	15937	16790	प्राप्त नहीं
11.	कर्नाटक	125204	137014	150587	प्राप्त नहीं
12.	केरल	77779	89577	90921	प्राप्त नहीं
13.	मध्य प्रदेश	71132	78229	86052	91076
14.	महाराष्ट्र	195114	228677	249084	प्राप्त नहीं
15.	मणिपुर	3341	1187	4155	प्राप्त नहीं
16.	मेघालय	1100	1210	1331	1464
17.	उड़ीसा	41358	43130	45718	प्राप्त नहीं
18.	पंजाब	9245	21715	45913	प्राप्त नहीं
19.	राजस्थान	63367	78373	86594	95527
20.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	प्राप्त नहीं
21.	तमिलनाडु	215091	201437	231654	275369

1	2	3		4	5
22.	त्रिपुरा	7172	7926	8382	8501
23.	उत्तरांचल	27520	24119	26871	31092
24.	उत्तर प्रदेश	351000	403425	423565	512612
25.	पश्चिम बंगाल	147601	168386	173901	प्राप्त नहीं
26.	दमन व दीव	95	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	प्राप्त नहीं
27.	दादरा व नगर हवेली	39	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	प्राप्त नहीं
28.	दिल्ली	8919	7793	10021	प्राप्त नहीं
29.	पांडिचेरी	2901	3694	4094	प्राप्त नहीं

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में और आज की तिथि तक निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (23.8.04 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57.94	252.60	458.9	137.67
2.	असम	शून्य	8.12	10.07	4.22
3.	बिहार	15.47	20.00	32.79	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	2.24	21.81	20.54	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	0.33
6.	गोवा	0.72	0.02	0.33	103.67
7.	गुजरात	510.07	शून्य	345.57	शून्य
8.	हरियाणा	38.20	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	9.74	शून्य	शून्य
10.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	5.09	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	30.20	1.15	शून्य	शून्य
12.	कर्नाटक	3.36	11.46	शून्य	शून्य
13.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	25.68
14.	मध्य प्रदेश	70.15	62.63	85.60	47.32
15.	महाराष्ट्र	154.41	शून्य	157.74	शून्य
16.	उड़ीसा	4.00	2.08	शून्य	5.55
17.	पांडिचेरी	शून्य	1.80	8.46	37.38
18.	पंजाब	शून्य	शून्य	18.513	शून्य
19.	राजस्थान	59.69	38.83	124.5935	27.31
20.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	5.98
21.	तमिलनाडु	49.72	61.50	91.04	88.32
22.	त्रिपुरा	3.08	2.30	6.64	शून्य
23.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	92.58	2.05
24.	उत्तरांचल	2.21	7.79	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	2.81	5.59	6.62	2.54
	कुल	1004.26	512.50	1460.16	488.02

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों में और आज की तिथि तक समावेश

(लाख रुपए)

क्र सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04 (प्रत्याशित)	2003-04 (प्रत्याशित)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13620	33399	35521	35676

1	2	3	4	5	6
2.	असम	1601	3052	3880	3148
3.	बिहार	6058	7529	10234	4833
4.	छत्तीसगढ़	14594	15130	15684	17241
5.	गोवा	83	176	200	220
6.	गुजरात	161016	222330	243870	प्राप्त नहीं
7.	हरियाणा	19643	20253	22180	प्राप्त नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	2688	उपलब्ध नहीं	3335	प्राप्त नहीं
9.	जम्मू व कश्मीर	734	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	प्राप्त नहीं
10.	झारखंड	2300	4639	3031	998
11.	कर्नाटक	3709	3824	7812	4711
12.	केरल	1127	877	1165	प्राप्त नहीं
13.	मध्य प्रदेश	68096	75094	82603	58413
14.	महाराष्ट्र	53729	63996	70379	प्राप्त नहीं
15.	उड़ीसा	45	994	1641	प्राप्त नहीं
16.	पांडिचेरी	999	1049	1615	प्राप्त नहीं
17.	पंजाब	8791	7416	6936	प्राप्त नहीं
18.	राजस्थान	19482	30363	34799	31652
19.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	प्राप्त नहीं
20.	तमिलनाडु	43812	39450	52012	प्राप्त नहीं
21.	त्रिपुरा	4234	4592	4483	4198
22.	उत्तर प्रदेश	39732	46829	55611	62853
23.	उत्तरांचल	250	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2531
24.	पश्चिम बंगाल	420	1390	1870	प्राप्त नहीं

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	असम	–	26.85	26.00	–
2.	आंध्र प्रदेश	–	645.25	402.60	–
3.	गुजरात	–	–	260.30	260.30
4.	जम्मू एवं कश्मीर	20.00	–	–	–
5.	झारखंड	31.45	–	–	–
6.	कर्नाटक	278.15	–	26.57	–
7.	मध्य प्रदेश	–	606.00	–	–
8.	राजस्थान	–	–	194.24	–
9.	सिक्किम	5.00	–	–	–
10.	तमिलनाडु	–	240.00	–	–
11.	त्रिपुरा	110.04	171.23	175.00	120.67
12.	उत्तरांचल	73.19	–	–	–
13.	उत्तर प्रदेश	1222.21	–	615.29	–
14.	पश्चिम बंगाल	–	184.75	–	–
	कुल	1740.04	1874.08	1700.00	380.97

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निर्मुक्त राशि			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	असम	32.77	8.39	1.61	–
2.	आंध्र प्रदेश	357.77	247.86	299.02	–

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	500.00	—	—	—
4.	गोवा	—	—	3.26	5.96
5.	गुजरात	—	—	323.25	—
6.	हिमाचल प्रदेश	55.02	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	42.00	14.32	—	—
8.	झारखंड	191.88	214.08	—	—
9.	कर्नाटक	145.57	211.69	187.25	—
10.	महाराष्ट्र	452.84	—	—	13.76
11.	मणिपुर	—	60.20	—	108.50
12.	उड़ीसा	—	—	18.09	—
13.	राजस्थान	—	198.95	326.72	—
14.	सिक्किम	0.22	5.29	—	—
15.	तमिलनाडु	—	352.81	—	—
16.	त्रिपुरा	63.31	254.03	240.00	—
17.	उत्तरांचल	25.92	—	11.90	—
18.	उत्तर प्रदेश	329.00	1016.14	987.91	—
19.	पश्चिम बंगाल	—	258.14	—	—
	कुल	2196.30	2841.90	2399.01	128.23

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	असम	—	15239	16459	—

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	—	136598	96545	—
3.	गुजरात	—	—	46000	46000
4.	जम्मू व कश्मीर	11529	—	—	—
5.	झारखंड	13271	—	—	—
6.	कर्नाटक	25155	—	159860	—
7.	मध्य प्रदेश	—	268000	—	—
8.	राजस्थान	—	—	87497	—
9.	सिक्किम	1380	—	—	—
10.	तमिलनाडु	—	36000	—	—
11.	त्रिपुरा	51480	80016	39375	54889
12.	उत्तरांचल	48353	—	—	—
13.	उत्तर प्रदेश	800140	—	150000	—
14.	पश्चिम बंगाल	—	50000	—	—
	कुल	951308	585853	1595736	100889

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या			
		2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	असम	4705	711	858	—
2.	आंध्र प्रदेश	24142	14250	15454	—
3.	बिहार	28128	—	—	—
4.	गोवा	—	—	400	285
5.	गुजरात	—	—	13000	—

1	2	3	4	5	6
6.	हिमाचल प्रदेश	3800	—	—	—
7.	जम्मू व कश्मीर	2790	5580	—	—
8.	झारखंड	10000	25365	—	—
9.	कर्नाटक	13645	16395	16525	—
10.	महाराष्ट्र	28338	—	—	1
11.	मणिपुर	—	6040	—	8840
12.	उड़ीसा	—	—	624	—
13.	राजस्थान	—	15296	18604	—
14.	सिक्किम	11	520	—	—
15.	तमिलनाडु	—	20200	—	—
16.	त्रिपुरा	4417	22144	23934	—
17.	उत्तरांचल	4000	—	3669	—
18.	उत्तर प्रदेश	22962	108109	141521	—
19.	पश्चिम बंगाल	—	18845	—	—
	कुल	357739	146938	253455	9126

विवरण-II

अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

अनुरक्षण भत्ता:

अनुरक्षण भत्ता दरें (रुपए प्रति माह)					
संशोधन पूर्व दरें			संशोधित दरें		
समूह	होस्टलवासी छात्र	दिवा छात्र	समूह	होस्टलवासी छात्र	दिवा छात्र
1	2	3	4	5	6
क	425	190	I	740	330

1	2	3	4	5	6
ख और ग	290	190	II	510	330
घ	230	120	III	355	185
ङ	150	90	IV	235	140

आय सीमा

संशोधन पूर्व		संशोधित	
वार्षिक आय सीमा	छात्रवृत्ति की ग्राह्यता	वार्षिक आय सीमा	छात्रवृत्ति की ग्राह्यता
रुपए 49,000/-	सभी पाठयक्रमों के लिए पूर्ण अनुरक्षण भत्ता और शुल्क	रुपए 1,00,000/-	सभी पाठयक्रमों के लिए पूर्ण अनुरक्षण भत्ता और शुल्क
रुपए 65,290/-	(i) ग्रुप 'क' में पाठयक्रमों के लिए पूर्ण अनुरक्षण भता ओर शुल्क		
	(ii) ग्रुप 'ख', 'ग', 'घ' और 'ङ' में पाठयक्रमों के लिए अर्ध अनुरक्षण भत्ता और पूर्ण शुल्क		

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

दिवा छात्रों (घर से अध्ययन करने वालों) के लिए छात्रवृत्ति

कक्षाएं	संशोधित-पूर्व छात्रवृत्ति (रुपए प्रतिमाह)	संशोधित छात्रवृत्ति (रुपए प्रतिमाह)
I-V	25	40
VI-VIII	40	60
IX-X	50	75

होस्टलवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति

कक्षाएं	संशोधित-पूर्व छात्रवृत्ति (रुपए प्रतिमाह)	संशोधित छात्रवृत्ति (रुपए प्रतिमाह)
III-VIII	200	300
IX-X	250	375

तदर्थ वार्षिक अनुदान 500 रुपए के विद्यमान स्तर से बढ़ाकर दिवा छात्रों के लिए 550 रुपए और होस्टलवासी छात्रों के लिए 600 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

आय सीमा

यह छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता के लिए कोई आय सीमा नहीं है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियां

छात्रवृत्ति-दर

दिवा छात्र		होस्टलवासी छात्र	
कक्षाएं	दर प्रतिमाह रुपए	कक्षाएं	दर प्रतिमाह रुपए
I से V	25	III से VIII	200
VI से VIII	40	IX से X	250
IX से X	50		

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

छात्रवृत्ति दर

समूह	दिवा छात्र (रुपए प्रतिमाह)	होस्टलवासी छात्र (रुपए प्रतिमाह)
क	190	425
ख	190	290
ग	190	290
घ	120	230
ङ	90	150

आय सीमा

ऐसे छात्र, जिनके माता-पिता/संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 44,500 रुपए से अधिक न हो, इन दो स्कीमों के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होते हैं।

ये दरें और आय सीमा इन स्कीमों की स्थापना अर्थात् 1998-99 से प्रभावी हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

4328. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को दसवीं पश्चात् रु. 740 की संशोधित दर के अनुसार एवं ग्यारहवीं व बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को रु. 235 की छात्रवृत्ति दी जाती है;

(ख) क्या सरकार चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम एवं योजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की दरों में समानता लाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे डिब्बों में विज्ञापन के लिए स्थान किराए पर देना

4329. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लिए राजस्व एकत्र के लिए रेल डिब्बों में निजी कंपनियों द्वारा विज्ञापन हेतु स्थान किराए पर दिए जाने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) भारतीय रेलों के लिए राजस्व अर्जन करने के उद्देश्य से निजी कंपनियों सहित इच्छुक पार्टियों को सवारी डिब्बों में चुनिंदा लोकेशनों पर विज्ञापन हेतु स्थान पहले ही किराए पर दिए जा रहे हैं। स्थान का निर्धारण सवारी डिब्बे और गाड़ी की किस्म पर निर्भर करता है।

विधवाओं/अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों की एस.के.ओ. डीलरशिप

4330. **श्री बी. विनोद कुमार** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विधवाओं एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के अधिकांश एस.के.ओ. डीलरशिप आर्थिक व्यवहार्य सीमा से नीचे चले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे डीलरों को रिटेल पेट्रोल आउटलेट की तरह डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाए जाने की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) 75 किलो लीटर प्रतिमाह एसकेओ की मात्रा आमतौर पर नई एसकेओ-एलडीओ डीलरशिपों के लिए एक व्यवहार्य सीमा मानी जाती है जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी और विधवाओं को दी गई डीलरशिपें सम्मिलित हैं। तथापि, कई बार किसी डीलर को एसकेओ का मासिक आबंटन कई कारणों से कुछ मामलों में इस सीमा से कम हो जाता है, जिनमें

से एक कारण यह है कि सभी राज्यों में एसकेओ का आबंटन एलपीजी कनेक्शनों के जारी किए जाने को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम हो रहा है। तथापि तेल कंपनियां अपने आबंटन को व्यवहार्यता स्तर तक लाने के लिए जिला नागरिक आपूर्ति प्राधिकरणों के समन्वय से प्रयास करती हैं। इसके अलावा एसकेओ-एलडीओ डीलरों की लाभप्रदता/व्यवहार्यता में वृद्धि करने के लिए उन्हें स्नेहकों का विपणन करने की अनुमति दे दी गई है। विभिन्न मूल्यों पर मिट्टी तेल की अनुभव की जा रही मांग का अध्ययन कराने और मिट्टी तेल की वितरण प्रणाली मजबूत करने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है।

जबकि एसकेओ-एलडीओ डीलरों के कमीशन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा परामर्श दिया जाता है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नियत एसकेओ के लिए खुदरा बिक्री मूल्य राज्य सरकारों द्वारा नियत किया जाता है। खुदरा बिक्री मूल्य में डीलर कमीशन सम्मिलित है, जिसमें डिमांड ड्राफ्ट प्रभारों सहित विभिन्न व्यय शामिल हैं।

गैस के परिवहन एवं मांग संबंधी उप-समूह का गठन

4331. **श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध गैस से परिवहन एवं मांग एवं उपयोगिता के लिए उप समूह स्थापित किया है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश राज्य में प्राकृतिक गैस के विशाल भण्डार हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्र से गैस के परिवहन एवं मांग एवं उपयोगिता संबंधी उप समूह में प्रतिनिधि शामिल करने का अनुरोध किया है; और

(घ) केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन के अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की विश्व श्रेणी की खोज की है।

(ग) जी, हां।

(घ) आंध्र प्रदेश सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों को गैस की उपलब्धता, परिवहन और मांग और उपयोग संबंधी कार्यबल के तीन उप समूहों में शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

ट्रेक रिलेइंग ट्रेन का उपयोग

4332. **श्री रामदास बंडु आठवले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नए रेल ट्रेक बिछाने के लिये ट्रेक रिलेइंग ट्रेन (टी.आर.टी.) मशीन का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मशीन (टी.आर.टी.) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इस मशीन की प्रतिदिन रेल लाइन बिछाने की क्षमता कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) रेलपथ नवीकरण कार्यों के लिए भारतीय रेल पर कुल चार ट्रैक रिलेइंग गाड़ियां हैं।

(ग) इन मशीनों द्वारा यातायात अवरोध के दौरान रेल लाइनों और स्लीपरों का अलग-अलग और इकट्ठे दोनों प्रकार से नवीकरण किया जा सकता है।

(घ) रेलपथ नवीकरण करने में आधुनिक मशीन की निर्धारित क्षमता प्रति प्रभावी यातायात अवरोध घंटे में 400 मीटर तक है।

[अनुवाद]

सुरेन्द्रनगर से भावनगर तक के बीच ब्रॉडगेज लाइन का परिवर्तन

4333. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरेन्द्रनगर से भावनगर एवं पिपवाओं के बीच ब्रॉडगेज लाइन का परिवर्तन संबंधी कार्य समयानुसार चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने पिपवाओं एवं ऊना के बीच मिटरगेज लाइन का ब्रॉडगेज लाइन में परिवर्तन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उपर्युक्त खंड को ब्रॉडगेज में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना पर कार्य कब तक शुरू एवं पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिपावाव, धोला-भावनगर और राजुला-महुआ खंडों का विस्तार सहित धोला के रास्ते सुरेन्द्रनगर और राजुला के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है। सिहोर-पालिताना खंड का कार्य प्रगति पर है और इसको 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

4334. श्री रघुवीर सिंह कौशल :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री घाटे वाले सरकारी उपक्रम के बारे में 15 जुलाई, 2004 के तारांकित प्रश्न संख्या 150 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान स्थित हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड और सांभर साल्ट लिमिटेड के कार्य-निष्पादन को सुधारने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष में इन इकाइयों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एचएसएल) और सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल)

सांभर साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल), इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड (एसएसएल) की एक सहायिका है। कंपनी (एचएसएल) को दिनांक 06.12.1999 को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया था। बीआईएफआर ने दिनांक 18.09.2003 को एक मसौदा पुनरुद्धार स्कीम (डीआरएस) परिचालित किया जिसमें 49.97 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार लागत की परिकल्पना की गई थी।

इस मामले पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) अर्थात् प्रचालन एजेंसी (ओए) के साथ विचार-विमर्श किया गया। तदनुसार, एक संशोधित पुनरुद्धार स्कीम जिसमें 65.90 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार लागत की परिकल्पना की गई थी तथा एचएसएल द्वारा 31.03.2004 की निर्धारित तिथि के साथ आईडीबीआई को प्रस्तुत की गयी। आईडीबीआई ने इसे बीआईएफआर को अग्रेषित कर दिया। बीआईएफआर द्वारा अभी संशोधित मसौदा पुनरुद्धार स्कीम परिचालित किया जाना शेष है।

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल)

इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड (आईएल), बीआईएफआर की एक संदर्भित कंपनी है। बीआईएफआर द्वारा संस्वीकृत एक पुनरुद्धार स्कीम दिनांक 01.04.1999 से ही कार्यान्वयनाधीन है। चूंकि, कंपनी अनुमानित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम नहीं रही है, इसलिए बीआईएफआर ने पुनरुद्धार स्कीम का एक संशोधित मसौदा परिचालित किया है।

(ग) चालू वर्ष (जुलाई, 2004 तक) के दौरान इन कंपनियों का कार्य-निष्पादन निम्नानुसार था:–

(रुपये करोड़ में)

	एचएसएल	एसएसएल	आईएलके
उत्पादन	2.02	1.92	35.09

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक प्रयोजन हेतु योजनाएं

4335. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक प्रयोजन हेतु चल रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत योजनावार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आबंटित और स्वीकृत राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वास्तव में योजनावार कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार को अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावास शुल्क और अन्य अनुदानों का भुगतान न करने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निम्नलिखित शैक्षिक स्कीमें क्रियान्वित कर रही है:

(i) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम;

(ii) अनुसूचित जाति के लड़कों व लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम;

(iii) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन की केन्द्रीय सेक्टर स्कीम;

(iv) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (जिसके अंतर्गत अधिकांशत: अनुसूचित जाति के छात्र हैं);

(v) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के बच्चों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम; और

(vi) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति।

इन स्कीमों का ब्यौरा मंत्रालय की 2003-04 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां राज्यवार निर्मुक्त न करके उनकी आवश्यकताओं के आधार पर निर्मुक्त की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष इन स्कीमों के तहत निर्मुक्त और प्रयुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II, III, IV, V और VI में दिया गया है।

राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति सीधे ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विनियमित की जाती है तथा विगत तीन वर्षों में एवं इस वर्ष इस स्कीम के तहत निम्नलिखित व्यय किया गया:

वर्ष	व्यय (लाख रुपए)
2001-02	47.00
2002-03	50.00
2003-04	70.00
2004-05 (25.8.2004 तक की स्थिति के अनुसार)	14.04

(घ) सरकार की जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त और उपयोग की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	6426.72	6213.56	5804.52	2784.75	5449.14	प्रा. नहीं	1634.74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	272.31	218.32	221.32	221.31	412.41	280.83	123.72	
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	1000.00	
4.	छत्तीसगढ़	229.97	185.91	106.83	64.42	352.72	152.10	1567.79	
5.	गोवा	0.00	2.23	2.70	0.32	0.00	1.11	1.93	
6.	गुजरात	60.14	74.50	0.00	49.96	1373.70	1055.28	412.11	
7.	हरियाणा	275.61	234.50	180.92	185.15	228.53	166.71	68.56	
8.	हिमाचल प्रदेश	21.84	24.80	0.00	8.85	11.82	प्रा. नहीं	3.55	
9.	जम्मू-कश्मीर	85.36	85.36	19.99	19.99	95.99	प्रा. नहीं	28.80	
10.	झारखंड	0.00	300.00	266.64	60.00	281.04	प्रा. नहीं	84.31	
11.	कर्नाटक	732.13	1806.13	984.47	794.34	2481.94	प्रा. नहीं	744.58	
12.	केरल	938.16	1131.66	674.44	375.75	677.57	प्रा. नहीं	203.27	
13.	मध्य प्रदेश	490.53	630.67	371.82	372.08	1278.93	प्रा. नहीं	383.68	
14.	महाराष्ट्र	658.33	1778.66	1696.66	1082.42	2765.58	प्रा. नहीं	829.67	
15.	मणिपुर	48.15	64.16	71.28	40.49	82.77	प्रा. नहीं	24.83	
16.	मेघालय	5.47	5.47	6.90	6.90	15.55	8.47	4.67	
17.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00	81.57	0.00	प्रा. नहीं	शून्य	
18.	पंजाब	239.90	0.00	60.00	0.00	0.00	प्रा. नहीं	शून्य	
19.	राजस्थान	470.13	503.52	400.67	319.77	1207.70	1007.79	362.31	
20.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रा. नहीं	शून्य	
21.	तमिलनाडु	1168.95	1566.02	1658.56	770.84	2184.45	3028.88	655.34	
22.	त्रिपुरा	138.71	102.16	85.06	112.48	174.24	181.89	195.84	
23.	उत्तर प्रदेश	2304.94	2027.81	1994.41	2105.84	5137.58	प्रा. नहीं	1541.27	
24.	उत्तरांचल	411.74	169.43	0.00	0.00	0.00	प्रा. नहीं	शून्य	
25.	पश्चिम बंगाल	911.06	844.95	677.37	819.69	2165.81	प्रा. नहीं	649.74	

उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2005-06 में देय होंगे।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	दमन व दीव	2.50	1.88	0.08	0.00	0.00	प्रा. नहीं	शून्य	
27.	दादरा व नागर हवेली	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	प्रा. नहीं	शून्य	
28.	दिल्ली	0.00	26.83	0.00	0.00	22.16	प्रा. नहीं	6.65	
29.	पांडिचेरी	35.00	36.17	20.03	30.39	99.74	प्रा. नहीं	29.92	
	कुल	15927.64	18035.01	15304.67	10307.31	26499.36	5907.07	10557.28	

प्रा. नहीं = प्राप्त नहीं

विवरण-II

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त एवं उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	462.83	462.83	42.674	42.674	शून्य	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	शून्य	शून्य	9.00	9.00	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	421.00	421.00	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	हरियाणा	2.00	2.00	77.00	77.00	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	60.13	60.13	450.00	450.00	289.62	उ. नहीं	शून्य	
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	26.97	26.97	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	झारखंड	245.80	245.80	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	कर्नाटक	563.19	563.19	-274.31	274.31	406.35	406.35	शून्य	
13.	केरल	4.00	4.00	शून्य	शून्य	40.35	उ. नहीं	शून्य	
14.	मध्य प्रदेश	284.375	284.375	344.67	344.67	999.425	उ. नहीं	शून्य	
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	65.75	65.75	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
20.	उड़ीसा	21.12	21.12	शून्य	शून्य	21.04	शून्य	शून्य	
21.	पंजाब	11.565	11.565	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
24.	तमिलनाडु	182.59	182.59	89.41	89.41	1134.00	उ. नहीं	शून्य	
25.	त्रिपुरा	18.58	18.58	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
26.	उत्तर प्रदेश	155.64	155.64	71.08	71.08	91.84	शून्य	शून्य	
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	54.31	
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	4.48	4.48	शून्य	शून्य	शून्य	
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	50.18	50.18	शून्य	शून्य	शून्य	
31.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	1548.99	1548.99	2346.68	2346.68	3025.299	449.024	54.31	0

उ. नहीं = उपलब्ध नहीं

विवरण–III

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त एवं उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	505.50	505.50	649.9	505.5	शून्य	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	शून्य	शून्य	9.00	9.00	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	54	54	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	23.05	23.05	17.54	उ. नहीं	शून्य	
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	38.64	38.64	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	झारखंड	245.80	245.80	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	कर्नाटक	207.42	207.42	651.84	651.84	319.21	319.21	शून्य	
13.	केरल	45.50	45.50	79.5	79.5	33.00	उ. नहीं	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	मध्य प्रदेश	665.74	665.74	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
20.	उड़ीसा	25.00	25.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	48.00	उ. नहीं	शून्य	
24.	तमिलनाडु	43.50	43.50	61.5	61.5	378.00	उ. नहीं	शून्य	
25.	त्रिपुरा	9.485	9.485	शून्य	शून्य	4.35	4.35	शून्य	
26.	उत्तर प्रदेश	196.04	196.04	36.91	36.91	शून्य	शून्य	शून्य	
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	40.06	40.06	शून्य	शून्य	शून्य	
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	35.42	35.42	शून्य	शून्य	शून्य	
31.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	1438.485	1438.485	1535.420	1535.420	1450.00	829.060	0.000	0.000

उ. नहीं = उपलब्ध नहीं

विवरण-IV

अनुसूचित जातियों के लिए योग्यता उन्नयन स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त एवं उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	37.80	37.80	26.70	26.70	42.00	42.00	शून्य	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	शून्य	शून्य	13.80	13.80	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	9.23	9.23	21.52	21.52	15.00	7.95	शून्य	
6.	गोवा	1.425	1.425	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	हरियाणा	7.93	7.93	7.65	7.65	7.05	उ. नहीं	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
10.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	28.20	28.20	21.55	उ. नहीं	शून्य	
12.	केरल	4.50	4.50	3	3	3.00	3.00	शून्य	
13.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	73.5	73.5	58.80	उ. नहीं	शून्य	
14.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	36.8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
15.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	राजस्थान	8.24	8.24	7.01	7.01	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	सिक्किम	शून्य	शून्य	1.50	1.50	2.25	2.25	3.00	
18.	तमिलनाडु	1.20	1.20	3	3	1.20	1.20	3.00	
19.	त्रिपुरा	30.87	30.87	36.25	36.25	34.31	34.31	41.7518	

उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2005-06 में देय होंगे।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
21.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	45.9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	101.195	101.195	304.830	222.130	185.160	90.710	47.752	

उ. नहीं = उपलब्ध नहीं

विवरण-V

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त और उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	57.94	21.17	252.60	298.32	458.9	प्रा. नहीं	137.67	
3.	असम	0	0	8.12	5.67	10.07	8.62	4.22	
4.	बिहार	15.465	26.75	20	7.265	32.79	0	शून्य	उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2005-06 में देय होंगे।
5.	छत्तीसगढ़	2.24	21.88	21.81	0.67	20.54	0.51	शून्य	
5.	दिल्ली	0	0	0	0	0	प्रा. नहीं	0.33	
6.	गोवा	0.72	0.36	0.02	0.12	0.33	0.124	103.67	
7.	गुजरात	510.07	289.41	0	48.37	345.57	प्रा. नहीं	शून्य	
8.	हरियाणा	38.20	23.45	0	0	0	प्रा. नहीं	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	0	5.13	9.74	0	0	प्रा. नहीं	शून्य	
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	5.09	0	0	प्रा. नहीं	शून्य	
11.	झारखंड	30.2	15.25	1.15	0	0	प्रा. नहीं	शून्य	
12.	कर्नाटक	3.36	2.95	11.46	0	0	प्रा. नहीं	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	केरल	0	0	0	0	0	प्रा. नहीं	25.68	
14.	मध्य प्रदेश	70.15	120.79	62.63	2.11	85.60	प्रा. नहीं	47.32	
15.	महाराष्ट्र	154.41	175.20	0	48.85	157.74	प्रा. नहीं	शून्य	
16.	उड़ीसा	4	0	2.08	0	0	प्रा. नहीं	5.55	
17.	पांडिचेरी	0	8.32	1.80	0.47	8.46	प्रा. नहीं	37.38	
18.	पंजाब	0	0	0	22.58	18.51	प्रा. नहीं	शून्य	
19.	राजस्थान	59.69	74.93	38.83	46.08	124.59	प्रा. नहीं	27.31	
20.	सिक्किम	0	0	0	0	0	प्रा. नहीं	5.98	
21.	तमिलनाडु	49.72	95.56	61.50	21	91.04	प्रा. नहीं	88.32	
22.	त्रिपुरा	3.08	2.47	2.30	2.33	6.64	7.28	शून्य	
23.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	12.80	92.56	51.72	2.05	
24.	उत्तरांचल	2.21	1.03	7.79	0	0	प्रा. नहीं	शून्य	
25.	पश्चिम बंगाल	2.81	2.00	5.59	3.78	6.82	प्रा. नहीं	2.54	
	कुल	1004.259	886.64275	512.50107	520.3838	1460.164	68.2575	488.015	

उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2005-06 में देय होंगे।

विवरण-VI

अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता की स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त एवं उपयोग की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त	निर्मुक्त	प्रयुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	111.8	111.8	34.05	34.05	शून्य	
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	शून्य	शून्य	6.00	6.00	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	5.45	5.45	शून्य	शून्य	शून्य	
8.	हरियाणा	2.19	शून्य	24.68	24.68	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
10.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	14.33	उ. नहीं	शून्य	
13.	केरल	20.86	20.86	22.01	22.01	20.54	उ. नहीं	शून्य	
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	19.99	19.99	25.63	25.63	शून्य	
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
20.	उड़ीसा	2.50	2.50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	7.76	7.76	शून्य	शून्य	शून्य	
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
24.	तमिलनाडु	11.15	11.15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
26.	उत्तर प्रदेश	2.61	2.61	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.45	उ. नहीं	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	पश्चिम बंगाल	2.68	2.68	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
5.	दिल्ली	1.90	1.90	10.00	10.00	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
	कुल	43.89	41.70	207.69	207.69	100.00	59.68	0.00	

उ. नहीं = उपलब्ध नहीं

सिकंदराबाद-मुदरोड और जानपेट-बोधाम का आमान परिवर्तन कार्य

4336. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकंदराबाद-मुदरोड और जानपेट, बोधाम रेल मार्ग पर 269 किमी. में से 140 किमी. रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य अब तक पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा शेष 129 किमी. रेल लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या वर्तमान बजट में इस रेल लाइन हेतु मात्र 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) मुदखेड़-सिकंदराबाद और जनकमपेट-बोधन परियोजना का 135 किमी. का आमान परिवर्तन पहले ही पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। अन्य 120 किमी. 2004-05 के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है। शेष 14 किमी. लंबाई संभवत: 2005-06 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) 2004-05 के बजट में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। परियोजना में तेजी से प्रगति हो रही है और 14 किमी. लंबाई को छोड़कर अधिकांश भाग 2004-05 के दौरान पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

हुबली-अंकोला नई लाइन का प्रगति कार्य

4337. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में हुबली-अंकोला नई लाइन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कितना परिव्यय किया गया है और कितनी वित्तीय और वास्तविक प्रगति हुई है;

(ख) लागत भागीदारी हेतु राज्य सरकार के साथ की गई वित्तीय व्यवस्था, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निधियां जुटाने के लिए विशेष प्रयोजन साधन सृजित करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि हसन-मंगलोर के मामले में किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) मिट्टी संबंधी तथा पुल निर्माण संबंधी कार्य प्रगति पर हैं। वनभूमि के परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव का भी अनुसरण किया जा रहा है। 2004-05 बजट में इसे परियोजना के लिए 18.02 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है और 31.3.2004 तक इस परियोजना पर 49.03 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) से (घ) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए कर्नाटक रेल अवसंरचना विकास कंपनी (के-राइड), कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय के बीच एक विशेष प्रयोजन योजना के अंतर्गत पहचान की गयी है। इसके निष्पादन के लिए के-राइड उपयुक्त वित्तीय तंत्र की व्यवस्था करेगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

4338. **श्रीमती प्रतिभा सिंह** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के शेष रह गए 12 जिलों की आबादी हेतु विभिन्न पेयजल आपूर्ति योजना बनाने के लिए त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 207.60 करोड़ रु. स्वीकृत करने संबंधी कोई प्रस्ताव 31 मार्च, 2002 को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है तथा इसके अब तक लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने के संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार अंतर-राज्य आवंटन के निम्नलिखित मानदण्ड के अनुसार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत निधियां रिलीज करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है:-

	को महत्व दिया जाए	प्रतिशत
(क)	ग्रामीण आबादी	40
(ख)	डी.डी.पी., डी.पी.ए.पी., एच.ए.डी.पी. के अंतर्गत राज्य और ग्रामीण क्षेत्र के मामले में विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	35
(ग)	कवर नहीं किए गए/आंशिक रूप से कवर किए गए गांव (2:1 के अनुपात में)	15
(घ)	गुणवत्ता प्रभावित गांव	10
	कुल	100

ग्रामीण जल आपूर्ति की अलग-अलग योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं इसलिए ऐसे प्रस्तावों को भारत सरकार के समक्ष ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

4339. **श्री अवलराव पाटील शिवाजी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति में अपनी सेवाओं (सिविल के संबंध में) के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के बच्चों/परिवारजनों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां देने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लेखा नियंत्रक (वायु सेना), राजपुर रोड, देहरादून का कार्यालय सरकार की इस नीति का समुचित रूप से पालन नहीं कर रहा है;

(ग) वर्ष 1999 के दौरान रक्षा लेखा नियंत्रक (वायु सेना) कार्यालय, राजपुर रोड, देहरादून में कार्यरत कितने लोगों की मौतें हुईं;

(घ) क्या उपरोक्त विभाग ने मरने वाले कर्मचारियों के परिवारजनों को उनके द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद अनुकम्पा के आधार पर नौकरियां नहीं दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो उक्त मृत कर्मचारियों के परिवारजनों को कब तक नौकरिया दी जाएंगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (वायु सेना), देहरादून विद्यमान सरकारी नीति का अनुपालन कर रहा है।

(ग) नियंत्रक रक्षा लेखा (वायु सेना), देहरादून [अब प्रधान नियंत्रक, रक्षा लेखा (वायुसेना)] के कार्यालय में वर्ष 1999 के दौरान सेवा में रहते हुए नौ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

(घ) से (च) अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने से संबंधित मौजूदा नीति के अनुसार दिए गए वर्ष में सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाने वाली संचालन समिति द्वारा अनुमोदित समूह 'ग' और 'घ' रिक्तियों का 5% ही सरकार द्वारा निर्धारित विहित मानदंड पूरा करने के अध्यधीन अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिए जाने के लिए उपलब्ध है। उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित नौ मामलों में से विहित मानदंड के अनुसार पांच मामलों में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी।

अलिपुरदुआर जंक्शन से बामनहाट रेलवे स्टेशन का कार्य

4340. श्री हितेन बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अलीपुरदुआर जंक्शन से बामनहाट रेलवे स्टेशन तक ''कोलोनियल रूट'' का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) अलीपुरद्वार जंक्शन-बामनधाट का आमान परिवर्तन लिंक शाखा लाइनों सहित न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव (419.48 किमी.) का भाग है। परियोजना की प्रत्याशित लागत 800 करोड़ रुपए है। परियोजना पर 31.03.2004 तक 596.49 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। न्यू जलपाईगुड़ी-समुखतला रोड चालू कर दी गयी है और समुखतला रोड से न्यू बोंगाईगांव तक के निर्माण कार्य को 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। अलीपुरद्वार-बामनहाट पर मिट्टी और पुल संबंधी कार्य भी प्रगति पर है और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्भर करते हुए आने वाले वर्षों में इस खंड को पूरा कर लिया जाएगा। इस खंड के लिए अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

'डाउनलिंकिंग' नीति

4341. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 'डाउनलिंकिंग' नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के उद्देश्य और प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही डी. टी.एच सेवाओं हेतु क्या नियम और विनियम बनाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) यह नीति विचाराधीन है।

(ग) दूरदर्शन की डी टी एच सेवा के लिए सरकार द्वारा अलग से कोई नियम एवं विनियम नहीं बनाए गए हैं। दूरदर्शन के यू बैंड में उपग्रह प्रसारण शीघ्र ही शुरू कर रहा है इससे देश के दर्शक लघु आकार के डिश एन्टीना और सेट टॉप बॉक्स की मदद से 30 फ्री टु एयर चैनल देख सकेंगे। शुरुआत में, 8 राज्यों/क्षेत्रों को कवर करने वाली एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में आंगनबाड़ियों, स्कूल, सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों, युवा-क्लबों, सहकारी समितियों आदि जैसी 10 हजार संस्थाओं को सेट टॉप बॉक्स और डिश एन्टीना नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां सेट टॉप बॉक्स और डिश एन्टीना वितरित करना संभव नहीं है, वहां पर लगभग 50 टीवी परिवारों या उससे अधिक आबादी घनत्व वाले क्षेत्रों में दूरदर्शन द्वारा केबल शीर्ष छेरों की स्थापना की जानी है।

असम में लंबित रेल परियोजनाएं

4342. श्री किरिप चालिहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में लंबित/चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) अंशत:/पूर्णत: असम राज्य में पड़ने वाली चालू परियोजनाओं का ब्यौरा और उन पर की गई कार्रवाई नीचे दिए गए अनुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत (करोड़ में)	मार्च 2004 तक व्यय (करोड़ में)	परिव्यय 2004-05	परियोजना/की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	डिब्रूगढ़ और नॉर्थ बैंक लाइन (नई लाइन)-(46 कि.मी.) के बीच संपर्क लाइनों सहित बोगीबील पुल	1767.36	156.31	60	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। साउथ बैंक पर रेल संपर्क के लिए भूमि अधिग्रहण, बड़े पुलों, छोटे पुलों का कार्य और मिट्टी संबंधी तथा गोल पत्थर इकट्ठे करने का कार्य प्रगति पर है।
2.	हारमुती-इटानगर (नई लाइन)-(33 कि.मी.)	156	0.04	2	16.12.2000 को अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हारमुती-इटानगर और हेलम-इटानगर की बजाय बेदेती से इटानगर (45 कि.मी.) तक संरेखण के लिए अनुरोध किया था। इस परिवर्तित संरेखण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।
3.	दुधनोई-देपा (नई लाइन)-(15.5 कि.मी.)	22.33	0.5	0.01	जुलाई, 97 में राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण संबंधी कागजात प्रस्तुत किए गए थे। बहरहाल, देपा स्टेशन के बारे में स्थानीय लोगों के विरोध के कारण मेघालय सरकार ने अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई है। भूमि उपलब्ध होने पर ही इस परियोजना पर कार्य शुरू किया जाएगा।
4.	न्यू मैनागुड़ी-जोगीघोपा (नई लाइन) - (245 कि.मी.)	733	33.97	42	न्यू मैनागुड़ी से जोगीधोपा तक अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। मैनागुड़ी रोड से चंग्राबंधा (19 कि.मी.) तक आमान परिवर्तन वाले भाग के लिए बैंक को चौड़ा करने के लिए मिट्टी संबंधी कार्य प्रगति पर है।
5.	काटाखाल-बैराभी (आमान परिवर्तन)-(84 कि.मी.)	88.7	0	1	लमडिंग-सिलचर कार्य के अंतिम चरण में होने पर ही यह कार्य शुरू किया जाएगा।
6.	संबद्ध लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रूगढ़, हैबरगांव-मैराबाड़ी (44.8 कि.मी.) और सेनचोवा जंक्शन सिलघाट टाउन (61.85 कि.मी.)-(आमान परिवर्तन)-(734.65 कि.मी.)	882.11	746.04	1	संबद्ध लाइनों सहित लमडिंग-डिब्रूगढ़ पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है। चापरमुख-हैबरगांव (25 कि.मी.) और हैबरगांव से मैराबाड़ी (44.8 कि.मी.) सेनचोवा जंक्शन से सिलघाट टाउन (61.85 कि.मी.) तक के आमान परिवर्तन की बहाली को लमडिंग-डिब्रूगढ़ आमान परिवर्तन की परियोजना में शामिल कर लिया गया है। विस्तृत अनुमान प्रक्रियाधीन है।

1	2	3	4	5	6
7.	मिर्ग्रेडिसा-डिटोकछड़ा के बीच सरेखण सहित लमडिंग-सिलचर और बदरपुर से भरियाग्राम तक विस्तार (आमान परिवर्तन)-(292 कि.मी.)	1496.42	264.74	70	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। लमडिंग और सिलचर के बीच 163.4 कि.मी. में मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों संबंधी कार्य प्रगति पर है।
8.	संबद्ध शाखा लाइनों सहित न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यू बोंगाईगांव (आमान परिवर्तन)-(419.48 कि.मी.)	820	596.49	30	न्यू जलपाईगुड़ी से समकतुला रोड (198 कि.मी) तक का खंड पूरा हो गया है और इसे 20.11.03 को यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। समकतुला रोड-जोराई (18 कि.मी.) तक का खंड भी पूरा हो गया है। अलिपुरद्वार से बामनहाट तक और फकीराग्राम से धुबड़ी तक शाखा लाइनों पर मिट्टी संबंधी कार्य और पुल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
9.	संबद्ध लाइनों सहित रंगिया-मुकौंगसेलेक (आमान परिवर्तन)-(510.33 कि.मी.)	915.7	0.01	3	2003-04 के अनुपूरक बजट में नया कार्य शामिल किया गया है। योजनाएं और अनुमानों की तैयारी शुरू कर दी गई है।

अपंग लोगों के लिए सुगम रेलवे स्टेशन

4343. श्री अधीर चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को पश्चिम बंगाल में रेलवे स्टेशनों को अपंग लोगों के लिए अधिक सुगम बनाने हेतु कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रेलवे द्वारा इन सुझावों के कियान्वयन हेतु क्या कार्रवाई की गयी है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां आवंटित की गयी हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य के स्टेशनों सहित भारतीय रेल के स्टेशनों पर विकलांगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने हेतु गैर-सरकारी संस्थाओं (एन जी ओ), अति विशिष्ट व्यक्तियों (वी आई पी) और आम जनता से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन अभ्यावेदनों में की गई मांगों में बाधा रहित प्रवेश हेतु रैंप की व्यवस्था, फिसलन रहित रास्ते की व्यवस्था करना, विकलांगों के अनुकूल पीने के पानी की टोटियां, प्रसाधन, अलग से पार्किंग की सुविधा आदि मुहैया कराया जाना शामिल है।

(ग) रेलवे ने अल्प अवधि की योजना के तहत उपर्युक्त सुविधाएं मुहैया कराने का विनिश्चय किया है। इसके अलावा, लंबी अवधि की कार्य योजना में ऊपरि पैदल पुल (एफ ओ बी)/ भूतल मार्ग अथवा लिफ्ट पर रैंप की व्यवस्था करके अंतर प्लेटफार्म हस्तांतरण की सुविधा मुहैया कराने की रेलवे की योजना है। प्रथम चरण में "ए" श्रेणी के स्टेशनों पर ये सुविधाएं मुहैया कराने की योजना है।

(घ) इन कार्यों के लिए अलग से कोई निधि का आबंटन नहीं किया जाता है और इन कार्यों के वित्त पोषण की व्यवस्था "यात्री सुविधाएं" शीर्ष योजना के अंतर्गत की गई है। (इस योजना शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2004-05 के लिए 215 करोड़ रुपए की निधि आबंटित की गई हैं।)

निजी कंपनियों द्वारा रेल लाइनों की सफाई

4344. श्री के.एस. राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का विचार दिल्ली के तीन स्टेशनों पर रेल लाइनों की सफाई का कार्य निजी कंपनियों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या रेलवे अपने अन्य कार्यों को भी कुछ निजी कंपनियों से करवाने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रेलवे देश के कुछ अन्य स्टेशनों को भी सफाई हेतु निजी कंपनियों को सौंपने की योजना बना रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) हज़रत निजामुद्दीन, दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के रेलपथ सहित प्लेटफार्मों और अन्य-उपयोग के क्षेत्रों की मशीनों से सफाई के लिए ठेके दे दिए गए हैं। ठेकेदार मशीनों की आपूर्ति करेगा, जिनका रेलवे के सफाईवालों द्वारा उपयोग किया जाएगा।

(ग) और (घ) जब तक कि विभिन्न कारणों से औचित्य न हो, रेलवे की गतिविधियों को बाहरी स्रोतों से वित्त पोषित करने की कोई नीति नहीं है।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय रेलों द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर सफाई के लिए ठेके दिए जाते हैं जो स्थल विशेष, व्यवहार्यता, सर्विस प्रोवाइडर की उपलब्धता आदि की आवश्यकता पर आधारित होते हैं और यह एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

मद्यनिषेध योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को अनुदान

4345. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-04 हेतु "मद्यनिषेध योजना" के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदानों हेतु छत्तीसगढ़ से कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुन्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कोई "मद्यनिषेध योजना" कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, मद्यपान तथा पदार्थ (नशीले) दुरुपयोग निवारण योजना के अंतर्गत, यह मंत्रालय नशामुक्ति केन्द्रों, परामर्श केन्द्रों तथा कार्यस्थल निवारण कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान निर्मुक्त कर रहा है। वर्ष 2003-04 में दुर्ग, छत्तीसगढ़ में नशामुक्ति केन्द्र चलाने के लिए "सोसाइटी फॉर सोशल सर्विस" के आवेदन पर विचार नहीं किया गया था क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश 31.03.2004 को प्राप्त हुई थी।

सवारी रेलगाड़ियों में आपातकालीन कोटा

4346. श्री गणेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सतना रेलवे स्टेशन पर ठहरने वाली सवारी रेलगाड़ियों में आपातकालीन कोटा को रद्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आपातकालीन कोटा को पुनः बहाल करने हेतु कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) 30.8.2004 से सतना में विभिन्न गाड़ियों में उपलब्ध इमरजेंसी कोटे को उसकी उपयोगिता के दृष्टिगत युक्तिसंगत बनाया गया है।

[अनुवाद]

'हॉल' द्वारा चालक रहित विमान की आपूर्ति

4347. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (हॉल) भारतीय वायु सेना को 5 चालक रहित लड़ाकू विमान देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानों को बिना किसी विदेशी सहयोग के देश में ही बनाया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो 'हॉल' द्वारा कौन-से अन्य विमान बनाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय खन्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लि. जगुआर, डोर्नियर, लक्ष्य और एस.यू.-30 मार्क-I विमानों का विनिर्माण कर रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित लोगों को सहायता

4348. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री संजय धोत्रे :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने पिछले चार वर्षों के दौरान राज्य में अनेक सूखा प्रभावित जिलों के पीड़ित लोगों की सहायता हेतु परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2,500 करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो सूखे से प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करने वाले इस प्रतिवेदन और वहां सूखे की भयावहता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) कृषि मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया है कि महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री अपने शिष्टमंडल के साथ 28 मई, 2004 को प्रधानमंत्री जी से मिले थे और अन्य बातों के साथ-साथ उन्होंने राज्य में वर्ष 2003-04 के सूखे के लिए सहायता की मांग की थी। वर्ष 2003-04 के दौरान महाराष्ट्र के 11 जिलों में 71 तालुकों को राज्य सरकार द्वारा सूखा प्रभावित घोषित किया गया था। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत की गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर वर्ष 2003-04 के सूखे के लिए राज्य को आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता के लिए व्यय की मदों और मानदण्डों के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से 250.69 करोड़ रुपये की राशि की कुल सहायता और राहत परक रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के विशेष घटक के अंतर्गत 7 लाख मिलियन टन खाद्यान्न (जिनका मूल्य 700 करोड़ रुपये बैठता है) मुफ्त मुहैया कराये गए हैं। यह सहायता आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) के केन्द्रीय भाग के अंतर्गत जारी की गई 208.14 करोड़ रुपये की राशि के अलावा है।

[अनुवाद]

कचरे से मिथेन प्राप्त करना

4349. श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में "लैंडफिल्स" के कचरों, कोयले की खानों तथा तेल और गैस प्रणालियों से मिथेन प्राप्त करने हेतु कोई तरीका अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सरकार ने कोल सीम्स में मौजूद मिथेन के अन्वेषण और उत्पादन के लिए कोल बैड मिथेन (सीबीएम) नीति बनाई है और पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात राज्यों में स्थित 16 सीबीएम ब्लाकों के लिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज)/निजी कंपनियों के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर किए है। आज की तारीख तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सीबीएम प्राप्ति के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) वित्तपोषण के तहत झरिया कोयला क्षेत्र में सीबीएम के उत्खनन और प्रयोग के लिए अनुसंधान तथा विकास (अनु. एवं वि.) परियोजना का कार्य हाथ में लिया है।

गैस हाइड्रेट्स जो कि मिथेन गैस है और देश के गहरे समुद्री क्षेत्रों में मौजूद रहती है, के अन्वेषण और विकास के लिए सरकार ने नेशनल गैस हाइड्रेट्स प्रोग्राम (एनजीएचपी) तैयार किया है। प्रारंभिक अध्ययन यह बताते हैं कि अंडमान सहित देश के गहरे समुद्री क्षेत्रों में मिथेन गैस मौजूद है।

सरकार ने भू-भराई अपशिष्ट से मिथेन गैस प्राप्त करने के लिए कोई प्रचालनात्मक/वाणिज्यिक परियोजना नहीं बनाई है।

[हिन्दी]

प्रसार भारती की आय और व्यय

4350. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रसार भारती की आय और व्यय का अंतर लगातार बढ़ता रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आय और व्यय में कितना अंतर रहा है; और

(ग) इसके आय के स्त्रोत क्या हैं और इस अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) 2001-02 से प्रसार भारती द्वारा आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के जरिए अर्जित सकल आय का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आ.अ.ब.सं. (सकल)	व्यय	अंतर
2001-02	711.90	1629.27	917.37
2002-03	686.06	1766.93	1080.87
2003-04	671.27	1663.77	992.5
योग	2069.23	5059.97	2990.74

(ग) सरकार द्वारा प्रसार भारती को खर्चों को पूरा करने के लिए इसके राजस्व घाटे को पूरा करने हेतु अनुदान सहायता के रूप में आनुपातिक वित्तीय सहायता दी जाती है। प्रसार भारती के अनुसार इस अंतर को पाटने के लिए प्रसार भारती द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उए गए हैं:-

(1) कार्यक्रमों के विपणन में सुधार लाने के उद्देश्य से मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और बंगलौर में विपणन प्रभागों को परिचालित किया गया है।

(2) फिल्मों और फिल्म आधारित कार्यक्रमों सहित विभिन्न कार्यक्रमों की वाणिज्यिक क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

(3) विभिन्न मंत्रालयों/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनसे व्यवसाय प्राप्त करने के लिए विकास संचार प्रभाग की स्थापना की गई है।

(4) इस बात को सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि विभिन्न चैनलों के स्लॉट खाली न रहने पाएं।

(5) समय से बिलों को तैयार करने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिल्ली में दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवा कल बिलिंग प्रणाली का कंप्यूटरीकरण किया गया है।

[अनुवाद]

पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन

4351. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ङ) गरीबी अनुपात के आधिकारिक अनुमान के अनुसार, वर्ष 1993-94 में पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों सहित देश की 37.27 प्रतिशत ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही थी। लेकिन वर्ष 1999-2000 के अनुमानों में यह संकेत है कि यह प्रतिशत घटकर 27.09 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सरकार ग्रामीण गरीबों के लिए मजदूरी रोजगार, स्व-रोजगार, ग्रामीण आवास, पेयजल और स्वच्छता आदि जैसी ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं और बुनियादी सेवाओं के विकास सहित अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य विशेषकर पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी दूर करना है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण के आधार पर राज्य-वार गरीबी अनुपात

क्र. सं.	राज्य	ग्रामीण 1999-2000	शहरी 1999-2000	संयुक्त 1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11.05	26.63	15.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.04	7.47	33.47
3.	असम	40.04	7.47	36.09
4.	बिहार	44.30	32.91	42.60
5.	गोवा	1.35	7.52	4.40
6.	गुजरात	13.17	15.59	14.07
7.	हरियाणा	8.27	9.99	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	7.94	4.63	7.63
9.	जम्मू-कश्मीर	3.97	1.98	3.48
10.	कर्नाटक	17.38	25.25	20.04
11.	केरल	9.38	20.27	12.72
12.	मध्य प्रदेश	37.06	38.44	37.43
13.	महाराष्ट्र	23.72	26.81	25.02
14.	मणिपुर	40.04	7.47	28.54
15.	मेघालय	40.04	7.47	33.87
16.	मिजोरम	40.04	7.47	19.47
17.	नागालैंड	40.04	7.47	32.67
18.	उड़ीसा	48.01	42.83	47.15
19.	पंजाब	6.35	5.75	6.16
20.	राजस्थान	13.74	19.85	15.28
21.	सिक्किम	40.04	7.47	36.55
22.	तमिलनाडु	20.55	22.11	21.12
23.	त्रिपुरा	40.04	7.47	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	31.22	30.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	31.85	14.86	27.02
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20.55	22.11	20.99
27.	चंडीगढ़	5.75	5.75	5.75
28.	दादर व नागर हवेली	17.57	13.52	17.14
29.	दमन व दीव	1.35	7.52	4.44
30.	दिल्ली	0.40	9.42	8.23
31.	लक्षद्वीप	9.38	20.27	15.60
32.	पांडिचेरी	20.55	22.11	21.67
	कुल	27.09	23.62	26.10

टिप्पणी :

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया जाता है।
2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयोग किया जाता है।
3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया जाता है।
4. गोवा का गरीबी अनुपात दमन व दीव के लिए प्रयोग किया जाता है।
5. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात चंडीगढ़ के ग्रामीण और शहरी गरीबी, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादर तथा नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादर तथा नागर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

8. हिमाचल प्रदेश का गरीबी अनुपात जम्मू और कश्मीर के 1993-94 के लिए प्रयोग किया जाता है।

9. राजस्थान के शहरी गरीबी अनुपात को प्रायोगिक जाना जाए।

10. वर्ष 1999-2000 के लिए 30 दिन के रिकॉल आधार पर अनुमान।

स्रोत : योजना आयोग

[हिन्दी]

पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को निधियों का आवंटन

4352. **श्री राजेन्द्र कुमार :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के दौरान पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गयी निधियों का शीर्षवार और राज्यवार विशेषकर उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन निधियों के उपयोग से संबंधित नियम और शर्तें क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) : (क) ग्यारवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) की सिफारिशों के अनुसार 23.08.2004 की स्थिति के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निकाय अनुदान के आबंटन और रिलीज दर्शाने वाला राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि उनके पास पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में केवल राज्यवार जानकारी है, शीर्ष-वार और जिले-वार जानकारी नहीं है। इस विषय में विस्तृत जानकारी केवल राज्य सरकारों के पास ही उपलब्ध होगी।

(ख) स्थानीय निकायों के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग के अनुदानों का उपयोग करने के लिए राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदानों की रिलीज के लिए वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा जारी की गई शर्तें विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

23.8.2004 की स्थिति के अनुसार ई.एफसी की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकाय अनुदानों का आवंटन एवं रिलीज

पंचायती राज संस्थान

क्र. सं.	राज्य	वार्षिक आवंटन	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	15204.83	0.00	15204.83	15204.83	30409.66		60819.32
2.	अरुणाचल प्रदेश	556.85	278.42	0.00	0.00	1670.55		1948.97
3.	असम	4668.95	0.00	4668.95	2334.47	4668.95		11672.37
4.	बिहार	10375.00	0.00	10875.00	16312.50	10875.00		38062.50
5.	छत्तीसगढ़	4200.39	2100.00	6300.79	4200.38	2100.19	2100.20	16801.56
6.	गोवा	185.45	92.72	278.19	92.72			463.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	गुजरात	6960.87	0.00	6960.87	10441.30			17402.17
8.	हरियाणा	2941.75	1470.88	4412.63	2941.74	2941.75		11767.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1313.38	656.68	1970.08	656.69	1313.38		4596.83
10.	जम्मू-कश्मीर	1488.14	744.06	744.08	0.00			1488.14
11.	झारखंड	4825.76	0.00	0.00	0.00			0.00
12.	कर्नाटक	7882.35	3941.18	11823.53	3941.17	11823.52		31529.40
13.	केरल	6592.58	3296.28	9888.88	6592.58	6592.58		26370.32
14.	मध्य प्रदेश	10109.00	5054.70	15163.30	10109.00	10109.00	5054.50	45490.50
15.	महाराष्ट्र	13134.58	6567.28	19701.88	6567.29	6567.28	6567.29	45971.02
16.	मणिपुर	375.43	187.72	563.15	0.00	187.70		938.57
17.	मेघालय	512.16	256.08	768.24	256.08	768.24		2048.64
18.	मिजोरम	157.11	78.56	235.67	157.10	157.11		628.44
19.	नागालैंड	257.33	128.66	386.01	128.66			643.33
20.	उड़ीसा	6911.76	3455.88	10367.64	3455.88	3455.88		20735.28
21.	पंजाब	3092.71	0.00	0.00	9278.1			9278.13
22.	राजस्थान	9818.96	4909.48	14728.44	4909.48		13746.55	38293.95
23.	सिक्किम	105.85	52.92	158.79	52.92	158.77		423.40
24.	तमिलनाडु	9322.36	4661.18	13983.54	4661.18	13983.54	4661.18	41950.62
25.	त्रिपुरा	569.19	284.60	853.79	284.59		284.59	1707.57
26.	उत्तर प्रदेश	23342.67	11671.34	35014.01	11671.33	23342.66	11671.33	93370.67
27.	उत्तरांचल	3040.00	1520.00	4560.00	0.00	1520.00		7600.00
28.	पश्चिम बंगाल	11554.59	5777.30	17331.89	5777.29		5777.29	34663.77
	कुल	160000.00	57185.92	206944.18	120027.31	132645.76	49862.93	566666.10

विवरण-II

राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदान (एल बी जी) की रिलीज की शर्तें

1. उन राज्यों को स्थानीय निकाय अनुदानों की रिलीज की जाएगी जहां स्थानीय निकायों के संबंध में लंबित प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसलिए राज्यों को यह प्रमाणित करना चाहिए कि सभी स्तरों पर सभी स्थानीय निकायों के चुनाव स्थानीय निकायों की कार्यावधि समाप्त होने से पहले हो चुके हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव में विलंब होने के मामले में, समानुपातिक ढंग से निधियों में कटौती की जाएगी।

2. संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधन का अभिप्राय पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाना था ताकि वे संविधान के तहत उन्हें सौंपे गए कार्यों को पूरा कर सकें। राज्यों से उम्मीद है कि वे पी आर आई और यू एल बी को कार्य, शक्तियां और संसाधन सौंप देंगे जैसा कि क्रमश: अनुसूची XI और XII में परिकल्पित है। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त अनुसूची-V के क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकायों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जानी है। जहां स्थानीय निकायों को ऐसी शक्तियां, जिम्मेदारियां एवं संसाधन नहीं सौंपे गए हैं, वहां राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा 31.3.2002 के पहले कर लिया जाए। केंद्र सरकार उन राज्यों से पी आर आई और यू एल बी के अनुदानों का 25 प्रतिशत रोक लेगी जिन्होंने स्थानीय निकायों को जिम्मेदारियों, शक्तियों और संसाधनों की सुपुर्दगी नहीं की है, जैसा कि संबंधित राज्य वित्त आयोगों द्वारा सिफारिश की गई है।

3. 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों को अनुदानों की रिलीज तथा इसके उपयोग के ब्यौरे के बारे में वित्त मंत्रालय को सूचित किया जाएगा।

4. वित्त मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि अनुदान केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को रिलीज की गई हैं जहां संविधान के तहत चुनाव अनिवार्य हैं। वित्त मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र और भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसमें यह दर्शाया गया हो कि योजना के प्रयोजनार्थ निकायों को रिलीज की गई निधियों का उपयोग कर लिया गया है। स्थानीय निकायों द्वारा किए गए सदृश अंशदान के साथ-साथ केंद्र सरकार से अनुदानों की प्राप्ति की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर अनुदानों के वास्तविक उपयोग के समेकित ब्यौरे भी शामिल होने चाहिए। इस प्रकार का पहला उपयोग प्रमाण-पत्र वित्त मंत्रालय के पास अधिक से अधिक अक्तूबर, 2002 तक पहुंच जाना चाहिए।

5. राज्य सरकार अपने बजट में इन अनुदानों के एवज में किए गए खर्च को प्लान खर्च का हिस्सा मानेगी। एल बी जी के अंतर्गत राज्य सरकार को दी गई निधियां निर्धारित निधियां मानी जाएंगी।

6. स्थानीय निकाय अनुदानों का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अनुदान को राज्य सरकार द्वारा रोका भी नहीं जाना चाहिए।

7. स्थानीय निकाय अनुदानों को राज्य सरकार से रिलीज होने के एक महीने के अंदर स्थानीय निकायों को अंतरित कर देना चाहिए अथवा यदि स्थानीय निकाय मैचिंग निधियां जुटाने में सक्षम नहीं है तो तीन महीने अथवा उससे पहले रिलीज कर देना चाहिए। स्थानीय निकायों के अनुदानों के आगे रिलीज से संबंधित राज्य सरकार का आदेश जारी किए जाने के एक सप्ताह के अंदर एफ.सी.डी. व्यय विभाग को पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को आगे अनुदानों की रिलीज राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी।

8. राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला योजना समितियां और महानगर योजना समितियां गठित की गई हैं और संविधान की भावना के अनुरूप कार्य कर रही हैं। राज्य सरकार की इन समितियों की स्थिति से वित्त मंत्रालय को अवगत कराते रहना चाहिए।

9. स्थानीय निकाय अनुदानों में से कोई राशि मध्य-स्तरीय अथवा जिला-स्तरीय पंचायतों को नहीं दी जानी चाहिए जहां ये जन सुविधाओं के रखरखाव के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है।

10. स्थानीय निकायों मैचिंग संसाधन जुटाएगी जो पंचायती राज संस्थाओं के मामले में केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदानों का 25 प्रतिशत और शहरी स्थानीय निकायों के मामले में 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यदि कोई स्थानीय निकाय सदृश अंशदान करने में असमर्थ है तो राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर या उसके पहले संबंधित स्थानीय निकाय को शेष राशि मुहैया कराना चाहिए। एस.एफ.सी. की सिफारिशों पर स्थानीय निकायों को मिलने वाला अनुदान या राज्यों से प्राप्त करों में हिस्सेदारी सदृश अंशदान के रूप में नहीं माना जाएगा।

11. केवल उन्हीं निर्वाचित स्थानीय निकायों के संबंध में अनुदान दिए जाएंगे जहां ऐसे चुनाव संविधान के तहत अनिवार्य हैं। यदि कहीं निर्वाचित स्थानीय निकाय नहीं हैं तो केंद्र सरकार ऐसे निकायों के हिस्से को 2000-2005 के दौरान सह-सामाप्य आधार पर ट्रस्ट में रख देगी।

12. यह अनुदान शर्तमुक्त होगा बशर्ते इनका उपयोग वेतन और मजदूरियों के भुगतान के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

हिमाचल प्रदेश में सैन्य इकाइयों की स्थापना

4353. श्री सुरेश चन्देल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने सैन्य इकाइयों और प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु ऊना में 790 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश की है तथा इसे सेना द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और मंत्रालय ने अधिकारी बोर्ड से इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को उक्त बोर्ड द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो कब, और क्या इस मामले की आगे जांच की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सेना उक्त इकाइयों और प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु उपरोक्त भूमि को अंतिम रूप से कब अधिग्रहित कर लेगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक मिलिटरी स्टेशन की स्थापना करने के लिए ऊना में सेना को जमीन देने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। इस पेशकश को सिद्धान्ततः स्वीकार करते हुए सैन्य प्राधिकारियों ने उक्त प्रयोजन के लिए जमीन की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए अफसर-बोर्ड को आदेश दिए हैं।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पेश की गई जमीन की उपयुक्तता की सैन्य प्राधिकारियों ने जांच की है और उसे ऊना में एक मिलिटरी स्टेशन की स्थापना करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया है।

(ग) और (घ) ऊपर भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्या और यमन के तेलशोधक कारखानों का आधुनिकीकरण

4354. श्री विजय कृष्ण :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कंपनी का विचार यमन और केन्या के तेलशोधक कारखानों का आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन देशों के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन अन्य देशों के नाम क्या हैं जहां इंडियन आयल कंपनी इसी तरह की परियोजनाओं को आरंभ करने जा रही है; और

(च) आई.ओ.सी. द्वारा विदेशों में ऐसे कारोबार से कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने यमन तथा केन्या की रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार के लिए संबधित सरकारों को अपनी तत्परता के संकेत दिए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आई ओ सी ने लिबिया, म्यांमार तथा इरान में इसी तरह की परियोजनाएं आरम्भ करने की अपनी तत्परता के संकेत दिए हैं।

(च) आई ओ सी द्वारा रिफाइनरी आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार कार्यों से संबंधित विदेश कारोबार से अभी कोई राजस्व अर्जित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

धारावाहिकों से आय

4355. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले उन धारावाहिकों के नाम क्या हैं जिन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई है और जिन्होंने राजस्व अर्जित किया है;

(ख) सरकार द्वारा इन धारावाहिकों से प्राप्त आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसी भी धारावाहिक को लोकप्रिय धारावाहिक की श्रेणी में रखने हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने गत तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय धारावाहिकों और उनसे अर्जित राजस्व का निम्नलिखित ब्यौरा दिया है:-

वर्ष	धारावाहिक का नाम	अर्जित राजस्व (रुपये में)
2001	जय हनुमान	3.37 करोड़
2002	आपबीती	7.33 करोड़
2003	आपबीती	7.35 करोड़

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि किसी भी धारावाहिक को लोकप्रिय की श्रेणी में रखने के लिए टी.ए.एम. (टेलीविजन दर्शक मापन) द्वारा की गई टी आर पी रेटिंग को मापदंड के रूप में अपनाया जाता है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में जुबली रिटेल आऊटलेट पर इंडियन आयल कारपोरेशन एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम द्वारा व्यय की गई धनराशि

4356. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल :**
श्री अवतार सिंह भड़ाना :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में जुबली रिटेल आऊटलेट (जे आर ओ) का विकास करने हेतु इंडियन आयल कारपोरेशन एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में आई ओ सी और एच पी सी के जे आर ओ एवं नियुक्त श्रम ठेकेदारों द्वारा कुल कितनी मात्रा में एम एस (पेट्रोल)/एच एस डी (डीजल) की बिक्री की गई है;

(ग) मंत्रालय को आई ओ सी और एच पी सी के जे आर ओ को आरम्भ किए जाने के बाद उनके कार्यकरण में कथित अनियमितताओं की कंपनी-वार अलग-अलग कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों सहित देश में जुबली खुदरा बिक्री केन्द्रों (जेआरओज) के विकास पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि लगभग 273 करोड़ रुपये है।

(ख) उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु राज्यों सहित देश में उक्त दोनों कंपनियों के जेआरओज द्वारा बिक्री किए गए एमएस (पेट्रोल) और एचएसडी (डीजल) की कुल मात्रा क्रमश: 1,31,807 किलो लीटर और 18,32,801 किलो लीटर है।

(ग) और (घ) जबकि एचपीसी को अपने जेआरओज के कार्यकारण में अनियमितताओं के आरोपण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है वहीं आईओसी को तमिलनाडु राज्य में मदुरनतागाम में अपने जेआरओ के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोपण की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच के बाद कंपनी ने जनवरी, 2004 में कार्य संविदा समाप्त कर दी थी।

सीबीएफसी द्वारा फिल्मों की जांच हेतु शुल्क

4357. **श्री रवि प्रकाश वर्मा :**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

श्रीमती निवेदिता माने :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन प्रत्येक फिल्म की जांच करने और प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शुल्क वसूलता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दरों को किस वर्ष निर्धारित किया गया था;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1999 में दरों को संशोधित करने संबंधी निर्णय में विलम्ब कर दिया गया है, जिससे राजकोष में राजस्व घाटा हो रहा है।

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त विलंब के कारण सरकार को हुए राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 36 के अनुसार, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रत्येक फिल्म की जांच के लिए शुल्क अधिरोपित करता है और आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करता है।

(ख) अधिरोप्य शुल्क की दरें वर्ष 1983 में नियत की गयी थीं। शुल्क का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

शुल्क सारिणी

भाग-1 35 मिलीमीटर/70 मिलीमीटर की फिल्में

(i) 20/-रुपये प्रति 300 मीटर या उसके किसी भाग के लिए जबकि फिल्म की लंबाई 600 मीटर से अधिक न हो।

(ii) 100/-रुपये प्रति 300 मीटर या उसके किसी भाग के लिए जबकि फिल्म की लंबाई 600 मीटर से अधिक न हो।

भाग-2 16 मिलीमीटर की फिल्में

(i) 20/-रुपये प्रति 120 मीटर या उसके किसी भाग के लिए जबकि फिल्म की लंबाई 240 मीटर से अधिक न हो।

(ii) 100/-रुपये प्रति 120 मीटर या उसके किसी भाग के लिए जबकि फिल्म की लंबाई 240 मीटर से अधिक हो।

भाग-3 8 मिलीमीटर/सुपर 8 की फिल्में

(i) 20/-रुपये प्रति 60 मीटर या उसके किसी भाग के लिए जबकि फिल्म की लंबाई 120 मीटर से अधिक न हो।

(ii) 100/-रुपये प्रति 60 मीटर या उसके किसी भाग के लिए जबकि फिल्म की लंबाई 120 मीटर से अधिक हो।

भाग-3 क वीडियो फिल्में

(i) 40/-रुपये प्रति 10 मिनट की अवधि अथवा उसके किसी भाग के लिए जबकि वीडियो फिल्म की अवधि 20 मिनट से अधिक न हो।

(ii) 200/-रुपये प्रति 10 मिनट की अवधि अथवा उसके किसी भाग के लिए जबकि वीडियो फिल्म की अवधि 20 मिनट से अधिक हो, जो कि न्यूनतम 600/- रुपये होगी।

भाग-4 प्रमुखत: शैक्षिक/बाल फिल्मों के रूप में वर्गीकृत फिल्में।

(i) 20/-रुपये प्रति 300 मीटर अथवा उसके भाग के लिए 35 मिलीमीटर या 70 मिलीमीटर में।

(ii) 20/-रुपये प्रति 120 मीटर या उसके भाग के लिए 16 मिलीमीटर में।

(iii) 20/-रुपये प्रति 60 मीटर या उसके भाग के लिए 8 मिलीमीटर या सुपर 8 में, फिल्म की कुल लंबाई के निरपेक्ष।

(iv) 40/-रुपये प्रति 10 मिनट की अवधि या उसके भाग के लिए वीडियो फिल्म के मामले में।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सांविधिक कार्य का निष्पादन कर रहा है और इस संगठन का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है। वर्ष 1983 से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वसूले गए प्रमाणन शुल्क में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

केरल में पुराने आरओबी/आरयूबी

4358. श्री पी. करूणाकरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थित पचास वर्षों से अधिक पुराने और जीर्ण-शीर्ण स्थित वाले आरओबो/आरयूबी का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो इन संवेदनशील पुलों के संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में कोयलंडी जैसी दुघर्टनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इस समय केरल में 6 ऊपरी सड़क पुल (आर ओ बी) और 1 निचला सड़क पुल (आर यू बी) 50 वर्षों से अधिक पुराने हैं किन्तु उनमें से कोई भी जीर्ण-शीर्ण हालत में नहीं है।

(ख) और (ग) मानसून के पहले तथा बाद में सभी ऊपरी/निचले सड़क पुलों की हालत जानने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सालाना जांच की जाती है। जहां कहीं मरम्मत अथवा अनुरक्षण किया जाना होता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। कडालुंडी पुल एक रेलवे पुल है न कि ऊपरी/निचला सड़क पुल रेलवे पुलों के संबंध में डिस्ट्रेस्ड पुलों के पुनर्स्थापन/पुर्ननिर्माण के लिए एक विशेष संरक्षा निधि की स्थापना की गई है। उन पुलों को तवज्जो दी गई है जिनके निर्माण के समय अप्रचलित/गैर मानक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। नींव/आधार की क्षमता की जांच करने के लिए पानी के अंदर भी जांच की जाती है।

सुपर केरोसिन ऑयल (एसकेओ) का आबंटन

4359. **डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :**
श्री निखिल कुमार :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ओएमसी के डीलरों को एसकेओ के आबंटन के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या विशेषकर दिल्ली के डीलरों से कम गुणवत्ता वाले एसकेओ की आपूर्ति करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त नीति में सुधार करने की सरकार की क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आबंटन के आधार पर, ज्यादातर राज्यों में, राज्य सरकारें जिला-वार तथा डीलर-वार मिट्टी तेल (एसकेओ) के आबंटन का निर्णय लेती हैं। जबकि कुछ मामलों में तेल विपणन कंपनियां डीलरों को यह आबंटन करती है।

(ख) और (ग) एलपीजी कनैक्शन जारी किए जाने को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों/दिल्ली समेत संघ राज्य क्षेत्रों, (सं.रा.क्षेत्रों) को गत कुछ वर्षों में मिट्टी तेल का आबंटन धीरे-धीरे कम किया गया है। इसी के अनुसार संबंधित राज्यों/सं.रा.क्षेत्रों के लिये किये गए कुल आबंटन में से डीलरवार आबंटन आनुपातिक रूप से संशोधित हो जाता है।

(घ) विभिन्न मूल्यों पर मिट्टी तेल के लिए अनुमानित मांग का मूल्यांकन करने तथा मिट्टी तेल की वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए एक अध्ययन करवाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

रेलवे में छंटनी

4360. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्री पी. करूणाकरन :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने रेल मंत्रालय को लगभग चार लाख कर्मचारियों की छंटनी करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा ऐसा करने के क्या कारण सुझाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन कारणों की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों की संख्या में कमी ला रही है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई और आने वाले दो वर्षों में कितने कर्मचारियों की छंटनी किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) भारतीय रेलों ने अधिवर्षिता की सामान्य प्रक्रिया और स्वाभाविक रूप से होने वाली रिक्तियों पर नई भर्ती को नियंत्रित करके संगठन में कर्मचारियों की संख्या सही आकार में रखने की योजना बनाई है। भारतीय रेलों का कर्मचारियों की संख्या को सही आकार में रखने का यह कार्य जन-शक्ति का सही आकार निर्धारित करने के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए पहलकदमियों के अनुरूप है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आई कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:

2000-01	–	31884
2001-02	–	34549
2002-03	–	38909

प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले अनुमानत: 3% कर्मचारियों में से भर्ती प्रतिवर्ष 1% तक सीमित रख कर कर्मचारियों की संख्या प्रतिवर्ष लगभग 2% कम करने की योजना है।

[अनुवाद]

बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस का आयात

4361. **श्री निखिल कुमार :**
श्री के.एस. राव :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से कोई संदेश प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो बांग्लादेश से कुल कितनी मात्रा में गैस का आयात किया जाएगा और इससे गैस आधारित संयंत्रों को कितना लाभ मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेल द्वारा गैस पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

4362. **डा. एम जगन्नाथ** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड देश के कुछ शहरों में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में शहरों में गैस संवितरण के कारोबार का भविष्य में विस्तार करने संबंधी क्या योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) गेल (इंडिया) लिमिटेड की दो संयुक्त उद्यम कंपनियों नामत: महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) और इन्दप्रस्थ गैस लिमिटेड ने क्रमश: मुंबई और दिल्ली में नगर गेस वितरण परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। गेल अन्य शहरों में भी गैस वितरण परियोजनाएं हाथ में ले रही है। आंध्र प्रदेश में गेल ने विजयवाड़ा और हैदराबाद-सिकंदराबाद और राज्य के अन्य प्रमुख कस्बों में गैस वितरण परियोजनाएं आरंभ करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त गेल तेल विपणन कंपनियों के साथ मिल कर आगरा, लखनऊ, बरेली, कानपुर और पुणे में भी नगर गैस वितरण परियोजनाओं को हाथ में ले रही है। एमजीएल द्वारा ठाणे और नवीं मुंबई में तथा आईजीएल द्वारा गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में नगर गैस वितरण परियोजनाओं का विस्तार करने की कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गई है।

[हिन्दी]

भारत पेट्रोलियम के लाभ में कमी

4363. **श्री रघुराज सिंह शाक्य :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम के लाभ में भारी कमी के संकेत मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत पेट्रोलियम के लाभ में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतें पिछले कुछ महीनों में काफी ऊंची रही है। ये कीमतें मई, 2004 में 15 वर्षों के सर्वाधिक और अगस्त, 2004 में अपने 21 वर्षों के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई। अप्रैल-जून, 2004 के दौरान भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) का लाभ, अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप पेट्रोल और डीजल के बिक्री मूल्यों में संशोधन न करने और पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के कारण वर्धित राजसहायता के बोझ के कारण पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में कम था।

पीडीएस मिट्टी तेल, घरेलू, एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की घरेलू उपभोक्ता कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार कीमतों में हुई वृद्धि के प्रभाव को देखते हुए 18/19 अगस्त, 2004 की मध्य रात्रि से इन उत्पादों पर सीमा शुल्क में प्रत्येक पर 5% की कमी की गई और पीडीएस मिट्टी तेल पर 4% और डीजल तथा पेट्रोल पर 3% तक उत्पाद शुल्क में कमी की गई। सरकार ने पहले भी 15/16 जून, 2004 की मध्य रात्रि से घरेलू एलपीजी पर 8%, डीजल पर 3% और पेट्रोल पर 4% तक उत्पाद शुल्क में कटौती की थी।

उपर्युक्त राजकोषीय उपायों के साथ-साथ बीपीसीएल सहित तेल विपणन कंपनियों ने 16.6.2004 से घरेलू एलपीजी और 16.6.2004 और 1.8.2004 से पेट्रोल तथा डीजल का बिक्री मूल्य बढ़ा दिया।

[अनुवाद]

'सेकंड नेशनल कान्फरेंस ऑन स्टीम लोकोमोटिव्स'

4364. डी. राजेश मिश्रा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 2004 के दौरान नई दिल्ली में रेल और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालयों के संयुक्त तत्वावधान में इंडियन स्टीम रेलवे सोसायटी और दी इंस्टीच्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा 'सेकंड नेशनल कन्फरेंस ऑन स्टीम लोकोमोटिव्स' आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां। इंडियन स्टीम रेलवे सोसायटी और चार्टर्ड इंस्टीटयूट ऑफ लाजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा भाप रेल इंजनों पर द्वितीय राष्ट्रीय बैठक राष्ट्रीय रेल संग्राहलय में फरवरी, 2004 में आयोजित की गई थी।

(ख) इंडियन स्टीम रेलवे सोसायटी और चार्टर्ड इंस्टीटयूट ऑफ लाजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट गैर सरकारी समितियां, है। सम्मेलन में, भाप रेल इंजनों का संरक्षण और भाप इंजन पर आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी विषय पर चर्चा की गई थी।

मुंबई के नाहूर में रेलवे स्टेशन

4365. श्री गुरुदास कामत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे ने मुंबई के नाहूर में स्टेशन स्थापित करने का अनुमोदन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का किस वर्ष अनुमोदित किया गया था; और

(ग) परियोजना की वर्तमान में क्या स्थिति है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) नाहूर स्टेशन को खोलने की परियोजना वर्ष 2003-04 में अनुमोदित की गई थी।

(ग) भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रक्रिया तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि को औपचारिक रूप से अभी सौंपा जाना बाकी है। रेलवे भूमि पर कार्य प्रगति है। यह परियोजना मार्च, 2005 तक पूरी हो जाने की संभावना है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा रेलवे को भूमि शीघ्रता से सौंप दी जाए।

[हिन्दी]

सूखा संभावित क्षेत्रों हेतु "कपार्ट"

4366. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सूखा संभावित क्षेत्रों हेतु कपार्ट द्वारा प्राप्त की गई और अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) शेष योजनाओं को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अलग-अलग कितना धन आबंटित और जारी किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) उक्त अवधि के दौरान इस संबंध में कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि

4367. **श्री नीतीश कुमार :**
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि होती रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सर्वाधिक ऊंची और सर्वाधिक कम दर क्या है;

(ग) इन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित औसत मूल्य कितना है; और

(घ) कच्चे तेल के मूल्य में लगातार वृद्धि के क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) वर्ष 2001-2002 से 2003-2004 के दौरान कच्चे तेल की भारतीय बास्केट की न्यूनतम, अधिकतम और औसत कीमतें निम्नानुसार थी:

(अमेरिकी डालर प्रति बैरल)

वर्ष	न्यूनतम	अधिकतम	औसत
2001-02	16.14	28.61	22.54
2002-03	22.23	32.60	26.60
2003-04	22.79	33.00	27.98

(घ) अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्य पूर्व क्षेत्र में भू राजनैतिक अस्थिरता, विशेष रूप से चीन और यूएसए में तेल की मांग की वृद्धि, वर्धित मांग के अनुरूप अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की कमी आदि शामिल हैं।

भर्ती कार्यालय खोलना

4368. **श्री दरोगा प्रसाद सरोज :**
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री अतीक अहमद :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रत्येक जिले में भर्ती कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार किन स्थानों में भर्ती कार्यालय खोले गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सेना में सारी भर्ती, भर्ती रैलियों के जरिए की जाती है। सभी जिलों में अधिमानत: वर्ष में दो बार परन्तु वर्ष में कम से कम एक बार भर्ती की जाती है। इस समय देश में 71 भर्ती कार्यालय कार्यरत हैं और वे भर्ती संबंधी कार्यकलाप कर रहे हैं।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

आज की तारीख में भर्ती कार्यालयों की अवस्थिति

(1) मुख्यालय भर्ती जोन अम्बाला

1. भर्ती कार्यालय मुख्यालय अम्बाला

2. शाखा भर्ती कार्यालय रोहतक

3. शाखा भर्ती कार्यालय हिसार

4. शाखा भर्ती कार्यालय चरखी दादरी

5. शाखा भर्ती कार्यालय पालमपुर

6. शाखा भर्ती कार्यालय हमीरपुर

7. शाखा भर्ती कार्यालय शिमला

8. शाखा भर्ती कार्यालय मंडी

(2) मुख्यालय भर्ती जोन बैंगलूर

9. भर्ती कार्यालय मुख्यालय बैंगलूर

10. शाखा भर्ती कार्यालय मंगलौर

11. शाखा भर्ती कार्यालय बेलगांव

12. शाखा भर्ती कार्यालय त्रिवेन्द्रम

13. शाखा भर्ती कार्यालय कालीकट

(3) मुख्यालय भर्ती जोन चेन्नई

14. भर्ती कार्यालय मुख्यालय चेन्नई

15. शाखा भर्ती कार्यालय त्रिचिरापल्ली

16. शाखा भर्ती कार्यालय कोयम्बतूर

17. शाखा भर्ती कार्यालय सिकन्दराबाद

18. शाखा भर्ती कार्यालय गुन्टूर

19. शाखा भर्ती कार्यालय विशाखापत्तनम

(4) मुख्यालय भर्ती जोन दानापुर

20. भर्ती कार्यालय मुख्यालय दानापुर

21. शाखा भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर

22. शाखा भर्ती कार्यालय गया

23. शाखा भर्ती कार्यालय कटिहार

24. शाखा भर्ती कार्यालय रांची

(5) मुख्यालय भर्ती जोन जबलपुर

25. भर्ती कार्यालय मुख्यालय जबलपुर

26. शाखा भर्ती कार्यालय ग्वालियर

27. शाखा भर्ती कार्यालय महू

28. शाखा भर्ती कार्यालय भोपाल

29. शाखा भर्ती कार्यालय रायपुर

(6) मुख्यालय भर्ती जोन जयपुर

30. भर्ती कार्यालय मुख्यालय जयपुर

31. शाखा भर्ती कार्यालय अलवर

32. शाखा भर्ती कार्यालय झुंझनू

33. शाखा भर्ती कार्यालय जोधपुर

34. शाखा भर्ती कार्यालय कोटा

(7) मुख्यालय भर्ती जोन जालंधर

35. भर्ती कार्यालय मुख्यालय जालंधर

36. शाखा भर्ती कार्यालय अमृतसर

37. शाखा भर्ती कार्यालय फिरोजपुर

38. शाखा भर्ती कार्यालय पटियाला

39. शाखा भर्ती कार्यालय लुधियाना

40. शाखा भर्ती कार्यालय जम्मू

41. शाखा भर्ती कार्यालय श्रीनगर

(8) मुख्यालय भर्ती जोन कोलकाता

42. भर्ती कार्यालय मुख्यालय कोलकाता

43. शाखा भर्ती कार्यालय सिलीगुड़ी

44. शाखा भर्ती कार्यालय कांचरापाड़ा

45. शाखा भर्ती कार्यालय कटक

46. शाखा भर्ती कार्यालय सम्बलपुर

47. शाखा भर्ती कार्यालय गोपालपुर

(9) मुख्यालय भर्ती जोन लखनऊ

48. भर्ती कार्यालय मुख्यालय लखनऊ

49. शाखा भर्ती कार्यालय मेरठ

50. शाखा भर्ती कार्यालय बरेली

51. शाखा भर्ती कार्यालय आगरा

52. शाखा भर्ती कार्यालय वाराणसी

53. शाखा भर्ती कार्यालय अमेठी

54. शाखा भर्ती कार्यालय लैंसडाउन

55. शाखा भर्ती कार्यालय अल्मोड़ा

56. शाखा भर्ती कार्यालय पिथोरागढ़

(10) मुख्यालय भर्ती जोन पुणे

57. भर्ती कार्यालय मुख्यालय पुणे

58. शाखा भर्ती कार्यालय मुम्बई

59. शाखा भर्ती कार्यालय नागपुर

60. शाखा भर्ती कार्यालय कोल्हापुर

61. शाखा भर्ती कार्यालय औरंगाबाद

62. शाखा भर्ती कार्यालय अहमदाबाद

63. शाखा भर्ती कार्यालय जामनगर

(11) मुख्यालय भर्ती जोन शिलांग

64. भर्ती कार्यालय मुख्यालय शिलांग

65. शाखा भर्ती कार्यालय जोरहाट

66. शाखा भर्ती कार्यालय नारांगी

67. शाखा भर्ती कार्यालय रंगापहाड़

68. शाखा भर्ती कार्यालय सिल्चर

(12) गोरखा भर्ती डिपो

69. गोरखा भर्ती कुनराघाट

70. गोरखा भर्ती घूम

(13) स्वतंत्र भर्ती कार्यालय

71. स्वतंत्र भर्ती कार्यालय दिल्ली कैन्ट

[अनुवाद]

सेन्ट्रल एवेन्यू को वेस्टर्न एंड से जोड़ने हेतु ओवरब्रिजों का निर्माण

4369. श्री सुबोध मोहिते :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे का विचार सेन्ट्रल एवेन्यू को वेस्टर्न एंड, नागपुर रेलवे स्टेशन से जोड़ने हेतु नया ओवरब्रिज निर्मित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज तक इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं। मध्य रेल का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एम एस आर डी सी) ने पूर्वी भाग (सेन्ट्रल एवेन्यू) को नागपुर स्टेशन की पश्चिम दिशा से जोड़ते हुए नागपुर स्टेशन यार्ड के आर-पार निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बी ओ टी) के आधार पर एक नए 6 लेन के केबल स्टेड पुल का प्रस्ताव किया है। इस कार्य के लिए सामान्य आरेखण व्यवस्था को पहले ही रेलवे द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

भारत से बाहर कारोबार के उद्यम

4370. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड भारत के बाहर गैस कारोबार संबंधी उद्यम का संचालन करता है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों में कारोबार की विस्तार योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी हां। गेल मिस्त्र में गैस क्षेत्र परियोजनाओं में भाग ले रही है और इसने फयूम गैस कंपनी, शेल सीएनजी मिस्त्र और राष्ट्रीय गैस कंपनी में प्रतिभागिता हित प्राप्त किया है। मिस्त्र के अपने हितों के अलावा गेल का म्यांमार में ब्लाक ए-1 में प्रतिभागिता हित है जहां जनवरी 2004 में पहले अन्वेशणात्मक कूप में वाणिज्यिक गैस भंडारों की खोज की है। इसके अलावा गेल म्यांमार के ए-3 ब्लाक में प्रतिभागिता हित के लिए मैसर्स देवू के साथ वाणिज्यिक निबंधन निर्धारित कर रही है। म्यांमार में अन्य संभावित ब्लाक विचाराधीन है। वर्तमान में गेल, टर्की, मिस्त्र, ईरान, म्यांमार, बांग्लादेश और फिलीपींस में अपनी मुख्य सक्षमता के क्षेत्रों में गैस क्षेत्र अवसरों पर ध्यान केन्द्रित कर रही है।

राकेश मोहन समिति

4371. **श्रीमती मनोरमा माधवराज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल भाड़े और माल-भाड़े को निर्धारित करने हेतु राकेश समिति की सिफारिशों पर रेल टैरिफ रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो यात्री किराए और माल भाड़े का निर्धारण करने में इस विनियामक निकाय को केवल व्यावसायिक उद्देश्यों से निर्देशित होना था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किराए और माल-भाड़े हेतु विनियामक प्राधिकरण गठित करने के पूर्व के निर्णय को रद्द करने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने प्रमुख क्षेत्र के रूप में रेल टैरिफ नियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए पहचान की थी। रेल मंत्रालय को इस निर्णय के कार्यान्वयन में परेशानी आ रही है और इसलिए वह सरकार से इस पर पुनर्विचार के लिए संपर्क कर रही है।

सभी सेन्ट्रल लाइब्रेरियां को जोड़ना

4372. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव** :
श्रीमती निवेदिता माने :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कार्यरत सभी सेन्ट्रल लाइब्रेरियों को आपस में जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां, सरकार का राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार, नई दिल्ली और अन्य प्रमुख पुस्तकालयों का एक समेकित ग्रंथ-सूची (बिबलियोग्राफिक) डाटा-बेस तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चुने गए पुस्तकालयों में इलैक्ट्रॉनिक ग्रंथ-सूची डाटा-बेस का सृजन किया जा रहा है जिसे बाद में परस्पर जोड़ दिया जाएगा।

(ग) दसवीं योजना के दौरान, राष्ट्रीय पुस्तकालय और केन्द्रीय सचिवालय ग्रंथागार में मौजूदा कैटेलॉगों के प्रति-रूपांतरण की उक्त परियोजना पर लगभग 10.00 करोड़ रु. व्यय होने का अनुमान है।

(घ) यह परियोजना अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।

बेरोजगार स्नातकों को बुकस्टॉल का आबंटन

4373. **श्री अजय चक्रवर्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीन बुकस्टाल नीति के अनुसार समाज के अन्य कमजोर वर्गों के साथ-साथ बेरोजगार स्नातकों और उनके संगठनों के पास "क" वर्ग समूह के स्टेशनों पर बुकस्टॉल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) "ए" कोटि के स्टेशन पर केवल वित्तीय/ऋण अदायगी की क्षमता के मानदंड पूरा करने वाली रजिस्टर्ड फर्में तथा जिसके रोल पर कम से कम 10 व्यक्ति हैं, उनमें से 50% स्नातक होने चाहिए और जिसके पास उसी शहर में इसी प्रकार की कम से कम बुक

स्टाल/बुक शॉप हो, वह टू पैकेट निविदा में भाग ले सकते हैं। अत: बेरोजगार स्नातक, उनके संगठन और समाज के अन्य कमजोर वर्ग, यदि वे उपर्युक्त योग्यता मानदंड पूरा करते हैं तो, प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से ''ए'' कोटि के स्टेशनों पर बुक स्टाक ले सकते हैं।

हरिकृष्ण महताब पुस्तकालय हेतु अनुदान

4374. **श्री अनन्त नायक :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भुवनेश्वर स्थित हरिकृष्ण महताब पुस्तकालय के उन्नयन हेतु अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने के लिए संस्कृति मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई उन्नयन योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त हेतु धन संस्वीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी नहीं, हरिकृष्ण महताब पुस्तकालय, भुवनेश्वर के लिए अनुदान मंजूर करने के बारे में उक्त पुस्तकालय या उड़ीसा सरकार से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपार्ट के उद्देश्य

4375. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपार्ट के गठन का क्या उद्देश्य है;

(ख) कपार्ट द्वारा इन उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान के किन-किन संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराया गया है और उपलब्ध कराए गए अनुदान का ब्यौरा और उसके उद्देश्य क्या है;

(घ) विभिन्न उद्देश्यों हेतु सोशल वेल्फेयर एंड रिसर्च सेन्टर, तिलोनिया, अजमेर को अलग-अलग उपलब्ध कराए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अनुदानों के संबंध में लेखा परीक्षा की जा रही है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार को 'कपार्ट' द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे धन के दुरूपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (छ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहायता से ग्रामीण विकास योजनाएं

4376. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहायता से कुछ राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार/राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा, संसदीय क्षेत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी सहायता से चलाई जा रही उक्त विकास योजनाओं के अंतर्गत देश के किन ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किए जाने का विचार है; और

(घ) उक्त परियोजनाओं हेतु प्राप्त निधियों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) जी हां। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में ग्रामीण विकास मंत्रालय की भागीदारी से कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त ग्रामीण राज्यों में विकास/गरीबी उपशमन की चालू योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में है। तथापि, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता प्राप्त कोई योजना नहीं हैं।

(घ) वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग सभी विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए नोडल विभाग है। सहायता राशि के उपयोग में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम राज्य और केंद्र सरकार के बजट में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाना, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विदेशी सहायता के प्रवाह

को निर्बाध बनाना, निष्पादन एजेंसियों के साथ तिमाही समीक्षा करना, आर्थिक कार्य विभाग में एक परियोजना प्रबंधन इकाई बनाना, कुछ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ बनाना, राज्यों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और आरंभिक गुणवत्ता के संबंध में परियोजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करना है।

विवरण

क्र. सं	परियोजना का नाम	स्थान/राज्य	दाता एजेंसी
1	2	3	4
1.	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	केरल	विश्व बैंक
2.	द्वितीय ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	कर्नाटक	विश्व बैंक
3.	द्वितीय ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	महाराष्ट्र	विश्व बैंक
4.	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना चरण-II	कोलार, चित्रदुर्ग एवं बिजरपुर (अब बिजरपुर एवं बागलकोट जिले/कर्नाटक)	डानिडा, डेनमार्क
5.	केरल जल आपूर्ति परियोजना	(i) कुल 128 बसावटों को कवर करते हुए चेरथला और समीपवर्ती 13 गांव	जे बी आई सी जापान
		(ii) कुल 145 बसावटों को कवर करते हुए मीनाड और समीपवर्ती 17 गांव	
		(iii) कुल 62 बसावटों को कवर करते हुए पट्टुवम और समीपवर्ती 9 गांव	
		(iv) कुल 7 गांवों (केवल 74 बसावटें) को कवर करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति के छोटे घटक वाला कालीकट शहरी क्षेत्र	
		(v) तिरूवनंतपुरम शहरी क्षेत्र/केरल	
6.	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, महाराष्ट्र	पुणे, अहमदनगर और औरंगाबाद/महाराष्ट्र	के एफ डब्ल्यू जर्मनी
7.	बोलपुर-रघनाथपुर, जल आपूर्ति स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना, प. बंगाल	बीरभूम और पुरुलिया जिले/प. बंगाल	के एफ डब्ल्यू जर्मनी
8.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, तमिलनाडु	कुड्डालोर और विलुपुरम/तमिलनाडु	डानिडा, डेनमार्क

1	2	3	4
9.	समेकित जल आपूर्ति स्वच्छता एवं सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम, चरण-I राजस्थान	हनुमानगढ़ चुरू और झुनझुन जिले/राजस्थान	के एफ डब्ल्यू जर्मनी
10.	घोघा क्षेत्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना, गुजरात	भावनगर जिला/गुजरात	नीदरलैंड
11.	ए पी लाइवलीहुड प्रोजेक्ट	कुर्नूल, अनंतपुर, प्रकाशम, महबूबनगर, नालगोंडा/ आंध्र प्रदेश	डी एफ आई डी, यू.के.
12.	एम पी लाइवलीहुड प्रोजेक्ट	वड़वानी, धार, झाबुआ, मंडला, डिन्डोर और शहडोल जनजातीय जिले/मध्य प्रदेश	
13.	वेस्टर्न उड़ीसा रूरल लाइवली प्रोजेक्ट	कालाहांडी, बोलंगीर और कोरापुट/उड़ीसा	डी एफ आई डी, यू.के.
14.	गरीबी उन्मूलन के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के आस-पास सामाजिक जागरण	(i) नोएस, बोलनगीर, कोरापुट/उड़ीसा	यू एन डी पी
		(ii) अजमेर, उदयपुर और बारन/राजस्थान	
		(iii) लोहारदग्गा, गुमला, खूंटी, दुमका और गोड्डा/झारखंड	
15.	वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना	7 राज्यों अर्थात गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश के 20 जिले	कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी
16.	अट्टापड्डी बंजरभूमि व्यापक पर्यावरण संरक्षण परियोजना	पालक्कड़ जिला/केरल	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंक जापान
17.	हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना	हरियाणा के 10 जिलों में 43 ग्रामीण सामुदायिक विकास खंड के 300 गांव	यूरोपीय समुदाय
18.	पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण	महाराष्ट्र, प. बंगाल, राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश	यू एन डी पी
19.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना	छत्तरपुर, दमोह, गुना, नरसिंहपुर, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रीवा, सागर, शाजापुर, सीधी, शिवपुरी, टीकमगढ़, विदिशा जिले के 2100 गांव/मध्य प्रदेश	विश्व बैंक
20.	आंध्र प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना	अदिलाबाद, महबूबनगर, अनंतपुर, चित्तूर, श्रीकाकुलम, विजयनगरम जिले/आंध्र प्रदेश के 180 मंडल	विश्व बैंक

1	2	3	4
21.	राजस्थान जिला गरीबी पहल परियोजना	बारन, चुरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़, राजसमंद और टोंक जिले के 42 खंड के 7039 गांव/राजस्थान	विश्व बैंक
22.	छत्तीसगढ़ जिला गरीबी पहल परियोजना	छत्तीसगढ़ के सभी जिले	विश्व बैंक
23.	आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उन्मूलन परियोजना	निआमाबाद, करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कुडप्पा, नालगोंडा, मेडक, रंगारेड्डी, खम्माम, कृष्णा, प्रकाशम, नेल्लौर, गुंटूर, पूर्वी गोदावरी, प. गोदावरी, और विशाखापट्टनम जिले के 548 पिछड़े मंडल/आंध्र प्रदेश	विश्व बैंक

महाराष्ट्र में जल आपूर्ति/स्वच्छता हेतु विश्व बैंक सहायता

4377. प्रो. महादेवराव शिवनकर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-04 के दौरान विश्व बैंक योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता हेतु 181 मिलियन अमरीकी डालर दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या धनराशि को खर्च करने और विकास कार्यों को पूरा करने के बाद उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि को ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खर्च किया गया है?

(घ) यदि हां, तो महाराष्ट्र के कितने जिलों में ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं को पूरा किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) जी, हां। महाराष्ट्र राज्य के 26 जिलों में 181 मिलियन अमरीकी डालर (128.8 मिलियन एस डी आर) की विश्व बैंक ऋण सहायता के साथ 268.65 मिलियन अमरीकी डालर की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल एवं स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूति एवं पर्यावरण स्वच्छता (जलस्वराज्य) संबंधी एक परियोजना को 2003-04 के दौरान शुरू किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन्नत एवं दीर्घकालीन पेय जल एवं स्वच्छता सेवाओं तक ग्रामीण परिवारों की पहुंच बढ़ाने और ग्रामीण स्थानीय सरकारों एवं समुदायों तक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवा सुपुर्दगी के विकेन्द्रीकरण को सुस्थापित करना है। इस परियोजना से लगभग 7 मिलियन ग्रामीण आबादी को कवर करते हुए राज्य के 26 जिलों में 2800 ग्राम पंचायतों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। इस परियोजना को 2004-2009 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 3 क्रमवार बैचों में कार्यान्वित किया जाएगा। विश्व बैंक से मिली सूचना के अनुसार, परियोजना के लिए बैंक द्वारा फरवरी, 2004 तक 6 मिलियन अमरीकी डालर का वितरण किया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि राज्य में परियोजना के अंतर्गत फरवरी, 2004 तक 94.14 लाख रुपए (लगभग 2 मिलियन अमरीकी डालर) खर्च कर लिए गए हैं जिसमें मार्च, 2003 से पूर्वप्रभावी अवधि भी शामिल है। परियोजना को प्रायोगिक आधार पर थाणे, सतारा, उस्मानाबाद, नागपुर, चन्द्रपुर, यवतमल, बुलढ़ाणा, नासिक तथा सांगली नाम 6 जिलों के 180 गांवों में कार्यान्वित किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने के लिए समय-समय पर विश्व बैंक द्वारा समीक्षा मिशनों को भेजा जाता है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेडियो स्टेशनों का उन्नयन

4378. श्री सुग्रीव सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में विशेषकर गंजम जिले में बरहामपुर तथा संबलपुर से सटे हुए क्षेत्रों की उड़िया भाषी जनता को उड़िया कार्यक्रम सुनने की सुविधा देने हेतु रेडियो स्टेशनों के उन्नयन का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण राज्य में कुछ एल.पी.टी. ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्र ने रेडियो स्टेशन का उन्नयन करने और रिक्त पदों को भरने के लिए उचित कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण आंशिक रूप से प्रसारण करने वाले एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर को छोड़कर उड़ीसा में सभी अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के सही तरह से कार्य करने की सूचना मिली है।

(ग) से (ङ) सम्बलपुर में और इसके आसपास के क्षेत्रों जिनमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, सोनापुर, बोलनगीर तथा बौद्ध जिले के मुख्य भाग शामिल हैं, में पर्याप्त रेडियो कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 14.7.1998 को आकाशवाणी सम्बलपुर स्थित 20 कि.वॉट मी.वे. रेडियो स्टेशन का 100 कि.वा. मी.वे. स्टेशन में उन्नयन कर दिया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, सरायपल्ली, रायगढ़ और अम्बिकापुर जिलों के भागों में भी कवरेज प्राप्त होती है। दिशा-निर्देशों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर दी गई है।

प्रसारकों और केबल सेवा प्रदाताओं के बीच मौजूदा समझौता

4379. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ने प्रसारकों और केबल सेवा प्रदाताओं को उनके बीच मौजूदा समझौते का ब्यौरा देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कदम को उठाये जाने का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा नेटवर्कों पर चैनलों के स्वार्थ प्रेरित मूल्य निर्धारण सहित कारोबार में चल रही गतिविधियों को उजागर करना है;

(ग) यदि हां, तो क्या केंन्द्र सरकार ने भविष्य में 'केस' को अपने हाथों में लेने का भी निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो अभी तक कितने राज्य अपने-अपने यहां कैस (सी.ए.एस.) आरंभ करने के लिए सहमत हुए हैं और तत्संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। "अत: सम्बन्ध विनियमन पंजिका, 1999" के उपबंधों के अनुसार प्रसारण एवं केबल सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भी ऐसे अंत:सम्बन्ध करार को विनियमनों में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में पंजीकृत कराना आवश्यक होता है जिसके वे पक्षकार होते हैं। 27 फरवरी, 2004 की अधिसूचना के जरिए कैस के कार्यान्वयन को सरकार द्वारा आस्थगित कर दिया गया है।

बुकस्टाल ठेकेदारों द्वारा अनियमितताएं

4380. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुकस्टाल ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली प्रत्येक अनियमितता पर जुर्माने की दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी बुकस्टाल समझौतों में नया खंड अंत:स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान वाहक के अभिकल्प और निर्माण में इटली की सहायता

4381. श्री तथागत सत्पथी :
डा. पी.पी. कोया :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहक के अभिकल्प और निर्माण में सहायता हेतु इटली की फर्म फिन-कैनतिएरी के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) ठेके के लिए अन्य इच्छुक फर्मों के नाम क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में एक हवाई रक्षा पोत (ए डी एस) के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि ने बातचीत द्वारा तय की गई 22 मिलियन यूरो की लागत पर हवाई रक्षा पोत का डिजाइन तैयार करने, उसका एकीकरण करने, प्रणोदन प्रणाली को प्रतिस्थापित और चालू करने तथा छह मिलियन यूरो डालर की तय की गई लागत पर विस्तृत इंजीनियरी एवं प्रलेखीकरण में परामर्श के लिए एक इतालवी शिपयार्ड, मैसर्स फिनकेंटियरी के साथ दो संविदाएं की हैं। यह संविदा, एक सीमित वैश्विक निविदा के आधार पर मैसर्स फिनकेंटियरी, इटली को दी गई थी, जिसमें इस फर्म के अलावा निम्नलिखित कंपनियों ने भाग लिया था :–

(i) मैसर्स डी सी एन आई, फ्रांस जिसे अब मैसर्स आरमेरिस के नाम से जाना जाता है;

(ii) मैसर्स बी ए ई सिस्टम्स, यूनाइटेड किंग्डम; और

(iii) मैसर्स इजार, स्पेन।

2. इन संविदाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

(क) अग्रिम भुगतान इस फर्म द्वारा समान धनराशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत किए जाने से सम्बद्ध है।

(ख) इन संविदाओं में 20 चरणों में भुगतान करने का प्रावधान है।

(ग) चरणबद्ध भुगतान आवर्तनकारी साख-पत्र द्वारा किए जाएंगे।

(घ) चरणबद्ध भुगतान, भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सुपुर्दगी योग्य सामान का निरीक्षण और प्रमाणन करने के पश्चात किए जाएंगे।

(ङ) दोनों संविदाओं में, संतोषजनक "समुद्र स्वीकृति परीक्षण" के पश्चात् 18 माह की वारंटी तथा गारंटी शामिल है।

(च) विक्रेता को संविदाओं के 10 प्रतिशत मूल्य के बराबर कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी उपलब्ध करानी होती है।

इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा विदेश में चलाई जा रही रेल परियोजनाएं

4382. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा विदेश में कितनी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कंपनी को विदेश में मिलने वाले काम में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) इरकॉन इंटरनेशनल लि. द्वारा इस समय विदेशों में 80.49 मिलियन अमरीकी डालर के कुल मूल्य की 6 परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं;

(ख) कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों में अर्जित लाभ नीचे दिया गया है :

वर्ष	कर पूर्व लाभ
2001-02	127.21 करोड़ रुपए
2002-03	115.83 करोड़ रुपए
2003-04	78.78 करोड़ रुपए

(ग) जी हां।

(घ) विदेशों में मिलने वाले काम में कमी के कारण नीचे दिए गए हैं :

(i) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक/एशियाई विकास बैंक आदि द्वारा इरकॉन के हित के देशों में रेलवे के क्षेत्र में बड़ी निविदाओं की घोषणा नहीं की गई थी।

(ii) घरेलू बोलीकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं में स्थानीय कंपनियों को मूल्यों में तरजीह दी गई।

(iii) मलेशिया में नई सरकार द्वारा अपनी निवेश योजनाओं की समीक्षा के कारण लगभग 1.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृहत रेल परियोजना का ठेका न मिलना।

भारतीय जन-संचार संस्थान केंद्रों को अद्यतन बनाना

4383. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय जन-संचार संस्थान, कोट्टायम चैप्टर, केरल से केंद्र के सुदृढ़ीकरण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार की संचार माध्यमों (मीडिया) में नए घटनाक्रमों के दृष्टिगत आई.आई.एम.सी. केंद्रों को अद्यतन बनाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) "क्षेत्रीय शैक्षणिक केन्द्रों/विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग" नामक स्कीम के अंतर्गत कोट्टायम में एक उच्च शैक्षणिक केन्द्र के साथ भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा सहयोग करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी के त्वरित विकास के संदर्भ में और भारतीय जनसंचार संस्थान के केन्द्रों को मीडिया परिदृश्य के नए घटनाक्रमों के अनुसार ढालने के उद्देश्य से सरकार ने, अन्य के साथ-साथ, व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपस्करों सहित अध्येताओं को प्रशिक्षण देने संबंधी सुविधाओं को उन्नयित करने तथा दृश्य-श्रव्य एवं डिजिटल एलेक्ट्रॉनिक उपस्कर जैसी सहायक शिक्षण सामग्री, सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को उन्नयित करने के लिए सरकार ने स्कीमें तैयार की है। हिन्दी पत्रकारिता के छात्रों के लिए प्रशिक्षण सामग्री, जनसंचार से संबंधित अंग्रेजी में लेखों को हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित किया जा रहा है। नव माध्यम एवं नीति केंद्र का उद्देश्य भारतीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मुद्दों पर व्यापक एवं आधिकारिक प्रलेखन तैयार करना तथा केन्द्र को नीति निर्माताओं के लिए ज्ञान केन्द्र के रूप में तैयार करना है। बदले हुए मीडिया परिदृश्य, टी वी के व्यापक रेंज तथा केबल टेलीविजन, एफ एम रेडियो आदि के विस्तार के कारण प्रशिक्षित जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को जनसंचार/पत्रकारिता के अपने स्वयं के केन्द्र/विभाग खोलने के लिए प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

[हिन्दी]

खेल स्पर्द्धाओं का प्रसारण

4384. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** :
श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा खेल स्पर्द्धाओं के सीधे प्रसारण के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान आज तक प्रत्येक खेल स्पर्द्धा के लिए दूरदर्शन द्वारा कितना समय आबंटित किया गया;

(ग) यूरोपीयन कप और अमरीकी फुटबाल मैचों का सीधा प्रसारण न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में दूरदर्शन पर फुटबाल मैचों का प्रसारण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) दूरदर्शन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन खेल-कूद आयोजनों को सीधे प्रसारित करता है जिनके लिए दूरदर्शन के पास प्रसारण अधिकार उपलब्ध होते हैं।

(ख) गत एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन ने निम्नलिखित खेलों के 88 आयोजनों को सीधे प्रसारित किया है :–

क्रिकेट, फुटबाल, स्नूकर, कुश्ती, एथलेटिक, कबड्डी, जल-क्रीडा, टेबिल टेनिस, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, एबिलिंपिक्स, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रीय खेल-कूद लीग मैराथन, वॉलीबाल, आइस स्केटिंग, बॉक्सिंग, पोलो, समुद्र तटीय कबड्डी, नौका-दौड़।

(ग) इन आयोजनों के अधिकार दूरदर्शन के पास उपलब्ध नहीं थे।

(घ) दूरदर्शन अखिल भारतीय फुटबाल संघ द्वारा आयोजित फुटबाल मैच/टूर्नामेंट का प्रसारण कर रहा है जहां पर आयोजन के प्रसारण अधिकार दूरदर्शन को उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

एलएनजी की मांग

4385. **श्री दुष्यंत सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में एलएनजी की अनुमानित समग्र घरेलू मांग कितनी है;

(ख) क्या एलएनजी की मांग घरेलू उत्पादन से पूरी हो जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो मांग को पूरा करने हेतु प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में एलएनजी का आयात किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) लगभग 120 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) प्राकृतिक गैस के आबंटन की तुलना में सरकार प्रशासित मूल्य पर केवल लगभग 66 एमएमएससीएमडी की ही आपूर्तियां होती हैं। इसके अलावा, पुनर्गैसीकृत एलएनजी सहित 16 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति बाजार मूल्य पर की जा रही है। "भारत हाईड्रोकार्बन झलक 2025" रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक गैस की मांग 2006-07 में लगभग 231 एमएमएससीएमडी होने की संभावना है। केजी बेसिन और अन्य क्षेत्रों में हाल में गैस खोजों से घरेलू स्रोतों से गैस की उपलब्धता में और वृद्धि होने की आशा है।

(ग) तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के रूप में प्राकृतिक गैस का आयात वर्तमान वर्ष में आरंभ हो गया है। वर्तमान वार्षिक एलएनजी आयात, दहेज एलएनजी टर्मिनल पर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड द्वारा 2.5 एमएमटीपीए (9 एमएमएससीएमडी) है। दहेज टर्मिनल की क्षमता 5 एमएमटीपीए (18 एमएमएससीएमडी) है। एलएनजी की पूरी 5 एमएमटीपीए मात्रा का आयात वर्ष 2005 से पीएलएल द्वारा किया जाएगा। 2.5 एमएमटीपीए अतिरिक्त एलएनजी का आयात वर्ष 2005 से मैसर्स शैल इंटरनेशनल द्वारा अपने हजीरा एलएनजी टर्मिनल पर किए जाने की आशा है।

आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक गैस पाइप लाइन

4386. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र तक 1400 कि.मी. की गैस पाइपलाइन बिछाने के अधिकार पाने हेतु सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गेल के पास अंतर-राज्यीय पाइपलाइनें बिछाने के लिए सरकारी कंपनी के रूप में पूरे अधिकार है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में पाइपलाइनें बिछाने का काम सहकारी एजेंसियों के हाथ में रहे यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी काकीनाडा-हैदराबाद-उरण प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (पी एंड एमपी) अधिनियम, 1962 के तहत भूमि में प्रयोक्ता के अर्जन अधिकार (एआरयूएल) के लिए शीघ्र अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया है।

(ग) इस समय प्राकृतिक गैस पारेषण पाइपलाइनों के लिए प्रयोग के अधिकार अर्जन हेतु गेल सहित कोई भी इकाई सरकार से आवेदन कर सकती है। सरकार के पूर्व अनुमोदन से शत-प्रतिशत सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधि उत्पादन/पूर्ति

4387. **श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के अनुसार रक्षा हेतु नियत औषधियों के उत्पादन/पूर्ति के लिए औषधि उत्पादक फर्मों का गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए) में पंजीकृत होना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) ड्रग फर्मों को, ड्रग बनाने के लिए, गुणता आश्वासन महानिदेशालय के पास पंजीकरण नहीं करवाना होता। रक्षा को आपूर्ति करने की पात्रता के वास्ते ड्रग निर्माता फर्म:-

(i) या तो गुणता आश्वासन महानिदेशालय के पास पंजीकृत होनी चाहिए अथवा

(ii) उसके पास राज्य/केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी डब्ल्यू एच ओ जी एम पी प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसका कुल कारोबार 20 करोड़ से अधिक होना चाहिए।

(ख) गुणता आश्वासन महानिदेशालय के पास, आज तक 78 ड्रग निर्माता फर्में पंजीकृत हैं।

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा

4388. श्री रूपचंद मुर्मू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक कार्यान्वित चालू केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित और प्राप्त वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में तथा कमी के कारणों का योजनाओं/परियोजनाओं-वार और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत कोई वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा इस वर्ष 23.8.2004 तक वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अनु.जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए कोचिंग और संबद्ध सहायता स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार)

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	111.80	2837	34.05	819	शून्य	शून्य
2.	बिहार	शून्य	शून्य	6.00	600	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	गुजरात	शून्य	शून्य	5.45	323	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	हरियाणा	2.19	252	24.68	720	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	14.33	173	शून्य	शून्य
6.	केरल	20.86	1024	22.01	734	20.54	1010	शून्य	शून्य
7.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	19.99	627	25.6306	1242	शून्य	शून्य
8.	उड़ीसा	2.50	130	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	पंजाब	शून्य	शून्य	7.76	260	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	तमिलनाडु	11.15	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	उत्तर प्रदेश	2.61	60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.45	120	शून्य	शून्य
13.	पश्चिम बंगाल	2.68	60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	दिल्ली	1.90	210	10.00	350	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पिछले तीन वर्षों के दौरान और आजतक (23.8.2004 तक) अनु.जाति के छात्रों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम - निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	6426.72	217212	5804.52	237244	5449.14	267072	1634.74	प्राप्त नहीं
2.	असम	272.31	12516	221.32	12550	412.41	21600	123.72	21600
3.	बिहार	शून्य	26324	शून्य	26506	शून्य	87516	1000.00	94965
4.	छत्तीसगढ़	229.97	27717	106.83	30475	352.72	33523	1567.79	36877
5.	गोवा	शून्य	117	2.70	82	शून्य	94	1.93	115
6.	गुजरात	60.14	45785	शून्य	49005	1373.70	105675	412.11	प्राप्त नहीं
7.	हरियाणा	275.61	15480	180.92	15918	228.53	16683	68.56	22097
8.	हिमाचल प्रदेश	21.84	4715	शून्य	4430	11.82	5216	3.55	प्राप्त नहीं
9.	जम्मू कश्मीर	85.36	6799	19.99	6021	95.99	7220	28.80	प्राप्त नहीं
10.	झारखंड	शून्य	13289	266.64	15937	281.04	16790	84.31	प्राप्त नहीं
11.	कर्नाटक	732.13	125204	984.47	137014	2481.94	150587	744.58	प्राप्त नहीं
12.	केरल	938.16	77779	674.44	89577	677.57	90921	203.27	प्राप्त नहीं
13.	मध्य प्रदेश	490.53	71132	371.82	78229	1278.93	86052	383.68	91076
14.	महाराष्ट्र	658.33	195114	1696.66	228677	2765.58	249084	829.67	प्राप्त नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	मणिपुर	48.15	3341	71.28	1187	82.77	4155	24.83	प्राप्त नहीं
16.	मेघालय	5.47	1100	6.90	1210	15.55	1331	4.67	1464
17.	उड़ीसा	शून्य	41358	शून्य	43130	शून्य	45718	शून्य	प्राप्त नहीं
18.	पंजाब	239.90	9245	60.00	21715	शून्य	45913	शून्य	प्राप्त नहीं
19.	राजस्थान	470.13	63367	400.67	78373	1207.70	86594	362.31	95527
20.	तमिलनाडु	1168.95	215091	1658.56	201437	2184.45	231654	655.34	275369
21.	त्रिपुरा	138.71	7172	85.06	7926	174.24	8382	195.84	8501
22.	उत्तर प्रदेश	2304.94	27520	1994.41	24119	5137.58	26871	1541.27	31092
23.	उत्तरांचल	411.74	351000	शून्य	403425	शून्य	423565	शून्य	512612
24.	पश्चिम बंगाल	911.06	147601	677.37	168386	2165.81	173901	649.74	प्राप्त नहीं
25.	दमन व दीव	2.50	95	0.08	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	प्राप्त नहीं
26.	दादरा और नागर हवेली	शून्य	39	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	प्राप्त नहीं
27.	दिल्ली	शून्य	8919	शून्य	7793	22.16	10021	6.65	प्राप्त नहीं
28.	पांडिचेरी	35.00	2901	20.03	3694	99.74	4094	29.92	प्राप्त नहीं

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) अस्वच्छ व्यवसायों में लगे बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	57.94	13620	252.60	33399	458.9	35521	137.67	35676
2.	असम	शून्य	1601	8.12	3052	10.07	3880	4.22	3148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	बिहार	15.47	6058	20.00	7529	32.79	10234	शून्य	4833
4.	छत्तीसगढ़	2.24	14594	21.81	15130	20.54	15684	शून्य	17241
5.	दिल्ली	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	0.33	अनुपलब्ध
6.	गोवा	0.72	83	0.02	176	0.33	200	103.67	220
7.	गुजरात	510.27	161016	शून्य	222330	345.57	243870	शून्य	अनुपलब्ध
8.	हरियाणा	38.20	19643	शून्य	20253	शून्य	22180	शून्य	अनुपलब्ध
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	2688	9.74	अनुपलब्ध	शून्य	3335	शून्य	अनुपलब्ध
10.	जम्मू कश्मीर	शून्य	734	5.09	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध
11.	झारखंड	30.20	2300	1.15	4639	शून्य	3031	शून्य	998
12.	कर्नाटक	3.36	3709	11.46	3824	शून्य	7812	शून्य	4711
13.	केरल	शून्य	1127	शून्य	877	शून्य	1165	25.68	अनुपलब्ध
14.	मध्य प्रदेश	70.15	68096	62.63	75094	85.60	82603	47.32	58413
15.	महाराष्ट्र	154.41	53729	शून्य	63996	157.74	70379	शून्य	अनुपलब्ध
16.	उड़ीसा	4.00	45	2.08	994	शून्य	1641	5.55	अनुपलब्ध
17.	पांडीचेरी	शून्य	999	1.80	1049	8.46	1615	37.38	अनुपलब्ध
18.	पंजाब	शून्य	8791	शून्य	7416	18.513	6936	शून्य	अनुपलब्ध
19.	राजस्थान	59.69	19482	38.83	30363	124.594	34799	27.31	31652
20.	सिक्किम	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	5.98	अनुपलब्ध
21.	तमिलनाडु	49.72	43812	61.50	39450	91.04	52012	88.32	अनुपलब्ध
22.	त्रिपुरा	3.08	4234	2.30	4592	6.64	4483	शून्य	4198
23.	उत्तर प्रदेश	शून्य	39732	शून्य	46829	92.56	55611	2.05	62853
24.	उत्तरांचल	2.21	250	7.79	अनुपलब्ध	शून्य	अनुपलब्ध	शून्य	2531
25.	पश्चिम बंगाल	2.81	420	5.59	1390	6.82	1870	2.54	अनुपलब्ध

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) अनु. जाति के लड़कों के लिए होस्टलों के निर्माण के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	0	462.83	5200	42.67	0	शून्य	शून्य
2.	असम	शून्य	0	9.00	900	शून्य	0	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	0	421.00	2000	शून्य	0	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	0	शून्य	185	शून्य	0	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	2.00	45	77.00	226	शून्य	0	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	60.13	90	450	0	289.62	295	शून्य	शून्य
7.	जम्मू कश्मीर	शून्य	0	26.97	0	शून्य	0	शून्य	शून्य
8.	झारखंड	245.80	950	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	563.19	2390	274.31	1600	406.35	1208	शून्य	शून्य
10.	केरल	4.00	30	शून्य	0	40.35	100	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	284.38	700	344.67	950	999.43	2680	शून्य	शून्य
12.	महाराष्ट्र	शून्य	0	65.75	1036	शून्य	0	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	21.12	100	शून्य	100	21.04	50	शून्य	शून्य
14.	पंजाब	11.57	80	शून्य	0	शून्य	200	शून्य	शून्य
15.	राजस्थान	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	200	शून्य	शून्य
16.	तमिलनाडु	182.59	960	89.41	0	1134	3706	शून्य	शून्य
17.	त्रिपुरा	18.58	0	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	155.64	450	71.08	200	91.84	250	शून्य	शून्य
19.	उत्तरांचल	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	54.31	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	पश्चिम बंगाल	शून्य	0	4.48	140	शून्य	0	शून्य	शून्य
21.	चंडीगढ़	शून्य	0	50.18	0	शून्य	0	शून्य	शून्य

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) अनु. जाति की लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	0	505.50	5200	649.92	6360	शून्य	शून्य
2.	असम	शून्य	0	9.00	900	शून्य	0	शून्य	शून्य
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	0	54.00	200	शून्य	0	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	0	23.05	150	17.54	0	शून्य	शून्य
5.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	0	38.64	198	शून्य	0	शून्य	शून्य
6.	झारखंड	245.80	950	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	207.42	350	651.84	5110	319.2	633	शून्य	शून्य
8.	केरल	45.50	90	79.5	150	33	100	शून्य	शून्य
9.	मध्य प्रदेश	665.74	1800	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	शून्य
10.	नागालैंड	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	100	शून्य	शून्य
11.	उड़ीसा	25.00	200	शून्य	148	शून्य	50	शून्य	शून्य
12.	पंजाब	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	100	शून्य	शून्य
13.	राजस्थान	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	276	शून्य	शून्य
14.	सिक्किम	शून्य	0	शून्य	0	48	50	शून्य	शून्य
15.	तमिलनाडु	43.50	295	61.5	0	378	1200	शून्य	शून्य
16.	त्रिपुरा	9.49	0	शून्य	0	4.35	0	शून्य	शून्य
17.	उत्तर प्रदेश	196.04	550	36.91	100	शून्य	0	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	उत्तरांचल	शून्य	0	शून्य	0	शून्य	0	54.31	शून्य
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	0	40.06	140	शून्य	0	शून्य	शून्य
20.	चंडीगढ़	शून्य	0	35.42	0	शून्य	0	शून्य	शून्य
21.	दिल्ली	शून्य	0	शून्य	100	शून्य	0	शून्य	शून्य
22.	पांडिचेरी	शून्य	0	शून्य	0	100	308	शून्य	शून्य

2001-02 और 2002-03 के दौरान राष्ट्रीय स्केवेंजर्स मुक्ति और पुनर्वास स्कीम के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभथियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	224.70	24896	2966.80	149885
2.	असम	0.00	4500	0.00	4000
3.	छत्तीसगढ़	0.00	0	0.00	5000
4.	हिमाचल प्रदेश	0.00	1600	239.96	1600
5.	झारखंड	0.00	0	0.00	0
6.	कर्नाटक	695.17	3861	888.37	5000
7.	मध्य प्रदेश	0.00	5525	0.00	5567
8.	महाराष्ट्र	0.00	10500	0.00	10500
9.	उड़ीसा	0.00	8005	0.00	3675
10.	पंजाब	0.00	0	0.00	285
11.	राजस्थान	0.00	800	0.00	836
12.	तमिलनाडु	0.00	3500	0.00	0
13.	उत्तर प्रदेश	0.00	11653	0.00	1618
14.	पश्चिम बंगाल	0.00	2000	0.00	0

2003-04 में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को स्थानान्तरित किए गए

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	पंजीकृति मामलों की संख्या	निर्मुक्त	पंजीकृति मामलों की संख्या	निर्मुक्त	पंजीकृति मामलों की संख्या	निर्मुक्त	पंजीकृति मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	165.01	2251	328.14	2149	446.42	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	शून्य	693	65.00	876	85.82	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	902	88.27	920	30.1	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
4.	गोवा	शून्य	1	शून्य	2	0.73	प्रतीक्षित	1.00	देय नहीं
5.	गुजरात	178.20	1217	226.63	1167	256.63	प्रतीक्षित	83.71	देय नहीं
6.	हरियाणा	13.78	68	27.28	63	22.23	प्रतीक्षित	14.84	देय नहीं
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	19	4.72	17	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
8.	झारखंड	शून्य	126	105.98	95	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
9.	कर्नाटक	174.59	1325	567.05	1333	शून्य	प्रतीक्षित	458.50	देय नहीं
10.	केरल	44.15	499	73.15	469	43.7	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
11.	मध्य प्रदेश	812.86	4449	435.98	6765	1280.97	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
12.	महाराष्ट्र	6.48	858	772.52	853	150.4	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
13.	उड़ीसा	0.97	1283	0.81	1281	4.95	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
14.	पंजाब	33.10	56	शून्य	60	40.43	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
15.	राजस्थान	317.38	5915	19.29	5465	33.68	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
16.	सिक्किम	शून्य	0	1.91	0	0.95	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
17.	तमिलनाडु	502.48	839	336.67	919	124.61	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
18.	उत्तर प्रदेश	700.00	9764	886.64	5841	1030.22	प्रतीक्षित	610.70	देय नहीं
19.	उत्तरांचल	शून्य	132	22.42	78	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
20.	पश्चिम बंगाल	शून्य	10	शून्य	27	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
21.	अंडमान व निकोबार	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
22.	चण्डीगढ़	शून्य	2	शून्य	0	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
23.	दादरा और नागर हवेली	25.00	5	26.33	1	33.42	प्रतीक्षित	30.00	देय नहीं
24.	दमन और दीव	शून्य	0	शून्य	2	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	दिल्ली	शून्य	17	शून्य	18	शून्य	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं
26.	पांडिचेरी	31.50	13	29.23	18	34.63	प्रतीक्षित	शून्य	देय नहीं

2001-02 और 2002-03 के दौरान अनु. जाति हेतु पुस्तक बैंक स्कीम के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभथियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	0	76.43	11401
2.	असम	शून्य	0	2.78	276
3.	बिहार	शून्य	0	10.00	838
4.	छत्तीसगढ़	शून्य	0	5.31	339
5.	गोवा	शून्य	0	0.00	0
6.	हरियाणा	शून्य	0	8.47	448
7.	जम्मू-कश्मीर	शून्य	0	5.99	306
8.	कर्नाटक	33.27	3173	115.63	4560
9.	केरल	40.00	2745	16.79	2500
10.	मध्य प्रदेश	शून्य	0	24.99	1790
11.	महाराष्ट्र	85.79	7963	0.00	0
12.	पंजाब	शून्य	0	14.51	1141
13.	राजस्थान	9.40	3067	0.00	0
14.	तमिलनाडु	13.38	2950	61.86	5636
15.	त्रिपुरा	1.86	89	1.18	68
16.	उत्तर प्रदेश	103.16	7132	87.85	8241
17.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	3.21	220
18.	दिल्ली	12.00	369	12.00	441

2003-04 से अनु. जाति की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के साथ विलय की गई

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) अनु. जाति के लिए मैरिट उन्नयन के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	37.80	277	26.70	203	42.00	280	0.00	देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	0.00		13.80	92	0.00	0	0.00	देय नहीं
3.	छत्तीसगढ़	9.23	112	21.52	93	15.00	100	0.00	देय नहीं
4.	गोवा	1.43	10	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
5.	हरियाणा	7.93	6	7.65	64	7.05	60	0.00	देय नहीं
6.	कर्नाटक	0.00		28.20	188	21.55	188	0.00	देय नहीं
7.	केरल	4.50	20	3.00	0	3.00	20	0.00	देय नहीं
8.	मध्य प्रदेश	0.00		73.50	20	58.00	392	0.00	देय नहीं
9.	उड़ीसा	0.00		36.60	244	0.00	0	0.00	देय नहीं
10.	राजस्थान	8.24	86	7.01	77	0.00	0	0.00	देय नहीं
11.	सिक्किम	0.00		1.50	10	2.25	15	0.00	देय नहीं
12.	त्रिपुरा	1.20	8	3.00	20	1.20	20	0.00	देय नहीं
13.	उत्तर प्रदेश	30.87	276	36.25	275	34.31	303	41.75	देय नहीं
14.	पश्चिम बंगाल	0.00		45.90	358	0.00	0	0.00	देय नहीं

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	0	645.25	136598	402.60	86313	0.00	देय नहीं
2.	असम	0.00	0	26.85	15239	26.00	16439	0.00	देय नहीं
3.	गुजरात	0.00	0	0.00	0	207.30	46000	260.30	देय नहीं
4.	जम्मू व कश्मीर	20.00	11529	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	झारखंड	31.45	13271	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
6.	कर्नाटक	278.15	25155	0.00	0	0.00	159860	0.00	देय नहीं
7.	मध्य प्रदेश	0.00	0	606.00	268000	0.00	0	0.00	देय नहीं
8.	राजस्थान	0.00	0	0.00	0	0.00	87497	0.00	देय नहीं
9.	सिक्किम	5.00	83	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
10.	तमिलनाडु	0.00	0	240.00	36000	0.00	0	0.00	देय नहीं
11.	त्रिपुरा	110.04	51480	171.23	80016	175.00	95755	120.67	देय नहीं
12.	उत्तर प्रदेश	1222.21	800140	0.00	0	615.29	1150000	0.00	देय नहीं
13.	उत्तरांचल	73.19	4835	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
14.	पश्चिम बंगाल	0	0	184.75	50000	0.00	0	0.00	देय नहीं

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	357.77	24142	247.86	14250	299.02	15454	0.00	देय नहीं
2.	असम	32.77	4705	8.39	711	1.61	857	0.00	देय नहीं
3.	बिहार	500.00	28128	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
4.	गोवा	0.00	0	0.00	0	3.26	400	5.96	देय नहीं
5.	गुजरात	0.00	0	0.00	0	323.25	13000	0.00	देय नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	55.02	4800	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
7.	जम्मू व कश्मीर	42.00	2790	14.32	5580	0.00	0	0.00	देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	झारखंड	191.88	10000	214.08	25365	0.00	0	0.00	देय नहीं
9.	कर्नाटक	145.57	13645	211.69	16395	187.25	16525	0.00	देय नहीं
10.	महाराष्ट्र	452.84	28338	0.00	0	0.00	0	13.76	देय नहीं
11.	मणिपुर	0.00	0	60.20	6040	0.00	0	108.50	देय नहीं
12.	उड़ीसा	0.00	0	0.00	0	18.09	624	0.00	देय नहीं
13.	राजस्थान	0.00	0	198.95	15296	326.72	18604	0.00	देय नहीं
14.	सिक्किम	0.22	11	5.29	520	0.00	0	0.00	देय नहीं
15.	तमिलनाडु	0.00	0	352.81	20200	0.00	0	0.00	देय नहीं
16.	त्रिपुरा	63.31	4417	254.03	22144	240.00	23834	0.00	देय नहीं
17.	उत्तर प्रदेश	329.00	22962	1016.14	108109	987.91	432446	0.00	देय नहीं
18.	उत्तरांचल	25.92	4000	0.00	0	11.90	3569	0.00	देय नहीं
19.	पश्चिम बंगाल	0.00	0	258.14	18845	0.00	0	0.00	देय नहीं

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	188.74	2100	210.00	2000	220.00	20	0.00	देय नहीं
2.	असम	0.00		0.00	0	2.00	30	0.00	देय नहीं
3.	बिहार	149.58	400	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
4.	जम्मू कश्मीर	0.00		108.27	350	83.16	350	0.00	देय नहीं
5.	झारखंड	147.28	600	0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	कर्नाटक	216.99	1800	263.77	955	296.02	870	0.00	देय नहीं
7.	मध्य प्रदेश	0.00		50.00	400	0.00	0	0.00	देय नहीं
8.	मणिपुर	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
9.	उड़ीसा	0.00		120.04	360	161.67	300	0.00	देय नहीं
10.	राजस्थान	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
11.	सिक्किम	20.00	50	20.00	50	0.00	50	0.00	देय नहीं
12.	तमिलनाडु	157.28	350	283.50	900	68.48	250	0.00	देय नहीं
13.	त्रिपुरा	0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	देय नहीं
14.	उत्तर प्रदेश	265.13	300	195.47	561	195.47	576	0.00	देय नहीं
15.	पश्चिम बंगाल	0.00		68.95	180	0.00	0	0.00	देय नहीं

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00		0.00		0.00		0.00	
2.	गुजरात	0.00		0.00		0.00		0.00	
3.	हरियाणा	0.00		0.00		0.00		0.00	
4.	कर्नाटक	14.44		25.94		0.00		0.00	
5.	केरल	64.46		0.00		0.00		0.00	
6.	मध्य प्रदेश	0.00		0.00		0.00		0.00	
7.	मिजोरम	15.21		0.00		0.00		0.00	
8.	उड़ीसा	0.00		0.00		0.00		0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	पंजाब	6.27		0.00		0.00		0.00	
10.	राजस्थान	10.41		26.10		0.00		0.00	
11.	तमिलनाडु			77.60		0.00		0.00	
12.	उत्तर प्रदेश	29.05		14.10		19.84		0.00	
13.	चण्डीगढ़	5.72		4.35		0.00		5.00	
14.	दिल्ली	6.03		0.00		5		0.00	
15.	पांडीचेरी	1.97		0.00		0.00		0.00	

* लाभार्थी लागू नहीं

राज्य सरकार को निधियां प्रतिपूर्ति आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

पूर्व तीन वर्षों के दौरान और आज तक (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) किशोर न्याय कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता और सहायता प्रदत्त लाभार्थियों की संख्या

(लाख रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
		निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी	निर्मुक्त	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	78.76	989	112.13	1229	शून्य	0	शून्य	0
2.	बिहार	30.08	588	30.31	600	43.3	836	शून्य	0
3.	छत्तीसगढ़	शून्य	0	23.56	275	54.18	0	29.00	228
4.	गोवा	4.04	73	4.12	77	5.89	104	4.95	74
5.	गुजरात	47.50	916	47.59	921	65.91	955	शून्य	0
6.	हरियाणा	3.09	235	2.47	252	24.79	326	15.59	354
7.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	0	3.99	70	शून्य	0	शून्य	0
8.	झारखंड	शून्य	0	23.84	56	शून्य	0	शून्य	0
9.	कर्नाटक	49.44	2792	51.76	2943	79.41	2766	शून्य	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	केरल	25.28	851	12.69	800	24.27	765	शून्य	0
11.	मध्य प्रदेश	113.58	2904	110.81	2972	106.86	4072	शून्य	0
12.	महाराष्ट्र	710.77	18655	509.15	18655	742.75	19629	शून्य	0
13.	मेघालय	5.89	76	7	76	9.13	76	9.92	76
14.	मिजोरम	8.99	150	15.91	225	32.37	225	शून्य	0
15.	नागालैंड	3.22	30	4.56	100	4.56	100	शून्य	0
16.	उड़ीसा	शून्य	0	0.42	119	5.43	120	5.73	143
17.	पंजाब	13.17	414	23.04	387	30.56	465	शून्य	0
18.	राजस्थान	12.17	337	9.17	337	16.18	338	11.95	284
19.	सिक्किम	1.70	25	2.03	25	2.33	25	2.33	25
20.	तमिलनाडु	190.51	2850	113.6	2285	106.85	1830	138.18	1780
21.	त्रिपुरा	शून्य	0	शून्य	0	0.04	4	शून्य	0
22.	उत्तर प्रदेश	64.95	1247	189.11	1789	127.35	1723	शून्य	0
23.	पश्चिम बंगाल	73.49	2580	83.65	2885	80.84	2735	शून्य	0
24.	चण्डीगढ़	शून्य	0	शून्य	0	6.00	0	शून्य	0
25.	दिल्ली	82.03	1415	52.09	1743	70.00	1655	शून्य	0
	कुल	1518.66	37127	1433.00	38821	1639.00	38749	217.65	2964

नई प्रसारण नीति

4389. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसारण नीति में आमूल-चूल परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या मुख्य परिवर्तन किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके कब तक घोषित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) प्रसारण नीति की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और यथा आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किए जाते हैं।

अपतटीय खोज ड्रिलिंग ठेके

4390. श्री सुकदेव पासवान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओएनजीसी ने इस वर्ष बाम्बे हाई में भारतीय ड्रिलिंग कंपनियों को उनके अपतटीय खोज ड्रिलिंग ठेकों के लिए विदेशी मुद्रा में उच्च दरों पर भुगतान किया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में जैक-अप रिग्स के लिए बाम्बे हाई में खोज ठेके में अपतटीय ड्रिलिंग ठेके हेतु भुगतान की दरें क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी नहीं। बंबई हाई में अपतटीय वेधन रिगों के लिए अब तक इस वर्ष कोई संविदा प्रदान नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

विस्फोट नियंत्रण मशीनों की प्रति किलोमीटर लागत

4391. श्री रघुनाथ झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में विस्फोट नियंत्रण मशीनों की प्रति किलोमीटर लागत औसतन पूरे भारत की तुलना में न्यूनतम थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या लागत में इतना अधिक अंतर होने की जांच करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। लागत में इतना अधिक अन्तर नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रिलायंस का लाइसेंस रद्द करना

4392. मो. मुकीम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस पाइपलाइन बिछाने में विलंब के कारण रिलायंस कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) रिलायंस कंपनी की अनुषंगी कंपनी गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को अहमदाबाद-भोपाल-कटक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किस आधार पर दिया गया;

(घ) इस पाइपलाइन पर कार्य आरंभ करने और पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है और उक्त परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और अभी तक कितना कार्य पूरा हुआ है;

(ङ) समय पर कार्य पूरा करने के कारण रिलायंस कंपनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार ने मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा प्रोन्नत कंपनी, गैस ट्रांसपोर्ट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जीटीआईसीएल) से स्पष्टीकरण मांगा है कि जामनगर-भोपाल गैस पाइपलाइन परियोजना पर क्यों वास्तविक प्रगति नहीं हुई है।

(ग) मैसर्स जीटीआईसीएल ने प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जामनगर से भोपाल तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (पी एंड एमपी) अधिनियम, 1962 के तहत भूमि में प्रयोक्ता के अर्जन अधिकार (एआरयूएल) के लिए सरकार से अनुरोध किया था। सरकार ने प्रयोक्ता अधिकार के अर्जन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस पाइपलाइन को तत्पश्चात् उड़ीसा में कटक तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। तथापि इस क्षेत्र के लिए प्रयोक्ता अधिकार हेतु आवेदन अभी प्राप्त होने हैं।

(घ) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, जीटीआईसीएल ने पाइपलाइन के पूरे मार्ग हेतु आरओयू अधिसूचना के प्रकाशन के तीन माह पूरे होने के भीतर ही पाइपलाइन पूरा होने करने के लिए कहा है। जीटीआईसीएल ने आगे कहा था कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भेजे गए आरओयू अधिसूचना के कतिपय संशोधन/परिशिष्ट सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। पाइपलाइन की लागत कुल क्षमता पर आधारित होगी जिसे कंपनी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है और भावी उपभोक्ताओं से हिताधिष्यक्ति की प्राप्ति के बाद ही जाना जा सकेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में चल पुस्तकालय एवम् बुक स्टाल

4393. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में चल पुस्तकालय एवम् बुकस्टाल की सुविधा अथवा फेरी द्वारा यह सुविधा प्रदान न करने के विस्तृत कारण क्या हैं;

(ख) बेरोजगार स्नातक व्यक्तियों द्वारा चलाई जा रही उपर्युक्त सुविधा को बंद करने के क्या कारण हैं; और

(ग) देश भर में लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में यात्रियों को पुस्तकें और समाचार-पत्र आदि उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबंध किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) लम्बी दूरी की कुछ गाड़ियों में मोबाइल बुक स्टाल एवं लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। मोबाइल लाइब्रेरी एवं बुक स्टाल धारकों को मुफ्त द्वितीय श्रेणी के पास की सुविधा दिए जाने का भी विनिश्चिय किया गया था। समीक्षा के बाद 1986 में यह विनिश्चिय किया गया था कि यात्रियों में कम लोकप्रिय होने तथा भारतीय रेल के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बुक स्टाल और ट्रालियों के उपलब्ध होने के कारण मोबाइल बुक स्टाल एवं लाइब्रेरी की सुविधा को आगे चालू नहीं रखा जाना चाहिए।

मछुआरों को मिट्टी के तेल और डीजल पर राजसहायता

4394. प्रो. एम. रामदास :
डा. के.एस. मनोज :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डीजल और मिट्टी के तेल के मूल्य में बार-बार होने वाली वृद्धि के कारण छोटे और सीमांत तटीय मछुआरों के सामने आ रही भारी कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके कष्टों को कम करने के लिए क्या राहत उपाय किए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार उपयुक्त मछुआरों के लिए मिट्टी के तेल और डीजल पर राजसहायता में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बावजूद 1.3.02 के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल के बिक्री मूल्य में वृद्धि नहीं की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल पर राजसहायता दी जाती है। और सरकारी राजसहायता के अलावा तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इस उत्पाद पर राजसहायता देने का भार बंटा रहे हैं। राजसहायता प्राप्त दर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किया जाता है जो इस उत्पाद को पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए स्वयं की व्यवस्थाएं करते हैं। जहां तक डीजल का संबंध है, 1.8.04 से एक मूल्य श्रृंखला व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अनुसार तेल कंपनियां किसी निर्धारित मूल्य श्रंखलाँ के भीतर ही मूल्य में संशोधन कर सकती है। इसके अलावा डीजल के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का प्रभाव सीमित करने के लिए डीजल पर उत्पाद शुल्क 15/16 जून, 2004 की मध्य रात्रि से 3% कम कर दिया गया। बाद में 18/19 अगस्त, 2004 की मध्य रात्रि से डीजल पर सीमा शुल्क 5% कम कर दिया गया और उत्पाद शुल्क में और 3% की कमी की गई। उपरोक्त राजकोषीय उपाय के अलावा, एक सरकारी योजना है जिसे ''डीजल पर मछुआरा विकास छूट'' कहते हैं। और जिसके अंतर्गत 20 मीटर लंबाई से कम मछली पकड़ने के मेकेनाइज्ड जहाजों द्वारा प्रयुक्त डीजल पर 1.50 रुपए प्रति लीटर राजसहायता दी जाती है।

रेलवे स्टेशनों पर सफाई अभियान

4395. डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम शांडिल्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेलवे स्टेशनों पर सफाई अभियान आरंभ किया है और कुछ नई मशीनें भी संस्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) स्टेशनों पर प्रत्यक्ष सुधार लाने के लिए सफाई अभियान चलाए गए हैं। इन अभियानों के दौरान मशीन के जरिए सफाई करने पर खास तवज्जों दी गई है। स्टेशनों पर सफाई सुव्यवस्थित करने के लिए नई मशीनें जैसे उच्च दाब वाले वाटर जेट्स, हेवी डयूटी स्कबर और ड्राअर, वैक्यूम कलीनर संस्थापित किए गए हैं।

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ खर्च की गइं धनराशि के बारे में अलग से कोई आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

योजनाओं की समीक्षा

4396. श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अधीन सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्य-निष्पादन की निरंतर समीक्षा की जाती है जिसके लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र लागू किया गया है। कार्य-निष्पादन समीक्षा के तंत्र में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संघ के मंत्रियों द्वारा समीक्षा, निष्पादन समीक्षा समितियां, राज्य एवं जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां, जिला स्तरीय निगरानीकर्ता, राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता, समवर्ती और तीव्र मूल्यांकन अध्ययन और प्रभाव मूल्यांकन शामिल हैं। इन समीक्षाओं के निष्कर्षों का इस्तेमाल विभिन्न स्तरों पर आवश्यक नीतिगत कार्यों के लिए किया जाता है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शून्य आधारित बजट कार्य शुरू किया था जिसके पश्चात् इस मंत्रालय की कुछ केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को या तो राज्यों को अंतरित कर दिया गया या उन्हें पुनः बनाया गया। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकता की कुछ ही केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इस तरह से इन योजनाओं को राज्यों को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

तमिलनाडु में हैंडपम्पों की अवस्थापना

4397. श्री जे.एम. आरून रशीद : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को प्रधानमंत्री पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपम्पों की अवस्थापना हेतु कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी और निधियां आबंटित कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री पेयजल कार्यक्रम के तहत हैण्ड पंप लगाने के लिए तमिलनाडु सरकार के प्रस्ताव को पहले ही स्वीकृत कर दिया गया है और 2784 हैण्ड पंप लगाने के लिए स्वीकृत 870.70 लाख रु. आबंटित करके पहले ही जारी कर दी गई है। आबंटन के 50 प्रतिशत की पहली किस्त भी रिलीज कर दी गई है।

[अनुवाद]

ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल करना

4398. श्री कैलाश मेघवाल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को शामिल कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है; और

(घ) हमारी नौसेना के सुदृढ़ीकरण में यह किस सीमा तक सहायता करेगी?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) पोत और जमीन से सफल उड़ान परीक्षणों की श्रृंखला के बाद इस प्रक्षेपास्त्र ने विनाशकारी विध्वंसक क्षमता के साथ पोत लक्ष्य के सामने अपना सही कार्य-निष्पादन साबित कर दिया है। नौसेना ने कतिपय प्रकार के पोतों और उपतटों में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र शामिल करने के लिए इच्छा पत्र प्रस्तुत किया है। वर्ष 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए उत्पादन शुरू हो गया है।

(ग) इस प्रक्षेपास्त्र की अधिकतम रेंज 290 कि.मी. है।

(घ) चूंकि अन्य किसी देश में ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का कोई समतुल्य नहीं है इसलिए भारतीय नौसेना की फायर शक्ति कई गुणा बढ़ जाएगी जिससे युद्ध में प्रतिस्पर्धातमक लाभ मिलेगा।

दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी को डाकस प्रोडक्शन कोष से सहायता

4399. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर पैकेज (2003-04) से दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी के हाऊस प्रोडक्शन कोष का बड़ा हिस्सा जनवरी, 2004 में केवल दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डीडी के गुवाहाटी और पीपीसी (एन.ई.) के अधिकतर बीटाकैम कैमरों की पिक्चर क्वालिटी निजी चैनलों की क्वालिटी की तुलना में बहुत घटिया है;

(घ) यदि हां, तो इन दो केन्द्रों में बीटाकैम केन्द्रों की संख्या, खरीद का वर्ष और कवर किए गए घंटों की संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विशेष पैकेज से डीडी के गुवाहाटी और पीपीसी (एन.ई.) के लिए नए कैमरों, नए उपस्करों और संपादन सुविधाओं को खरीदने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। पी पी एस एस (पूर्वोत्तर पैकेज) के अंतर्गत घरेलू निर्माण के लिए 52,00,000/- रुपये की राशि 3 फरवरी, 2004 को निर्मुक्त की गयी।

(ख) यह विलंब पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण था। इसलिए पूर्वोत्तर के अन्य केन्द्रों से निधियों को दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी के लिए प्रयोग में लाना पड़ा। भविष्य में प्रसार भारती यह सुनिश्चित करेगा कि निधियों को दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी सहित विभिन्न पूर्वोत्तर केन्द्रों द्वारा बजट प्रक्षेपणों को ध्यान में रखते हुए समय से निर्मुक्त किया जाए।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी और पी पी सी (पूर्वोत्तर) के बीटाकैम कैमकोर्डर्स की तकनीकी गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी और पी पी सी (पूर्वोत्तर) के लिए 5-5 अर्थात 10 बीटाकैम कैमकोडरों को वर्ष 1994 और 1998 के बीच चरणद्ध तरीके से अधिप्राप्त किया गया। दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी और पी पी सी (पूर्वोत्तर) में बीटाकैम कैमकोडरों का औसतन उपयोग क्रमश: लगभग 60 घंटे प्रतिमाह और 20 घंटे प्रतिमाह है।

(ङ) और (च) यद्यपि विशेष पैकेज के अंतर्गत दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी और पी पी सी (पूर्वोत्तर) को नए कैमरे उपलब्ध कराने की योजना नहीं है तथापि, दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी तथा पी पी सी (पूर्वोत्तर) में निर्माण संबंधी सुविधाओं के लिए संपादन उपस्कर सहित अन्य उपस्करों को विशेष योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराने की परिकल्पना है।

[हिन्दी]

पंचायतों को जारी की गई धनराशि

4400. श्री सीताराम सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं हेतु देश के प्रत्येक राज्य की पंचायतों को जारी की गई धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायतें गम्भीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (ग) प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए निधियां सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों/कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज की जाती हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार-सरकार राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद सीधे निर्वाचित पंचायतों को निधियां देने पर विचार करेगी। फिलहाल ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए सीधे पंचायती राज संस्थाओं को निधियां देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु अनुदानों का प्रावधान

4401. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किन-किन ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत/आंशिक अनुदान प्रदान किया जाता है; और

(ख) ऐसे मामलों का योजना-वार ब्यौरा क्या है जिनके लिए आंशिक अनुदान प्रदान किया जाता है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान में निम्नलिखित मुख्य योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:-

1. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई)
2. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई)

3. इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)

5. समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी)

6. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी)

7. मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी)

8. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी)

9. संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी)

10. स्वजलधारा

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई), इंदिरा आवा योजना (आई ए वाई), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी) और मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी डी पी) के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधियों का अनुपात 75:25 है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) शत प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का योगदान क्रमश: 5500 रु. प्रति हेक्टेयर और 500 रु. प्रति हेक्टेयर के अनुपात में है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच वित्तपोषण 50:50 के आधार पर होता है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी) के अंतर्गत केंद्र, राज्य और समुदाय क्रमश: 60:20:20 के अनुपात में वित्तपोषण करते हैं। स्वजलधारा के अंतर्गत, समुदाय के योगदान के अतिरिक्त, शेष परियोजना लागत पूर्णत: भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन

4402. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम-मध्य रेलवे के कोटा मण्डल में रेलवे स्टेशनों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) पश्चिम-मध्य रेलवे के अन्तर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित रेलवे स्टेशनों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) पश्चिम रेलवे के रतलाम मण्डल के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है और पश्चिम रेलवे के अन्तर्गत आने वाले मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित स्टेशनों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(घ) क्या पश्चिम-मध्य रेलवे के कोटा मण्डल को उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर के अन्तर्गत लाने की कोई मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में 96 स्टेशन हैं।

(ख) पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल पर राजस्थान में 81 स्टेशन स्थित हैं और मध्य प्रदेश में 12 स्टेशन स्थित हैं।

(ग) पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में 136 स्टेशन हैं, जिनमें से 114 स्टेशन मध्य प्रदेश में स्थित हैं और पश्चिम रेलवे के अंतर्गत 7 स्टेशन राजस्थान में स्थित हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) किसी जोन का क्षेत्राधिकार जोन बनाने में मंडलों की भौगोलिक निकटता, बेहतर नियंत्रण मुहैया कराने तथा प्रणाली की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए परिचालनिक दृष्टि से यातायात के निर्बाध संचलन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोटा मंडल को उत्तर पश्चिम रेलवे से संबद्ध करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

बीजापुर से गडग तक आमान परिवर्तन की प्रगति

4403. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजापुर और गडग के बीच बरास्ता बागलकोट आमान परिवर्तन के कार्य प्रगति, इस कार्य हेतु परिव्यय, अब तक खर्च की गई धनराशि और इसको पूर्ण करने के लिए निर्धारित तिथि क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार के साथ लागत भागीदारी की कोई व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा किया गया अंशदान कितना है;

(घ) क्या राज्य सरकार से अंशदान देने में हुए किसी विलंब से कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बीजापुर-बगलकोट-गदग का आमान परिवर्तन शोलापुर-गदग के आमान

परिवर्तन परियोजना का भाग है। इस परियोजना के शोलापुर-बीजापुर खण्ड का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। परियोजना का शेष कार्य अर्थात् बीजापुर-बगलकोट-गदग का कार्य प्रगति पर है और बीजापुर-बगलकोट खण्ड के निर्माण कार्य को वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बजट 2004-05 में इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना पर 31.3.2004 तक 195.54 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकार ने अपने हिस्से के रूप में 16 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं।

(घ) और (ङ) कर्नाटक राज्य सरकार ने अपना अनुपातिक हिस्सा रेलवे को जमा करने में विलंब किया है जिसके कारण परियोजना की प्रगति प्रभावित हो रही है। अब तक 17.36 करोड़ रुपए की राशि बकाया हो गई है।

रेलवे विद्युतीकरण

4404. श्री किरिप चालिहा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान रेलवे बजट में रेलवे विद्युतीकरण को प्राथमिकता नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। 2004-05 के रेल बजट में विद्युतीकरण के लिए 375 मार्ग कि.मी. का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विद्युतीकरण के लिए 237.49 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2003-04 में 350 मार्ग कि.मी. के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 504 मार्ग कि. मी. को विद्युतीकृत किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल हेतु भागीदारी प्रणाली

4405. श्री हितेन बर्मन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. आधारित आबंटन योजना को मांग-केन्द्रित, समुदाय-भागीदारी दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जैसा कि स्वजलधारा कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो नीति ढांचे का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. को समाप्त करने के मामले में पेयजल आपूर्ति योजना के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच धनराशि भागीदारी प्रणाली का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) जून, 03 में परिचालित स्वजलधारा के दिशा-निर्देशों के पैरा 15.1 में, बाद के वर्षों में स्वजलधारा के लिए बजट सहायता की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का प्रावधान है ताकि 10वीं योजनावधि के अंत तक स्वजलधारा के अंतर्गत शेष जिलों को पूरी तरह शामिल किया जा सके। स्वजलधारा दिशानिर्देशों के पैरा 15.3 में आगे यह भी निर्दिष्ट है कि राज्यों को प्रत्येक वर्ष स्वजलधारा के अंतर्गत निधियां वर्ष के लिए निर्धारित अंतर-राज्य त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के आबंटन के अनुसार आबंटित की जाएंगी। भारत सरकार ने स्वजलधारा परियोजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान को बढ़ाने तथा ए आर डब्ल्यू एस पी को समाप्त करने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नही लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रसार भारती में भर्ती

4406. श्री के.एस. राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक प्रसारकों, दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो में छंटनी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रसार भारती निगम ने सरकार से महत्वपूर्ण पदों पर भर्ती करने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और प्रसार भारती निगम में रिक्त पदों की संख्या कितनी है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (ग) व्यय सुधार आयोग ने प्रसार भारती के संबंध में अपनी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी कहा

था कि ट्रांसमीटरों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्टॉफ अधिक है। यह भी सिफारिश की गई थी कि प्रसार भारती में रिक्त पड़े पदों को अभिनिर्धारित और समाप्त किया जाना चाहिए। तथापि, प्रसार भारती इस बात से सहमत नहीं है। इसके विपरीत, प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा स्थापित नए प्रतिष्ठापनों को चालू करने को सुविधाजनक बनाने की बाबत कुछ अतिरिक्त पदों के सृजन की सिफारिश करता रहा है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि आकाशवाणी में 4693 रिक्तियां हैं। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है 4616 व्यक्तियों की कमी बताई गई है।

(ङ) सरकार प्रसार भारती के सभी प्रतिष्ठापनों को चालू करने और सुचारू रूप से उनको संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सलाहकार बोर्ड का गठन

4407. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री रूपचन्द मुर्मू :
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों संबंधी नई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन और कार्य क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है।

(ख) नव गठित राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के मुखिया के रूप में प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री शामिल होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी लक्ष्यों और उद्देश्यों के संवर्धन के मद्देनज़र केंद्र सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकीय शक्ति और विदेश नीति से संबंधित मामलों पर सलाह देती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में एक संयोजक और सरकार से बाहर के ऐसे अन्य विशिष्ट व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें विदेशी मामलों, बाह्य सुरक्षा, रक्षा सामरिक विश्लेषण, अर्थव्यवस्था, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आंतरिक सुरक्षा एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (2004-2006) में इस समय 15 सदस्य हैं। यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा उसे भेजे जाने वाले मसलों पर परिषद को सलाह देता है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए दीर्घ-कालिक विश्लेषण उपलब्ध करवाना और बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान और नीतिगत विकल्पों की सिफारिश करना है।

[हिन्दी]

परती भूमि को उपजाऊ बनाना

4408. **श्री रामदास बंडु आठवले** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में परती भूमि के कुल क्षेत्रफल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक परती भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) इन योजनाओं हेतु राज्य-वार आबंटित निधियां कितनी हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से प्रकाशित किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस, 2000 (वेस्टलैण्ड एलटस ऑफ इंडिया, 2000) के अनुसार देश में बंजरभूमि का कुल क्षेत्रफल 63.85 मिलियन हैक्टेयर है। बंजरभूमि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि को विकसित करने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को 1.4.95 से वाटरशेड विकास संबंधी समान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा दो अन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) हैं, जिन्हें देश के अर्द्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में पहले से पहचान किए गए ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत निधियों को राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है। चूंकि ये कार्यक्रम मांग आधारित हैं, अत: स्वीकृत की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां संबद्ध जिला पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को उनकी मांग तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के अनुसार जारी की जाती हैं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान तथा अभी तक जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

भारत की राज्य-वार बंजरभूमि

(क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में)

क्र. सं.	राज्य	शामिल किए गए जिलों की सं.	शामिल किए गए जिलों की कुल भौगोलिक क्षेत्र	शामिल किए गए जिलों में बंजरभूमि का कुल क्षेत्र	कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में बंजरभूमि की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	275068.00	51750.19	18.81
2.	अरूणाचल प्रदेश	13	83743.00	18326.25	21.88
3.	असम	23	78438.00	20019.17	25.52
4.	बिहार	55	173877.00	20997.65	12.08
5.	गोवा	02	3702.00	613.27	16.57
6.	गुजरात	25	196024.00	43021.28	21.95
7.	हरियाणा	19	44212.00	3733.98	8.45
8.	हिमाचल प्रदेश	12	55673.00	31659.00	56.87
9.	जम्मू और कश्मीर	14	222236.00	65444.24	64.55
10.	कर्नाटक	27	191791.00	20839.28	10.87
11.	केरल	14	38863.00	1448.18	3.73
12.	मध्य प्रदेश	62	443446.00	69713.75	15.72
13.	महाराष्ट्र	32	307690.00	53489.08	17.38
14.	मणिपुर	09	22327.00	12948.62	58.00
15.	मेघालय	07	22429.00	9904.38	44.16
16.	मिजोरम	03	21081.00	4071.68	19.31
17.	नागालैण्ड	07	16579.00	8404.10	50.69
18.	उड़ीसा	30	155707.00	21341.71	13.71
19.	पंजाब	17	50362.00	2228.40	4.42

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	32	342239.00	105639.11	30.87
21.	सिक्किम	04	7096.00	3569.58	50.30
22.	त्रिपुरा	04	10486.00	1276.03	12.17
23.	तमिलनाडु	29	130058.00	23013.90	17.70
24.	उत्तर प्रदेश	83	294411.00	38772.80	13.17
25.	पश्चिम बंगाल	18	88752.00	5718.48	6.44
26.	संघ राज्य क्षेत्र	20	10973.00	574.30	5.23
	योग	584	3287263.00	638518.31	20.17

स्रोत: एन.आर.एस.ए. वेस्टलैंड एटलस, 2000 में निहित लैंड सैट थीमैटिक मैपर/आई.आर.एस./एल.आई.एस.एस.II/ III डाटा के द्वारा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किए गए बंजरभूमि के नक्शे।

टिप्पणी : जम्मू और कश्मीर में 1,20,849 वर्ग किलोमीटर के नक्शे तैयार नहीं किये गये हैं, अत: प्रतिशतता के परिकलन के लिए इसे शामिल नहीं किया गया है।

विवरण-II

वर्ष 2001-2 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान (23.8.2004 की स्थिति के अनुसार) क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियां (लाख रुपये में)	डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियां (लाख रुपये में)	डी.पी.पी. के अंतर्गत जारी की गई कुल निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7519.36	14731.21	4016.49
2.	बिहार	503.25	814.87	
3.	छत्तीसगढ़	2487.55	4043.94	
4.	गोवा	82.50		
5.	गुजरात	4709.48	8451.46	12472.29
6.	हरियाणा	1115.48		5649.05
7.	हिमाचल प्रदेश	4214.89	1284.96	2151.99
8.	जम्मू और कश्मीर	849.66	941.94	2604.14
9.	झारखंड	391.67	2647.97	
10.	कर्नाटक	4961.33	7755.25	5120.25
11.	केरल	630.76		
12.	महाराष्ट्र	3246.42	4897.11	
13.	मध्य प्रदेश	8937.28	15495.56	
14.	उड़ीसा	4429.87	2942.31	
15.	पंजाब	237.27		

1	2	3	4	5
16.	राजस्थान	4676.32	4882.87	28446.35
17.	तमिलनाडु	4375.29	4833.76	
18.	उत्तर प्रदेश	5204.06	4171.06	
19.	उत्तरांचल	1406.21	1605.36	
20.	पश्चिम बंगाल	127.50	668.65	
21.	अन्य		73.62	36.00
	योग	59906.15	80241.862	60496.56
	पूर्वोत्तर राज्य			
1.	अरूणाचल प्रदेश	896.28	डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत पहचान नहीं की गई है।	डी.डी.पी. के अंतर्गत पहचान नहीं की गई है।
1	2	3	4	5
2.	अरूणाचल प्रदेश	5060.98	-वही-	-वही-
3.	असम	1450.91	-वही-	-वही-
4.	मणिपुर	520.70	-वही-	-वही-
5.	मिजोरम	2318.26	-वही-	-वही-
6.	नागालैण्ड	4771.56	-वही-	-वही-
7.	सिक्किम	824.98	-वही-	-वही-
8.	त्रिपुरा	223.11	-वही-	-वही-
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	16066.78	0.00	0.00
	क्षेत्र विकास कायक्रमों का योग	75972.93	80241.86	60496.56

जिन राज्यों के सामने डी.पी.ए.पी./डी.डी.पी. के लिए आंकड़े नहीं दिए गए हैं उन राज्यों में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ब्लॉकों की पहचान नहीं की गई है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रेल उपरि और अंडर ब्रिज

4409. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में स्थान-वार रेल उपरि/अंडर ब्रिज की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे रेल उपरि/अंडर ब्रिज की संख्या क्या है जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है और जिनकी मरम्मत/बदलने की आवश्यकता है; और

(ग) ऐसे रेल उपरि/अंडर ब्रिज की संख्या कितनी है जो वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माणाधीन है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) तमिलनाडु राज्य में सड़क ऊपरि/निचले पुल की संख्या और उनकी स्थिति (मंडल पर) इस प्रकार है:–

मंडल	सड़क ऊपरी पुल पुल की संख्या	सड़क निचले पुल की संख्या
मद्रास (चेन्नई)	22	11
पालघाट	30	17
तिरूच्चिरापल्ली	25	10
तिरूवर्नतपुरम सेंट्रल	10	–
मदुरै	26	–
बेंगलूर	–	1
जोड़	113	39

(ख) कोई नहीं।

(ग) इस समय तमिलनाडु में 38 सड़क ऊपरी/निचले पुलों का निर्माण कार्य चल रहा है।

[हिन्दी]

रुग्ण कुंओं से तेल निकालना

4410. श्री सुरेश चन्देल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा और संसाधन संस्थान तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के वैज्ञानिकों ने ऐसे विषाणुओं का पता लगाया है अथवा विकसित किया है जो रुग्ण कुओं से तेल निकालने में सहायता करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कुछ ठोस उपाय किये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) नई तकनीक रुग्ण कुओं के पुनरुद्धार में किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगी;

(ङ) मौजूदा रुग्ण कुओं की संख्या कितनी है; और

(च) इस नई तकनीक की सुविधा का लाभ उठाने वाले कुओं की संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा ऊर्जा संसाधन संस्थान (टीईआरआई), नई दिल्ली ने संयुक्त रूप में 3 जीवाणु समूहों का विकास किया है, जो कम उत्पादित/रुग्ण कुंओं की उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता करते हैं। यह तकनीक माइक्रोबायल एनहेन्सड आयल रिकवरी (एमईओआर) नाम से जानी जाती है।

(घ) एमईओआर तकनीक का उपयोग कम उत्पादन वाले कुंओं में किया जाता है, तथा यह रुग्ण कुंओं से तेल निकालने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती है।

(ङ) और (च) ओएनजीसी के प्रचालन क्षेत्रों में 477 रुग्ण कुएं हैं।

ओएनजीसी ने गुजरात में कलोल, लिंबोदरा, उत्तरी कादी, शोभासन पाद्रा तथा कासांबा क्षेत्रों तथा असम बदरपुर क्षेत्र के 20 से अधिक कम तेल उत्पादन करने वाले कुंओं में प्रायोगिक आधार पर एमईओआर तकनीक का परीक्षण किया है।

फिल्मों में आपत्तिजनक दृश्यों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिशा-निर्देश

4411. श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री दरोगा प्रसाद सरोज :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सम्बद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा तैयार फिल्मों में आपत्तिजनक और अश्लील दृश्यों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नये दिशा-निर्देश हाल ही में बोर्ड के सदस्यों के अनुपालन/टिप्पणियों हेतु परिलित कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन टिप्पणियों पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इन दिशा-निर्देशों को अन्तिम रूप से कब तक अनुमोदित और क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मुंबई तेल शोधक कारखाने की क्षमता

4412. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) अपने मुंबई तेलशोधक कारखाने की क्षमता को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु कुल कितने निवेश की आवश्यकता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस परियोजना के पूरा होने पर, अन्य बातों

के साथ-साथ, मुंबई रिफाइनरी की स्थापित क्षमता 6.9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) के विद्यमान स्तर से बढ़कर 12 एमएमटीपीए तक हो जाएगी।

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत 1831 करोड़ रुपए है।

रक्षा प्रापण नीति की समीक्षा

4413. श्री मंजुनाथ कुन्नुर :
श्री डी. विट्टल राव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा प्रापण नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने अपनी प्रापण नीति एवं कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने से पूर्व केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से सलाह मांगने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) रक्षा अधिप्राप्ति की समीक्षा की जा रही है ताकि दिसंबर, 2001 से प्रक्रिया के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इसे सुव्यवस्थित तथा अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

(ग) से (ङ) अधिप्राप्ति के सभी बड़े मामलों की अनिवार्य रूप से तथा समयबद्ध मानीटरी करने के लिए मंत्रालय में व्यवस्था मौजूद है। 75 करोड़ रुपए से ऊपर के सभी मामले, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पास भेजे जाते हैं, जिसकी रिपोर्टों का मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता की दृष्टि से अध्ययन किया जाता हे तथा जहां और पूछताछ की जरूरत होती है तो सरकार से सिफारिश की जाती है ऐसे मामलों में, जहां नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सतर्कता/कानूनी दृष्टि से और संवीक्षा करने की सिफारिश करता है या मंत्रालय ऐसा करना जरूरी समझता है, तो मुख्य सतर्कता अधिकारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो या अन्य एजेंसियों, जैसा उचित समझे, के पास औपचारिक रूप से भेजेगा। इससे अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का स्तर बढ़ेगा।

बाल फिल्म सोसाइटी

4414. श्री जी. करूणाकर रेड्डी : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, आज तक भाषा-वार बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित, वितरित और स्क्रीन की गई फिल्मों की संख्या कितनी है;

(ख) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार भाषा-वार निर्माणाधीन बाल फिल्मों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा स्वतंत्र निजी फिल्म निर्देशकों/निर्माताओं से प्राप्त और अनुमोदित फिल्म प्रस्तावों की संख्या कितनी है और अनुमोदित फिल्मों के संबंध में दी गई कुल वित्तीय सहायता कितनी है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विद्यालयों में बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा आयोजित बाल फिल्म शो की संख्या कितनी है; और

(ङ) वर्ष 2003-04 के दौरान बच्चों में संस्कृति और शिक्षा के बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए विभिन्न क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) बालचित्र समिति, भारत द्वारा यथा प्रदत्त प्रश्न की भाग-वार सूचना निम्नानुसार है:-

(i) अभी तक गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित फिल्मों की संख्या:

2001-2002	
हिन्दी	9
बंगाली	1
2002-2003	
हिन्दी	2
डोगरी	1

2003-2004

हिन्दी	6
असमिया	1
मराठी	1
अंग्रेजी	1
सिंधी	1

(ii) अभी तक गत वर्षों के दौरान वितरित एवं प्रदर्शित फिल्मों की संख्या:

भाषा	फिल्मों की संख्या
हिन्दी	69
मराठी	09
तमिल	16
मलयालम	15
बंगाली	07
तेलुगु	18
कन्नड़	11
गुजराती	07
पंजाबी	02
उड़िया	07
अंग्रेजी	04
मणिपुरी	02
राजस्थानी	01
असमिया	03

(ख) 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन बाल फिल्मों की भाषा-वार कुल संख्या:

हिन्दी	4
मलयालम	1

(ग) अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है :–

गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्ताव	215
गत तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव	18
गत तीन वर्षों के दौरान प्रदत्त कुल वित्तीय सहायता	606.41 लाख रुपये

(घ) बालचित्र समिति, भारत बच्चों के लाभार्थ थियेटरों और स्कूलों में शो आयोजित करती है। अधिकांश शो थियेटरों में आयोजित किए जाते हैं। कुछ शो वितरकों, गैर-सरकारी संगठनों, जिला सूचना एवं प्रचार कार्यालयों आदि के माध्यम से स्कूलों में आयोजित किए जाते हैं। गत तीन वर्षों में बालचित्र समिति, भारत द्वारा राज्य-वार आयोजित शो की कुल संख्या नीचे दी गई है :–

राज्य	शो की संख्या
1	2
महाराष्ट्र	5765
गुजरात	578
मध्य प्रदेश	3183
छत्तीसगढ़	150
तमिलनाडु	1573
आन्ध्र प्रदेश	1634
केरल	445
राजस्थान	2077
हरियाणा	603

1	2
दिल्ली	122
कर्नाटक	1761
पांडिचेरी	72
पंजाब	362
उत्तरांचल	345
उत्तर प्रदेश	566
हिमाचल प्रदेश	31
बिहार	254
पश्चिम बंगाल	612
झारखंड	220
असम	258
त्रिपुरा	10
उड़ीसा	128
गोआ	45
जम्मू और कश्मीर	55
कुल	20849

उपर्युक्त शो में से कुछ शो 16 एम एम प्रोजेक्टरों आदि की सहायता से स्कूलों में आयोजित किए गए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	राज्य	शो की संख्या
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	2025
2.	गुजरात	34
3.	बिहार	29
4.	उड़ीसा	60
5.	केरलं	117
6.	आन्ध्र प्रदेश	210
7.	पश्चिम बंगाल	28
8.	राजस्थान	266
	कुल	2769

(ङ) अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है :–

1. देश भर में फिल्मों का रंगमंचीय एवं गैर-रंगमंचीय प्रदर्शन। कुल 7660 शो आयोजित किए गए जिनसे 36.37 लाख बच्चे लाभान्वित हुए।

2. वर्ष 2003-04 के दौरान देश भर में विभिन्न जिला स्तरीय समारोहों और राज्य स्तरीय समारोहों का आयोजन किया गया।

3. विभिन्न शहरों में 15 फिल्म निर्माण और फिल्म मूल्यांकन कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।

4. बालचित्र समिति, भारत ने टेलीविजन पर अपनी 13 फिल्मों का प्रसारण किया।

5. जनजाति क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, शहरा झोपड़ पट्टियों, सुधारालयों और अनाथालयों में रह रहे बच्चों को कवर करने के लिए बालचित समिति, भारत 'नगरपालिका स्कूलों में बाल-फिल्मों का प्रदर्शन' स्कीम के अंतर्गत फिल्मों का नि:शुल्क प्रदर्शन करती रही है। वर्ष 2003-04 के दौरान कुल 1252 नि:शुल्क शो आयोजित किए गए जिनसे 3.58 लाख वंचित बच्चे लाभान्वित हुए।

6. भारतीय बच्चों को दूसरे देशों की संस्कृति की जानकारी देने के लिए बालचित्र समिति, भारत प्रत्येक दो वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन करती है। पिछले समारोह में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह,

हैदराबाद में प्रदर्शित कुछ फिल्मों को समारोहोत्तर समारोह प्रदर्शनों के रूप में दिल्ली, मुंबई, पुणे और चेन्नई में भी प्रदर्शित किया गया।

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं में सुधार

4415. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु राज्य-वार किन-किन जिलों में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुधार करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई जल योजनाओं की संख्या क्या है और इस अवधि के दौरान इससे लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या कितनी है;

(ग) इन योजनाओं के तहत और गांवों को शामिल करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) ऐसी जल योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को प्रदान की गई वित्तीय सहायता कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (घ) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को सुस्थापित करने के दृष्टिकोण से, भारत सरकार ने 1999 में क्षेत्र सुधार परियोजना शुरू की थी जिसमें जून, 2002 तक 26 राज्यों के 67 जिलों में प्रायोगिक परियोजनाओं को शुरू किया था। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि तीन वर्षों की थी और दिसम्बर, 2002 में स्वजलधारा के माध्यम से सम्पूर्ण देश को कवर करने हेतु सुधारों को बढ़ाने के बाद, वर्तमान वित्तीय वर्ष से क्षेत्र सुधार प्रायोगिक परियोजनाओं को स्वजलधारा के साथ एकीकृत कर दिया गया है। चूंकि यह सभी मांगजनित परियोजनाएं थीं, इसलिए न तो नौवी योजना या न ही दसवीं योजना अवधि के लिए कवरेज का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारत सरकार के ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के बजट प्रावधान का 20% तक स्वजलधारा परियोजनाओं के लिए आबंटित किया जाता है। स्वजलधारा के अन्तर्गत, भारत सरकार वर्ष के लिए निर्धारित किए गए अन्तर्राज्यीय त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अनुपात के अनुरूप निधियों का राज्यवार आबंटन करती है और बाद में राज्य सरकारें जिलावार आबंटन करती हैं।

क्षेत्र सुधार परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों के नामों की राज्यवार सूची, दी गई वित्तीय सहायता और अब तक शुरू की गई तथा पूर्ण की जा चुकी जल आपूर्ति योजनाओं की संख्या विवरण-I में संलग्न है, जबकि स्वजलधारा 2002-03 और स्वजलधारा 2003-04 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्र सुधार परियोजना के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्यवार सूची, भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई निधि तथा शुरू की गई एवं पूर्ण की जा चुकी जल आपूर्ति योजनाओं की संख्या 18.8.2004)

क्र. स.	जिला का नाम	भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई कुल निधि (लाख रुपए में)	योजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण की जा चुकी योजनाएं
1	2	3	4	5
1.	चित्तूर	2244.00	1641	1163
2.	खम्माम	3403.66	1601	1600
3.	नालगोंडा	3581.89	965	602
4.	नेल्लोर	2244.00	394	303
5.	प्रकाशम	3366.00	504	494
6.	गुंटूर	3693.45	381	204
7.	पूर्वी गोदावरी	1113.56	176	67
	कुल आंध्र प्रदेश	19646.56	5662	4433
8.	लोहित	252.45	79	41
9.	पं. सियांग	428.17	102	28
	कुल अरूणाचल प्रदेश	680.62	181	69

1	2	3	4	5
10.	जोरहट	472.34	871	863
11.	कामरूप	422.52	1312	719
12.	सोनितपुर	331.04	2244	2219
	कुल- असम	1225.90	4427	3801
13.	वैशाली	1122.00	6403	4869
	कुल- बिहार	1122.00	6403	4869
14.	दुर्ग	1122.00	1293	1267
	कुल- छत्तीसगढ़	1122.00	1293	1267
15.	मेहसाना	3708.00	320	320
16.	राजकोट	3043.23	272	267
17.	सूरत	3366.00	343	262
	कुल- गुजरात	10117.23	935	849
18.	करनाल	844.71	93	55
19.	यमुना नगर	546.44	252	233
	कुल- हरियाणा	1391.15	345	288
20.	सिरमौर	607.36	193	106
	कुल- हिमाचल प्रदेश	607.36	193	106
21.	श्रीनगर	1384.07	98	24
22.	ऊधमपुर	813.92	123	92
	कुल- जम्मू व कश्मीर	2197.99	221	116
23.	धनबाद	1122.00	141	5
	कुल-झारखण्ड	1122.00	141	5
24.	बेल्लारी	1122.00	710	677
25.	मंगलौर	3660.08	2243	1713
26.	मैसूर	3554.00	1124	1020
	कुल-कर्नाटक	8336.08	4077	3410
27.	कसारगोढ़	2742.88	255	255
28.	कोल्लम	2244.00	148	109
	कुल-केरल	4986.88	403	364
29.	ग्वालियर	821.29	968	883
30.	होशंगाबाद	1122.00	1104	1057
31.	नरसिंहपुर	1122.00	1139	982
32.	रायसेन	1269.01	768	545
33.	सीहोर	503.44	244	163
	कुल-मध्य प्रदेश	4837.74	4223	3630
34.	अमरावती	1184.10	891	481
35.	धूले	1763.43	191	132
36.	नांदेड	2244.00	360	120
37.	रायगढ़	3439.14	340	146
	कुल-महाराष्ट्र	8630.67	1782	879

1	2	3	4	5
38.	रि-भोई	272.10	111	111
	कुल-मेघालय	272.10	111	111
39.	सिरचिप	223.35	11	11
	कुल- मिजोरम	223.35	11	11
40.	दीमापुर	333.22	7	4
	कुल-नागालैंड	333.22	7	4
41.	बालासोर	1572.00	2286	2286
42.	गंजम	2244.00	1340	1340
43.	सुदरगढ़	2244.00	2598	2502
	कुल-उड़ीसा	6060.00	6224	6128
44.	भटिंडा	210.28	22	0
45.	मोगा *	344.00	23	0
46.	मुक्तसर	872.41	31	0
	कुल- पंजाब	1426.69	76	0
47.	अलवर	2244.00	512	205
48.	राजसमंद	422.00	54	25
49.	जयपुर *	2944.00	391	218
50.	सीकर	1191.62	143	10
	कुल- राजस्थान	6801.62	1100	458
51.	द. सिक्किम	363.02	0	0
52.	प. सिक्किम	244.95	0	0
	कुल-सिक्किम	607.97	0	0
53.	कोयम्बटूर	3366.00	1650	1650
54.	कुडालोर	3366.00	2355	2355
55.	पेराम्बलूर	2934.30	1184	1184
56.	भेल्लोर	3701.20	3411	3411
57.	कांचीपुरम	2855.99	536	536
58.	विरुधूनगर	2764.32	505	505
	कुल-तमिलनाडु	18987.81	9641	9641
59.	प. त्रिपुरा	2310.21	14141	13760
	कुल-त्रिपुरा	2310.21	14141	13760
60.	आगरा *	897.83	4685	3285
61.	चंदौली	1286.63	4222	2862
62.	लखनऊ	1122.00	4061	3878
63.	मिर्जापुर	862.41	1015	946
64.	सोनभद्र	1387.69	6012	5705
	कुल-उत्तर प्रदेश	5556.56	19995	16676
65.	मिदनापुर	1847.79	1847	1267
66.	उ. 24 परगना	1749.82	2305	2011
	कुल- प. बंगाल	3597.61	4152	3278

1	2	3	4	5
67.	हरिद्वार	1122.00	136	121
	कुल-उत्तरांचल	1122.00	136	121
	कुल योग	113323.32	85880	74274

विवरण-II

स्वजलधारा योजना के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार रिलीज का ब्यौरा (19.8.2004 के अनुसार)

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वजलधारा 2002-03 के अन्तर्गत रिलीज की गई निधि	स्वजलधारा 2003-04 के अन्तर्गत रिलीज की गई निधि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	5376.82	808.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	223.71
3.	असम	370.12	377.30
4.	छत्तीसगढ़	131.50	0.00
5.	दादर व नगर हवेली	4.74	4.00
6.	गुजरात	162.54	765.56
7.	हरियाणा	10.98	117.12
8.	हिमाचल प्रदेश	335.79	340.10
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	748.95
10.	झारखण्ड	0.00	178.01
11.	कर्नाटक	109.07	698.52
12.	केरल	272.84	252.02
13.	मध्य प्रदेश	264.49	420.27
14.	महाराष्ट्र	3722.09	18607
15.	नागालैण्ड	0.00	65.11
16.	उड़ीसा	335.84	366.64
17.	पंजाब	0.00	156.90
18.	राजस्थान	374.52	1095.50
19.	तमिलनाडु	1394.63	647.67
20.	त्रिपुरा	0.00	78.47
21.	उत्तर प्रदेश	565.98	766.46
22.	उत्तरांचल	0.00	182.00
23.	प. बंगाल	23.88	471.50
	कुल	13455.83	9849.88

[हिन्दी]

कच्चे तेल के आयात पर कर

4416. **श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नीतीश कुमार :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कच्चे तेल के आयात पर कर लगाया जाता है;

(ख) कच्चे तेल के आयात पर वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान किस प्रकार के कर लगाए गए थे और उनकी दरें क्या थीं;

(ग) सरकार को इन करों के माध्यम से उपर्युक्त वर्षों के प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान लगाए गए करों में लगातार वृद्धि के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

एडीआईपी के अंतर्गत लंबित प्रस्ताव

4417. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने संबंधी योजना (एडीआईपी) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कई स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्ताव लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से स्वैच्छिक संगठनों का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

तेल के क्षेत्र में बड़ी कंपनियां बनाना

4418. श्री निखिल कुमार :
श्रीमती प्रतिभा सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य स्वामित्व वाली तेल कंपनियों का विलय करके तेल क्षेत्र में दो बड़ी कंपनियां बनाने की रूपरेखा पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम आदमी तथा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखने के बाद ही तेल कंपनियों के विलय का निर्णय किया जाएगा, और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के विलय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) फिलहाल राजकीय स्वामित्व की तेल कंपनियों के विलय के संबंध में कोई औपचारिक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पनडुब्बियों की मरम्मत

4419. डा. एम. जगन्नाथ :
श्री किन्जरपु येरननायडु :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ताजा रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने अपनी एक पनडुब्बी एस एस के का दो वर्ष से अधिक समय से प्रयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पनडुब्बी की मरम्मत में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस महंगी पनडुब्बी के आधुनिकीकरण तथा दोबारा फिटिंग के बाद जल्द से जल्द सेवा योग्य बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) इस एस एस के पनडुब्बी के आधुनिकीकरण पैकेज में विलम्ब, कुछ मूल उपस्कर निर्माताओं से उत्पाद सहायता प्राप्त करने में हुई कठिनाइयों और इसके परिणामस्वरूप अपेक्षित उपस्कर की संविदा को अन्तिम रूप देने में हुई देरी के कारण हुआ।

(ग) अपेक्षित उपस्कर के लिए संविदाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

पनधारा विकास परियोजनाओं के लंबित प्रस्ताव

4420. श्री गुरूदास कामत :
श्री छत्तर सिंह दरबार :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों के पनधारा विकास परियोजनाओं से संबंधित डी.पी.ए.पी./आई.डब्ल्यू.डी.पी. के अंतर्गत कई प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र सहित योजना-वार और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर कर लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत प्राथमिकता वाले जिलों की सूचियां प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों से मंगवायी जाती हैं और परियोजनाएं पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयता का परिकलन करने के पश्चात् नई परियोजनाओं के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत की जाती हैं। तदनुसार, वर्ष 2003-04 तक प्राथमिकता प्राप्त सभी परियोजनाएं विधिवत रूप से स्वीकृत कर दी गई हैं।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत, निधियां, देश के पहले से अभिज्ञात किए गए ब्लॉकों को जारी की जाती हैं। परियोजनाएं, चल रही परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के पश्चात् निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए तथा किसी ब्लॉक विशेष में विकसित किए जाने के लिए शेष रहे क्षेत्र को ध्यान में लेने के बाद भूमि संसाधन विभाग द्वारा अपने आप स्वीकृत की जाती हैं। अत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त नहीं किए जाते हैं। उपर्युक्त प्रक्रिया मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों पूरे देश में समानरूप से लागू है।

[हिन्दी]

मनोरंजन नीति

4421. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मनोरंजन क्षेत्र की सुविधा के लिए मनोरंजन नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों के स्तर में सुधार लाने के लिए कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार ने मनोरंजन क्षेत्र के समग्र विकास के हित में इस क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

- मनोरंजन उद्योग को संस्थागत और बैंक वित्त पोषण अब अधिक सुलभ हैं।
- फिल्म उद्योग में शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुज्ञेय है।
- फिल्म उद्योग की दृश्यता में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भागीदारी को प्रेरित किया है।
- विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक आधार पर फिल्म सप्ताहों एवं समारोहों का आयोजन किया जाता है।
- भारतीय फिल्म उद्योग के लिए वित्त एवं बाजारों के अवसर बढ़ाने के लिए अन्य देशों के साथ दृश्य श्रव्य सह-निर्माण करारों का पता लगाया जा रहा है।
- फिल्म उद्योग के लिए नीतिगत ढांचे का सुझाव देने हेतु गठित मनोरंजन क्षेत्र विकास समिति ने मनोरंजन कर में कटौती करने, फिल्म क्षेत्र में चोरी को रोकने के लिए कदम उठाने, भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग करने को सुविधाजनक बनाने संबंधी उपाय करने आदि के बारे में सिफारिश की है।
- इस क्षेत्र में उद्यम पूंजी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने

के लिए कार्यनीति के बारे में सुझाव देने हेतु एक उद्यम पूंजी समिति का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि जन-सामान्य को सूचित करने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के लिए लोक सेवा प्रसारक के अधिदेश को पूरा करने के उद्देश्य से प्रसार भारती विषय-वस्तु एवं गुणवत्ता दोनों की दृष्टि से उत्कृष्टता लाने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गय हैं।

- सभी दूरदर्शन चैनलों की सृजनात्मक विषय-वस्तु की समीक्षा करने के लिए निदेशालय में कला; संस्कृति और पत्रकारिता आदि के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक सृजनात्मक सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

- दूरदर्शन अपने विभिन्न चैनलों पर प्रसारित धारावाहिकों/कार्यक्रमों की गुणवत्ता निरंतर समीक्षा करता है और विषय-वस्तु तथा तकनीकी गुणवत्ता/प्रसारण में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रयास करता है।

- कमीशंड और प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया गया है।

- कार्यक्रमों की तकनीकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्टुडियो और उपस्करों का सतत आधुनिकीकरण किया गया है।

- आकाशवाणी ने अन्य के साथ-साथ बेहतर गुणवत्ता की प्रसारण व्यवस्था करने के लिए फोन-इन-कार्यक्रम, रेडियो-ऑन-डिमांड सेवा, न्यूज-ऑन-फोन सेवा, इंटरनेट प्रसारण, एफ एम प्रसारण नेटवर्क का प्रसार, आदि का शुभारंभ किया है।

- दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित कार्यक्रमों की समीक्षा करने और भावी कार्यक्रमों की आयोजना एवं प्रस्तुति में सुधार लाने का सुझाव देने के लिए प्रमुख दूरदर्शन केन्द्रों और आकाशवाणी केन्द्रों में संयुक्त सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जिनमें विभिन्न विषय-क्षेत्रों/हित-समूहों की सुविख्यात विभूतियां शामिल हैं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का उत्पादन

4422. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल का देश में उत्पादन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो देश में वर्ष 2002-2003, 2003-2004 तथा आज की तारीख तक कच्चे तेल की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ग) उपर्युक्त में से सरकारी क्षेत्र की कंपनियों तथा निजी कंपनियों ने अलग-अलग कितने तेल का उत्पादन किया; और

(घ) उक्त वर्षों में जिन तेल के नए कुओं से तेल का उत्पादन हो रहा है, उनकी वर्षवार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी हां। ब्यौरा नीचे दिया गया है;

कच्चा तेल उत्पादन (मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी))

	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-जून, 04)
ओएनजीसी	26.005	26.057	8.879
ओआईएल	2.950	3.002	0.784
निजी/संयुक्त उद्यम	4.09	4.31	1.050
योग	33.045	33.369	10.713

(क) ब्यौरा नीचे दिया गया है:

उत्पादन कर रहे नए कूपों की संख्या

	2002-03	2003-04	2004-05 (अप्रैल-जून, 04)
ओएनजीसी	200	195	42
ओआईएल	22	13	9
निजी/संयुक्त उद्यम	—	—	4
योग	222	208	55

[अनुवाद]

सामरिक तेल भंडार

4423. श्रीमती मनोरमा माधवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री प्रबोध पाण्डा :
श्री हितेन बर्मन :
श्री नकुल दास राई :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सामरिक तेल भंडार बनाने के प्रस्ताव की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सामरिक तेल भंडारों की स्थापना तथा अनुरक्षण हेतु कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) 5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का भंडार रखने के लिए कच्चे तेल का कार्यनीतिक भंडार-गृह बनाने का सरकार का प्रस्ताव है। प्रस्तावित भंडार-गृह तेल कंपनियों के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के विद्यमान भंडार गृहों के अतिरिक्त होगा और यह तेल आपूर्ति व्यवधानों के समय आकस्मिक समाधान व्यवस्था उपलब्ध करायेगा। परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत लगभग 1650 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त, क्रूड की लागत लगभग 5000 करोड़ रुपए होगी। परियोजना आरंभिक स्तर पर है और प्रस्तावित भंडार गृह अगले चार वर्षों में बनने की संभावना है।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा बीपीसीएल तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन को राजसहायता

4424. श्री तूफानी सरोज : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ने भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन को 2690 करोड़ रुपए की राजसहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राजसहायता देने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने सरकार से उक्त धनराशि के भुगतान का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता प्रदत्त उत्पाद हैं। सरकारी राजसहायता के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भी इन उत्पादों को राजसहायता प्रदान करने के भार में हिस्सेदारी करतीं हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के कारण तेल विपणन कंपनियों की कुल न्यून वसूलियां लगभग 9368 करोड़ रुपये थीं। इस धनराशि में से ओएनजीसी ने तेल विपणन कंपनियों को अपने द्वारा आपूर्ति कच्चे तेल, एलपीजी और मिट्टी तेल के मूल्यों पर समुचित छूट देकर लगभग 2695 करोड़ रुपये के बोझ की हिस्सेदारी की।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में आईओसीएल के खुदरा विक्रय केन्द्र

4425. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के उन खुदरा विक्रय केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है जिसके लिए कंपनी ने चुने गए आवेदकों को आशय-पत्र जारी कर दिए हैं;

(ख) ऐसे खुदरा विक्रय केन्द्रों की संख्या कितनी है; जिन्हें कंपनी ने बेच दिया है तथा उसे विभिन्न नामों से आवेदन फार्म प्राप्त हुए हैं;

(ग) एलपीजी, पेट्रोल पंपों तथा केरोसीन के खुदरा विक्रय केन्द्रों के आबंटन के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन के पास कितने आवेदन लंबित पड़े हैं;

(घ) इन ओवदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा; और

(ङ) इन विक्रय केन्द्रों के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य में इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) की खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की कुल संख्या, जिसके लिए कंपनी ने अप्रैल, 2001 से जुलाई, 2004 की अविध के दौरान चुनिंदा उम्मीदवारों को आशय पत्र जारी किए, 216 है।

(ख) अप्रैल, 2001 से जुलाई, 2004 की अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए विज्ञापित स्थानों की कुल संख्या और बेचे गए आवेदन फार्मों की कुल संख्या और उन विज्ञापनों के प्रति उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है;

विज्ञापित स्थानों की संख्या	–	205
बेचे गए आवेदन फार्मों की संख्या	–	5,082
प्राप्त आवेदनों की संख्या	–	4,525

(ग) और (घ) जबकि आंध्र प्रदेश राज्य में डीलर के चयन के लिए आईओसी की एसकेओ-एलडीओ डीलरशिप के लिए कोई स्थान लंबित नहीं है, वहीं खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पंप) डीलरों और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए 31.7.2004 को राज्य में लंबित स्थानों की संख्या क्रमश: 149 और 14 है। हालांकि कंपनी चयन में तेजी लाने के लिए प्रयास करती है, फिर भी वह निश्चित समय अवधि बताना कठिन होगा जिसमें इन सभी चयनों को पूरा किया जाएगा क्योंकि चयन की प्रक्रिया अनेक कारकों पर निर्भर करती है।

(ङ) डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए गए दिशानिर्देशों में राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, बहु डीलरशिप, भागीदारी आदि के संबंध में विभिन्न पात्रता मानदंड और अन्य बातों के साथ डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के रूप में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए विस्तृत मूल्यांकन मानदंड सम्मिलित हैं।

बुकस्टॉलों के अनुबंध पर नियंत्रण

4426. श्री अयज चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.एच. व्हीलर एण्ड कंपनी और हिगिन बोथम्स लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे बुकस्टॉलों के अनुबंध, उनके नवीकरण के साथ ही उनकी लाइसेंस फीस इत्यादी का निर्धारण रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या जनहितेषी तथा सामाजिक संस्थाओं के सहित बुक स्टॉलों के अन्य सभी अनुबंधों का केन्द्रीय संचालन जोनल रेलवे द्वारा किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाने के विस्तृत कारण क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मैसर्स ए.एच. व्हीलर एंड कंपनी और मैसर्स हिगिनबोथम्स लिमिटेड भारतीय रेल के दो बड़े बुक स्टॉल ठेकेदार हैं जो पूरी भारतीय रेल पर फैले अधिकांश रेलवे स्टेशनों पर अपने बुक स्टॉल चला रहे हैं। इन दो बड़े बुक स्टॉल ठेकों पर एक समान नियंत्रण रखने के लिए बुक स्टॉल नीति में एक निर्णय लिया गया है कि मैसर्स ए एच व्हीलर एंड कम्पनी और मैसर्स हिगिनबोथम्स लिमिटेड को बुक स्टॉल का आबंटन, लाइसेंस शुल्क का निर्धारण और तत्पश्चात् उनका नवीकरण केन्द्रीकृत रूप में रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा। लोकोपकारी, सामाजिक संगठनों, बेरोजगार स्नातकों, कमजोर वर्गों आदि को आवेदन पर बुक स्टॉल का आबंटन का कार्य संबंधित क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को सौंपा गया है।

ट्रैक्टरों तथा कृषि उपकरणों का उत्पादन

4427. श्री अनन्त नायक : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों का वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ख) क्या इन सभी उपकरणों को देश में खपत के लिए घरेलू बाजार में ही बेचा जाता है अथवा निर्यात के लिए जारी किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ट्रैक्टरों तथा अन्य कृषि उपकरणों के वर्ष 2004-2005 में उत्पादन और निर्यात के लिए क्या अनुमान लगाए गए है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) कृषि और सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान ट्रैक्टरों तथा पावर टीलरों का उत्पादन निम्नानुसार रहा :–

वर्ष	ट्रैक्टरों का उत्पादन (संख्या में)	पावर टीलरों का उत्पादन (संख्या में)
2001-02	219620	14837
2002-03	168742	14438
2003-04	190687*	15850*

*अनंतिम

अन्य कृषि संबंधी उपकरणों के बारे में सूचना का रख-रखाव नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) कृषि एवं सहकारिता विभाग ने सूचित किया है कि ट्रैक्टरों, पावर टीलरों तथा अन्य कृषि उपकरणों की खपत अधिकांशत: घरेलू बाजार में की जाती है। कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान देश में ट्रैक्टरों तथा पावर टीलरों की बिक्री के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	ट्रैक्टरों की बिक्री (संख्या में)	पावर टीलरों की बिक्री (संख्या में)
1	2	3
2001-02	225280	13563
2002-03	173098	14623
2003-04	190348*	15665*

*अनंतिम

(घ) पावर टीलर विनिर्माता संघ ने सूचित किया है कि वर्ष 2004-05 में पावर टीलरों की अनुमानित मांग लगभग 15,500 है। हालांकि, पावर टीलरों के निर्यात तथा ट्रैक्टरों के उत्पादन और निर्यात के लिए कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

जयपुर-फुलैरा रेल लाइन का दोहरीकरण

4428. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जयपुर-फुलैरा रेलवे लाइन के दोहरीकरण की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है;

(ग) इस परियोजना के लिए कितना वार्षिक आबंटन किए जाने का विचार है;

(घ) क्या भविष्य में अजमेर तक की रेल लाइन का दोहरा करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जयपुर-फुलैरा खंड के दोहरीकरण की अनुमानित लागत 82.80 करोड़ रु. है।

(ख) इसे पूरा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) यह बजट 2004-05 में शामिल किया गया नया कार्य है। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना

4429. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) जी, नहीं। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र में नई रक्षा उत्पादन इकाई लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) नई रक्षा उत्पादन इकाई लगाने के बारे में विचार तभी किया जाता है, जब रक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण मदों की दीर्घकालिक मांग हो और मौजूदा रक्षा उत्पादन इकाइयां उसे पूरा करने में असमर्थ हों।

महाराष्ट्र में रेल अंडरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव

4430. **प्रो. महादेवराव शिवनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नागपुर मंडल की गोंडिया-चंद्रपुर रेल लाइन पर अंडरब्रिज के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास पिछले कुछ वर्षों से विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को मंजूरी देने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च

4431. **श्री अचलराव पाटील शिवाजी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 15 रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए खर्च हेतु गैर-बजटीय पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त परियोजनाएं किन राज्यों से संबंधित हैं;

(ग) इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग प्रदान की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रक्षा मंत्रालय भी कुछ परियोजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का इच्छुक है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां, चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सार्वजनिक - निजी भागीदारी, राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से वित्त - पोषण, राष्ट्रीय रेल विकास योजना और रेलवे की सामान्य योजना के अतिरिक्त के रूप में वित्तपोषित की जाने वाली उधमपुर - श्री नगर - बारामूला नई लाइन राष्ट्रीय परियोजना जैसे अनेक गैर - बजटीय उपाय किए गए हैं। हाल ही में, दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना की भी घोषणा की गई है, जिसके लिए निधियों की व्यवस्था अभी की जानी है। उक्त सभी उपायों के द्वारा चालू परियोजनाओं के पांच वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है। आज की तारीख में ऐसी 66 चालू परियोजनाएं हैं, जिनका वित्त-पोषण उक्त गैर-बजटीय उपायों से अंशत:/ पूर्णत: किया जा रहा है।

(ख) महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और असम राज्यों में पड़ने वाली राष्ट्रीय रेल विकास योजना की 38 अनुमोदित परियोजनाएं हैं। शेष चालू परियोजनाओं का राज्यवार विवरण जिनका कार्यान्वयन अन्य गैर - बजटीय उपायों द्वारा किया जा रहा है; इस प्रकार है:-

क्र. स.	राज्य	परियोजनाओं की सं.
1	2	3
क.	राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी	
i.	झारखण्ड	6
ii.	तमिलनाडु (दो महानगर परिवहन परियोजनाओं सहित)	3

1	2	3
iii.	कर्नाटक	3
iv.	महाराष्ट्र (महानगर परिवहन परियोजना)	4
v.	पश्चिम बंगाल (महानगर परिवहन परियोजना)	1
vi.	आंध्र प्रदेश (महानगर परिवहन परियोजना)	1
ख.	**विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)**	
i.	कर्नाटक (कर्नाटक रेल अवसंरचना विकास (केआरआईडी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।	4
ग.	**निर्माण स्वामित्व हस्तांतरण (बीओटी)**	
i.	गुजरात	1
ii.	उत्तर प्रदेश	2
	रक्षा वित्त पोषण	
i.	राजस्थान	1
ii.	बिहार	1
ङ	**राष्ट्रीय परियोजना**	
i.	जम्मू और कश्मीर	1

परियोजनाएं जो पूरी हो चुकी हैं, ऊपर नहीं दर्शाई गई हैं।

(ग) 1.4.2004 को, चालू परियोजनाओं का ग्रोफारवार्ड 46,000 करोड़ रु. है। उक्त में से, 8132 करोड़ रु. का ग्रोफारवर्ड एनआरवीआई के अधीन परियोजनाओं का है। रेल विकास निगम लि. के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही इस योजना के अधीन परियोजनाओं के लिए रेल मंत्रालय 3000 करोड़ रु. की इक्विटी मुहैया कराएगा और शेष बाजार से उगाही जाएगी। 1.4.04 को रेलवे की सामान्य योजना से इतर विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों का वर्णन इस प्रकार है।

क्र. सं.	वित्त पोषण का स्रोत	संभावित निधियां (करोड़ रु. में)
1	2	3
क.	राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी	3780
ख.	विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) और निर्माण स्वामित्व हस्तांतरण (बीओटी)	1139
ग.	रक्षा वित्त पोषण	558
घ.	राष्ट्रीय परियोजना	3711

(घ) और (ङ) रक्षा मंत्रालय दो चालू परियोजनाओं की लागत वहन कर रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु. में)
1.	कोलायत-फलौदी नई लाइन	163.93
2.	सकरी-लौकाहा बाजार-निर्मली और सहरसा-फॉरबिसगंज आमान परिवर्तन	355.81

[अनुवाद]

जापान के साथ रक्षा वार्ता

4432. श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में गहन विचार-विमर्श करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई वार्ता हुई; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत और जापान, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत व्यापक सुरक्षा वार्ता तंत्र के माध्यम से तथा दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय तथा सैन्य बलों के अधिकारियों के एक-दूसरे के देशों में दौरों के माध्यम से सुरक्षा वार्ता करते हैं। यद्यपि इस बातचीत में तेजी आई है तथापि रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच और गहन बातचीत किए जाने के लिए कोई विचार-विमर्श अथवा निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रतिबंध लगाने के कारण विलंबित हुई परियोजनाएं

4433. श्री बी. विनोद कुमार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद अमरीका तथा अन्य देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण जिन रक्षा परियोजनाओं में असामान्य विलंब हुआ उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इन्हें पूरा करने के लिए संशोधित लक्षित तारीखें क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिबंध अब भी लागू है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) : रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं/कार्यक्रमों में प्रतिबंध ा की वजह से विलंब हुआ :–

– तेजस-हल्का युद्धक विमान विकास कार्यक्रम।

– कावेरी इंजन विकास कार्यक्रम।

– सेना और नौसेना के लिए इलेक्ट्रानिक युद्धस्थिति (ई-डब्ल्यू) कार्यक्रम।

– भावी इन्फैंट्री युद्धक वाहन (आई सी वी-अभय)

(ख) राष्ट्रीय प्रतिभाओं को एकत्र करके तीसरे देश के स्रोत विकास हेतु पहल करके तथा डिजाइन को अपनाकर स्वदेशी प्रयास के जरिए इस रुकावट को दूर कर लिया गया था।

(ग) जी, हां। आंशिक रूप से।

(घ) राष्ट्रीय प्रयास के रूप में अनुसंधान पर जोर देना, संघटकों, सामग्रियों तथा उप प्रणालियों का स्वदेश में ही विकास करना।

अनाथों/अनाथालयों के लिए संस्थागत/ गैर-संस्थागत सेवाएं

4434. श्री मनोरंजन भक्त : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनाथों तथा अनाथालयों सहित जरूरतमंद बच्चों की देखभाल और विकास के लिए चल रही संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके विकास के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह संस्थाएं किस प्रकार से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों विशेषकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रभावी रूप से कार्य कर रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और पहलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(1) **केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा) :** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन एजेंसी देश में निराश्रित और अनाथ बच्चों के दत्तकग्रहण से संबंधित मामलों की देखरेख करती है। यह देश के बाहर दत्तकग्रहण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों को विनियमित और मॉनीटर करती है। इसके अतिरिक्त यह देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने में भी लगी है।

(2) **देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशुओं के लिए गृहों (शिशु गृह) को सहायता स्कीम :** इस स्कीम का उद्देश्य छः वर्ष की आयु तक के शिशुओं और बच्चों जो या तो परित्यक्त हैं या फिर अनाथ अथवा निराश्रित हैं, के लिए संस्थागत देखभाल और सुरक्षा हेतु सहायता और देश के भीतर दत्तकग्रहण के माध्यम से उनका पुनर्वास प्रदान करके देश के भीतर दत्तकग्रहण को बढ़ावा देने का है। स्कीम के तहत गृहों को चलाने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(3) **किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम :** स्कीम के तहत यह मंत्रालय कानून में फंसे किशोरों और देखभाल तथा सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए विभिन्न संस्थाओं और गृहों की स्थापना और अनुरक्षण की 50% लागत पूरा करने लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता देता है।

अंडमान और निकोबार प्रशासन अपने संसाधनों से देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए बाल गृह चला रहा है।

(4) **बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम :** इस स्कीम का उद्देश्य बेसहारा बच्चों को पूर्ण और समग्र विकास प्रदान करने का है। उन गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है जो बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रम जैसे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, रात्रि विश्राम की सुविधा सहित 24 घंटे ड्राप-इन शेल्टर, पीने का पानी, स्नान, प्राथमिक उपचार और मनोरंजन, व्यवसायिक प्रशिक्षण, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल कार्यान्वित कर रहे हैं। मंत्रालय स्कीम के अंतर्गत चाइल्ड लाईन सेवा को सहायता प्रदान कर रहा है। चाइल्ड लाईन सेवा 24 घंटे नि:शुल्क फोन सेवा है, जिसे टेलीफोन पर 1098 डायल करके संकट में फँसे बच्चे अथवा उसकी ओर से किसी वयस्क द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(5) **समाज रक्षा के क्षेत्र में वित्तीय सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम :** समाज रक्षा के क्षेत्र के वित्तीय सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम में उन कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था है जिन्हें मंत्रालय की नियमित स्कीमों की तहत शामिल नहीं किया गया है। इस स्कीम के तहत, यौन कार्यकर्ताओं के बच्चों, गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित बच्चों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से प्रभावित अनाथों की पुनर्वास योजना को सहायता देने के लिए पहल किए गए हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रणव कन्या संघ, पोर्टब्लेयर नामक संगठन द्वारा चलाए जा रहे अनाथ लड़कियों के लिए एक पुनर्वास केन्द्र को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। इस संगठन को वर्ष 2003-04 के दौरान 42 लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए 2.15 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया था।

(ख) उपर्युक्त स्कीमों के तहत 2003-04 के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसियों से परियोजनाओं के कार्यकरण संबंधी आवधिक रिपोर्टें, लेखापरीक्षित लेखे और गत वर्ष के दौरान निर्मुक्त सहायता अनुदान से संबंधित उपयोग प्रमाणपत्र लेता है। परियोजना के संतोषप्रद कार्यकरण के उल्लेख के साथ राज्य सरकार अथवा नामित निरीक्षण एजेंसी से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही अनुदान की दूसरी किस्त दी जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने स्कीमों के कार्यान्वयन में शामिल कार्मिकों और व्यवसायिकों को प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण प्रदान करने के लिए प्रारम्भिक कार्रवाई की है। इन स्कीमों का दूर तक विस्तार करने तथा अधिक संख्या में लाभार्थियों को शामिल करने हेतु प्रोत्साहन एवं जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न प्रयास भी किए गए हैं।

विवरण

देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किशोर न्याय के लिए कार्यक्रम	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	समाज रक्षा के क्षेत्र में सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम	शिशु गृह स्कीम
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	124.56	0.80	38.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	23.40	4.97
3.	असम	–	11.65	–	–

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	43.30	5.01	—	—
5.	छत्तीसगढ़	54.18	—	—	—
6.	गोवा	5.89	1.52	—	—
7.	गुजरात	65.91	120.58	—	19.69
8.	हरियाणा	24.79	—	—	3.66
9.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	4.00
10.	जम्मू-कश्मीर	—	2.23	100.00	—
11.	झारखंड	—	3.47	—	—
12.	कर्नाटक	79.41	37.52	5.57	—
13.	केरल	24.27	27.50	2.84	22.35
14.	मध्य प्रदेश	106.86	8.57	—	4.90
15.	महाराष्ट्र	742.75	79.28	12.36	56.34
16.	मणिपुर	—	4.75	—	21.88
17.	मेघालय	9.13	2.18	—	—
18.	मिजोरम	32.37	—	21.38	4.96
19.	नागालैंड	4.56	—	2.99	—
20.	उड़ीसा	5.43	18.79	2.84	17.07
21.	पंजाब	30.56	14.28	—	—
22.	राजस्थान	16.18	30.77	—	7.04
23.	सिक्किम	2.33	—	—	—
24.	तमिलनाडु	106.85	92.65	2.84	—
25.	त्रिपुरा	0.04	3.95	—	12.37
26.	उत्तर प्रदेश	127.35	89.09	22.12	—
27.	उत्तरांचल	—	—	—	—
28.	पश्चिम बंगाल	80.84	223.93	38.71	7.10

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	2.15	–
30.	चंडीगढ़	6.00	19.84	–	–
31.	दादरा व नागर हवेली	–	–	–	–
32	दमन व दीव	–	–	–	–
33.	दिल्ली	70.00	67.88	12.00	3.91
34.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
35.	पांडिचेरी	–	–	–	–
	कुल	1639.00	990.00	250.00	228.87

गैस और स्टीम टरबाईनों की आपूर्ति के लिए समझौता

4435. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेल (कंपनी) ने इस शर्त के साथ कि कस्टमर एन.टी.पी. पर कार्यवाही करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा कि यदि एनटीपी 31 दिसंबर, 1999 तक जारी नहीं होती है तो किसी भी पक्षकार को संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा, टूटीकोरिन स्थित तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के लिए 4 गैस टरबाइन और 2 स्टीम टरबाइन की आपूर्ति के संबंध में उपर्युक्त स्थान पर उक्त कम्पनी द्वारा 2x100 मेगावाट नाफ्था आधारित पॉवर परियोजना लगाये जाने के संबंध में मैसर्स सुजान पॉवर कंपनी लिमिटेड (कस्टमर) के साथ कोई करार किया है;

(ख) क्या कंपनी ने कस्टमर, जिसने अंत में करार समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप 6.27 करोड़ रुपए फंस गए हैं, से एन टी पी प्राप्त किए बिना मार्च, 1999 में अग्रिम विनिर्माण कार्रवाई शुरू कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सामग्री का आयात करने और सरकारी धन को फंसाने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) गैस और स्टीम टरबाइनों के विनिर्माण के लिए 17-18 महीने के सामान्य समय चक्र की तुलना में एनटीपी से उपभोक्ता को इन सामग्रियों की आपूर्ति के लिए भेल के पास मात्र 8-12 महीने का समय था। इस प्रकार विलंबित आपूर्ति के मामले में भारी परिनिर्धारित क्षति के प्रावधान से समय की बाध्यता और अधिक बढ़ गयी है। इन कारणों की वजह से, कंपनी ने अग्रिम विनिर्माणकारी कार्रवाई का सहारा लिया। सुजान परियोजना के लिये वसूली गयी 6.27 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों में से 3.18 करोड़ रुपये मूल्य की सामग्रियों का पहले ही उपयोग कर लिया गया है तथा 3.09 करोड़ रुपये मूल्य की शेष सामग्रियों का उपयोग कच्छ लिग्नाईट परियोजना के लिए किया जा रहा है, जो कार्यान्वयनाधीन है।

भेल की बोर्ड स्तरीय लेखा परीक्षा समिति (बीएलएसी) द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गयी। बीएलएसी ने महसूस किया कि वर्तमान के इस अति प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में ऐसी हानियों का होना अपरिहार्य रूप से व्यवसायिक जोखिम हैं।

रेल अधिनियम में संशोधन

4436. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु मंत्रिमंडल के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विधेयक बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक पुर:स्थापित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। संपत्ति विकास से संबंधित सभी कार्यों को शुरू करने के लिए बहरहाल रेलवे द्वारा रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करके रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आर एल डी ए) को स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी हां। रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधन सहित मंत्रिमंडल के लिए मसौदा नोट विधि एवं न्याय मंत्रालय को विधीक्षा के लिए भेज दिया गया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विधीक्षा कर लिए जाने के बाद इसे मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि का अन्यत्र उपयोग

4437. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सहित अनेक राज्यों के लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्धारित पर्याप्त धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है और इसे केन्द्र सरकार को वापस कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को पंचायती राज संस्थाओं से अन्य क्रियाकलापों के संबंध में बड़ी धनराशि के अन्यत्र उपयोग किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए/उठाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई और शेष बची निधियों की जांच राज्यों द्वारा सूचित किए गए व्यय के आधार पर की गई, जिसका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राज्यों को रिलीज की गई निधियां परियोजना विशेष के लिए हैं और व्यय, कार्य की वास्तविक प्रगति पर निर्भर करता है। शेष निधियां, चालू कार्यों के लिए भुगतान करने में उपयोग की जानी होती है।

(ग) जी नहीं। पी एम जी एस वाई के लिए निधियां पंचायती राज संस्थाओं को रिलीज नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रिलीज की गई एवं शेष बची निधियों के राज्य-वार ब्यौरे

(करोड़ रु. में)

#	राज्य	रिलीज की गई राशि					रिलीज की गई कुल राशि	कुल व्यय मई, 04 तक	शेष बची निधियां
		2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	195.00	224.65	219.29	100.00	18.97	757.91	645.39	112.52
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.95	45.00	41.51	0.00		127.46	118.81	8.65
3.	असम	75.00	80.00	74.92	170.02	52.07	452.01	226.61	225.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	बिहार	149.90	0.00	0.00	150.00		299.90	186.81	113.09
5.	छत्तीसगढ़	92.41	98.62	159.60	110.00		460.63	337.14	123.49
6.	गोवा	5.00	5.00	0.00	0.00		10.00	5.00	5.00
7.	गुजरात	59.81	60.00	51.70	44.35		215.86	130.40	85.66
8.	हरियाणा	25.18	30.00	44.75	7.99		107.92	83.70	24.22
9.	हिमाचल प्रदेश	60.00	72.09	104.57	66.35		303.01	166.06	136.95
10.	जम्मू व कश्मीर	20.00	0.00	35.00	0.00		55.00	31.98	23.02
11.	झारखंड	110.05	120.00	0.00	123.87		353.92	249.44	104.48
12.	कर्नाटक	100.57	108.37	97.74	59.00		365.68	265.09	100.59
13.	केरल	19.71	27.65	11.43	10.38		69.17	50.21	18.96
14.	मध्य प्रदेश	217.64	248.00	450.39	290.90		1206.93	1008.35	198.58
15.	महाराष्ट्र	130.21	134.50	114.58	75.00		454.29	292.51	161.78
16.	मणिपुर	40.00	40.00	0.00	0.00		80.00	31.33	48.67
17.	मेघालय	34.95	45.72	35.00	0.00		115.67	71.31	44.36
18.	मिजोरम	19.93	26.53	50.88	20.78		118.12	82.59	35.53
19.	नागालैण्ड	19.75	25.53	22.23	21.44		88.95	68.32	20.63
20.	उड़ीसा	179.70	175.00	170.09	175.00		699.79	426.30	273.49
21.	पंजाब	24.66	55.00	20.39	27.35		127.40	90.09	37.31
22.	राजस्थान	140.09	150.00	241.74	190.15	130.00	851.98	830.13	21.85
23.	सिक्किम	13.16	20.00	17.81	20.00		70.97	32.76	38.21
24.	तमिलनाडु	99.25	88.57	80.32	85.00		353.14	235.38	117.76
25.	त्रिपुरा	24.75	26.85	25.00	0.00		76.60	42.35	34.25
26.	उत्तर प्रदेश	321.11	348.11	240.54	335.27		1245.03	765.70	479.33
27.	उत्तरांचल	60.63	70.00	0.00	70.41		201.04	97.85	103.19
28.	पश्चिम बंगाल	135.00	149.65	159.52	135.00		579.17	358.31	220.86

देश में प्राकृतिक गैस की खपत

4438. श्री प्रकाशबापू पी. पाटील : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में प्राकृतिक गैस की खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति में अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या नई गैस की खोज से आपूर्ति स्थिति में काफी सुधार आएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) लगभग 120 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एमएमएससीएमडी) के प्राकृतिक गैस के आबंटन के मुकाबले सरकारी प्रशासित मूल्य पर खपत केवल 66 एमएमएससीएमडी है। इसके अलावा, पुनर्गैसीकृत एलएनजी समेत 16 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति बाजार मूल्य पर की जा रही है।

(ग) जी हां।

[हिन्दी]

केन्द्रीय एजेन्सियों के माध्यम से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन

4439. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय एजेन्सियों के माध्यम से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन करना चाहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) बिहार सरकार ने, जून, 2004 में एक संकल्प के माध्यम से, केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के कार्य केंद्रीय एजेंसियों के जरिए करवाएं जाएं। इस संकल्प के अनुसार, राज्य सरकार सड़क कार्यों का चयन करेगी। राज्य सरकार ने सीधे केन्द्रीय एजेंसियों को, जो राज्य सरकार की तरफ से कार्यों को निष्पादित करेंगी, निधियां रिलीज करने के लिए केन्द्र सरकार को प्राधिकृत किया है।

त्रिपुरा सरकार ने भी यह इच्छा जाहिर की है कि राज्य में पी एम जी एस वाई कार्य केन्द्रीय एजेंसियों के जरिए करवाए जाएं।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय और बिहार सरकार ने सड़क कार्यों में अनुभव रखने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों (पी एस यू) के साथ बाच-चीत की है। केंद्रीय एजेंसियों, बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच त्रि-पक्षीय समझौते का मसौदा तैयार किया गया है और बिहार सरकार तथा पी एस यू के साथ इस मसौदे पर चर्चा की गई थी। करार के मसौदे पर अभी तक बिहार सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

त्रिपुरा के संबंध में, प. त्रिपुरा जिले में पी एम जी एस वाई कार्यों के निष्पादन का काम, राज्य सरकार, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन बी सी सी) और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच 27 अप्रैल, 2004 को संपन्न त्रिपक्षीय करारनामे के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा एन बी सी सी को सौंपा गया है।

हिमाचल प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में वन अधिनियम की बाधा

4440. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर हिमाचल प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसे सुलझाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) यदि किसी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए वन भूमि की आवश्यकता होती है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू हो जाते हैं और अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

(ख) 23 जून, 2003 को सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उन सभी मामलों का पता लगाएं, जहां वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के लागू होने की संभावना हो और इस अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करें। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मामले पर कार्यवाही करने के लिए राज्य लोक निर्माण

विभाग और वन विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे मामलों को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के साथ कार्यवाही चल रही है।

रेल अधिकारियों द्वारा पद का दुरुपयोग

4441. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झांसी-कानपुर इत्यादि में तैनात रेल अधिकारीगण विशेषकर रात्रि के समय अपने रिश्तेदारों को बिना टिकट वातानुकूलित डिब्बों में यात्रा करवाते हैं .और इस प्रकार वे राजकोष को भारी घाटा पहुंचाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) ऐसा कोई मामला रेलवे के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजकीय रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के बीच समन्वय समिति की बैठकें

4442. **श्री रघुनाथ झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुधार समिति (आर आर सी) ने 1983 में रेलवे सुरक्षा बल (आर पी एफ) तथा राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए विशिष्ट अंतराल पर आवर्धन बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया था;

(ख) क्या रेल संबंधी स्थायी समिति ने भी रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा की उपेक्षा को नोट किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) रेलवे के महाप्रबंधकों तथा सदस्यों की राज्य के मुख्य सचिवों, जी आर पी तथा आर पी एफ के साथ समन्वय समिति की कितनी बैठकें हुईं तथा इन बैठकों में रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में क्या निर्णय लिए गए?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) जनता को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार और रेलवे के बीच प्रभावी समन्वय की महत्ता के दृष्टिगत तत्कालीन रेल मंत्री ने वांछा की थी कि एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएं। तदनुसार, रेलवे और राज्य सरकार के बीच परस्पर तालमेल और समन्वय पर प्रभाव डालने वाले विभिन्न मामलों का अध्ययन करने और उन्हें सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए 15.1.2000 को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी। रेल गाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा में सुधार लाने के लिए 15.1.2004 को रेल भवन, नई दिल्ली में रेल सुरक्षा बल (आर पी एफ) और राजकीय रेल पुलिस (जी आर पी) के बीच पुन: एक समन्वय बैठक में, विभिन्न मामलों जैसे यात्रियों की संरक्षा, सुरक्षा, आर पी एफ को सुदृढ़ करना और यातायात तथा संचार सुविधाओं में सुधार करने पर विचार-विमर्श किया गया। रेल संबंधी स्थाई समिति की सिफारिशों के अनुसार, रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 और रेलवे अधिनियम, 1989 में संशोधित करके रेल सुरक्षा बल को सुदृढ़ कर दिया गया है। अब रेल सुरक्षा बल को यात्री गाड़ियों का मार्गरक्षण करने, यात्री परिसरों की सुरक्षा करने, सहायक उप निरीक्षक के स्तर के अधिकारी या उससे बड़े अधिकारी को धारा 150, 151 और 152 के तहत किए गए अपराधों को छोड़कर रेलवे अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। इस संबंध में रेल गाड़ियों को मार्गरक्षण करने और यात्री परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को अपेक्षित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। ये अनुदेश 1.7.04 से लागू हो गए हैं। प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए क्षेत्रीय रेलों के स्तर पर भी रेल सुरक्षा बल और राजकीय रेल पुलिस के बीच नियमित रूप से समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं। अब तक रेलवे और राजकीय रेल पुलिस के बीच समय-समय पर अनेकों बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

[हिन्दी]

राजधानी एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा सोने/चांदी की जब्ती

4443. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता**
श्री राजेश वर्मा
श्री राजेश गोहेन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में दिल्ली-मुंबई राजधानी एक्सप्रेस में करोड़ों रुपए के मूल्य का सोना-चांदी जब्त किया है जैसाकि 3 अगस्त, 2004 के 'द हिंदू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने 1.8.2004 को गाड़ी सं. 2952 राजधानी एक्सप्रेस की ब्रेक यान से 5 पैकेज पकड़े, जिनमें 605 कि.ग्रा. वजन के सोने/चांदी के गहने/बर्तन/बिस्कुट और 1,000/- रुपए के करेंसी नोट हैं जिनकी कुल कीमत 1,00,00,000/- रुपए हैं। अग्रेषण नोट के अनुसार इन 5 पैकेजों की सामान्य माल के रूप में बुकिंग की गई थी। इसके अतिरिक्त 2.8.04 को मुंबई सेंट्रल पर इसी गाड़ी में से 2 पैकेट पाए गए घोषित किए गए। इन दो पैकेजों में लगभग 12,10,000/- रुपए की अनुमानित लागत वाला लगभग 250 कि.ग्रा. का चांदी का माल पाया गया, जिसे सामान्य माल घोषित किया गया था।

(ग) आर पी एफ/नई दिल्ली द्वारा पट्टाधारी के 3 लदान कर्मचारियों को गिरफ्तारी किया गया और आर पी एफ चौकी/नई दिल्ली पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 163 के अंतर्गत एक मामला (अपराध सं. 60/04) दर्ज किया गया। पट्टाधारी स्थल से भागने में कामयाब हो गया। पट्टाधारी के विरुद्ध कोर्ट से एक गिरफ्तारी का वारन्ट प्राप्त कर लिया गया है। मामले को 5.8.04 को आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को भी भेज दिया गया था। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 163 के अंतर्गत मुंबई सेंट्रल पर एरेचिती के दो प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया और एक मामला (अपराध सं. 837/2004) दर्ज किया गया है।

प्राचीन शहर की खोज

4444. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में खंभात की खाड़ी में पुरातात्विक महत्व के एक शहर का पता चला है जो समुद्र में विलय हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त खोज के आलोक में इससे संबंधित अन्य तथ्यों का पता लगाने के लिए अनुसंधान हेतु एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हमारी सभ्यता के अवशेषों के अध्ययन और सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में राज्य सरकारों या न्यासों को अनुदान उपलब्ध कराया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) हाल ही में, खंभात की खाड़ी में किए गए सर्वेक्षण के दौरान, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्र के मध्य में नदीय क्षेत्र की अभिलक्षक संरचनाओं का पता चला। स्थल से एकत्र की गई सामग्री में गोलाकार गुटिकाएं, बटियां एवं कछार शामिल थे जो स्वच्छ जल नदी क्षेत्र के द्योतक हैं। सर्वेक्षण के दौरान अनेक अद्वितीय ज्यामितीय वस्तुओं के प्रतिरूपों को, जो सामान्यत: मानव निर्मित हैं, 30 से 40 मीटर गहरे जल में लगभग 9 कि.मी. के फैले क्षेत्र से उठाया गया था। प्राप्त पुरावस्तुओं में मृण्पात्र, पत्थर के औजार, टट्टर तथा लेप के टुकड़े, ईंटें आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उपर्युक्त खोज के प्रकाश में अनुसंधान करने के लिए विशेष योजना शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) और (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमारी सभ्यता की प्राचीन स्मृतियों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए नियमित रूप से अन्वेषण एवं उत्खनन कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2003 - 2004 के क्षेत्र सत्र के दौरान 30 उत्खनन कार्य किए है जिसका विवरण संलग्न है।

(छ) और (ज) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अन्वेषण एवं उत्खनन कार्य के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदान नहीं देता है।

विवरण

क्षेत्र सत्र 2003-2004 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किए गए उत्खनन

क्र. सं.	स्थल का नाम
1	2
1.	आदि बद्री, जिला यमुनानगर, हरियाणा
2.	आदिचनालुर, जिला तूतीकोरन, तमिलनाडु
3.	अहिछत्र, जिला बरेली, उ.प्र.
4.	वकरौर (सुजाता कुटीर), जिला गया, बिहार

1	2
5.	बाराबती किला, जिला कटक, उड़ीसा
6.	बरोड़ जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
7.	भीम बैठका, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश
8.	भीरराना, जिला फतेहबाद, हरियाणा
9.	चाक 86 एवं तरखन वाला डेरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान
10.	चंदोर, गोवा, गोवा
11.	दौलताबाद किला, जिला दौलताबाद, महाराष्ट्र
12.	धौलाबीरा, जिला कच्छ, गुजरात
13.	हर्ष-का-टीला पर उत्खनन, थानसेर, जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा
14.	किला चित्रदुर्ग, जिला चित्रदुर्ग, कर्नाटक
15.	हम्पी, जिला बेलारी, कर्नाटक
16.	हांसी, जिला हिसार, हरियाणा
17.	जूनी करन, जिला कच्छ, गुजरात
18.	कालिंजर किला, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश
19.	केसरिया, जिला पूर्व चंपारन, बिहार
20.	प्राचीन गौड़ महल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध बैसगाजी दीवार से लगा टीला, जिला मालदा, जिला मालदा, पश्चिम बंगाल।
21.	बॉक्सानगर का टीला, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा
22.	रेजीडैसी, लखनऊ, उ.प्र.
23.	सरीदकेल, खुन्ती, जिला रांची, झारखंड
24.	संत अगस्टाइन परिसर की वैज्ञानिक सफाई, उत्तर गोवा, गोवा
25.	स्वयंभू मन्दिर परिसर की वैज्ञानिक सफाई, वारंगल किला, जिला वारंगल, आंध्र प्रदेश
26.	बौद्ध स्थल की वैज्ञानिक सफाई, रत्नागिरि, जिला जाजपुर, उड़ीसा
27.	तुगलकाबाद किला, दक्षिण रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली, नई दिल्ली
28.	बारावटी किला, जिला कटक, उड़ीसा
	अन्तः जलीय उत्खनन
1.	महाबलीपुरम, जिला कांचीपुरम, तमिलनाडु

[अनुवाद]

हुबली गुड्सशैड का अमरगोल में स्थानांतरण

4445. श्री प्रहलाद जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के हुबली गुड्सशैड को निकटवर्ती अमरगोल गांव में स्थानान्तरित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानांतरण के लिए कोई भूमि निर्धारित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्थानांतरण के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत पेयजल योजना

4446. श्री हितेन बर्मन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी पेयजल योजनाओं को राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत लाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो नई नीति का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़े पैमाने वाली ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के संबंध में पूंजी सहायता जारी रहेगी?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2002 में शुरू की गई स्वजलधारा योजना को जारी रखने के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) और (ख) वित्त मंत्री ने दिनांक 8.07.2004 को अपने बजट भाषण में निम्नलिखित घोषणा की–

"सरकार की मंशा सभी पेजयल योजनाओं को राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत लाने की है"

अभी कोई ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ) स्वजलधारा योजना अथवा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु नई पाइपलाइनें

4447. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री नकुल दास राई :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के लिए नई पाइपलाइन बिछाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पाइपलाइनों को बिछाने में कुल कितना निवेश किया जाएगा; और

(घ) इन पाइपलाइनों को बिछाने के लिए नियत समय क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) जी हां।, आईओसीएल द्वारा स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित नई उत्पाद पाइपलाइनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा योजित नई उत्पाद पाइपलाइनों का ब्यौरा।

क्र. स.	विवरण	क्षमता मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित निवेश (करोड़ रु. में)	अनुमानित पूर्णता कार्यक्रम
1.	बरौनी-कानपुर उत्पाद पाइपलाइन से रक्सौल और बेतालपुर को शाखा पाइपलाइनें	1.1	270	170	निवेश अनुमोदन से 24 महीने
2.	कोयाली-रतलाम उत्पाद पाइपलाइन	2.0	274	227	निवेश अनुमोदन से 24 महीने

कार्यान्वयनाधीन पाइपलाइनों का ब्यौरा

क्र. स.	विवरण	क्षमता (मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष)	लंबाई (कि.मी.)	अनुमोदित लागत (करोड़ रु.)	अनुमोदित पूर्णता
1	2	3	4	5	6
1.	सिद्धपुर सांगानेर उत्पाद पाइपलाइन (एसएसपीएल)	3.40	506	352.49	नवंबर, 2004
2.	पानीपत-रिवाड़ी उत्पाद पाइपलाइन	1.50	160	75.96	सितंबर, 2004
3.	चैन्नई-त्रिची-मदुरई उत्पाद पाइपलाइन प्रणाली	1.80		363.21	जुलाई, 2005
	चेन्नई-असानुर		256		

1	2	3	4	5	6
	असानुर-संकारी		157		
	असानुर-मदुरई		270		
4.	एसएसपीएल से अजमेर तक शाखा पाइपलाइन	0.08	21	20.92	जनवरी, 2005
5.	एसएसपीएल से चित्तौड़गढ़ तक शाखा पाइपलाइन	1.10	160	82.58	फरवरी, 2006
6.	कोयाली-दहेज उत्पाद पाइपलाइन	2.60	112	90.50	मार्च, 2006

यू.के. द्वारा पंचायतों को सीधे धनराशि प्रदान किया जाना

4448. श्री मंजुनाथ कुन्नुर : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटिश सरकार ने तमिलनाडु की एक पंचायत को सीधा अनुदान देना शुरू किया है जैसाकि दिनांक 2 जुलाई, 2004 के "इंडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अन्य राज्यों के पंचायती-राज के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए ऐसी व्यवस्था करने पर गंभीरता-पूर्वक विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में किसी पंचायत को सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के प्रभावों और संभावनाओं का अध्ययन किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (च) "तमिलनाडु गांव को यू.के. का उपहार : पंचायत अकादमी" शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 2 जुलाई, 2004 को इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में धनराशि का अप्रयुक्त पड़े रहना

4449. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में आईआरडीपी, टीआरवाईएसईएम, एसआइटीआरए, डीडब्ल्यूसीआरए और जीकेवाई के अंतर्गत धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रही;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं को बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में विशेषकर विदर्भ में स्वरोजगार के लिए बनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या में भारी गिरावट आई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) से (घ) दिनांक 1.04.1999 से आर.आर.डी.पी., ट्रायसेम, डवाकरा, सिट्रा और जी के वाई नामक कार्यक्रमों को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई) में मिला दिया गया तथा इन कार्यक्रमों के अंतर्गत खर्च न की गई शेष राशि एस.जी.एस.वाई. के नाम डाल दी गई और नए दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग किया गया। विलय के पहले कार्यक्रम की बहुलता से उचित सामाजिक सहयोग की कमी, उन कार्यक्रमों में आपस में वांछित संपर्क का अभाव और स्थायी आय सृजन के मुख्य परिणाम पर जोर देने की बजाय आंकिक लक्ष्यों को प्राप्त करने पर जोर रहा है। एस.जी.एस.वाई. पुनर्गठित और समेकित स्वरोजगार कार्यक्रम है जो गरीबों को स्वसहायता समूहों में संगठित कर, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना और विपणन जैसे स्वरोजगार के सभी पहलुओं को कवर करने वाला संपूर्ण कार्यक्रम हैं।

(ङ) वर्ष 2001-02 और 2002-03 के दौरान विदर्भ क्षेत्र सहित महाराष्ट्र में सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या में कमी आई। तथापि, वर्ष 2003-04 के दौरान सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या वर्ष 2002-2003 में 55442 से बढ़कर 60659 हो गई है।

(च) एसजीएसवाई एक प्रक्रियोन्मुख योजना है जिसमें समूह दृष्टिकोण पर जोर दिया जाता है। कार्यान्वयन के आरंभिक वर्षों में समूह दृष्टिकोण स्थापित होने में समय लगा और इसलिए लाभार्थियों की सहायता में आभासिक कमी आई। तथापि, सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या में वृद्धि के रुझान आने लगे हैं।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का विभाजन

4450. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नीतिश कुमार :

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को उनकी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर पांच वर्गों में बांटा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके वर्गीकरण का आधार क्या है;

(ग) इस वर्गीकरण के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने वर्गीकरण से संबंधित संगत सूचनाओं को प्राप्त करने के बाद क्या नीति अपनाई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों में कर्मचारियों की मजूरी, वेतन तथा बकाया सांविधिक देयताओं के भुगतान के मामले में विचार करने के लिए तथा सिफारिशें करने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 9.2.2000 को मंत्रियों का समूह गठित किया गया था। मंत्रियों के समूह ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके कर्मचारियों के वेतन/मजूरी तथा बकाया सांविधिक देयताओं का भुगतान करने की वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था, जो इस प्रकार है:–

वर्ग 'क' : सरकारी क्षेत्र के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम, जिनमें भुगतान करने की क्षमता है, परंतु वे कानूनी अड़चनों सहित विभिन्न कारणों से देयताएं पूरी नहीं कर सकते।

वर्ग 'ख' : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रम, जो स्वत: ही चरणबद्ध तरीके से बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रचालनकारी अधिशेष जुटाने में समर्थ हैं।

वर्ग 'ग' : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जो अपनी अतिरिक्त परिसंपत्तियों की बिक्री से बकाया देयताओं को पूरा कर सकते हैं।

वर्ग 'घ' : केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिनके पास न तो प्रचालनकारी अधिशेष है तथा न ही बिक्री के लिए अतिरिक्त परिसंपत्तियां हैं और उनको अत्यधिक कठिन वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता की आवश्यकता है, ताकि बकाया देयताओं को पूरा करने के लिए उनकी सहायता की जा सके।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 1 उपक्रम की परिसमापन प्रक्रिया न्यायाधीन है, जिसे वर्गीकृत नहीं किया गया था। उपरोक्त वर्गीकरण का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के संबंधित उपक्रमों में कर्मचारियों की देयताओं को पूरा करने के लिए कार्ययोजना करने में सहायता करना है।

(घ) सरकार द्वारा मंत्रियों के समूह की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थी तथा कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं और वेतन/मंजूरी का भुगतान करने के लिए समय अनुसूची तैयार कर ली गई थी तथा इस मामले में सभी संबंधितों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए थे।

[अनुवाद]

उप-नगरीय रेलवे स्टेशन

4451. श्री गुरुदास कामत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उप-नगरीय स्टेशनों के सौंदर्यीकरण संबंधी शुरू किया गया विशेश कार्यक्रम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) भारतीय रेल पर उपनगरीय स्टेशनों सहित स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है। निधि की उपलब्धता और कार्य की पारस्परिक प्राथमिकताओं के अनुसार रेलें प्रत्येक वर्ष स्टेशन परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु स्टेशनों के परिचलन क्षेत्र में सुधार करने, बुकिंग खिड़कियों में सुधार करने, प्लेटफार्मों के नजदीक के क्षेत्र में सुधार करने, भूमिगत पैदल रास्तों में सुधार करने, स्टेशन भवन आदि में सुधार के लिए कार्य करती रहती हैं।

इसके अतिरिक्त उपनगरीय स्टेशनों को सुन्दर बनाने और अतिक्रमण को रोकने के लिए मध्य और पश्चिम रेलों के मुंबई मंडल के प्लेटफार्मों के छोरों पर 137 छोटे बाग-बगीचों का विकास किया गया है। बहरहाल मुंबई मंडल के सभी खण्डों पर झोपड़-पट्टी वालों द्वारा रुकावट उत्पन्न करने के कारण सभी प्रयासों के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

मूल्य संशोधित करने के लिए तेल कंपनियों को आजादी

4452. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री तथागत सत्पथी :
श्री मोहन सिंह :
श्री मुंशी राम :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री विजय कृष्ण :
श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :
श्री श्रीपाद येसो नाईक :
श्री मनोरंजन भक्त :
श्री शैलेन्द्र कुमार :
श्री पंकज चौधरी :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल कंपनियों को हर पखवाड़े में तेल और डीजल की कीमतों को एक सीमित सीमा में संशोधित करने की स्वतंत्रता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के इस निर्णय से तेल कंपनियों को किस सीमा तक सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय तेल की बढ़ी हुई कीमतों का भार स्वयं ही उपभोक्ताओं पर स्थानांतरित हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार बढ़ती कीमतों से उपभोक्तओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) पेट्रोल तथा डीजल के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर उच्च अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के प्रभाव जो कम करने की बात को दृष्टि में रखकर, एक मूल्य श्रंखला प्रचालन में लायी गयी है जिसके अनुसार तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) पिछड़े पखवाड़े के औसत अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर मूल्य संशोधन कर सकती है बशर्ते कि सी एंड एफ (लागत और भाड़ा) समायोजित विनिमय दर (क) पिछले तीन महीने के रोलिंग औसत और (ख) पिछले एक वर्ष के रोलिंग औसत के माध्य के लगभग ± 10% की श्रंखला के भीतर हो। यदि सी एंड एफ मूल्य अधिक उतार-चढ़ाव के कारण उच्चतम मूल्य पार कर जाते हैं तो ओएमसीज मूल्यों को श्रंखला के अंतर्गत रखेंगी। सरकार तब पेट्रोल तथा डीजल पर शुल्कों का समायोजन कर सकती है ताकि इन उत्पादों के घरेलू उपभोक्ता मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव नियंत्रित हो सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 18/19 अगस्त, 2004 मध्य रात्रि को पेट्रोल तथा डीजल प्रत्येक पर सीमा शुल्क 5% तक तथा प्रत्येक उत्पाद पर उत्पाद शुल्क 3% तक कम कर दिया गया। सरकार ने 15/16 जून, 2004 मध्य रात्रि को पहले ही डीजल पर उत्पाद शुल्क 3% तक तथा पेट्रोल पर 4% तक कम कर दिया था।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस

4453. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस को राज्यवार उपलब्ध कराने के संबंध में क्या नीति और कार्य-योजना बनाई गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सहित उन विभिन्न राज्यों के क्या नाम हैं जिन्हें गैस एजेंसी विपणन योजना में शामिल करने के बावजूद वहां गैस एजेंसी नहीं खोली गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इन स्थानों पर कब तक गैस एजेंसियां खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) किन-किन स्थानों पर गैस आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है तथा इन क्षेत्रों में किस दर पर गैस दी जाएगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नियोजित

1429 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1247 वितरण केन्द्रों में से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने 1.7.2004 को शहरी/ग्रामीण बाजार में 1075 एलपीजी वितरण केन्द्र और ग्रामीण बाजार में 569 एलपीजी वितरण केन्द्र स्थापित किए हैं। आगे शामिल न किए गए ब्लाकों/तहसीलों/मंडलों को शामिल करने की दृष्टि से मंत्रालय ने ओएमसीज को सलाह दी है कि कम आय वर्ग वाले ग्राहकों के लिए 5 कि.ग्रा. का सिलेंडर जारी करने, गांवों में सामुदायिक किचन आदि बनाने जैसे नवोन्मेषी कदम उठाए जाएं।

(ख) और (ग) इस समय मध्य प्रदेश के 194 स्थलों सहित देश में 1878 स्थलों पर गैस एजेंसी स्थापित करना लंबित है, जो पिछली विपणन योजनाओं में सम्मिलित की गई थी। इनमें शहरी क्षेत्रों के स्थल भी सम्मिलित हैं। स्थलों का ब्यौरा ओएमसीज के पास उपलब्ध है।

(घ) एलपीजी वितरण केन्द्र स्थापित करना एक सतत् प्रक्रिया है। सभी स्थलों पर उन एलपीजी वितरण केन्द्रों की स्थापना के लिए सही समय सीमा बताना संभव नहीं है जो पिछली विपणन योजनाओं में शामिल की गई थीं। तथापि, स्थल के लिए साक्षात्कार के बाद सामान्यतया एलपीजी वितरण केन्द्र स्थापित करने में 6-12 माह लगते हैं।

(ङ) वितरण केन्द्र अपने प्राधिकृत प्रचालन क्षेत्र के अनुसार विभिन्न बाजारों में कार्य कर रहे हैं और रीफिल वितरण केन्द्र के प्रचालन क्षेत्र में शहर के खुदरा बिक्री मूल्य पर बेचे जाते हैं। उपर्युक्त (क) में बताए गए अनोन्मेषी कदमों के अतिरिक्त, ओएमसीज एलपीजी वितरकों को नियुक्त करने के लिए एक सामान्य योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया में, एलपीजी वितरक केन्द्र नेटवर्क में अधिकतम गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को लाने के प्रयास किए जाएंगे।

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों और जोन द्वारा रेलवे की आय और व्यय

4454. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजकोष (रेलवे) को होने वाले राजस्व अर्जन में विभिन्न राज्यों/रेल जोन के योगदान का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान उन राज्यों/जोन में रेलवे द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कितना निवेश किया गया है;

(घ) रेलवे विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलवे वित्त भारत की समेकित निधि का एक अभिन्न अंग है और रेलवे के यातायात से होने वाली आय सामान्य राजकोष की प्राप्तियों का एक हिस्सा बनती है। रेलवे की आय और व्यय का आकलन क्षेत्रीय रेलवे-वार किया जाता है न कि राज्य-वार पिछले 3 वर्षों में यातायात आमदनी का जोन-वार ब्यौरा और नई लाइन, आमान परिवर्तन, दोहरीकरण, विद्युतीकरण और महानगर परिवहन परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर किये गये निवेश का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

(करोड़ रु. में)

	यातायात से आमदनी				परियोजनाओं पर निवेश (सकल)			
	वास्तविक 2001-02	वास्तविक, 2002-03	वास्तविक, 2003-04 (अनंतिम)	बजट अनुमान 2004-05	वास्तविक, 2001-02	वास्तविक, 2002-03	वास्तविक, 2003-04 (अनंतिम)	बजट अनुमान 2004-05
	1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य	6536.18	7196.17	4362.08	4567.82	134.18	184.53	86.17	79.48
पूर्व	3914.76	4087.60	1860.69	1949.98	251.24	435.84	104.31	90.79
पूर्व-मध्य*	–	–	2988.79	3118.53	–	–	336.19	327.68
पूर्वतट*	–	–	2996.09	3121.96	–	–	124.76	122.81

	1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर	6575.89	7315.71	5002.75	5244.34	376.80	523.19	715.34	425.43
उत्तर-मध्य*	—	0.00	3218.05	3358.52	—	—	98.67	112.25
उत्तर-पूर्व	1241.57	1339.33	937.76	982.10	123.52	135.89	96.57	79.99
पूर्वोत्तर सीमा	957.26	962.21	1113.56	1166.17	353.06	457.09	593.61	342.00
उत्तर-पश्चिम*	—	—	1360.67	1424.22	—	—	118.64	105.77
दक्षिण	2606.97	2852.12	2424.62	2544.55	289.84	302.29	260.22	165.19
दक्षिण-मध्य	3797.06	4030.76	3702.47	3868.83	309.39	298.19	274.39	188.37
दक्षिण-पूर्व	7158.36	7906.91	2700.08	2817.81	256.10	327.78	72.21	94.05
दक्षिण-पूर्व-मध्य*	—	—	2725.01	2845.03	—	—	66.23	81.89
दक्षिण-पश्चिम*	—	—	1133.34	1185.88	—	—	192.00	175.12
पश्चिम	5031.32	5418.40	3812.56	3988.52	211.42	323.06	172.70	180.58
पश्चिम-मध्य*	—	—	2461.25	2568.44	—	—	3.76	27.00
रेल विद्युतीकरण	—	—	—	—	262.79	245.04	149.13	124.49
मेट्रो कोलकाता	39.17	38.52	42.42	44.50	93.92	82.99	99.32	83.00
एम.टी.पी. मुंबई	—	—	—	—	32.71	29.24	183.61	244.48
एम.टी.पी. चेन्नई	—	—	—	—	88.29	67.02	50.00	36.00
कुल	37858.54	41147.73	42842.16	44797.00	2783.26	3412.15	3797.83	3086.37

* ये नए जोन वित्त वर्ष 2003-04 से स्वतंत्र लेखा इकाइयां बन गई हैं।

(घ) और (ङ) माल यातायात और यात्री यातायात दोनों क्षेत्रों में यातायात की मांगों, यातायात में संभावित वृद्धि और संतृप्त क्षमताओं के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाता है। सामरिक दृष्टिकोणों आदि के आधार पर भी देश के विभिन्न भागों को रेल संपर्क मुहैया कराने के लिए रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित चालू रेल परियोजनाएं

4455. श्री रामदास बंधु आठवले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित चालू रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने उक्त विदेशी संस्थानों को प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) उन चालू परियोजनाओं जिनके लिए विदेशी वित्तीय सहायता प्राप्त की जा रही है, पर अनुमानित लागत तथा प्रयुक्त विदेशी संस्थानों द्वारा वित्त पोषित धनराशि का विवरण निम्नानुसार है।

(i) मुंबई शहरी यातायात परियोजना (एम यू टी पी) जिसमें सड़कें तथा रेलें दोनों शामिल हैं, को इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंसट्रकशन एंड डेवलपमेंट से वर्ल्ड बैंक के द्वारा 463 मिलियन यू एस डालर के ऋण तथा 62.5 मिलियन एस डी आर के इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आई डी ए) के क्रेडिट से अंशत: भुगतान किया जा रहा है। रेल घटक के लिए निर्धारित आई बी आर डी ऋण तथा आई डी ए क्रेडिट 305 मिलियन यू एस डालर तथा लगभग 60 मिलियन यू एस डालर है। रेल घटक पर अनुमानित लागत 3125 करोड़ रु. है। ऋण तथा क्रेडिट में से अभी तक 127.90 करोड़ रु. की राशि प्रयोग में लाई जा चुकी है।

(ii) गाजियाबाद एवं कानपुर के बीच सिगनलिंग के आधुनिकीकरण की परियोजना को क्रेडटानस्टाल्ट फार विडरावाऊ (के एफ डब्ल्यू), जर्मनी से 185 मिलियन डूर्श मार्क यूको 95 मिलियन) के ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 425 करोड़ रु. है। इस ऋण से अब तक 3.99 करोड़ रु. की राशि प्रयुक्त की जा चुकी है।

(iii) एशियन डवलपमेंट बैंक (ए डी बी) ने रेलवे क्षेत्र सुधार परियोजना (आर एस आई पी) के लिए 313.6 मिलियन यू एस डालर का ऋण दिया है जिससे कि (i) रेल क्षमता में आने वाली अड़चनों पर काबू पाने एवं परिचालनिक क्षमता/संरक्षा में सुधार लाने के लिए वरीयता वाले निवेशों के वित्त पोषण (ii) भारतीय रेल वाणिज्य अभिमुखीकरण में सुधार लाने के लिए रेल मंत्रालय (एम ओ आर) द्वारा बनाए गए सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बढ़ावा देते हुए रेलवे क्षेत्र के निष्पादन का सुधार किया जा सके। इस परियोजना की अनुमानित लागत 579.2 मिलियन यू एस डालर है। यह ऋण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त विदेशी संसाधनों द्वारा वित्त पोषित सहायता के तहत वचनबद्धता प्रभारों के लिए सरकार द्वारा कुल 17.07 करोड़ रु. की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पूर्वाह्न 11.05

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-05 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 638/2004]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : महोदय, मैं श्री लालू प्रसाद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जब श्री लालू प्रसाद यहां उपस्थित हैं, तो वह स्वयं इसे सभा पटल पर रखेंगे। इसलिए, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। श्री लालू प्रसाद।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेल (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 591(अ) जो 17 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2004 की तारीख को उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) रेल संरक्षण बल (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 1 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 592(अ) जो 17 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2004 की तारीख को उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 179 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 593(अ) जो 17 मई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रेल संरक्षण बल में सहायक उपनिरीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारियों को उक्त अधिनियम के

प्रयोजनार्थ "प्राधिकृत अधिकारी" अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसके रूप में एक शुद्धिपत्र जो 17 जून, 2004 की अधिसूचना सं. 698(अ) में प्रकाशित हुआ था, (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 639/2004]

(4) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड और रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 640/2004]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1995-1996 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने के हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1996-1997 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 641/2004]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) संगीत नाटक एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संगीत नाटक एकेडमी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 642/2004]

(3) (एक) सेंटर फार कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार कल्चरल रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 643/2004]

(5) (एक) साऊथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 644/2004]

(7) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 645/2004]

(9) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2001-2002 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 646/2004]

(11) (एक) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2002-2003 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 647/2004]

(13) (एक) इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 648/2004]

(15) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद के वर्ष 2002-2003 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 649/2004]

(17) (एक) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साऊथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 650/2004]

(19) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के वर्ष 2001 2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 651/2004]

(21) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 25 की उपधारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) भारतीय प्रेस परिषद (कर्मचारियों के निबंधन और सेवा शर्तें) विनियम, 2002 जो 24 सितम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10/7/82-सचिवा. (प्रशासन) खंड छह (संख्या 193) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रेस परिषद (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2003 जो 19 जून, 2003 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 10/7/82-सेक्ट. (एडमिन) खंड 6 (संख्यांक 96) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 652/2004]

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : महोदय, मैं उच्च न्यायालयों में हाई-टेक फास्ट ट्रेक कमर्शियल डिविजनों के गठन के प्रस्तावों दिसम्बर, 2003 के बारे में भारत के विधि आयोग के 188वें प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 653/2004]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 654/2004]

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 655/2004]

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव– उपस्थित नहीं।

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 368 के अंतर्गत 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रशासन संबंधी प्रशासन वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया/रखे गई/रखी गई। देखिए संख्या एल.टी 657/2004]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेन्ट्रल काउंसिल आफ होम्योपैथी, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 658/2004]

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसेज, बंगलौर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 659/2004]

अध्यक्ष महोदय : श्री तस्लीमुद्दीन–उपस्थित नहीं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : महोदय, मैं श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इसके लिए नोटिस नहीं दिया गया है।

श्री विजय झान्डिक : महोदय मैंने अनुमति के लिए पत्र भेजा है।

अध्यक्ष महोदय : वह हमें नहीं भेजा गया है। कृपया इसे हल्के ढंग से न ले। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। खैर, कृपया आप जारी रखें। यह अंतिम बार है। आप सभा को यूं ही न समझें।

श्री विजय झान्डिक : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2003-2004 के दौरान बाजार से लिए गए ऋण के विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा अनुबंध।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 662/2004]

(2) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)–

(एक) सा.का.नि. 499(अ) जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रीट को 5 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के विनिर्माण में उपयोग के दृष्टिगत विनिर्माता द्वारा बेचे गए मोटर स्प्रीट पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से स्वतंत्र खरीददार को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 500(अ) जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और इथेनॉल से विनिर्मित 5 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को उस पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट देना है। तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 501(अ) जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 502(अ) जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 2002 की अधिसूचना संख्या 28/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 506(अ) जो 9 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 10/96-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 507(अ) जो 9 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 523(अ) जो 13 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 6/2002-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 663/2004]

(3) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 की धाराओं 12 और 19 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 495(अ) जो 4 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा शिक्षा उपकर में ब्यौरा शामिल करने के लिए पूर्व की अधिसूचित विवरणियों के अधिक्रम में मासिक/त्रैमासिक विवरणियों को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 511(अ) जो 10 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 43/2001-सीई (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 512(अ) जो 10 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा

26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 42/2001-सीई (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 664/2004]

(4) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) सा.का.नि. 475(अ) जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित नायलॉन टायर कॉर्ड फाइब्रिक पर छह महीनों की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 476(अ) जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा 'सनसेट' समीक्षा की पहल करने के परिणामस्वरूप जापान, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 1900 सीरीज के स्टाइरेन बुटाडिन रबड़ के भारत में आयात पर 22 मई, 2000 की अधिसूचना सं. 73/2000-सी.शु. द्वारा लगाई गई दरों पर प्रतिपाटन शुल्क को 25 अक्तूबर, 2004 तक लगाया जाना जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 477(अ) जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके आशय 22 मई, 2000 की अधिसूचना संत्रया 73/2000-सी. शु. से निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 478(अ) जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कंप्यूटर (अतिरिक्त शुल्क) नियम, 2004 में विनिर्दिष्ट रूप में कंप्यूटरों के आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाना है।

(पांच) सा.का.नि. 481(अ) जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या 1/2002-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 482(अ) जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना संख्या 110/2002-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 484(अ) जो 28 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मई, 2003 की अधिसूचना संख्या 73/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 485(अ) जो 28 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके तथा आशय 1 जुलाई, 2003 की अधिसूचना संख्या 98/2003-सी.शु. को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 10 के अंतर्गत कंप्यूटर्स (अतिरिक्त शुल्क) नियम, 2004, जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480(अ) जो 26 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत बैंक आफ बड़ौदा सामान्य (संशोधन) विनियम, 2003 जो 13 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या बीसीसी/लीगल/एमटीयू/95/1538 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 665/2004]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के. वेंकटपति): महोदय, मैं श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन की ओर से सभा पटल पर पत्रों को रखता हूं:—

1. (एक) रिहैबिलीटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

1. (दो) रिहैबिलीटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 666/2004]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) आर्टिफिशियल लिम्बस मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आर्टिफिशियल लिम्बस मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कानपुर के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 667/2004]

(4) आर्टिफिशियल लिम्बस मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 668/2004]

(5) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 64 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2002-2003 के लिए नि:शक्त व्यक्ति मुख्य आयुक्त की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 669/2004]

पूर्वाह्न 11.06 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:–

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार 22 जुलाई 2004 को अपनी बैठक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:–

"कि राज्य सभा ने 22 जुलाई 2004 को हुई अपनी बैठक में 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के संबंध में एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए सभा के 10 सदस्यों को निर्वाचित किया गया है:–

2. मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्यसभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत निर्वाचित किया गया है:–

(1) श्री मूल चन्द मीणा

(2) श्री नंदी येल्लैया

(3) डा. फागुनी राम

(4) श्री राम नाथ कोविन्द

(5) श्री नारायण सिंह केसरी

(6) श्री गांधी आजाद

(7) श्री फकीर चन्द मुलाना

(8) श्री राबर्ट खारशींग

(9) श्री आर. शरत् कुमार

(10) श्री लालमिंगलिआना

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार 22 जुलाई 2004 को हुई बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव को स्वीकृत किया है:—

"कि यह राज्य सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के संबंध में लोकसभा की सिफारिश सहमत हुई और सभापति के निदेशानुसार उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के 7 सदस्यों को चुना जाएगा।

2. मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत निर्वाचित किया गया है:—

(1) श्रीमती अम्बिका सोनी

(2) श्री अजय मारू

(3) श्री जीवन राय

(4) श्री शाहिद सिद्दिकी

(5) प्रो. राम देव भंडारी

(6) श्री प्यारीमोहन महापात्र

(7) श्री दिनेश त्रिवेदी

(तीन) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने गुरूवार, 22 जुलाई 2004 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:

"कि यह सभा लोक सभा की लोक लेखा संबंधी समिति के लिए 30 अप्रैल, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के संबंध में लोकसभा की सिफारिश से सहमत हुई है और सभापति के निदेशानुसार उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभा के 7 सदस्यों को चुना जाएगा।

2. मुझे लोक सभा को सूचित करना है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में उक्त समिति में सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत निर्वाचित किया गया है।

(1) श्री जयराम रमेश

(2) श्री आर.के. धवन

(3) श्री वी. नारायणसामी

(4) प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा

(5) श्री प्रशांत चटर्जी

(6) डा. के. मलयसामी

(7) श्री सी. रामचन्द्रैय्या

पूर्वाह्न 11.08 बजे

[हिन्दी]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति पहला प्रतिवेदन

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.08¼ बजे

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति एक सौ बावनवां प्रतिवेदन

डा. टोकचोम मैन्या : महोदय, मैं, युवक कार्यक्रम और खेल

मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में मानव विकास संबंधी स्थायी समिति के एक सौ बावनवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

पूर्वाह्न 11.08½ बजे

[हिन्दी]

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

एक सौ छयालीसवें प्रतिवेदन से एक सौ तिरेपनवां प्रतिवेदन

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) महाराष्ट्र में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह के बारे में 146वां प्रतिवेदन (लघु उद्योग मंत्रालय)

(2) बुलंदशहर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण प्रवाह के बारे में 147वां प्रतिवेदन (लघु उद्योग मंत्रालय);

(3) चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के संबंध में समझौता ज्ञापन निष्पादन के बारे में 148वां प्रतिवेदन;

(4) नागर विमानन क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) के संबंध में समझौता ज्ञापन निष्पादन के बारे में 149वां प्रतिवेदन;

(5) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में 150वां प्रतिवेदन;

(6) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में 151वां प्रतिवेदन;

(7) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में 152वां प्रतिवेदन;

(8) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में 153वां प्रतिवेदन;

पूर्वाह्न 11.08¾ बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

एक सौ अट्ठाईसवें प्रतिवेदन से एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन

डा. सुज्ञान चक्रवर्ती (जाधवपुर) : महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-05) संबंधी एक सौ अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

(2) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ उनतीसवां प्रतिवेदन।

(3) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ तीसवां प्रतिवेदन।

(4) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी एक सौ इकतीसवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

पहले प्रतिवेदन से तीसरा प्रतिवेदन

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन।

(2) परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(3) 'आयुष' विभाग की अनुदानों की मांगों (2004-2005) संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.09½ बजे

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदया, मैं कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में पहला प्रतिवेदन; और

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.10 बजे

[अनुवाद]

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

उनासीवें प्रतिवेदन से बयासीवां प्रतिवेदन

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : मैं परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में उनासीवां प्रतिवेदन;

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में अस्सीवां प्रतिवेदन;

(3) पोत परिवहन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में इक्यासीवां प्रतिवेदन;

(4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में बयासीवां प्रतिवेदन;

पूर्वाह्न 11.11 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र – *जारी*

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 8 श्री संतोष मोहन देव। अपवाद के तौर पर यह हो रहा है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, हमारे पुराने, संबंध हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको खेद प्रकट करना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मुझे खेद है ट्रैफिक जाम हो गया था।

मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी अनुषंगियों के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी अनुषंगियों का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 656/2004]

अध्यक्ष महोदय : मद सं. 11 । श्री तस्लीमुद्दीन।

मैं उम्मीद करता हूं कि हर माननीय मंत्री को, जो अपना नाम पुकारे जाने के समय उपस्थित नहीं था, कम से कम खेद तो प्रकट करना चाहिए।

(व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तस्लीमुद्दीन) : महोदय, मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : इसे हल्के फुल्के ढंग से न लें। संसद की गरिमा को बनाए रखना होगा।

[हिन्दी]

श्री तस्लीमुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2004 जो 13 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 660/2004]

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) संशोधन नियम, 2004 जो 12 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 113(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 14 मई, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316(अ) में प्रकाशित हुआ था (केवल अंग्रेजी संस्करण।

(दो) बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) दूसरा संशोधन नियम, 2004 जो 1 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) तीसरा संशोधन नियम, 2004 जो 31 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 238(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बाट और माप मानक (अंतर्राज्यीय सत्यापन और स्टाम्पित करना) संशोधन नियम, 2004 जो 5 मार्च, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 252(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बाट और माप मानक (सामान्य) संशोधन नियम, 2004 जो 5 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 661/2004]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको खेद है। अन्यथा, मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री तस्लीमुद्दीन : मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : और भविष्य में इसे याद रखें। अब मद सं. 22 लेते हैं। श्री आलोक कुमार मेहता।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा 25 अगस्त, 2004 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 25 अगस्त, 2004 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पूर्वाह्न 11.14 बजे

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले को लेते हैं। हमें कुछ कार्य करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मामले भी लेने हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 377 के अंतर्गत मामले भी ले रहा हूं। आप एक मिनट रूकिए। किसी को एक मिनट भी धीरज नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री के.सी. सिंह बाबा।

(एक) उत्तरांचल के वन-क्षेत्रों में रहने वाले गुज्जर समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरांचल राज्य के वनों में तथा देश के अन्य भागों में रहने वाले गुज्जर समुदाय के लोग अत्यंत पिछड़े हुए हैं। वे शताब्दियों से वनभूमि में रह रहे हैं तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को तत्काल सुधारे जाने की आवश्यकता है। उत्तरांचल राज्य के वनों में गुज्जरों की जनसंख्या में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे कि राज्य में वनों को बचाना तथा उनका संरक्षण कठिन हो गया है। सरकार को हमारे वन भंडार को बचाने के लिए वनों से बाहर उन्हें वैकल्पिक भूमि आबंटित कर उनके पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, उन्हें वैकल्पिक जीवन-यापन तथा रोजगार मुहैया कराना चाहिए तथा उत्तरांचल राज्य की सूची में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाए ताकि ये पद दलित लोग भी अन्य अनुसूचित जनजातियों की तरह सभी लाभों तथा सुविधाओं को प्राप्त करने के योग्य बन सकें।

(दो) हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल तथा मनाली में एक बाई पास के निर्माण हेतु पर्याप्त धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहती है कि भू.पू. प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का सपना था क हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल मनाली के निकट स्थित रोहतांग दर्रे कि नीचे टनल बनाकर लाहौल वैली और लेह को जोड़ा जाए। सामरिक महत्व की इस योजना में 9 किलोमीटर लम्बे टनल निर्माण हेतु भारत सरकार ने मई, 2002 में स्वीकृति प्रदान की। टनल निर्माण हेतु प्रारंभिक कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 21 पर मनाली बाईपास बनाने हेतु 1.630 किलोमीटर सड़क का निर्माण आवश्यक है। इसके लिए रुपये 448.35 लाख की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) हि.प्र. सरकार ने दिनांक 23.07.2003 को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से धन आबंटित करने की प्रार्थना की थी।

देश की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोहतांग टनल का कार्य प्रारंभ करने हेतु आवश्यक मनाली बाईपास निर्माण करने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की पुष्टि से मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि इस परियोजना हेतु पर्याप्त धन आबंटन करें।

(तीन) सशस्त्र बलों में हिमाचल प्रदेश के भर्ती कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र कुमार (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश से सेना में सबसे ज्यादा लोग भर्ती होकर देश की सेवा कर

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. चन्द्र कुमार]

रहे हैं। चीन, पाकिस्तान अथवा कारगिल युद्ध में सबसे ज्यादा अपने प्राणों की आहुतियां हिमाचल के सैनिकों ने देकर मातृभूमि की रक्षा की। यही कारण है कि छोटा प्रदेश होते हुए भी अनेक परमवीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्रों से सैनिकों को सम्मानित किया गया है।

मेरा रक्षा मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे सेना में वन रैंक वन पेंशन देने, हिमाचल रेजीमेंट की स्थापना करने, सशस्त्र सेवाओं में भर्ती हेतु प्रदेश का कोटा बढ़ाने, रक्षा सेवाओं में पूर्ण पेंशन हेतु न्यूनतम 33 वर्ष की सेवा शर्त को शिथिल करने, रक्षा कर्मियों को 58 वर्ष तक सेवा करने का अवसर देने, प्रदेश के कठिन क्षेत्रों में जहां कैंटीन नहीं हैं, वहां मोबाइल कैंटीन सेवाएं देने, 60 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र के भू.पू. सैनिकों, उनकी विधवाओं को प्रदेश से देश में कहीं भी रेल से यात्रा हेतु किराए में 50 प्रतिशत की छूट देने की कृपा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी इसे सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

(चार) आंध्र प्रदेश के गुंटूर रेलवे डिवीजन में बेहतर रेल सम्पर्क एवं सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

***श्री एम राजा मोहन रेड्डी** (नरसारावपेट) : आंध्र प्रदेश का गुंटूर रेल मंडल कई रेल सुविधाएं प्राप्त करने के मामले में बहुत पीछे है और मैं यहां इस मार्ग का प्रयोग करने वाले यात्रियों की लंबे समय से आ रही मांगों का उल्लेख तथा सिफारिश कर रहा हूं। कोचिन एक्सप्रैस के पिडुगुरल में कलकजुमा एक्सप्रैस के नाडीकुड़ी में तथा प्रशांती एक्सप्रैस के कमबम में ठहराव की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता है। गुंटूर रेल मंडल के अंतर्गत नरसारावपेट, विनुकोण्डा, पिडुगुराला, नाडीकुडी और मदेरला तथा प्रकाशम जिले के दोनाकोण्डा, यारकापुर और कमबम में कंप्यूटर आरक्षण सुविधा की आवश्यकता है। पिडीगुराला-नरसारावपेट (33 किलोमीटर) के बीच नई रेल लाइन का सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को लाभ होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सिंह कस्वां। इसे सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(पांच) राजस्थान में जल संकट से बचने के उद्देश्य से जल समझौतों के बारे में पंजाब सरकार के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने 12 जुलाई को पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर नदी जल बंटवारे के संबंध में 1981 के जल बंटवारे सहित सभी पुराने समझौतों को रद्द करने के लिए "दी पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट्स बिल" 2004 सर्व सम्मति से पारित कर कानून बनवा दिया है। पंजाब की इस कार्यवाही से राजस्थान में गंभीर जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस कदम की राजस्थान में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है व सभी दल इस संबंध में एकजुट हो गए हैं। पंजाब के इस कदम से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। पंजाब को अंतर्राज्यीय समझौते को एक तरफा रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पंजाब अचानक रावी-व्यास नदी से राजस्थान की जीवन-रेखा इंदिरा गांधी नहर में पानी देना बंद कर देता है, तो ऐसी भयावह स्थिति पैदा होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, 15 लाख एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित होकर फिर से रेगिस्तान बन जाएगी। इतना ही नहीं, पीने के पानी की भी भयंकर किल्लत पैदा हो जाएगी। वर्तमान में राजस्थान को 1981 में हुए समझौते के अनुरूप उसके हिस्से का पूर्ण 8.60 एम.ए.एफ. पानी नहीं मिल रहा है। वर्षों से 60 एम.ए.एफ. पानी पंजाब उपयोग में लेता आ रहा है। आज राजस्थान को इस पानी की नितांत आवश्यकता है। यही नहीं नहरों के सभी हैडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब से भाखड़ा व्यास नियंत्रण मंडल को हस्तांतरित करना था, वह भी अभी तक नहीं हुआ है। जब तक यह नहीं होगा समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकेगा।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि पंजाब में नदी जल संबंधी पूर्व स्थिति बहाल हो व केन्द्र सरकार पहल कर इस गम्भीर समस्या का हलकर राजस्थान के साथ न्याय करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अशोक छविराम अर्गल।

इसे सभा पटल पर रखा माना जाए।

(छह) उसैदघाट पर चम्बल नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

***श्री अशोक अर्गल** (मुरैना) : मध्य प्रदेश एवम् उत्तर प्रदेश को जोड़ने हेतु चम्बल नदी के उसैदघाट जो कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद

*सभा पटल पर रखा माना गया।

एवम् मध्य प्रदेश के मुरैना लोक सभा क्षेत्र को जोड़ता है, पर प्रतिवर्ष उ.प्र. सरकार पीपों का पुल बनाती है तथा बरसात के दौरान उसे हटाना होता है, जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। उक्त पुल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व. श्री राजीव गांधी द्वारा किया गया था, किंतु उक्त पुल का निर्माण 15 वर्षों से लम्बित है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त पुल का निर्माण शीघ्र कराएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दुष्यन्त सिंह।

इसे सभापटल पर रखा हुआ माना जायेगा।

(सात) घरेलू संगमरमर उद्योग में कार्यरत लोगों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से संगमरमर एवं डोलोमाइट के आयात की अनुमति दिए जाने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता।

***श्री दुष्यंत सिंह** (झालावाड़) : राजस्थान में संगमरमर के खनन और प्रसंस्करण में कार्यरत 25,000 से अधिक परिवार भारत सरकार द्वारा आयात निर्यात नीति में किये गए परिवर्तनों के फलस्वरूप अत्यधिक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। राजस्थान देश में उत्पादित कुल संगमरमर का लगभग 95 प्रतिशत उत्पादन करता है। राज्य की अर्थव्यवस्था काफी हद तक संगमरमर की खुदाई पर निर्भर करती है। अब, आयात-निर्यात नीति में परिवर्तन करके संगमरमर के आयात को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति देने से इरान और अन्य देशों से भारत में बड़ी मात्रा में संगमरमर आ रहा है। इससे स्थानीय लोगों द्वारा उत्खनन किये गए संगमरमर की मांग में अत्यधिक कमी आ गई है क्योंकि प्रसंस्करण इकाई संगमरमर आयात कर रहे हैं और इसे राज्य से नहीं खरीद रहे हैं। ये प्रसंस्करण इकाईयां संगमरमर आयात करने के लिए वास्तविक प्रयोक्ता के लाइसेंस प्राप्त कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव संगमरमर उद्योग पर आश्रित व्यक्तियों पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त, इन व्यक्तियों की व्यथा केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी 2001 की राजपत्र अधिसूचना ने बढ़ा दी है जिसमें भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले डोलोमाईट के आयात को अनुमति प्रदान की गई है।

मैं, वाणिज्य मंत्रालय से संगमरमर और भवन निर्माण के रूप में प्रयुक्त होने वाली डोलोमाईट के आयात को अनुमति देने वाले निर्णय पर अविलम्ब पुनिर्विचार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारीलाल भार्गव। इसे सभापटल पर रखा हुआ माना जाये।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(आठ) जयपुर रेललाइन का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

***श्री गिरधारी लाल भार्गव** (जयपुर) : जयपुर रेलवे स्टेशन बड़ी रेलवे लाइन से जुड़ गया है, राजस्थान की राजधानी होने के बावजूद भी ट्रेनों की गति में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। राजस्थान में कोटा-भरतपुर-सवाईमाधोपुर व बांदीकुई ट्रेनों की गति तेज इसलिए हुई है कि इनको विद्युत ट्रेनों से जोड़ा गया है। इसलिए मेरी मांग है कि जयपुर को इलैक्ट्रिक ट्रेन से जोड़ा जाए जिससे इनकी गति में तेजी होगी और यात्रियों को राहत मिलेगी।

(नौ) पश्चिम बंगाल में आर.ओ.बी. की निर्माण लागत में रेलवे की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी किए जाने की आवश्यकता।

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर) : पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी रेलवे में मदयम-ग्राम, बारासत, बैरकपुर, सोनारपुर, दनकुनी तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में बगनन, रंगामती (मेदनीपुर), आई आई टी खड़गपुर, बलि चक्र में कुछ आर.ओ.बी. परियोजनाएं आरम्भ की हैं।

यद्यपि इन योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र किये जाने की आवश्यकता है किन्तु बढ़ती हुई उच्च लागत कार्य आरम्भ करने में बाधा आ रही है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने रेलवे प्राधिकारियों को प्रस्ताव किया है कि रेलवे का हिस्से का अग्रिम रूप से भुगतान किया जाये और आर.ओ.बी. की निर्माण लागत की हिस्सेदारी मौजूदा (:) की बजाय रेलवे और राज्य सरकार के बोच 2:1 की होनी चाहिए।

प्रस्तावित आर.ओ.बी. में, दनकुनी आर.ओ.बी. के निर्माण को उच्चतम प्राथमिकता दी जाए।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल के व्यापक हित में इस मामले पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अतीक अहमद। इसे सभा पटल पर रखा हुआ माना जाये।

(दस) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में सेना भर्ती बोर्ड कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

***श्री अतीक अहमद** (फूलपुर) : इलाहाबाद में सेना की बहुत छावनी होने के बावजूद यहां पर सेना भर्ती बोर्ड का कोई भी कार्यालय

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री अतीक अहमद]

नहीं है। इलाहाबाद और इससे सटे हुए बहुत से महत्वपूर्ण शहरों जैसे फूलपुर, कानपुर, वाराणसी और आजमगढ़ में रहने वाले लाखों नवयुवकों में सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा और सेवा करने की हार्दिक इच्छा है। परंतु इलाहाबाद में सेना भर्ती बोर्ड का कोई कार्यालय न होने के कारण इनकी सेवा में भर्ती नहीं हो पाती।

अत: इस सम्माननीय सदन के माध्यम से मैं रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस ओर ध्यान देकर इलाहाबाद में सेना भर्ती बोर्ड का एक कार्यालय स्थापित करने हेतु तुरंत निर्देश जारी करें ताकि इस क्षेत्र के नवयुवक सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर सकें।

(ग्यारह) बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित करने हेतु बिहार सरकार को धनराशि दिए जाने की आवश्यकता।

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : बिहार विभाजन के पश्चात राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि ही रह गई है। एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में एक करोड़ उन्नीस लाख लघु व सीमांत तरह के कृषक हैं तथा लगभग एक लाख नवासी हजार आठ सौ पैंसठ मध्यम कोटि के किसान हैं। प्राय: वर्ष 1999-2000 में लगभग 125.00 लाख मीट्रिक टन तथा 2000-2001 में बढ़कर 137 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। परंतु इसके बावजूद धान व गेहूं की उत्पादकता राष्ट्रीयता उत्पादकता से कम पाई गई। अस्तु, बिहार राज्य के लिए अनुकूल प्रभेदों के बीज उत्पादन का प्रमुख स्रोत बीज निगम रहा है, परंतु बाद के वर्षों में वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप इसकी स्थिति में ह्रास होता गया और वर्तमान में यह बीज का उत्पादन नहीं कर पाया है।

बिहार राज्य में 10 प्रतिशत प्रमाणित बीज के प्रतिस्थापन दर के हिसाब से 1.90 लाख क्विंटल धान बीज एवं 2.30 लाख क्विंटल गेहूं बीज की आवश्यकता होती है। इस आशय हेतु बिहार सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को समर्पित किया है जिसमें प्रथम वर्ष में 1,47,123 क्विंटल और 2005-2006 में 3,04,292 क्विंटल का लक्ष्य रखा गया है।

इस आलोक में आयुक्त, कृषि उत्पादन बिहार पटना द्वारा भारत सरकार के अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग को अपने अर्ध सरकारी पत्र संख्या - 317 दिनांक 21.12.2000 के द्वारा बिहार राज्य बीज निगम को पुनर्जीवित करने हेतु 18 करोड़ रुपए की परियोजना हेतु अनुरोध किया गया है व इसके अलावा रिवाइवल पैकेज बनाने का अनुरोध किया है। लेकिन विशेषज्ञों का दल अभी तक नहीं भेजा गया है। तत्कालीन कृषि मंत्री के इसके पुनर्जीवित करने के उद्घोषणा के बावजूद बिहार राज्य बीज निगम पुनर्जीवित नहीं हो सका।

केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी - इसे सभा पटल पर रखा हुआ माना जाए।

(बारह) भुवनेश्वर, उड़ीसा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता।

***डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी** (भुवनेश्वर) : हाल ही में निर्धन राज्य उड़ीसा के राजधानी शहर, भुवनेश्वर में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के निर्माण का नींव का पत्थर रखा गया था। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पिछड़े राज्यों में उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए आरम्भिक निधि स्थापित करने का प्रस्ताव किया था। मैं केन्द्र सरकार से भुवनेश्वर, उड़ीसा में ए.आई.आई.एम.एस. अस्पताल के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि की मंजूरी और निर्धारण का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़) : अध्यक्ष जी, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, अनावश्यक रूप से अपना हाथ मत उठाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा को परेशान न करें। मुझे अशोभनीय कदम उठाने के लिए मजबूर मत करें।

कृपया शान्त रहें।

[हिन्दी]

(तेरह) पावरलूम उद्योगों में उपयोग में लाए जा रहे यार्न की कीमत में वृद्धि को रोकने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता।

श्रीमती निवेदिता माने (इचलकरंजी) : अध्यक्ष जी, पावरलूम उद्योग पर से सेनवैट हटाने पर पावरलूम उद्योगों की ओर से मैं माननीय वित्त

*सभा पटल पर रखा माना गया।

मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। महोदय, पावरलूम उद्योग के लिए एक सबसे खतरनाक बात है धागों (यार्न) की कीमतों का अस्थिर होना। महोदय, 8 जुलाई को वित्त मंत्री द्वारा बजट में पावरलूम उद्योग से सेनवैट हटाने की घोषणा के दूसरे दिन ही टैक्सटाइल यार्नों पर 7 रुपये प्रति किलो की दर से एक दिन में भाव बढ़ गया। पावरलूम पर उपयोग होने वाले धागों की कीमतों में उतार-चढ़ाव से कपड़ा बाजार व पावरलूम उत्पादित कपड़ा क्षेत्र में निरंतर अस्थिरता बनी रहती है जिससे घाटा बढ़ता जाता है।

अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करती हूं कि सरकार द्वारा यार्न की कीमतों को स्थिर रखने हेतु एक निश्चित समय के लिए यार्न का भाव घोषित किया जाना चाहिए और यार्न की कीमतों को उपभोक्ता कानून के अंतर्गत लाया जाना चाहिए ताकि भाव वृद्धि की मनमानी करने वाले एजेंट व व्यापारियों पर कड़ी कार्यवाही की जा सके। इस तरह के कानून से अस्थिर पावरलूम कपड़ा उत्पादन क्षेत्र में स्थिरता लाकर उद्योग को बचाया जा सकता है।

[अनुवाद]

(चौदह) जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु बनाए गए मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल्स' के लिए ढांचागत सुविधाओं को विकसित करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता।

श्री बी. विनोद कुमार (हनमकोंडा) : भारत सरकार ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश के लिए आदिवासियों के लिए कुछ 'मॉडल रेजीडेंशियल स्कूलों' की स्वीकृति दी थी, ये सभी स्कूल कार्यरत है और उनके लिए भवन निर्माण का कार्य जोरों पर चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि आन्ध्र प्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने भारत सरकार की योजना के अनुसार सभी ऐसे स्कूलों को समयसीमा के अंदर कार्यात्मक बना दिया है।

इन स्कूलों को चलाने और विकसित करने की पूरी लागत की पूर्ति राज्य सरकार के कोष से की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार इन स्कूलों के लिए अवसरंचना और भवनों के विकास के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास कर रही है और अब तक उसने 40 रेजीडेंशियल स्कूलों के लिए भवन मुहैया करा लिए है। अभी भी 18 स्कूल बचे हैं जिसके लिए भवन मुहैया नहीं कराये गए है और इस प्रकार से इन्हें किराये के भवनों में चलाया जा रहा है जो कि अपर्याप्त है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहायता करने और इन स्कूलों के लिए अवसंरचना के विकास हेतु और सहायता प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(पन्द्रह) शिवकाशी, तमिलनाडु में पटाखा उद्योग से परीक्षण शुल्क किए जाने की प्रथा को समाप्त किए जाने की आवश्यकता।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी) : एक्सपलोसिव डेस्क तमिलनाडु के शिवकाशी क्षेत्र में सभी कारखानों द्वारा उत्पादित प्रत्येक पटाखा उद्योग से सैम्पल प्रस्तुत करवाना चाहती है। यह एक बैंच से प्रत्येक सैम्पल हेतु 5000 रुपये रेस्टिंग फीस लेता है। औसत रूप से एक कारखाना 60 मदों का उत्पादन करता है, इस प्रणाली के अतंर्गत, प्रतिवर्ष प्रत्येक कारखाने से 3 लाख रुपये संग्रहित किए जाने की संभावना है। यह राशि इन लघु उद्योगों की क्षमता से परे है और इस प्रणाली का जारी रहना इन उद्योगों को बर्बाद कर देगा। इसके अलावा, सैम्पल मदों की संख्या को निर्धारित करने का अनुदेश देकर के इन उद्योगों को प्राधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, इन 600 कारखानों और इनमें कार्यरत तीन लाख लोगों को बचाने के लिए मैं सरकार से शिवकाशी में इन पटाखा उद्योगों से टेस्टिंग फीस लिए जाने को रोकने का अनुरोध करता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी. चिदम्बरम, अब हम मद संख्या 24 को लेंगे।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, सज्जनता और सौम्यता के प्रतीक माननीय प्रधान मंत्रीजी के बारे में विपक्ष बाहर अनर्गल और उनके खिलाफ बोलने का काम टीवी, रेडियो और समूचे मीडिया में कर रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये लोग दोमुही बात कहते हैं। आपसे कहकर बिना बहस किए बजट पास करवाते हैं। इसी तरह से कुमारी उमा भारती के बारे में तिरंगा फहराने की बात कहते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नागपुर में देश की आजादी के बाद 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं फहराते हैं, लेकिन भगवा झण्डा फहराते हैं। ये लोग तिरंगे की बात कहते हैं, यह बहुत अन्याय है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम कल वित्त विधेयक को आज पारित करने के लिए पहले सहमत हो गए थे। रघुनाथजी, कृपया मामले को जटिल न बनाइए। मैंने अपने विचार पहले ही अभिव्यक्त कर दिए है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल वित्त मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, क्या आप बैठेंगे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री गोयल, यदि आप बैठेंगे नहीं तो मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि अध्यक्षपीठ का कोई महत्व नहीं है। कृपया, अपना व्यवहार ठीक करें, मैं आपसे अपना व्यवहार ठीक करने के लिए कह रहा हूं। ऐसा न समझें कि आप महान छवि बना रहे हैं। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

पूर्वाह्न 11.26 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय वित्त मंत्री वित्त विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव करेंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं*** :

"कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 2, दिनांक 26.8.04 में प्रकाशित।

***राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्ड वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, विधेयक में जोड़ दिया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया) : महोदय, विपक्ष सदन से बाहर चला गया है, लेकिन हम लोगों को कुछ कहने दीजिए। माननीय वित्त मंत्री जी बोले, अब हम लोगों को बोलने दिया जाए। बिहार बरबाद हो गया है। अगर आप एलाउ करते, तो हम भी अपनी बात कहते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं विनम्रतापूर्वक सभी माननीय सदस्यों से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने की अपील करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

खण्ड 3 [धारा 2 का संशोधन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 3, पंक्ति 43 से पंक्ति 53 के स्थान पर, और पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"(xiii) धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (फ) में निर्दिष्ट कोई राशि;" (1)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 5 [धारा 10 का संशोधन]

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 15 से पंक्ति 31 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(क) खंड (4) के उपखंड (ii) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2006 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु यह और कि इस उपखंड की कोई बात 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् ऐसे व्यष्टि को संदत्त या उसके अनिवासी (विदेशी) खाते में ब्याज के रूप में जमा की गई किसी आय को लागू नहीं होगी;"

(ख) खंड (6खख) में, "31 मार्च, 1997 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 1997 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए या 31 मार्च, 2005 के पश्चात् किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2006 से प्रतिस्थापित किया जाए;

(ग) खंड (15) में,–

(अ) उपखंड (iiiख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2005 से अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(iiiग) यूरोपीय विनिधान बैंक को, 25 नवंबर, 1993 को केंद्रीय सरकार द्वारा उस बैंक के साथ किए गए वित्तीय सहयोग के लिए आधारभूत करार के अनुसरण में उसके द्वारा दिए गए उधार पर संदेय ब्याज;";

(आ) उपखंड (iv) में, मद (चक) में, "किसी अनुसूचित बैंक द्वारा," शब्दों के पश्चात्, "1 अप्रैल, 2005 के पूर्व" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2006 से अंत:स्थापित किए जाएं;

(घ) खंड (15क) में, स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2006 से अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परंतु इस खंड की कोई बात 1 अप्रैल, 2005 से को या उसके पश्चात् किए गए किसी ऐसे करार को लागू नहीं होगी।"; (2)

पृष्ठ 5, पंक्ति 9 से पंक्ति 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(38) किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई आय, जो किसी कंपनी में कोई साधारण शेयर या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की कोई यूनिट है, जहां–

(क) कोई साधारण शेयर या यूनिट के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् होता है, जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है; और

(ख) ऐसा संव्यवहार उस अध्याय के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य है।

स्पष्टीकरण–इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" से कोई निधि अभिप्रेत है–

(i) जहां विनिधान योग्य निधियां देशी कंपनियों में साधारण शेयरों के रूप में, ऐसी निधि के कुल आगमों के पचास प्रतिशत से अधिक की सीमा तक विनिहित की जाती हैं; और

(ii) जो खण्ड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की किसी स्कीम के अधीन स्थापित की गई हैं:

परंतु यह कि निधि धारण करने वाले साधारण शेयरों की प्रतिशतता आरंभिक और अंतिम अंकों के मासिक

औसतों के वार्षिक औसत के प्रति निर्देश से संगणित की जाएगी।' (3)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 11 [धारा 40 का संशोधन]

पृष्ठ 6, पंक्ति 9 से पंक्ति 23 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'धारा 40 का संशोधन

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, उपखण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(i) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य कोई ब्याज (जो 1 अप्रैल, 1938 से पूर्व स्लेक अभिदाय के लिए जारी किसी ऋण पर ब्याज नहीं है), स्वामिस्व, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या अन्य राशि, जो,–

(अ) भारत से बाहर; या

(आ) भारत में किसी अनिवासी को, जो कोई कम्पनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को,

संदेय है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कर कटौती योग्य है और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन पूर्व वर्ष या विहित समय की समाप्ति से पूर्व पश्चात्वर्ती वर्ष के दौरान संदत्त नहीं किया गया है:

परंतु यह कि जहां किसी ऐसी राशि की बाबत धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति के पश्चात् किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती कर ली गई या पूर्व वर्ष में कटौती कर ली गई है या किन्तु किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में संदत्त की गई है वहां ऐसी राशि उस पूर्व वर्ष की आय की संगणना में जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए,–

(अ) "स्वामिस्व" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(आ) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है, जो धारा 9 की उपधारा (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(इक) किसी निवासी को संदेय कोई ब्याज, कमीशन या दलाली, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी काम को करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है), ठेकेदार या उप ठेकेदार को, जो निवासी है, संदेय रकम, जिस पर कर, अध्याय 17ख के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य है, और ऐसे कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् उसका धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पहले पूर्व वर्ष के दौरान या पश्चातवर्ती वर्ष में संदाय नहीं किया गया है:

परंतु यह कि जहां किसी ऐसी राशि के संबंध में कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या किसी पूर्व वर्ष में कटौती की गई है किन्तु उसका संदाय किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति के पश्चात् किया गया है, वहां ऐसी राशि को, उस पूर्व वर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–इस उपखण्ड के प्रयोजनों के लिए,–

(i) "कमीशन या दलाली" का वही अर्थ है जो धारा 194ज के स्पष्टीकरण के खण्ड (i) में है;

(ii) "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" का वही अर्थ है जो धारा 9 की उपधारा (i) के खण्ड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में है;

(iii) "वृत्तिक सेवाओं" का वही अर्थ है जो धारा 194ज के स्पष्टीकरण के खण्ड (क) में है;

(iv) "काम" का वही अर्थ है जो धारा 194ग के स्पष्टीकरण 3 में है;

(ङ) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर के मद्दे संदत्त कोई राशि;'। (4)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन से संबंधित प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह उपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह उपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 5 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 11क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24 से पूर्व निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'धारा 48 का संशोधन

11क. आय-कर अधिनियम की धारा 48 में, चौथे परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2005 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:– 11क (नया)

"परंतु यह भी कि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम 2004 के अध्याय 7 के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर के मद्दे संदत्त किसी राशि की बाबत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।"।'। (5)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 11क, विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 11क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 12 [धारा 56 का संशोधन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 6, पंक्ति 26 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(फ) जहां, पच्चीस हजार रुपए से अधिक की धनराशि; किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा 1 सितम्बर, 2004 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति से प्रतिफल के बिना प्राप्त की जाती है, वहां ऐसी समस्त राशि:

परन्तु यह कि यह खण्ड किसी ऐसी राशि पर लागू नहीं होगा जो–

(क) किसी नातेदार से; या

(ख) व्यष्टि के विवाह के अवसर पर; या

(ग) किसी वसीयत के अधीन या विरासत के रूप में; या

(घ) दाता की मृत्यु को आसन्न मानकर,

प्राप्त की जाती है।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, "नातेदार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) व्यष्टि का पति/की पत्नी;

(ii) व्यष्टि का भाई या बहन;

(iii) व्यष्टि के पति/की पत्नी का भाई या बहन;

(iv) व्यष्टि के माता पिता में से किसी का भाई या बहन;

(v) व्यष्टि का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(vi) व्यष्टि के पति/की पत्नी का कोई पारंपरिक पूर्व पुरुष या वंशज;

(vii) खंड (ii) से खंड (iv) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति का पति/की पत्नी।'। (6)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 13 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 17 [धारा 80-I-ख का संशोधन]

संशोधन किये गए :

पृष्ठ 7, पंक्ति 53 और पृष्ठ 8, पंक्ति 1 से पंक्ति 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(क) ऐसे उपक्रम ने आवासन परियोजना का विकास और सन्निर्माण 1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् प्रारंभ कर दिया है या प्रारंभ करता है और ऐसे सन्निर्माण को,—

(i) उस दशा में जहां आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2004 के पूर्व अनुमोदित कर दिया गया है, 31 मार्च, 2008 को या इससे पूर्व;

(ii) उस दशा में, जहां आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् अनुमोदित किया है, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें आवासन परियोजना को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाता है, चार वर्ष के भीतर, पूरा करता है"। (7)

पृष्ठ 8, पंक्ति 10 से पंक्ति 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"परंतु खंड (क) या खंड (ख) में अंतर्विष्ट कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गंदी-बस्ती क्षेत्रों के रूप में घोषित क्षेत्रों में विद्यमान भवनों के पुन:सन्निर्माण या पुन:विकास के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित किसी स्कीम के अनुसार चलाई जा रही किसी आवासन परियोजना को लागू नहीं होगी और ऐसी स्कीम इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई है;"। (8)

पृष्ठ 8, पंक्ति 18 से पंक्ति 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

'(ङ) "उपधारा (11क) में, "ऐसे उपक्रम की दशा में, जो" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे उपक्रम की दशा में, जो फलों या सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में या से" शब्द रखें जाएंगे;"। (9)

पृष्ठ 8, पंक्ति 41 में, "फलों और सब्जियों" शब्दों के स्थान पर, "फलों या सब्जियों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं— (10)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19 [धारा 87 का संशोधन]

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 9, पंक्ति 18 में "धारा 88ग और धारा 88घ" **शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर,** "धारा 88ग, धारा 88घ और धारा 88ङ" शब्द, अंक और अक्षर **प्रतिस्थापित** किए जाएं। (11)

पृष्ठ 9, पंक्ति 19 में "या धारा 88घ" शब्दों, अंकों और अक्षर **के स्थान पर,** "या धारा 88घ या धारा 88ङ" शब्द, अंक और अक्षर **प्रतिस्थापित** किए जाएं। (12)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21 [नई धारा 88घ का अंत:स्थापन]

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 9, पंक्ति 26 से पंक्ति 28 **के स्थान पर,** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किएं जाएं–

"कतिपय व्यष्टियों की दशा में आयकर की रिबेट।

"88घ. ऐसा निर्धारिती, जो भारत में निवासी व्यष्टि है–

(क) जिसकी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, अपनी कुल आय के संबंध में, जिससे वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है, आय-कर की रकम से (इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित किए गए अनुसार) ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर किसी रकम की कटौती का हकदार होगा;

(ख) जिसकी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक है और ऐसी कुल आय पर संदेय आय-कर (इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित किए गए अनुसार) उस रकम से अधिक हो जाता है, जिससे ऐसी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक है, अपनी कुल आय पर आय-कर की उस रकम के, जिस तक ऐसी कुल आय पर संदेय आय-कर उतनी रकम से अधिक है जितनी से कुल आय एक लाख रुपए से अधिक होती है, बराबर, रकम की कटौती का हकदार होगा।"

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 21 यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(i) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह उपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्यापि के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह उपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्यापि के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 14 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 21क

संशोधन किये गए :

पृष्ठ 9, पंक्ति 29 से पहले, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'नई धारा 88ङ का अंत:स्थापन।

21क. आय-कर अधिनियम की धारा 88घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2005 से, अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:– 21क (नया)

"प्रतिभूति संव्यवहार कर की बाबत रिबेट।

88ङ (1) जहां किसी निर्धारिती की पूर्व वर्ष की कुल आय में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार से उद्भूत, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य कोई आय भी सम्मिलित है, वहां वह ऐसे संव्यवहारों से उद्भूत ऐसी आय पर उपधारा (2) में उपबंधित रीति में संगणित आय-कर की रकम में से उस पूर्व वर्ष के दौरान उसके कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत उसके द्वारा संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी; जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में प्रतिभूति संव्यवहार कर के संदाय का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कटौती की रकम उपधारा (2) में उपबंधित रीति में संगणित ऐसी आय पर आय-कर की रकम से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा में निर्दिष्ट कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत आय पर आय-कर की रकम ऐसी आय के संबंध में आय-कर की औसत दर लागू करके संगणित रकम के बराबर होगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों" और "प्रतिभूति संव्यवहार कर" पदों के वही अर्थ हैं, जो वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन क्रमश: उनके हैं।"।

(14)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 21 क विधेयक में जोड़ा जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 एवं 23 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 24 [नई धारा 111क का अंत:स्थापन]

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 10, पंक्ति 2 से पंक्ति, 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर

111क. (1) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में, किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है, जो "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है और जो किसी कंपनी में साधारण शेयर या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई है और–

(क) ऐसे साधारण शेयर या यूनिट के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् किया गया है, जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है; और

(ख) ऐसा संव्यवहार उस अध्याय के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर से प्रभार्य है,

वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर निम्नलिखित का योग होगा–

(i) ऐसे अल्पकालिक पूंजी निम्नलिखित पर दस प्रतिशत की दरे से संगणित आय कर की रकम; और

(ii) कुल आय की शेष रकम पर संदेय आय कर की रकम, मानो ऐसी शेष रकम निर्धारिती की कुल आय थी:

परन्तु किसी ऐसे व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, जो निवासी है, जहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम है, जो आय कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों को उस रकम तक घटाया जाएगा, जिस तक इस प्रकार घटा कर आई कुल आय उस अधिकतम रकम से कम होती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है और ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की शेष रकम पर कर की संगणना दस प्रतिशत की दर से की जाएगी।

(2) जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां अध्याय 6क के अधीन कटौती, ऐसे पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई सकल कुल आय से, अनुज्ञात की जाएगी।

(3) जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ सम्मिलित हैं वहां ऐसे पूंजी अभिलाभों से घटा कर आई कुल आय पर आय-कर से, धारा 88 के अधीन रिबेट अनुज्ञात किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कोई साधारण शेयरोन्मुख निधि" पद का वही अर्थ है जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में है।'। (15)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 24 यथासंशोधित, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 एवं 27 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 28 **[नये अध्याय 12छ का अंत:स्थापन]**

संशोधन किये गए:

पृष्ठ 11, पंक्ति 19 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएं—

"(क) वह कोई भारतीय कंपनी है;"। (16)

पृष्ठ 10, पंक्ति 22 में, "अर्हक पोतों के प्रचालन" शब्दों के स्थान पर, "पोतों के प्रचालन" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं— (17)

पृष्ठ 11, पंक्ति 29 से पंक्ति 31 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किये जाएं—

"115फघ. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई पोत अर्हक पोत है यदि—

(क) यह पन्द्रह या अधिक शुद्ध टन भार का कोई समुद्रगामी पोत या जलयान है;

(ख) यह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसा पोत है, जिसकी बाबत वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 406 या धारा 407 के अधीन पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति जारी की गई है; और 1958 का 44

(ग) ऐसे पोत के संबंध में उसका शुद्ध टनभार उपदर्शित करने वाला विधिमान्य प्रमाणपत्र प्रवृत्त है;

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—"। (18)

पृष्ठ 17, पंक्ति 11 से पंक्ति 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(3) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, शुद्ध टनभार औसत की संगणना ऐसी नीति में की जाएगी, जो पोत परिवहन महानिदेशक के परामर्श से विहित की जाए।"। (19)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 28, यथा संशोधित विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 28 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (I) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं:—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें

यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 20 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 28क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 18, पंक्ति 40 **के पश्चात्** निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएं– 28क (नया)

धारा 119 का संशोधन

28क. आयकर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "चाहे धाराओं के उपबंधों में से किसी उपबंध को शिथिल करने के रूप में" कोष्ठक और शब्दों के पश्चात् "115त, 118ध", 1 अक्तूबर, 2004 से अंत:स्थापित किए जाएंगे।'। (20)

(श्री पी. चिदम्बरम)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि एन.आर.आई. जमा पर ब्याज का क्या होगा। वर्तमान स्थिति-क्या होगी? जहां अप्रवासी-भारतीयों का संबंध है, वे धनराशि जमा कर रहे है एवं हम उन्हें ब्याज दे रहे हैं। क्या होगा? क्योंकि मेरे राज्य के खाड़ी में कार्यरत हजारों लोग हमारे बैंकों में धनराशि जमा कर रहे हैं एवं उन्हें पर्याप्त ब्याज भी मिलता है। वे केरल राज्य के अलावा अन्य राज्यों में धनराशि जमा करने हेतु आकर्षित होंगें और वह राज्य के हित के लिए हानिकर होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैं स्पष्टीकरण का प्रश्न उठा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे बोलने दें। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं आपकी प्रवीणता की सराहना करता हूं एवं मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर देने का अनुरोध करता हूं, यदि वे उत्तर देना चाहें तो

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने व्यवस्था के प्रश्न से शुरूआत की थी, श्री राधाकृष्णन। कृपया सुनने के लिए धैर्य रखें।

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने माननीय सदस्यों की भावनाओं पर ध्यान दिया है। संबंधित धारा में संशोधन कर दिया गया है। तिथि को 1.4.2005 तक आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए, इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिनांक 1.4.2005 से पहले, काफी विचार-विमर्श के पश्चात् हम उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुंच सकते है। इस समय धारा में संशोधन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 28क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 28क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 29 से 55 विधेयक में जोड़ दिये गये।

नियम 80 (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 21 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 55क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 8 **के पश्चात्,** निम्नलिखित **अंत:स्थापित किया जाए।**

धारा 273(ख) का संशोधन

55क "धारा 271च" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 271च, धारा 271चक," शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2005 से अंत:स्थापित किए जाएंगे।'। (21)

(श्री पी. चिदम्बरम)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। यदि कोई मेरी अनुमति के बिना बोलेगा, तो उसकी बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी नहीं सुनेंगे।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाये रखिए। प्रत्येक सदस्य को बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 55क विधेयक में जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"कि नया खंड 55क विधेयक में जोड़ दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

खंड 56 [नई धारा 277क का अंत:स्थापन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 17 से पंक्ति 19 **के स्थान पर,** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

"स्पष्टीकरण–इस धारा के अधीन आरोप स्थापित करने के प्रयोजनों के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं हो सकेगा कि दूसरे व्यक्ति ने इस धारा के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज का वास्तव में अपवंचन किया है।"। (22)

(श्री पी. चिदम्बरम)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने यह समझ लिया है कि अब जब चाहें जो चाहें कह सकते हैं और अध्यक्षपीठ की कोई भूमिका नहीं होगी? कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे न सुनें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 56, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अध्यक्ष के साथ सहयोग करेंगे तो आप अध्यक्ष को बहुत प्रसन्न और सक्रिय पायेंगे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा) : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 57, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 57, विधेयक में जोड़ दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 80 (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 23 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 57(क)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 23, पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

'धारा 279 का संशोधन

57क. आयकर अधिनियम, की धारा 279 की उपधारा (1) में "धारा 277 या धारा 278", शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 277, धारा 277क या धारा 278" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2004 से रखे जाएंगे।'। (23)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 57 क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 57 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 58 [धारा 285 ख क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन]

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 23, पंक्ति 40 से पंक्ति 46 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार को रजिस्टीकृत करने या उसकी लेखा बहियां या उसके अभिलेख वाले अन्य दस्तावेजों को रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहारों के संबंध में, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक वार्षिक सूचना विवरणी, विहित आयकर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।" (24)

पृष्ठ 23, पंक्ति 50 से 52 और पृष्ठ 24, पंक्ति 1 से 8 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

'(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,–

(क) माल या संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय का कोई संव्यवहार; या

(ख) कोई सेवा देने के लिए कोई संव्यवहार; या

(ग) किसी संकर्म संविदा के अधीन कोई संव्यवहार; या

(घ) किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में कोई संव्यवहार. या

(ङ) कोई ऋण या निपेक्ष लेने या प्राप्त करने के लिए कोई संव्यवहार जो विहित किया जाए:

परन्तु बोर्ड, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के संबंध में भिन्न-भिन्न संव्यवहारों के लिए ऐसे संव्यवहारों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस प्रकार विहित किसी वित्तीय वर्ष के दौरान

ऐसे संव्यवहारों का, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य किसी भी दशा में पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।'। (25)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 58, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 58, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 59 से 61 विधेयक में जोड़ दिये गये।

नियम 80(I) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 26 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 26 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 61क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 24 पर, पंक्ति 43 के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए अर्थात्–

नई धारा 122क का अन्त:स्थापन

"61क. समीशुल्क अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

न्यायनिर्णयन प्रक्रिया

"122क. (1) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, इस अध्याय या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन किसी कार्यवाही में कार्यवाही के किसी पक्षकार को, यदि पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो सुनवाई का अवसर देगा।

(2) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है तो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के किसी प्रक्रम पर, पक्षकारों को या उनमें से किसी को, समय-समय पर समय मंजूर कर सकेगा और सुनवाई को, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, स्थगित कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई स्थगन, किसी पक्षकार को कार्यवाही के दौरान, तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा।" (26)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 61क विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 61 क, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (I) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 27 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 27 को लागू करने के संबंध में निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

नया खण्ड 61ख

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 24 पर, पंक्ति 43 के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

धारा 128 का संशोधन

61ख. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 128 में, उपधारा (1) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 61ख (नया)

"(1क) आयुक्त (अपील), किसी अपनी की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है, तो पक्षकारों को या उनमें से किसी को, समय-समय पर, समय मंजूर कर सकेगा और अपील की सुनवाई को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, स्थगित कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसा स्थगन, अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा।",'। (27)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 61 ख विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 61ख विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 62 [धारा 129क का संशोधन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

"परंतु यह कि कोई फीस, इस उपधारा के अधीन सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा या उसकी ओर से फाइल किए गए किसी आवेदन की दशा में, संदेय नहीं होगी।" (28)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 62, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 29 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 62क [धारा 129ख का संशोधन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 12 के पूर्व, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

धारा 129ख का संशोधन

"62क. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1क) अपील अधिकरण, किसी अपनी की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, यदि पर्याप्त हेतुक दर्शित किया जाता है, तो पक्षकारों को या उनमें से किसी को,

समय मंजूर कर सकेगा और अपील की सुनवाई को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, स्थगित कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसा स्थगन, अपील की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को तीन से अधिक बार मंजूर नहीं किया जाएगा।",'। (29)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया 62क विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 62क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 63 विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (i) के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या' 30 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या' 30 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 63क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25 पर, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए–

धारा 142 का संशोधन

"63क. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 142 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परन्तु यह है कि जहां ऐसा व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्ववर्ती कहा गया है) जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी राशि का जिसके अन्तर्गत धारा 28ख के अधीन केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित रकम है, संदाय नहीं किया गया है, अपने कारबार या व्यापार का पूर्णत: या भागत: अन्तरण या अन्यथा व्ययन करता है अथवा उसके स्वामित्व में कोई परिवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप कोई अन्य व्यक्ति ऐसे कारबार या व्यापार में उसका उत्तरवर्ती होता है, वहां इस प्रकार उत्तरवर्ती होने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा या कब्जे में के सभी माल, सामग्री, निर्मितियों, संयंत्रों, मशीनरी, वासनों, बर्तनों, उपकरणों और वस्तुओं को भी कुर्क किया जा सकेगा और ऐसे अन्तरण या अन्यथा व्ययन या परिवर्तन के समय ऐसे पूर्ववर्ती द्वारा इस प्रकार संदेय रकम की वसूली करने के प्रयोजनों के लिए, सीमाशुल्क आयुक्त से लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् समुचित अधिकारी द्वारा उनका विक्रय किया जा सकेगा।"।'। (30)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 63 क विधेयक में जोड़ दिया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"नया खंड 63क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 64 और 65 विधेयक में जोड़ दिए गए।

नियम 80 (I) के निलम्बन से संबंधित प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें

यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

''कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की सरकारी संशोधन संख्या 31 को लागू करने के संबंध में, निलम्बित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 65क

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 50, **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए:–

धारा 3 का संशोधन

65क. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ii) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे और 9 जुलाई, 2004 से ही किए गए समझे जाएंगे, अर्थात्:–

(क) उपखंड (घ) में, अंत में आने वाले ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) उपखंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(घघ) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 84 में निर्दिष्ट आयातित माल पर शिक्षा उपकर; और''।'। (31)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 65 क विधेयक में जोड़ दिया जाए''।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''नया खंड 65 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 66 [धारा 9क का संशोधन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 25, पंक्ति 51 में ''1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है)'' का लोप किया जाए। (32)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 66, संशोधित रूप से, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 66 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 67 से 72 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 73 [धारा 35 ख का संशोधन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 27, पंक्ति 4 **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अंत:स्थापित** किया जाए–

''परंतु यह कि कोई फीस, इस उपधारा के अधीन केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा या उसकी ओर से फाइल किए गए किसी आवेदन की दशा में, संदेय नहीं होगी।'' (33)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 73, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 73, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 74 से 79 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा सोचते हैं कि केवल अध्यक्ष कहेंगे और आपको 'हां' कहने की आवश्यकता नहीं होगी?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप गहरी समस्या में हैं। आप खुद को परेशानी में डाल रहें हैं, गोयल जी। मैं आपको सावधान करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक के पारित होने तक, आपको 2 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेंगे।

खण्ड 80 [1994 के अधिनियम 32 का संशोधन]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 34, पंक्ति 8 के पश्चात्, निम्नलिखित **अत:स्थापित** किया जाए–

"परंतु यह कि कोई फीस, इस उपधारा के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या सहायक केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या उप केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा फाइल किए गए किसी आवेदन की दशा में, संदेय नहीं होगी।"। (34)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 80, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 80, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 81 से 86 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : चिदम्बरम महोदय, मुझे आशा है कि आपका विधेयक संक्षिप्त होगा।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे यह बताया गया है, यह सबसे छोटे वित्त विधेयको में से एक है।

खण्ड 87 [परिभाषाएं]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 35, पंक्ति 36 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

'(5) "साधारण शेयरोन्मुख निधि" से ऐसी निधि अभिप्रेत है,–

(i) जहां विनिधान योग्य निधियां देशी कंपनियों में साधारण शेयरों के रूप में ऐसी निधि के कुल आगामों के पचास प्रतिशत से अधिक तक विनिधान की जाती है; और

(ii) जो पारस्परिक निधि स्कीम के अधीन स्थापित की गई है:

परंतु निधि में धारित साधारण शेयर की प्रतिशतता की संगणना प्रारंभिक और अंतिम अंकों के मासिक औसतों के वार्षिक औसत के प्रतिनिर्देश से की जाएगी;

(6) "पारस्परिक निधि" से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि अभिप्रेत है;'। (35)

पृष्ठ 35, पंक्ति 37 में, "(6)" **के स्थान पर** "(7)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (36)

पृष्ठ 35, पंक्ति 39 में, "(7)" **के स्थान पर** "(8)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (37)

पृष्ठ 35, पंक्ति 40 में, "(8)" **के स्थान पर** "(9)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (38)

पृष्ठ 35, पंक्ति 41 में, "(9)" के स्थान पर "(10)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (39)

पृष्ठ 35, पंक्ति 43 का लोप किया जाए। (40)

पृष्ठ 35, पंक्ति 48 और 49 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

'(13) "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार" से,–

(क) किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किए गए किसी कंपनी के किसी साधारण शेयर या व्युत्पन्न या किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि के यूनिट के क्रय या विक्रय; या

(ख) पारस्परिक निधि को किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि के यूनिट के विक्रय, का संव्यवहार अभिप्रेत है;'। (41)

(श्री पी. चिदम्बरम)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं, संशोधन संख्या 42 का प्रस्ताव करता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उनपर आरोप नहीं लगाता। संभवत: वह अध्यक्ष महोदय को कुछ राहत देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :

"प्रश्न यह है :

"कि खंड 87, संशोधित रूप, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 87, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 88 **[प्रतिभूति संव्यवहार कर का प्रभार]**

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 36, पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,–

'प्रतिभूति संव्यवहार कर का प्रभार।

88. इस अध्याय के प्रारंभ से ही, नीचे सारणी के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार के संबंध में ऐसे संव्यवहार के मूल्य पर प्रतिभूति संव्यवहार कर उक्त सारणी के स्तंभ 3 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर उक्त सारणी के स्तंभ 4 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्रेता या विक्रेता द्वारा संदेय होगा:'

सारणी

क्र.सं.	कराधेय प्रतिभूति	दर	द्वारा संदेय
1	2	3	4
1.	किसी कंपनी में साधारण शेयर या साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट का क्रय, जहां–		
	(क) ऐसे क्रय का संव्यवहार किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है; और		
	(ख) ऐसे शेयर या यूनिट के क्रय के लिए संविदा वास्तविक परिदान या ऐसे शेयर या यूनिट के अंतरण द्वारा पूरी की जाती है।	0.075 प्रतिशत	क्रेता
2.	किसी कंपनी में साधारण शेयर या साधारण शेयरान्मुख निधि की किसी यूनिट का विक्रय, जहां–		
	(क) ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है; और		
	(ख) ऐसे शेयर या यूनिट के विक्रय के लिए संविदा वास्तविक परिदान या ऐसे शेयर या यूनिट के अंतरण द्वारा पूरी की जाती है।	0.075 प्रतिशत	विक्रेता
3.	किसी कंपनी में साधारण शेयर या साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट का विक्रय, जहां–		
	(क) ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है; और		
	(ख) ऐसे शेयर या यूनिट के विक्रय के लिए संविदा वास्तविक परिदान या ऐसे शेयर या यूनिट के अंतरण द्वारा पूरी की जाती है।	0.015 प्रतिशत	विक्रेता
4.	किसी व्युत्पन्न का विक्रय, जहां ऐसे विक्रय का संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है।	0.01 प्रतिशत	विक्रेता
5.	पारस्परिक निधि को साधारण शेयरोन्मुख निधि के यूनिट का विक्रय।	0.15 प्रतिशत	विक्रेता

(42)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 88, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 88, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : *अध्यक्ष महोदय...**

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ झा जी, आप यह बात अभी मत कहिए। रिकार्ड नहीं होगा। इस बारे में आप मुझसे बाद में कहें। मैं उन्हें बोलूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

खण्ड 89 [कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 36, पंक्ति 6 से 11 **के स्थान पर**, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

'कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य।

89. कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार का मूल्य,–

(क) किसी ऐसे व्युत्पन्न से संबंधित जो "प्रतिभूति विकल्प" है, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की दशा में, तय पाई जाने वाली (स्ट्राइक) कीमत और ऐसे "प्रतिभूति विकल्प" के विकल्प प्रीमियम का योग होगा;

(ख) ऐसे व्युत्पन्न से संबंधित जो "वायदे के सौदे" है, कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की दशा में, वह कीमत होगी जिस पर ऐसे "वायदे के सौदों" को व्यापार किया जाता है; और

(ग) किन्हीं अन्य कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की दशा में वह कीमत होगी, जिस पर ऐसी प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय किया जाता है:

परंतु बोर्ड, उस रीति को, जिसमें कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में तय किए जाते हैं या ऐसी अन्य बातों को जो ऐसे संव्यवहारों की वास्तविक कीमतों को अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हों और इस खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रतिभूतियों की कीमत का अवधारण करने की पद्धति, उसके द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगा।'। (43)

(श्री पी. चिदम्बरम)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : भारत सरकार का वित्त विधेयक विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृपया थोड़ा धैर्य रखिए, अन्यथा हमें हमारा वेतन नहीं मिल पाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 89, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 89, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 90 [प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली]

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 36, पंक्ति 12 से 17 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

'प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली।

90. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से जो, यथास्थिति, क्रेता या विक्रेता है और जो उस स्टॉक एक्सचेंज में कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार करता है, धारा 88 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा।

(2) प्रत्येक पारस्परिक निधि की दशा में विहित व्यक्ति ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से जो उस पारस्परिक निधि के यूनिट का विक्रय करता है, धारा 88 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार किसी कलैंडर मास के दौरान संगृहीत प्रतिभूति संव्यवहार कर, यथास्थिति, प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा या प्रत्येक पारस्परिक निधि की दशा में विहित व्यक्ति द्वारा, केन्द्रीय सरकार के खाते में उक्त कलैंडर मास के ठीक बाद के मास के सातवें दिन तक संदाय किया जाएगा।

(4) ऐसा कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज या किसी पारस्परिक निधि की दशा में विहित व्यक्ति, जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहेगा, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय

सरकार के खाते में उक्त कर का संदाय करने का दायी होगा।'। (44)

(श्री पी. चिदम्बरम)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 90, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 90, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : जो लोग धैर्य नहीं रख सकते, वे एक कप चाय के लिए बाहर जा सकते हैं।

(व्यवधान)

खंड 91 [किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना]

पृष्ठ 36, पंक्ति 18 से पंक्ति 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए–

"मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या पारस्परिक निधि द्वारा विहित विवरणी का दिया जाना।"

"91. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त एक्सचेंज या प्रत्येक पारस्परिक निधि की दशा में विहित व्यक्ति (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर, यथास्थिति, उस स्टॉक एक्सचेंज में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में या ऐसे सभी कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध मे, जो ऐसे वित्तीय वर्ष दौरान ऐसी पारस्परिक निधि के यूनिटों का विक्रय है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं एक विवरणी तैयार करेगा और उसे निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।"। (45)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 91, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 91, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 92 [निर्धारण]

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 36, पंक्ति 28 और 29, "जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है" को लोप किया जाए। (46)

पृष्ठ 36, पंक्ति 36, "जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किए गए" को लोप किया जाए। (47)

पृष्ठ 36, पंक्ति 39, "जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" (का लोप किया जाए। (48)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 92, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 92 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 93 [भूल में परिशुद्धि]

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 36, पंक्ति 53, "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" के स्थान पर, "निर्धारिती" प्रतिस्थापित किया जाए। (49)

पृष्ठ 37, पंक्ति 5, 'मान्यताप्राप्त' का लोप किया जाए। (50)

पृष्ठ 37, पंक्ति 5, "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" के स्थान पर, "निर्धारिती प्रतिस्थापित किया जाए। (51)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 93, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 93, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 94 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 95 [प्रतिभूति संव्यवहार कर के संग्रहण या संदाय में असफलता के लिए शास्ति]

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 37, पंक्ति 11, में, "(2)" के स्थान पर, "(3)" प्रतिस्थापित किया जाए। (52)

पृष्ठ 37, पंक्ति 13, में, "(3)" के स्थान पर, "(4)" प्रतिस्थापित किया जाए। (53)

पृष्ठ 37, पंक्ति 16, में, "(2)" के स्थान पर, "(3)" प्रतिस्थापित किया जाए। (54)

(श्री पी. चिदम्बरम)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 95, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 95, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 96 से लेकर 103 तब विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 104 [नियम बनाने की शक्ति]

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 38, पंक्ति 12, में, "2" के स्थान पर, "3" प्रतिस्थापित किया जाए– (55)

(श्री पी. चिदम्बरम)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, हमने जो प्रस्ताव दिया था, उसका क्या होगा?...*(व्यवधान)*

अनेक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन आपके साथ है।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप आदेश दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने बोल दिया है, अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मुझे खुशी होगी यदि मैं यह आदेश दे सकूं। किंतु फिर अध्यक्ष को हटाना होगा। फिर मैं बहुत खुश होऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 104, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 104, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

मध्याह्न 12.00 बजे

खंड 105 से 111 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

पहली अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड एक, अधिनियमन सूत्र तथा दीर्घ विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी उस विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किए जाने हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यह खत्म होने के बाद हम आपको बोलने का मौका देंगे।...*(व्यवधान)* जब बजट पास हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सब लोगों की भावनाओं को जान गए हैं।...*(व्यवधान)* मेरा आपसे विनम्र निवेदन होगा कि आप दो करोड़ रुपए की जगह पांच करोड़ रुपए कर दीजिए। ...*(व्यवधान)* महोदय, सब लोगों की स्थिति बहुत खराब है, इस राशि में हम कोई डेवलपमेंट नहीं करवा सकते।...*(व्यवधान)*

श्री रामदास बंडु आठवले : अध्यक्ष महोदय, दो करोड़ रुपए की राशि बहुत कम है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके आप अभी बैठ जाइए।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव (एलूरू) : महोदय, कृपया सीमा को बढ़ाइए ...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कठिनाई में फंस रहे हैं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कठिनाई में फंस जाओगे। मुझे खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी वित्त विधेयक पारित किया जाना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जनाब, आप बैठिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जब स्पीकर खड़े होते हैं तो आप सब को बैठना चाहिए। आपको कम से कम यह तो मालूम होना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम गोपाल यादव, यह कोई मजाक का विषय नहीं है। यह कोई हंसी-मजाक का विषय नहीं है। यह इस देश की लोक सभा है। मुझे कितनी बार आप लोगों को आपकी जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाना होगा?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मजाक की जगह नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अभी वित्त विधेयक पारित किया जाना है। इस सभा ने उसे अभी पारित नहीं किया है। मैं यह देख रहा हूं कि आप अपनी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की राशि को बढ़वाने के बारे में बहुत चिंतित हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

हम आपके लिए ही कर रहे हैं और आप ही बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्रीगण यहां पर है। माननीय वित्त मंत्री यहां पर हैं। सभा के नेता यहां पर हैं। यह मामला अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र का नहीं है। सभी जिम्मेदार मंत्रियों ने आपकी बात सुनी है। वे इस पर निर्णय लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह पाया है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो एकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चाहे यह तर्कसंगत हो या नहीं, चाहे आपने दो करोड़ रुपये की राशि खर्च की है या नहीं, इसकी किसी को चिंता नहीं हैं, आप केवल अतिरिक्त राशि चाहते हैं। ठीक है, मैं इस संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति की अध्यक्षता करूंगा और आपकी बातों की संवीक्षा करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, यह कोई खुशी का अवसर नहीं है। भारत की संसद इस वित्त विधेयक को, बिना कोई चर्चा किए पारित कर रही है जबकि यह बजट लगभग 5 लाख करोड़ रुपये का है। मैं भी खुश नहीं हूं क्योंकि विपक्ष के हमारे विद्वान सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने आज सभा का बहिष्कार किया है, उनमें से कई सदस्यों ने उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर किए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अंत में, मैं अपनी राय व्यक्त करूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथा झा : अध्यक्ष महोदय, बिहार के लिए कुछ नहीं दिया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसे विधेयक पर चर्चा के दौरान उठायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : सीनियर मैम्बर की क्या बात है? हम बिहार के प्रतिनिधि हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अनुपूरक कार्यवाही सूची के अनुसार सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेते हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 के खंड 7 (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2004-05 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2004) के दौरान बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति की तिमाही समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 670/2004]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों का उनके सहयोग के लिए आभारी हूं।

अब सभा सायं 5.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं 5.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.30 बजे

लोक सभा अपराह्न 5.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए।*]

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महासचिव, लोक सभा।

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक-3 विधेयक, 2004 को जिसे लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

[महासचिव]

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे विनियोग (संख्यांक-3) विधेयक, 2004 को जिसे लोक सभा द्वारा 25 अगस्त, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे वित्त (संख्यांक-3) विधेयक, 2004 को जिसे लोक सभा द्वारा 26 अगस्त, 2004 को हुई अपनी बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 5.31 बजे

[अनुवाद]

विदाई उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, दूसरा सत्र, जोकि चौदहवीं लोक सभा का प्रथम बजट सत्र भी है, 5 जुलाई, 2004 को आरंभ होकर 3 सितम्बर, 2004 को समाप्त होना था लेकिन आज यह समयपूर्व समाप्त होने जा रहा है। मुझे खेद है कि विपक्ष के सदस्य आज अनुपस्थित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वर्ष 2004-2005 के लिए रेलवे और सामान्य बजट क्रमश: 6 और 8 जुलाई, 2004 को प्रस्तुत किए गए।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, विभागों संबंधी स्थायी समितियां नियम समिति की सिफारिशों के आधार पर पुनर्गठित की गयी हैं। इन स्थायी समितियों की संख्या बढ़ गयी है, इनके अधिकार क्षेत्र पुन: परिभाषित किए गए हैं और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या कुल 31 तक सीमित की गयी है। इस पुनर्गठन से मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों की जांच और संवीक्षा में दीर्घावधि में सुधार होगा। यह कदम हमारी संवैधानिक योजना में परिकल्पित कार्यपालिका के कार्यों की संसदीय विवेचना की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है।

इस दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अध्यक्ष के माननीय मंत्रियों द्वारा सदन में आवधिक वक्तव्य दिए जाने के उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसका संबंध संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों में समाविष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से है और इसका नियम समिति ने पहले ही अनुमोदन कर दिया है। मैं इसके लिए सरकारी का आभारी हूं।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदानों की मांगों पर स्थायी समितियों के परीक्षण और सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाने हेतु सभा का 26 जुलाई, 2004 से 13 अगस्त, 2004 तक अवकाश रहा। दुर्भाग्यवश, स्थायी समितियों का पुनर्गठन 5 अगस्त, 2004 को ही हो पाया। परिणामस्वरूप समितियों को अपना काम पूरा करने देने के लिए कुछ और समय देने हेतु यह तय किया गया कि 16 अगस्त, 2004 को सदन जब पुन: समवेत हो, तो आरंभिक सप्ताह में वह लोक महत्व संबंधी मामलों पर विचार करे और उसके बाद वित्तीय कार्यकलाप शुरू करे।

मैं यह मानता हूं कि समय की भारी कमी के बावजूद स्थायी समितियों ने प्रशंसनीय रूप से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की अनुदानों की मांगों पर 38 प्रतिवेदन सदन को प्रस्तुत किए हैं।

सत्र के दौरान सदन में लोक महत्व के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत और अर्थपूर्ण चर्चा हुई। नियम 193 के अंतर्गत कुल पांच चर्चाएं हुईं। ये इराक की स्थिति; चार राज्यपालों को हटाये जाने; देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति; देश में विद्युत की कमी तथा जूट उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं के संबंध में थीं। यद्यपि ये चर्चाएं सर्वविदित कारणों से पूरी नहीं हुई।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चार महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये जिनके उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिये। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 16 वक्तव्य दिए गए।

गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य के संदर्भ में 16 गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुर:स्थापित किए गए।

निजी क्षेत्र में कमजोर वर्गों को आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा नीति निर्धारण से संबंधित एक गैर-सरकारी संकल्प को सदन में सभी वर्गों से समर्थन मिला, जिसे बाद में वापिस ले लिया गया।

सत्र के दौरान चर्चा के लिए स्वीकृत 461 तारांकित प्रश्नों में से सदन में प्रश्न काल के दौरान कई दिनों तक होने वाले व्यवधान के कारण केवल 48 प्रश्नों का ही मौखिक रूप से उत्तर दिया जा सका। इस प्रकार प्रतिदिन औसतन केवल दो तारांकित प्रश्नों का ही उत्तर दिया जा सका। 4455 अतारांकित प्रश्न भी स्वीकृत किए गए।

माननीय सदस्यों द्वारा नियम 377 के अंतर्गत 220 मुद्दे उठाये गये। इसके अतिरिक्त शून्य काल के दौरान लगभग 137 सदस्यों ने अत्यंत लोक महत्व के मुद्दों पर विशेष उल्लेख किए।

वर्तमान लोक सभा में 227 संसद सदस्य पहली बार चुनकर आये हैं। उनको सदन की कार्य प्रणाली से अवगत कराने के लिए संसदीय अध्ययन तथा प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा एक प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया और उन्हें संसद भवन परिसर भी दिखाया गया।

सदन की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रश्न काल के बाद की कार्यवाही के सीधे प्रसारण का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

माननीय सदस्यगण, मूलत: सदन की 30 बैठकें होनी थीं और निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत इसकी कार्यवाही 180 घंटे चलनी थी। निर्धारित समय से पूर्व आज सभा के स्थगन से हम 6 बैठकों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। 24 दिनों तक जो सदन की बैठकें हुई हैं, उसमें हमने अव्यवस्था के कारण होने वाले सभा के स्थगन से 47 घंटे का बहुमूल्य समय खोया। इससे भी अधिक खेद की बात है कि सत्र के 7 दिनों के दौरान सभा में कार्यवाही लगभग नगण्य रही। यद्यपि इस समय में 13 घंटे की भरपाई सदन द्वारा देर तक बैठ कर ली गई लेकिन अव्यवस्था के कारण जो समय व्यर्थ गया उसकी तुलना में यह भरपाई कोई महत्व नहीं रखती।

माननीय सदस्यगण मैं इस बात पर गहन दुख व्यक्त करता हूं कि रेल बजट तथा सामान्य बजट से संबंधित अनुदान मांगे तथा वित्त विधेयक, 2004 सदन में निरंतर व्यवधान और परिणामस्वरूप सदन की कार्यवाही स्थगित होने से बिना चर्चा के पारित करना पड़ा। अध्यक्षपीठ के प्रयासों और सच्ची भावना से सदन में निरंतर अपील करने तथा नेताओं के साथ अनेक बैठकें होने के बावजूद हम राष्ट्र तथा लोक महत्व के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं कर पाये तथा लगभग पांच लाख करोड़ की राशि की अनुदान मांगें बिना किसी चर्चा तथा वाद-विवाद के स्वीकृत कर दी। इस दिशा में मेरे प्रयास अपर्याप्त सिद्ध हुए और मुझे भारी दुख के साथ कहना पड़ता है कि सदन को सामान्य रूप से चलाने और सदन में समुचित वाद-विवाद के बाद महत्वपूर्ण काम-काज को पूरा कराने में अध्यक्षपीठ के सभी प्रयास असफल रहे और माननीय सदस्यों की सहभागिता से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त हुआ।

निस्सन्देह सभी पक्षों के माननीय सदस्य चाहते हैं कि संसदीय कार्य सामान्य रूप से चले, परन्तु जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं, कई दिनों तक महत्वपूर्ण कार्य तो दूर की बात है, प्रश्नकाल भी नहीं चल पाया।

मेरा उद्देश्य सदन में हुई घटनाओं के विषय में किसी एक व्यक्ति पर जिम्मेदारी थोपने का नही है परंतु मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कृपया इस बात पर विचार करें कि जिस प्रकार का व्यवहार सदन के अंदर कुछ सदस्यों ने किया तो क्या उससे हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ हुई है अथवा कमज़ोर।

हमारे समय के एक शीर्ष सांसद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस सदन में अपने प्रधानमंत्रित्व के दौरान कई बार इस बात पर दु:ख प्रकट किया था कि सदन की कार्यवाही समुचित तरीके से नहीं चल पायी है। उन्होंने बार-बार यह विचार व्यक्त किया कि प्रश्नकाल में कभी-भी बाधा उपस्थित नहीं की जानी चाहिए और जो भी मुद्दे हों वे केवल अध्यक्ष की अनुमति से उठाए जायें।

एक अवसर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य और यदि आवश्यक हो तो सत्ताधारी दल के सदस्यों को भी अपने विचार व्यक्त करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। परंतु सदस्यों को अपने विचार इस सदन के नियमों और इसकी गरिमा के मानदंडों के अनुरूप व्यक्त करने चाहिए। उन्होंने पूछा था कि क्या बार-बार प्रश्नकाल को निलंबित करने की मांग करने और प्रश्नकाल के दौरान कार्यवाही में व्यवधान पहुंचाने और यदि प्रश्नकाल निलंबित नहीं हुआ तो अध्यक्षपीठ के पास दौड़कर आने एवं अंतत: पूरी सभा को ही स्थगित कराने की क्या वास्तव में आवश्यकता होती है।

संभव है, आपको ऐसा लगे कि मैं उपदेश दे रहा हूं परंतु यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए अपनी गहरी चिंता व्यक्त करूं। कुछ दिनों पहले विभिन्न स्कूलों के बहुत सारे छोटे-छोटे विद्यार्थी संसद में आए थे और वे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे उन्हें दीर्घा में नियमानुसार एक घंटा बैठने की अनुमति दी गयी थी। इस एक घंटे के दौरान 45 मिनट तक सदन स्थगित रहा और शेष 15 मिनट तक सदन में होने वाली घटनाओं के चलते कोई काम नहीं हुआ। हमारे आचरण के बारे में ये बच्चे क्या विचार बनाकर वापस घर गए? मैं हाथ जोड़कर लगातार माननीय सदस्यों से अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने की अपील करता रहा हूं। मैंने बार-बार इंगित किया है और अपनी यह प्रतिबद्धता दिखायी है कि नियमानुसार सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के अवसर दिए जायें तथा मैंने जो भी आश्वासन दिया, उसे पूरा करने का प्रयास भी किया है।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री राजेन्द्र कुमार श्री नकुल दास राई	442
2.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री सुबोध मोहिते	443
3.	श्री सुरेश चन्देल	444
4.	श्री विजय कृष्ण श्री रवि प्रकाश वर्मा	445
5.	श्री वी.के. दुम्मर श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	446
6.	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	447
7.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	448
8.	श्री पी. राजेन्द्रन	449
9.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	450
10.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री हरिकेवल प्रसाद	451
11.	श्री रामजीलाल सुमन श्रीमती मनोरमा माधवराव	452
12.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	453
13.	श्री निखिल कुमार श्री अधीर चौधरी	454
14.	डा. एम. जगन्नाथ श्री किन्जरपु येरननायडु	455
15.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाह	456
16.	श्री आलोक कुमार मेहता श्री रामदास बंडु आठवले	457
17.	श्री भर्तृहरि महताब	458
18.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	459
19.	श्री रूपचन्द मुर्मू	460
20.	श्री चन्द्रशेखर दूबे	461

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
आरुन रशीद, श्री जे.एम.	4234, 4356, 4397,
आचार्य, श्री बसुदेव	4287,
आदित्यनाथ, योगी	4261, 4268, 4270
अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4314, 4341, 4415, 4449,
अहमद, श्री अतीक	4326, 4368,
अनंत कुमार, श्री	4319,
अप्पादुरई, श्री एम.	4245,
आठवले, श्री रामदास बंडु	4332, 4408, 4455,
बैठा, श्री कैलाश	4323,
बारड़ श्री जसुभाई दानाभाई	4242, 4333, 4437,
बर्मन, श्री हितेन	4250, 4340, 4405, 4423, 4446,
भडाना, श्री अवतार सिंह	4268, 4302, 4356, 4393,
भगोरा, श्री महावीर	4257,
भक्त, श्री मनोरंजन	4229, 4285, 4349, 4434, 4452,
बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4301,
बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4325, 4399
बुधौलिया, श्री राजनरायन	4268,
चक्रवर्ती, श्री अजय	4286, 4373, 4426,
चालिहा, श्री किरिप	4251, 4314, 4342, 4404,
चन्देल, श्री सुरेश	4314, 4353, 4410,
चन्द्र कुमार, प्रो.	4314,
चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	4282, 4309,
चौधरी, डा. तुषार अमर सिंह	4264,
चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	4261,
चौधरी, श्री निखिल कुमार	4285, 4439,
चौहान, श्री शिवराज सिंह	4348, 4384,

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
चौधरी, श्री पंकज	4293, 4452,
चौधरी, श्री अधीर	4343, 4361, 4407,
दरबार, श्री छत्तर सिंह	4420,
दास, श्री खगेन	4273,
दासगुप्त, श्री गुरुदास	4452,
देवरा, श्री मिलिन्द	4263, 4320,
धोत्रे, श्री संजय	4320, 4348,
गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	4314,
गढ़वी, श्री पी.एस.	4264,
गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	4348,
गमांग, श्री गिरिधर	4236, 4314,
गांधी, श्री प्रदीप	4300,
गंगवार, श्री संतोष	4363,
गाव, श्री तापिर	4275, 4294,
गेहलोत, श्री धावरचन्द	4276,
गोहेन, श्री राजेन	4443,
गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	4294,
गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	4268, 4356,
हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	4273,
जगन्नाथ, डा. एम.	4362, 4419,
जटिया, डा. सत्यनारायण	4231, 4327, 4401, 4453,
जयाप्रदा, श्रीमती	4283, 4350, 4367,
झा, श्री रघुनाथ	4313, 4391, 4442,
जोशी, श्री प्रहलाद	4248, 4337, 4403, 4445,
कामत, श्री गुरुदास	4273, 4281, 4365, 4420, 4451,
करुणाकरन, श्री पी.	4272, 4358, 4360,
खैरे, श्री चंद्रकांत	4336,

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
खां, श्री सुनील	4258,
खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	4273, 4307, 4384, 4441,
खारवेनथन, श्री एस.के.	4329, 4409,
कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4228, 4231, 4334, 4402, 4444,
कोया, डा. पी.पी.	4381,
कृष्ण, श्री विजय	4354, 4452,
कृष्णदास, श्री एन.एन.	4289,
कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	4315,
कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	4347, 4413, 4448
कुरुप, श्री सुरेश	4306, 4383
कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4366, 4421
'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4367, 4422
माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4371, 4423
महतो, श्री बीर सिंह	4314
महताब, श्री भर्तृहरि	4360
मंडल, श्री सनत कुमार	4292
मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	4254, 4354, 4386, 4452
माने, श्रीमती निवेदिता	4357, 4372, 4452
मांझी, श्री राजेश कुमार	4316
मनोज कुमार, श्री	4258
मनोज, डा. के.एस.	4394
मेघवाल, श्री कैलाश	4277, 4398
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4253, 4380, 4443
मिश्रा, डा. राजेश	4280, 4364
मोहले, श्री पुन्नू लाल	4256, 4345, 4417
मुकीम, मो.	4268, 4273, 4392
मो. ताहिर, श्री	4268

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
मोहिते, श्री सुबोध	4265, 4369
मुन्शी राम, श्री	4321, 4452
मुर्मू, श्री हेमलाल	4269
मुर्मू, श्री रूपचन्द	4388, 4407
नाईक, श्री श्रीपाद येसो	4452
नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	4296
नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	4238, 4348
नायक, श्री अनंत	4290, 4374, 4427, 4454
निहाल चन्द, श्री	4279
निखिल कुमार, श्री	4359, 4361, 4418
निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	4288
नीतीश कुमार, श्री	4283, 4367, 4416, 4422, 4450
ओराम, श्री जुएल	4311
ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4233, 4331, 4425, 4452
पंडा, श्री ब्रह्मानन्द	4260
पाण्डा, श्री प्रबोध	4308, 4423
परस्ते, श्री दलपत सिंह	4227, 4327, 4328
पासवान, श्री सुकदेव	4267, 4390
पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार	4274, 4359
पटेल, श्री दिनशा	4264
पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	4265, 4369
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वी.	4324, 4396, 4438
पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4241
प्रसाद, श्री हरिकेवल	4368
राई, श्री नकुल दास	4423, 4447
राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	4243
राजेन्द्र कुमार, श्री	4352

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
राजेन्द्रन, श्री पी.	4335
रामदास, प्रो. एम.	4295, 4317, 4394
रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4266
राणा, श्री काशीराम	4314
राव, श्री के.एस.	4252, 4344, 4361, 4406
राव, श्री रायापति सांबासिवा	4271, 4310, 4379, 4389, 4432
राव, श्री डी. विट्टल	4413
रावत, प्रो. रासा सिंह	4263, 4327, 4375, 4428
रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	4351, 4414
रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4263, 4360
सरडगी, श्री इकबाल अहमद	4310, 4389, 4423, 4432, 4436
शर्मा, डा. अरुण कुमार	4318
सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	4230, 4279, 4368, 4411
सरोज, श्री तूफानी	4270, 4424
सत्पथी, श्री तथागत	4285, 4303, 4383, 4432, 4452
सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	4284
सेठी, श्री अर्जुन	4312
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	4239, 4295, 4314, 4355, 4411
शैलेन्द्र कुमार, श्री	4322, 4326, 4452
शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4278, 4359, 4363, 4439
शांडिल्य, डा. कर्नल (सेवानिवृत्त) धनीराम	4259, 4395
शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	4273, 4292, 4339, 4431
शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4298, 4321, 4377, 4430, 4452
सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	4240
सिंह, श्री बृजभूषण शरण	4279
सिंह, चौधरी लाल	4305
सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4291, 4452

सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
सिंह, श्री चन्द्रभान	4276
सिंह, श्री दुष्यंत	4244, 4334, 4385
सिंह, श्री गणेश	4226, 4346
सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	4357, 4452
सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	4268, 4295, 7376, 4429
सिंह, श्री मोहन	4247, 4452
सिंह, श्री प्रभुनाथ	4262, 4387, 4435
सिंह, श्रीमती प्रतिभा	4249, 4314, 4338, 4418, 4440
सिंह, श्री सीताराम	4273, 4297, 4400
सिंह, श्री सुग्रीव	4299, 4378
सिंह, श्री उदय	4285
सुब्बा, श्री मणी कुमार	4232
सुमन, श्री रामजीलाल	4350, 4416, 4450
ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	4264, 4407
त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4357
वसावा, श्री मनसुखभाई, डी.	4237, 4314
वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	4304, 4382
वर्मा, श्री राजेश	4443
वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4352, 4357, 4412, 4447
विरुपाक्षप्पा, श्री के.	4246
विनोद कुमार, श्री बी.	4235, 4330, 4433
यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	4255, 4354, 4372, 4452
यादव, श्री एम. अंजनकुमार	4314
यादव, श्री पारसनाथ	4322
यादव, श्री राम कृपाल	4355
येरननायडू, श्री किन्जरपु	4370, 4419

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

संस्कृति	:	442
रक्षा	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
सूचना और प्रसारण	:	456
पंचायती राज	:	453, 458
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	444, 446, 447, 452, 454, 457
रेल	:	443, 459, 460
ग्रामीण विकास	:	445, 448, 449, 450, 451, 455, 461
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

संस्कृति	:	4228, 4229 4236, 4238, 4245, 4260, 4264, 4290, 4257, 4306, 4316, 4372, 4374, 4444,
रक्षा	:	4249, 4254, 4273, 4280, 4310, 4326, 4339, 4343, 4353, 4368, 4381, 4387, 4398, 4407, 4413, 4419, 4429, 4432, 4433, 4435,
भारी उद्योग और लोक उद्यम		4262, 4265, 4283, 4295, 4334, 4427, 4450,
सूचना और प्रसारण	:	4234, 4242, 4266 4271, 4274, 4282, 4303, 4314, 4325, 4341, 4350, 4355, 4357, 4378, 4379, 4383, 4384, 4389, 4399, 4406, 4411, 4414, 4421,
पंचायती राज		4352, 4448,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	4244, 4247, 4252, 4255, 4261, 4263, 4270, 4277, 4284, 4286, 4322, 4330, 4331, 4349, 4354, 4356, 4359, 4361, 4362, 4363, 4367, 4370, 4385, 4386, 4390, 4392, 4394, 4410, 4412, 4416, 4418, 4422, 4423, 4424, 4425, 4438, 4447, 4452, 4453,

रेल	:	4227, 4230, 4232, 4233, 4235, 4237, 4239, 4241, 4243, 4246, 4248, 4250, 4251, 4257, 4268, 4269, 4272, 4275, 4276, 4278, 4285, 4287, 4288, 4289, 4291, 4293, 4296, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4304, 4305, 4308, 4309, 4311, 4313, 4320, 4323, 4329, 4332, 4333, 4336, 4337, 4340, 4342, 4343, 4344, 4346, 4358, 4360, 4364, 4365, 4369, 4371, 4373, 4380, 4382, 4391, 4393, 4395, 4402, 4403, 4404, 4409, 4426, 4428, 4430, 4431, 4436, 4441, 4442, 4443, 4445, 4451, 4454, 4455,
ग्रामीण विकास	:	4226, 4240, 4253, 4279, 4281, 4292, 4312, 4315, 4318, 4319, 4321, 4324, 4338, 4348, 4351, 4366, 4375, 4376, 4377, 4396, 4397, 4400, 4401, 4405, 4408, 4415, 4420, 4437, 4439, 4440, 4446, 4449,
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	4231, 4256, 4258, 4259, 4267, 4294, 4307, 4317, 4327, 4328, 4335, 4345, 4388, 4417, 4434।

© 2004 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।